राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का उनहत्तरवां दिवस [संख्या : 19

मंगलवार

12 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

हनुमानगढ़ जिले में सट्टा प्रवृत्ति पर रोक हेतु कार्य योजना

326. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले में सट्टा पर्ची रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त जिले में सट्टा पर्ची किंग को चिह्नित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में सट्टा पर्ची की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी गश्त एवं गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही की गई है जिसके कारण जिले में 397 प्रकरण सट्टा पर्ची के वर्ष 2004 में धारा-13, आर.पी.जी.ओ. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं और 434 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 308246/- रुपये जब्त किये गये हैं। जिले में सट्टा पर्ची किंग के नाम से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सट्टा खाइवाल व्यक्तियों में निम्नलिखित की पहचान कर चिह्नित किया गया है :- (1) रविन्द्र उर्फ काका पुत्र देशराज ओड़ा, निवासी भभूंत सिंह कालोनी, हनुमानगढ़। (2) बाबूलाल पुत्र कश्मीरीलाल अरोड़ा, निवासी-वार्ड नम्बर-3, (3) देवीसिंह पुत्र मूलसिंह यादव, निवासी वार्ड नम्बर-15, (4) विनोद कुमार पुत्र श्री मूलचन्द अग्रवाल, निवासी-वार्ड नम्बर-9.

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची : अध्यक्ष महोदय, सट्टा एक सामाजिक बुराई है, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सट्टे की भरमार है, खुले काउंटर लगते है। यहं जो आर.पी.जी.ओ. की धारा 13 है, यह एक धारा ही है, इसमें कोई अपराध नहीं माना जाता, मात्र 50 रुपये और 100 रुपये जुर्माना लगाकर दोषी होता है वह छूट जाता है। यह सट्टा गरीब तबके के लोग हैं लगाते हैं, जो 50-60 रुपये कमाते है। 20-30 रुपये सट्टे में लगा देते हैं, जो 20-30 रुपये की शराब पी जाते हैं और शाम को घर पर जाते हैं तो भोजन तैयार नहीं होने के कारण अपने बीवी-बच्चों को पीटते हैं। जिसके कारण बच्चे पर कुप्रभाव पड़ता है और बच्चा भी आदतन अपराधी बनने की तरफ बढ़ जाता है। जो छोटे-छोटे अपराध होते हैं, ये सट्टे के कारण हो रहे हैं। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि सट्टे का जो मुख्य किंग है हनुमानगढ़-गंगानगर जिले में एक ही है, उसका नाम नहीं आ रहा है, यह भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि सट्टा-जुआ के जितने भी प्रकरण हमने पिछले वर्षों में पंजीबद्ध किये हैं वे संख्या में बहुत सारे राजस्थान में हैं। वर्ष 2002 में हमने 10486, 2003 में 10993 और 2004 में 10485 । जैसा हनुमानगढ़ है, अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के मुकदमे दर्ज होते हैं। हनुमानगढ़ की जो सूची है उसमें से भी 90 परसेंट लोगों को सजा हो गयी और मुक्त हो गये। सजा इतनी थोड़ी है कि 100 रुपये का जुर्माना किया और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके कारण से मैंने पिछली विधान सभा में भी कहा है कि हम कानून में कोई तरमीम करने के लिए प्रयासरत हैं और हम यह चाहते हैं कि ये जो केसिनो चलते हैं, ये भी इस गिरफ्त में आएं। हमने यहां पर प्रयास तो किया केसिनो पकड़ने के लिए,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से वे हमारे परव्यू से बाहर निकल गये। हमने सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए प्रयास किया लेकिन वहां भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिली। सट्टा-जुआ का जो एक चलन प्रदेश में है, बहुत सामान्य और गरीब व्यक्तियों को इससे अपने आपमें जूझना पड़ता है। कानून में तरमीम करने की दृष्टि से हमने प्रक्रिया प्रारम्भ कर रखी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि केसिनो और इस प्रकार के भी इसमें सम्मिलित करते हुए कोई कानून ऐसा बने जिसके कारण से इस पर प्रभावी रोक लग सके। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची : अध्यक्ष महोदय, एक और रह गया। अब आधुनिक तरीका चलाया गया है। गृह मंत्रीजी, किस्मत वाला डाट काम, गुरुकृपा एण्ड कम्पनी, आधुनिक तरीके से कम्प्यूटर लगाकर विज्ञापनों के नाम पर एक रुपये के नब्बे रुपये देने की व्यवस्था की जा रही है। जगह-जगह आजकल कम्पनियों के नाम पर रखकर कम्प्यूटर व्यवस्था से वही एक के नब्बे का खेल है, यदि इनको भी किसी प्रकार के कानून के अन्दर लें तो उस पर रोक लगेगी। ऐसे काउंटर की व्यवस्था नहीं हो जिसके कारण आम-आदमी पसीजे या उसके किसी प्रकार के चंगुल में आ जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि यह गुरुकृपा और कम्प्यूटर टाइप व्यवस्था है, इसको भी आप देखें और इन पर रोक लगाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि आजकल यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी इनका जवाब दें उससे पहले ही अभी टीबी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सट्टा बहुत जोर से लग रहा है, मैं मानता हूं। इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा सट्टे की

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

दुकानें लगी हुई हैं और यह एक समाज के लिए, कम से कम दलित और नीचे के छोटे समाजों के लिए बहुत ही बुरा है, लेकिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप। आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके साथ स्मैक का प्रचलन जो हुआ है, उसको प्रायोरिटी पर पहले लेना चाहिए। नौजवान छात्र-छात्राएं भी इसकी चपेट में हैं, हालांकि छात्राओं को हम चिह्नित नहीं कर सकते उसकी कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। पहले एक जंक्शन के टाइप में था गंगानगर, लेकिन अब वहां एक बाजार का रूप दे दिया गया और उसको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कहां स्मैक पर ले गये ? सट्टे की बात है और स्मैक पर चले गये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रायोरिटी पर स्मैक को लिया जाए तो जितनी आत्महत्याएं और चोरियां हो रही हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। क्या कह रहे हैं आप ?

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी के जवाब देने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे जिस-जिस गांव में जहां जहां पर ये सट्टे हो रहे हैं, मेरे खयाल से वे पुलिस वालों से मिलीभगत करके ही सम्भव है। क्या यह सही है कि पुलिस वालों ने खुद शरण दे रखी है, सट्टा जुआ खेलने वालों को और उनकी कमाई का साधन ये बने हुए हैं ? क्या उनको रोकने के इसमें प्रयास कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हनुमानगढ़ का प्रश्न है। यह हनुमानगढ़ का प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये-सुनिये, बीच में नहीं बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कि जिस किसी थाने के बीच में इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि चलती हुई पायी गयी और किसी दूसरे अधिकारी द्वारा उस सट्टे को अगर हम पकड़ने में सफल हो जाएंगे, उजागर करेंगे तो उनके विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे। मैं कुछ नाम आपको गिना सकता हूं कि जहां-जहां किसी दूसरी एर्जेसी से सट्टा पकड़ा जो उसके क्षेत्र में हो रहा था, उनको बदला भी है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है। जैसे इनका संगरिया ही है, यह अश्विनी शर्मा है-एस.एच.ओ., इसको हमने दण्डित किया है। इसी तरह से हमने कोटा में रामबाबू को किया, इसी तरह से कोटा में एक शिवसिंह को किया। इसी तरह से बूंदी में किया बलराज एस.एच.ओ. को। यह ऐसी सूची है जिसमें राजस्थान में 50 से भी अधिक हैं, उनके थाना क्षेत्र में इस प्रकार का जुआ-सट्टा किसी दूसरे ने जाकर पकड़ा तो उनके विरुद्ध हमने कार्यवाही की है। लेकिन यह सब कुछ करने के बाद भी इसकी सजा इतनी कम है कि सामान्यता इस पर जिस प्रकार की रोक लगनी चाहिए, मैंने आंकड़े आपके सामने रखे कि लगभग हर साल वही 10400, 10800, 10900 के आस -पास ही घूम रहे हैं। इसका प्रभावी कदम तो यह होगा कि कानून में ही कोई न कोई शक्ति हो। जो इन्होने कहा कि आजकल कम्प्यूटराइज्ड करके कंसिनो के माध्यम से, अलग-अलग तरीकों से भी इस प्रकार का काम है, केसिनो को हमने लाने की कोशिश की, मुकदमे बनाये हैं, लेकिन इनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गयी। हम सुप्रीम कोर्ट भी गये, हमको किसी प्रकार की इसमें मदद नहीं मिली कानूनी दृष्टि से। हम यह चाहते हैं कि कोई कानून ही ऐसा पुख्ता बनाएं, इनको हम सजा का अच्छा प्रावधान कोई डालें, जिससे इस पर थोड़ा-सा नियन्त्रण हो सके।

श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बारां जिले के छबड़ा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आज से आठ-दस दिन पूर्व ही बारां के एडिशनल एस.पी. द्वारा छापा मारकर लाखों रुपये का सट्टे का व्यापार पकड़ा गया था,

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

उस सम्बन्ध में एस.पी., बारां द्वारा वहां के डीवाई.एस.पी.. सी.ओ. और सी.आई. को नोटिस दिया गया है आपने अभी जो घोषणा की सदन में कि मैंने पूर्व में घोषित कर रखा है कि जहां बाहर के अधिकारी जाकर पकड़ेंगे, मैं उनको हटाऊंगा और कार्यवाही करूंगा, तो क्या छबड़ा डीवाई.एस.पी. और सी.आई., छबड़ा के विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे, कृपया सदन में अवगत कराएं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सामान्यता मैंने कहा था कि यदि.... (व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, सट्टे से सम्बन्धित है और माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो जवाब दिया है, उससे सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सीधी जिम्मेदारी थाना इंचार्ज की, और वहां जो कांस्टेबल है उनको बीट सुपुर्द कर रखा है, उनके एरिये में हो रहा है तो उनको जवाबदारी हम दे सकते हैं। सी.ओ. का एरिया इतना बड़ा होता है कि उसको सीधे किसी गली के लिये हम दण्डित करेंगे तो मैं सोचता हूं, उचित नहीं होगा। थाने को उसका हमने टार्गेट बनाकर प्रयास किया और प्रत्येक जिले में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके क्षेत्र में किसी दूसरे ने जाकर सट्टा पकड़ा तो हमने उसके विरुद्ध कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी

प्रश्न संख्या : 327

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 328

विश्व बैंक पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के संवेदकों को उत्पाद एवं सीमा शुल्क में अनियमित छूट

328. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक से ऋण लेकर राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) में बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं सिंचाई प्रणालियों का पुनरुद्धार करने का कार्य निविदा आमंत्रित कर संवेदकों से करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो निविदा प्रपत्र की प्रति तथा निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों द्वारा भरी गयी निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जारी निविदा प्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त योजना के निर्माण कार्यों में काम आने वाली सामग्री सीमेंट, सरिया, मशीन या अन्य सामग्री के क्रय करने पर उत्पाद एवं सीमा शुल्क में उन्हीं संवेदकों को छूट दी जायेगी, जिन्होंने अपने निविदा प्रपत्र में सामग्री मय मात्रा शुल्क का उल्लेख किया हो ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने संवेदकों ने अपने निविदा प्रपत्र में उल्लेख नहीं किया। इसके बावजूद भी छूट का लाभ ले रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, कोटा ने सरकार के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर यह अवगत कराया है कि संवेदकों द्वारा अपने टेण्डर फार्म में छूट नहीं मांगने पर भी छूट का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत विस्तृत सूचना मांगी थी। स्थगित किया गया।

श्री बाबूलाल नागर : 91 परियोजनाएं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं जो कह रही हूं वह सुनिये। आपने बहुत विस्तृत सूचना मांगी थी, उतनी विस्तृत सूचना एकत्रित नहीं हो पायी है, इसलिये इसे स्थगित कर रही हूं।

श्री बाबूलाल नागर : इसी सत्र में लगवा दें, अध्यक्ष महोदय, इतना-सा निवेदन है मेरा।

श्री अध्यक्ष : 346 निविदादाता थे इसमें, जिसमें 8600 पृष्ठों की सूचना आएगी। अब 8600 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करना और इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल है।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई.डी. सम्बन्धी मैंने लगाया था, वह भी स्थगित हो गया था। उसका नम्बर अभी तक नहीं आया। यह करप्शन से सम्बन्धित मामला है, यह भी स्थगित हो गया। इसमें बहुत भारी, करोड़ों रुपये का करप्शन है। मैं तो आपसे यह चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है...

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया।

श्री बाबूलाल नागर : आपने समय दे दिया, लेकिन मैं यह चाहूंगा, कब लगेगा यह ?

श्री अध्यक्ष : सूचना आने पर ही तो सम्भव होगा।

श्री बाबूलाल नागर : नहीं, लग तो जाएगा न। आप तो मुझे यह आश्वासन दे दो, लगा जाएगा जिस नम्बर पर आया है यह।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ, लग जाएगा।

श्री बाबूलाल नागर : यह लग तो जाएगा, अध्यक्ष महोदय ? अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक से मिली राशि 765 करोड़ का मामला है।

श्री अध्यक्ष : इतनी विस्तृत सूचना है। आप स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर है।

श्री बाबूलाल नागर : करोड़ों रुपये का घपला है इसमें।

श्री अध्यक्ष : दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, थोड़ा खयाल रखा करें। आसन पांवों पर हो तो आप बैठ जाया करें।

श्री बाबूलाल नागर : बैठ जाता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रही हूं आपसे, कि आपने जितनी विस्तृत ज्ञानकारी चाही है, 8600 पृष्ठों की सूचना आएगी और उसकी 100 कापियां, 80 हजार, कैसे सम्भव होगा यह ? इस सैशन के अन्दर कैसे सम्भव होगी ? इस सैशन में सम्भव नहीं है, नैक्स्ट सैशन में आएगी आपकी सूचना।

श्री नवरतन राजोरिया।

श्री बाबूलाल नागर : आप तो यह आश्वासन दे दें लगेगा यह' तभी तो लगेगा। यह कह दो आप तो, अध्यक्ष महोदय।

श्री नवरतन राजोरिया : प्रश्न संख्या 329.

श्री बाबूलाल नागर : पी.एच.ई.डी. का लगाया, वह आज तक नहीं आया।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने यह सूची में सूचीबद्ध क्यों किया, मान्यवर? लेने का फर्ज है आपका। (व्यवधान) आपने सूचीबद्ध कर रखा है उसका तो उत्तर आना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जब इतनी विस्तृत सूचना है तो अब तक नहीं आ सका।

श्री रामनारायण चौधरी : कितनी भी हो, जब आपने एक्सैप्ट कर लिया और माननीय सदस्यों में वितरण कर दिया...

श्री सांवर लाल : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, लगने के बाद ही स्थगित होता है, कई बार हुए हैं। कोई पहली बार नहीं हो रहा है यह स्थगित।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट तो हो जाता है, जब लाटरी में निकल जाता है तो फिर हो जाता है। लाटरी निकलती है तो लिस्ट हो जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय का ध्यान खींच रहा हूं कि जब आपने इसको एडमिट कर लिया, सदस्यों में सर्कुलेट कर दिया...

श्री अध्यक्ष : एडमिट तो जब होता है जब लाटरी में निकल जाता है। लेकिन सूचना एकत्रित करने में विभाग में समय लगता है जब स्थगित भी होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो शार्ट में कर दो आप इसको। जवाब तो दिलाना चाहिये। इम्पार्टेंट सवाल है, उत्तर आना चाहिये। शार्ट में दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : शार्ट में वह चाह नहीं रहे हैं, वह तो विस्तृत सूचना चाह रहे हैं।

श्री नवतरन राजोरिया।

फुलेरा के औद्योगिक क्षेत्रों हेतु आवश्यक सुविधाएं

329. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) फुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर) के रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की कितनी इकाइयां चालू हैं ?

(2) फुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल में रीको के कितने प्लाट रिक्त हैं ? उस पर उद्योग लगाने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) फुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल के औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें जर्जर होने, पानी का अभाव होने एवं बिजली की आपूर्ति न होने के कारण क्या सरकार उक्त समस्याओं का निराकरण कर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कराने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) रीको औद्योगिक क्षेत्र, फुलेरा में 9 इकाइयां एवं औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़-रेनवाल में 22 इकाइयां उत्पादनरत हैं।

(2) औद्योगिक क्षेत्र, फुलेरा में एक औद्योगिक भूखण्ड रिक्त है। इस भूखण्ड का आबंटन वर्ष 2005-06 में खुली नीलामी द्वारा किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़-रेनवाल में 3 औद्योगिक भूखण्ड रिक्त हैं, जिनका आबंटन उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिये नियमानुसार किया जाएगा।

(3) सड़कों के रख-रखाव हेतु निगम प्रशासन द्वारा वर्ष 2004-05 में विशेष रख-रखाव मद में रुपये 3.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके तहत सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़-रेनवाल की जल प्रदाय योजना का संधारण एवं रख-रखाव जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र, फुलेरा में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण निगम द्वारा बनाये गये नलकूप सूख गये हैं एवं वर्तमान में जलापूर्ति बन्द है। इस समस्या के निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के माध्यम से पानी उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र, फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) में 11 के.वी. फीडर से समुचित विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में फुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से म.. महोदय से यह जानकारी चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा व किशनगढ़-रेनवाल में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु भूखण्डों की मांग है। आपके प्रश्न के उत्तर के भाग-2 में बताया गया है कि फुलेरा में एक और किशनगढ़-रेनवाल में 3 औद्योगिक भूखण्ड रिक्त हैं, क्या आप इन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में औद्योगिक इकाइयों की मांग के अनुसार नये भूखण्ड स्वीकृत कर आबंटन करने का विचार रखते हैं ? खण्ड-2 में आपने सड़कों के रख-रखाव के लिये 2004-05 में 3.00 लाख का प्रावधान बताया है। रीको के

(श्री नवरतन राजोरिया)

दो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें 3.00 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है, क्या वह पर्याप्त है ? यह जो प्रावधान किया है इसमें सड़कों की मरम्मत और सड़कों के नवीनीकरण का कार्य कब तक करवा दिया जाएगा ?

आपने जल प्रदाय के लिये जो योजनाएं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से करवाने का उत्तरं दिया है। मेरा एक प्रश्न था 1-7-2004 को, उसमे भी आपने यही जवाब दिया था। लगभग सात महीने बाद भी वहां पर पीने का पानी तो जनता को नहीं मिल रहा है, औद्योगीकरण के लिये पानी की व्यवस्था क्या आप अपने विभाग के द्वारा करवाना चाहेंगे ? अधिकारी उस पर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार आपने अपने प्रश्न के उत्तर के अन्त में यह कहा है कि फुलेरा-किशनगढ़-रेनवाल में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और सृजन करने के लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप ही बोल रहे हैं माननीय मंत्री महोदय भी ?

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि भूखण्ड की उद्यमियों द्वारा मांग है, तो मांग है तो निश्चित तौर पर हम उस मांग को पूरा करेंगे। 1979 के बाद में यह पहली बार होगा। वहां की मांग के हिसाब से और अतिरिक्त भूखण्ड उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दूसरा था सड़क के सम्बन्ध में, 3.00 लाख रुपये मैंने रख-रखाव हेतु निवेदन किया है। रेनवाल क्षेत्र में 30.52 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2004-05 में जारी हुई है। सड़क हेतु 12.01 लाख खर्च किये जा चुके हैं। पी.एच.ई.डी. द्वारा जल वितरण योजना संचालित की जा रही है। जल स्तर काफी नीचे चला गया है उसके बावजूद भी एक अतिरिक्त नलकूप की स्वीकृति वहां हाल ही में जारी हुई है। अब वहां पर खोद तो हम देंगे, पानी उपलब्ध हो जाएगा तो निश्चित तौर पर चालू औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलेगा। सुलभ रूप से संचालन हो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पाएगा। शेष राशि 15.78 लाख इसमें आधारभूत सुविधाओं के लिये खर्च की जा चुकी है। अतिरिकत भूखण्ड, जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से सर्वे करवाकर, कुछ एप्लीकेशंस आ जाएं तो रीको द्वारा और अतिरिक्त भूमि लेकर आबंटित किये जाएंगे।

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय मंत्री महोदय, आपने 30 लाख रुपये बताये, इसमें 3.00 लाख रुपये ही बताया है, यह थोड़ा स्पष्ट कर दें।

श्री नरपत सिंह राजवी : इसमें आपने दो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात कही है। फुलेरा में 3.00 लाख रुपये का सैंक्शन किया है, किशनगढ़-रेनवाल औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 30.52 लाख स्वीकृत किये हैं। जितनी कुल भूमि आबंटित करते हैं, जितने भूखण्ड आबंटित हो गये, उसके हिसाब से आधे में डवलपमेंट करते हैं। अभी वहां पर कुछ गांवों में कच्ची बस्ती बसी हुई है और कुछ पुरानी जमीन स्कूल के कब्जे में है, वहां तक हम लगभग पहुंच चुके हैं। उसके बारे में अतिरिक्त भूमि और उपलब्ध होगी तो और राशि खर्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामप्रताप कासनिया।

पीलीबंगा के विद्यालयों में रिक्त पद

330. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कितने राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? उक्त प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है ? छात्र संख्यानुसार विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं व कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा किस-किस विद्यालय में कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : (1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में संचालित प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा उनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" में तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

व्याख्याताओं के रिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

द्वितीय श्रेणी के अध्यापक पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में अलग-अलग विद्यालयों में पद रिक्त हैं, उनके बारे में ब्यौरा दिया है, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में जो पद रिक्त हैं उनको कब तक भर दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर का यह जो भेदभाव है, क्या आप इसे खतम करने का विचार रखते हैं ? जैसे शहर के अन्दर एक भी विद्यालय के अन्दर पद रिक्त नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त ही रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करोगे जिससे अध्यापकों का रुझान ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़े ? कोई भत्ते बढ़ा कर, मकान किराया बढ़ा कर इस तरह की कोई आप व्यवस्था लागू करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अध्यापक जाने में रुचि रखें।

श्री वासुदेव देवनानी : अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों जिलों को मिला कर क्षेत्र आता है, उसमें 137 प्राइमरी स्कूल और 81 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। पिछले दिनों हमने जो तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की प्रक्रिया शुरू की है, 19000 अध्यापकों को पदस्थापित कर दिया गया है। 21 हजार की सूची दी है, 19 हजार हमने कर दिये हैं। उसमें से पीलीबंगा में 135 लोगों को हमने नियुक्तियां दी हैं, श्रीगंगानगर में 621 और हनुमानगढ़ में 403, इस प्रकार से 1024 पर इन दोनों जिलों में भरे गये हैं।

साथ ही 49120 पद खाली थे, हम 38 हजार पदों को भरने जा रहे हैं, प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा सैकण्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पदों की भी प्रक्रिया चालू है। सीधी भर्ती द्वारा सैकण्ड ग्रेड के 19004 पदों के साक्षात्कार हो चुके हैं, हम बहुत जल्दी उनको नियुक्तियां देने जा रहे हैं।

इसके अलावा डी.पी.सी. है, 1574 और 793 मिला कर 2367 पदों की डी.पी.सी. हो गयी है और उनकी नियुक्तियां जारी हैं। फर्स्ट ग्रेड के 1569 पदों को हमने अगस्त, 2004 में दे दिये हैं, बाकी पदों की डी.पी.सी. चालू है। 500 की डी.पी.सी. हो गयी है और 407 की डी.पी.सी. इस माह में हम करने जा रहे हैं। 1407 पदों को आर.पी.एस.सी. ने विज्ञापित कर दिया है, उसके द्वारा भी हम करेंगे।

मैं आश्वस्त करता हूं कि अगला सत्र प्रारम्भ होने से पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में, 54 हजार पदों को भर देंगे, कोई भी खाली पद नहीं रह जाएगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये साक्षात्कार किस के लिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप किस की अनुमति से बोल रहे हैं ?

श्री जुबेर खान : माननीय मंत्रीजी ने सदन में अनेकों बार कहा है कि इन्टरव्यू के लिये जा रहे हैं जरा बता दें, किस बात के इन्टरव्यू लिये जा रहे हैं, शिक्षा मंत्रीजी ?

श्री अध्यक्ष : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप किस की अनुमति से बोल रहे हैं।

मंत्री महोदय, आप यह बताओ पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य जो कि इनके यहां पर प्राइमरी विद्यालय दस बच्चों पर चल रहा है, 41 बच्चों पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, तो आपका कोई क्राइटेरिया तो होगा कि इतने बच्चों पर स्कूल? दस बच्चों पर प्राइमरी चल रहा है और कोई टीचर नहीं है वहां। राजकीय उच्च प्राथमिक 41 बच्चों पर चल रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी : ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, अनार्थिक स्कूलों की सूची बनवायी जा रही है, उस पर हम निश्चित रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं जिन पर अध्यापक काफी समय से नहीं थे, उनको हम प्रायोरिटी पर भर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दस बच्चों पर आपका प्राइमरी स्कूल चल रहा है और 41 बच्चों पर उच्च प्राथमिक चल रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी : अनावश्यक, अनार्थिक की हम सूची बनवा रहे हैं...(व्यवधान) हम देखेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : 150-150 बच्चे हैं और अध्यापक एक है, यह हालत है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : गांवों के अन्दर ही खाली क्यों रहे ? शहरों में सब भरे हैं, वहां ओवर क्राउडेड स्कूल चल रही हैं। सरप्लस में वहां चल रहे हैं और गांवों में सब खाली पड़ी हैं। यह कारण उन्होंने पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सारे पद हम गांवों में भर रहे हैं, पूरे 38 हजार पदों की नियुक्तियां गांवों में की जा रही हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं भर्ती प्रक्रिया जारी है। कह तो दिया।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप बच्चों के अनुपात में शिक्षकों के पदस्थापन का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : दस बच्चे वालों को तो बन्द किया जाएगा। दस बच्चे जिस प्राथमिक शाला में हैं, वह तो बन्द होगी। 41 पर उच्च प्राथमिक है तो वह तो बन्द होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : बन्द कैसे होंगी, जहां दूरदराज के क्षेत्र के ढाणियां और मजरे हैं...

श्री अध्यक्ष : दस बच्चों पर चलेगी स्कूल ?...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, एक मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और जानना चाहूंगा कि कुछ अध्यापकों के पदस्थापन कर दिये जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, परन्तु वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर डैपुटेशन करवा कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिस स्थान पर उनको पद स्थापित किया जाता है वहां नहीं जाते। क्या ऐसे डैपुटेशन आप बन्द करने का विचार रखते हैं ?

श्री वासुदेव देवनानी : हम सारी नियुक्तियां गांवों में कर रहे हैं, उनमें से एक भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा हूं, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में आपकी लोकप्रिय सरकार आने के बाद जो विद्यालय दसवीं और बारहवीं तक के क्रमोन्नत किये गये इस 2004-05 के सत्र में, वहां आपने कितने व्याख्याता, प्राचार्य, उप-प्राचार्य के पद स्वीकृत किये? यह जवाब दे दो आप।

श्री वासुदेव देवनानी : लगाने की प्रक्रिया जारी है।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : नये स्कूल रेज किये उनमें क्या आपने कोई पोस्ट दी है लैक्चरर की, प्रिंसिपल की ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बार्डर वालों की तरफ भी ध्यान दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी : नये स्कूल जो क्रमोन्नत किये हैं...(व्यवधान) प्रक्रिया जारी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक लैक्चरर की, बाइस प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं...(व्यवधान) बिना प्रिंसिपल और बिना बाइस प्रिंसिपल लड़के पढ़ते रहें वहां पर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिरोही से आने वाले माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने पूरे राजस्थान में एक पद स्वीकृत किया क्या ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : राजस्थान सरकार 30 हजार अध्यापकों की नियुक्ति कर रही है, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अध्यापकों को रहने देते हैं, उन विधायकों के नाम बताओ ?...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मूण्डावर) : हमने 38 हजार लगाये तो हैं, आपने लगाये नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कितने एम.एल.ए. इनको गांवों में रहने देना चाहते हैं, शहर के लिए कितने ?...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने पांच साल में क्या किया, इसका तो ब्यौरा दें।

श्री वासुदेव देवनानी : पांच साल में एक भी नहीं दिया।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

आप मंत्रीजी की जगह पर इतने सदस्य खड़े होकर जवाब देने लगे, मंत्रीजी को ही देने दीजिए न जवाब। आप सत्ता पक्ष के सारे उनका ही जवाब देने लगे मंत्रीजी का ही।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की...(व्यवधान) शहर में लगाने के लिए किन विधायकों ने अनुशंसा की है, नाम बताने का कष्ट करें, मंत्री महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र का पूछा है कि 2004-05 में जो स्कूल क्रमोन्नत किये गये दसवीं और बारहवीं तक के, उसमें आपने एक भी सब्जैक्ट टीचर, लैक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट दी क्या ? जितने आपने स्कूल रेज किये दसवीं और बारहवीं के....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आपने पता नहीं कितने मास्टरों को गांवों से उठा कर शहर में लगवाया है। (व्यवधान) गांवों में कोई रहने ही नहीं देता।

श्री संयम लोढ़ा : बच्चे बिना लैक्चरर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पढ़ते रहे। आप जवाब दो न।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : सारे एम.एल.ए. डिजायर देते हैं शहरों की और गांवों में रहने नहीं देते और अब कोसते हैं शिक्षा विभाग के मंत्री को या किसी को। हम लोग तो पहले डिजायर दे दे कर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पूरा एक साल राजस्थान के 400 सैकण्डरी और 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूल बिना एक भी लैक्चरर के, बिना वाइस प्रिंसिपल के, बिना प्रिंसिपल के, बिना सब्जैक्ट टीचर के चलते रहे। पूरे राजस्थान की नयी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देने की जगह उनका भविष्य अंधकारमय करने का काम इस सरकार ने किया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : सी.पी. जोशीजी बैठे हैं, खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप लोगों ने डिजायर प्रथा लागू करके और गरीब अध्यापकों से चालीस-चालीस हजार रुपये लेकर तबादले किये थे। (व्यवधान) इन्होंने पांच साल में एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह राजस्थान के इतिहास में रिकार्ड है, इतने शिक्षकों की भर्ती पहली बार हुई है। उधर बैठते ही चिन्ता हो रही है। पांच साल में क्या किया ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : भर्ती की छोड़ो, आपने पोस्टें दीं क्या ? स्कूलें रेज की....(व्यवधान) आपने स्कूलें रेज की, आपने पोस्टें दी क्या ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जब राज मिला था तब क्या किया आपने, यह बता दो ?

श्री संयम लोढ़ा : आप किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो ? (व्यवधान) आज शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हो...(व्यवधान) लैक्चरर और प्रिंसिपल आपने लगाये ही नहीं।

श्री सांवर लाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार चालीस हजार मास्टर भरे हैं। हर जगह हैडमास्टर लगा हुआ है। (व्यवधान) लैक्चरर लगे हुए हैं। पांच साल में कुछ नहीं किया।

श्री संयम लोढ़ा : आपने रेज किया है, स्कूलों में एक लैक्चरर की पोस्ट दी हो तो आप बताइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो पांच साल तबादले करते रहे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान की जनता समझती है, आपने क्या किया पांच साल में।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मूल प्रश्नकर्त्ता यदि पूछना चाहें तो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : जोशीजी ने इसीलिए यह विभाग छोड़ा था।

श्री अध्यक्ष : मैंने मूल प्रश्नकर्ता का नाम पुकारा है स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अशोक नागपाल : बार्डर पर बैठे हैं कभी बात नहीं सुनी।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने से पहले डिजायर की बात यहां गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है, मैं कम से कम यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहली बात तो डिजायर बहुत कम दी है, 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की ही दी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से मैं काफी सन्तुष्ट हूं। मंत्री महोदय, आप तो सिर्फ एक बात बता दें कि ये पद कब तक भर दिए जाएंगे ? बस इतना-सा प्रश्न है।

श्री वासुदेव देवनानी : कई पद पांच-छह वर्षों से खाली पड़े हैं, अगले सत्र से पूर्व इनमें से अधिकांश पद भर दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरीसिंह रावत।

भीम विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हेतु आबंटित राशि

331. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राजसमन्द जिले में वर्ष 2004-05 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सड़कों एवं अन्य कार्यों हेतु कितनी राशि आबंटित की गई ?

(2) उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र भीम के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई और आबंटन का मानदण्ड क्या रहा ?

(3) उक्त राशि से विधान सभा क्षेत्र भीम में कहां-कहां क्या-क्या कार्य कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त आबंटित राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ?

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) राजसमन्द जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं अन्य कार्यों हेतु 62.13 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी जो निम्नानुसार है :-

1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए	41.34 लाख रुपए
2.	जिला कलक्टर को	14.99 लाख रुपए
3.	स्थानीय निकाय को	5.80 लाख रुपए

(2) उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र भीम के लिए 25.46 लाख रुपए आबंटित किये गये थे। उक्त राशि का आबंटन राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार सड़कों एवं अन्य कार्यों के पुनरुद्धार हेतु जिला कलक्टर्स एवं विभिन्न विभागों/एजेन्सियों की मांग के अनुसार किया गया था।

(3) उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र भीम में निम्न कार्यों पर व्यय निम्नानुसार है :-

1. जिला कलक्टर के माध्यम से सा.नि. विभाग, आमेट	4.85 लाख
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेट	11.64 लाख
3. स्थानीय निकाय, देवगढ़	1.00 लाख

उक्त व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

1. भीम-बग्गड़ बाबा टाटागढ़ रोड बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत 9.77 लाख व्यय। (जिला कलक्टर के माध्यम से 1.68 लाख, सा.नि. विभाग के माध्यम से 8.09 लाख व्यय)

2. एन एच 8, नन्दाबट सारोठ-रतनपुर रोड-75 मीटर लम्बाई में रीटेनिंग वाल की मरम्मत एवं निर्माण-4.93 लाख व्यय (जिला कलक्टर के माध्यम से व्यय 1.90 लाख सा.नि. विभाग के माध्यम से 3.03 लाख)

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

3. जोजावर-कामलीघाट माण्डल रोड पाइप कलवर्ट का कार्य एवं पैच रिपेयर का कार्य-1.97 लाख व्यय (जिला कलक्टर के माध्यम से व्यय 1.27 लाख सा.नि. विभाग के माध्यम से 0.52 लाख व्यय)

4. स्थानीय निकाय देवगढ़-उक्त मद में आबंटित राशि का उपयोग नगर पालिका क्षेत्र देवगढ़ की टूटी हुई सड़कों के बैच मरम्मत कार्य हेतु रुपए 1.00 लाख व्यय।

जी, नहीं। क्योंकि पूर्व में आबंटित राशि में से रुपए 9.97 लाख बच रहे हैं।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने 25 लाख 46 हजार रुपए मेरी विधान सभा क्षेत्र के अलाट किये तो क्या मापदण्ड रखा गया ? अगर मापदण्ड यह रखा गया कि जो भी आपके काम हैं, रोड डैमेज हुए उनको रिपेयर करेंगे तो उसके बाद 7.97 लाख राशि शेष कैसे बच गयी ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस टाइप की कितनी ही रोड हैं जो डैमेज हैं, जैसे भीम से करेड़ा पहले भी इन्होंने ले रखा था, वह भी पूरा क्षतिग्रस्त है। दूसरा भी सदर बाजार वह भी करीब आधा किलोमीटर जो बाजार के बीच में है, पूरी रोड पर खड्डे पड़े हुए हैं, उसकी भी कोई मरम्मत नहीं हुई है। इसके अलावा भीम बड़ा खेड़ा है। चालीस मील से ताल लसानी देवगढ़ रोड है। देवगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पुलिस स्टेशन से नगर पालिका आउटर रोड है, वह पूरा डैमेज है। इस तरह आठ दस रोड पूरे डैमेज हैं उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि 7.97 लाख का आपका बैलेंस बचा है। आपने जब 25.46 लाख का क्राइटेरिया रखा तो इसके बाद ये रोड वर्क कैसे अधूरे रह गये, इसका आप मुझे स्पष्टीकरण करें, अध्यक्ष महोदय ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, प्रस्ताव नीचे से जिला कलक्टर के थ्रू आऐ थे और जिन-जिन सड़कों के प्रस्ताव आये उन सड़कों को मैंने पैसा उपलब्ध करा दिया। जिन दूसरी सड़कों

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

का नाम ले रहे हैं, सावंजनिक निर्माण विभाग वाले इनको करेंगे जब भी उचित मांग होगी, उचित समय होगा। हम तो बरसात के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनकी रिपेयर के लिए पैसा....

श्री अमराराम (धोद) : इतने प्रस्ताव कलक्टर से आये उससे राशि आपने ज्यादा भेज दी इसलिए बच गये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आपको परेशानी हो रही है क्या, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : परेशानी तो आप कह रहे हो उससे है। कलक्टर से प्रस्ताव आये उनके अनुसार स्वीकृति हुई और रुपए बच रहे हैं सात लाख।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : टेंडर लो चले गये हों और पैसा बच गया हो तो बताओ ? इसका जवाब दे दो ? आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो। बिलो बी.एस.आर. टेंडर चला गया हो और पैसा बच गया हो तो उसका क्या करें, यह बताओ ?

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बताइए कि जो सड़कें हैं, ये इसमें नहीं थी क्या ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : बीच में टपक पड़ते हैं, सवाल पूरा सुना नहीं। स्प्रिंग लग रही है क्या आपके ?

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने जानकारी ली है पी.डब्ल्यू.डी. से, बी.एस.आर. से टेंडर लो चले गये थे जिसके कारण यह पैसा बच गया। फ्लड-टू-फ्लड देने का हमारे विभाग ने निर्णय लिया है, माननीय सदस्य कोई और प्रस्ताव भेजेंगे कि किस रोड पर लगाना है तो फ्लड-टू-फ्लड इस बचे हुए पैसे को लगा देंगे।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने ये सभी जो रोड बताये हैं, already I have submitted to the collector.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। कह दिया लगा देंगे, खतम हुई बात। डा. समरजीत सिंह।

खनन पट्टों हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण

332. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार खनन पट्ओं के आबंटन हेतु नई नीति तैयार कर रही है ? यदि हां, तो क्या व कब तक इसे लागू किये जाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 में घोषित नीति के अनुरूप जिन आवेदकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं एवं सरकार के पास लम्बित हैं, उन को खानें आबंटित की जाएंगी ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

खनिज मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा नई खनिज नीति, 2005 तैयार की जा रही है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

(2) वर्ष 2002 में खनिज-ग्रेनाइट व खनिज-मार्बल नीति घोषित की गयी थी। उक्त नीति के अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। आवेदन पत्र प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है। प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है।

डा. समरजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह तो स्वीकार किया है कि 2005 की नई खनिज नीति तैयार हो रही है। मेरे प्रश्न के दूसरे भाग में इन्होंने जवाब दिया है कि 2002 खनिज-ग्रेनाइट व खनिज-मार्बल नीति घोषित की गयी थी उसके अनुसार नियमानुसार निस्तारण हो रहे हैं। नियमानुसार निस्तारण होते हैं यह तो सभी को मालूम है कि नियमानुसार ही होते हैं, पर कब तक होंगे ? जैसे हमारे जालौर में ग्रेनाइट

(डा. समरजीत सिंह)

के अन्तर्गत जो एप्लीकेशन लगी हुई हैं 2002 की नीति के तहत उनकी सुनवाई चल रही है और आज सरकार 2002 की नीति के पहले जो एप्लीकेशनें लगी थी उन्हें खारिज कर चुकी है। उसके विरोध में ए.डी.एम. माइन्स एम.एल.ए. के लिए जोधपुर अपील में गये हैं और डी.एस. माइन्स के पास में पी.एल. के लिए गये हुए हैं। उनका निस्तारण पिछले साल भर से नहीं हो रहा है और न कोई सुनवाई हो रही है उनकी। मेरा आपसे यही पूछना है कि क्या इनका निस्तारण समय पर होगा ? आप एक तरफ तो स्टेटमेंट देते हैं कि तीस दिन के भीतर निस्तारण होना चाहिए और दूसरी तरफ यह हाल है कि आज साल भर हो गया उनकी कोई सुनवाई, एक भी सुनवाई नहीं हुई है। 28 मार्च को एक कोई मीटिंग हुई है उसके अलावा कोई उसका असर आज तक नहीं हुआ। मेरा सीधा-सा प्रश्न आपसे यह है कि 2002 के तहत एम.एल. की जो एप्लीकेशन ए.डी.एम. जोधपुर के तहत विचाराधीन हैं, जिनका निस्तारण नहीं हुआ है और पी.एल. के डी.एस. माइन्स के तहत जो जयपुर में विचाराधीन हैं, उनका निस्तारण कब तक करवाएंगे ? कहीं यह तो नहीं है कि 2005 की पालिसी आ जाए, 2002 के तहत लगी हुई आपकी एप्लीकेशनें उसी तरह ठंडे बस्ते में रह जाएं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि 56 वर्षों के अन्दर जो पत्रावलियों का निस्तारण नहीं हुआ था, मैंने 31-8-2004 को बाइस हजार एक सौ पन्द्रह आवेदन पत्र जो लम्बित थे, उनका मन्थली मानिटरिंग करते हुए 11,577 पत्रावलियों का निस्तारण करवाया, जो राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की, जोधपुर के अन्दर 1528 एम.एल. एप्लीकेशन खनिज मार्बल की और 178 पी.एल. की जो पैण्डिंग थीं उसमें से 225 एम.एल. का निस्तारण कराया गया और पी.एल. 74 का निस्तारण हो चुका है। ग्रेनाइट के बारे में माननीय सदस्य

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

ने जो चिन्ता प्रकट की, 1303 एप्लीकेशंस पैंडिंग थीं, पी.एल. की 154, उसमें से एम.एल. की 2021 और पी.एल. की 263. 557 एम.एल. और 81 पी.एल. का निस्तारण कराया गया है। जो पैंडिग एप्लीकेशंस हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंथली सैक्रेटरी माइंस, डायरेक्टर, ए.डी.एम.एस.एम.ई. से रिपोर्टिंग ली जाती है कि दस साल से पुरानी कितनी एप्लीकेशंस हैं....

श्री समरजीत सिंह : पर, मंत्रीजी, साल भर से सुनवाई नहीं हुई। आप तो काफी विस्तृत उस पर चले गये...

श्री अध्यक्ष : पहले उनका जवाब सुन लीजिये। तसल्ली रखिये थोड़ी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पांच साल में कितनी पैंडिग एप्लीकेशंस हैं, एक साल से कितनी पैंडिग हैं, मंथली उनकी मीटिंग ली जाती है। 56 साल के कार्यकाल की ग्यारह हजार और समथिंग एप्लीकेशंस का साढ़े चार माह के अन्दर निस्तारण किया गया। इनकी एन.ओ.सी. फोरेस्ट विभाग के द्वारा या पत्रावलियों में कोई कमी है, अगर समयबद्ध आवेदनकर्ता उनकी पूर्ति कर देगा तो चार माह की डैडलाइन मैंने अपने माइंस विभाग के अधिकारियों को दी है, जिनका आवेदन पत्र अगर लम्बित है उनका चार माह के कार्यकाल में निस्तारण हर हालत में कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न तो अलाउ कीजिये...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो नयी खनिज नीति बनाने जा रही है क्या अब उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण करने का विचार रखती है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक पूरक प्रश्न पूरे राजस्थान के गरीब तबके के हितों से जुड़ा हुआ है। लोकप्रिय सरकार, गरीबों और आदिवासियों की हितकारी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह नहीं थी क्या ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आज से है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हम काफी देर से हाथ ऊंचा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से मेरा एक सवाल है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परम्परा हाथ ऊंचे करने की नहीं है। माफ करना, माननीय सदस्यगण हाथ ऊंचा करने की कोई परम्परा नहीं है। यह गलत परम्परा आप लोग डाल रहे हैं। Try to catch the eyes of the Speaker. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका आदेश शिरोधार्य है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो खुद ही खड़े हो जाते हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं मंत्रीजी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो नयी खनिज नीति आप बनाने जा रहे हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण रखने का विचार रखते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : प्रश्न संख्या 333...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दुरुपयोग करते हैं अपने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछना नहीं चाहते हैं ? आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं ? मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अभी प्रश्न संख्या बोल दिया। मैंने बोल दिया 333 । प्रश्न संख्या 333...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूर्व सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति बनायी...

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के करोड़ों लोगों के हितों से जुड़ी हुई बात पर आप एक छोटे-से प्रश्न का जवाब दिला देंगे तो राजस्थान के लाखों लोगों का भला हो जाएगा। (व्यवधान) आज पूरे देश में चर्चा चल रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लाभान्वित करने...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : आपने भी खनिज नीति बनायी थी, आपने कितना ध्यान रखा एस.टी., एस.सी. का ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमने नहीं किया, आप तो करो। आपको राज दिया, आप करो। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप पांच साल तक राज में थे, सत्ता में थे, आपने सोची क्या एस.टी., एस.सी. की ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमने पाप किये हम इधर आ गये। आप तो पुण्य... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) सुनेंगे नहीं। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि खनिज नीति, 2005 तैयार की जा रही है। कह दिया उन्होंने, तैयार की जा रही है। जब तक वह तैयार नहीं हो जाती तब तक आप बैकवर्ड की, एस.टी., एस.सी. की...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं वही पूछ रहा हूं कि सरकार उस पर विचार कर रही है क्या ? यह तो फर्मा दें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कर रहे हैं। वह पहले कह चुके हैं, तैयार हो रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : विचार कर रही है कि नहीं कर रही है ? सरकार का क्या रूख है, यह तो बता दें ? (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : मानस है क्या ? यही तो पूछ रहे हैं। इसका जवाब तो माननीय मंत्रीजी दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं यही तो पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : खनिज नीति में दलित और शिड्यूल्ड कास्ट का ध्यान रखा तो हम भी रखेंगे और नहीं, तो नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला गोलमोल ही रहना चाहिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। श्री सुभाष चन्द्र। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र : प्रश्न संख्या 333....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सरकार करने जा रही है कि नहीं करने जा रही है, यह जवाब दिलवा दो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : सरकार खनिज नीति बनाने जा रही है, इतनी-सी बात है कि एस.टी., एस.सी. के लोगों के लिए उस खनिज नीति में कोई प्रोविजन रखा है कि नहीं। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल : मिनिस्टर साहब सही नहीं हैं, कागजों में हैं। कागजों में हैं, मिनिस्टर साहब....(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिला दें।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की मुख्य मंत्री परिवर्तन में विश्वास करने वाली हैं तो देश में इस ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरूआत इनको करनी चाहिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

पूरे देश में बौद्धिक जगत में चर्चा चल रही है कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति को आगे बढ़ाना चाहिये। आप नयी खनिज नीति बनाने जा रहे हो, इसमें अगर आप कर लेते, पूरा देश साधुवाद देगा आपको।

श्री सुरेश मीणा : वाहवाही करेगा आपकी...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : यह साधुवाद आप ही ले लेना कि भई हमने तो नहीं किया।

श्री बाबूलाल नागर : हमने तो नहीं किया, गरीबों का नुकसान किया, पर आप तो गरीबों के हितैषी हो। आप तो गरीबों के हितैषी बनते हो....

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में एक दफा सरकार ने खनिज नीति बनायी, पहले आओ और पहले पाओ, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा, आज इस जगह आदेश किये हुए हैं, राजस्थान सरकार में कोई पत्रिका पर छपा नहीं, न कोई प्रकाशित हुआ और रातों रात एप्लीकेशंस भरीं खनिज विभाग की, कई कांग्रेसी लीडरों ने रातों रात अलाटमेंट कराये, क्या आप मंशा रखते हो उसकी जांच कराने की ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं, वह बताने का कष्ट करें कि आपने कितना दलित समाज... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं। नेता खड़े हैं प्रतिपक्ष के।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने खनिज मंत्रीजी से सीधा क्वेश्चन पूछा है कि आप नयी खनिज नीति बनाने जा रहे हैं तो क्या आप एस.सी. और एस.टी. को खनन आबंटित करने के बारे में विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसके बारे में हां, ना में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : नीति सम्बन्धी प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं पूछे जाते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपको ज्ञान है कि नहीं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे को ज्ञान है लेकिन...(व्यवधान) जब सीधा प्रश्न है कि इनकी नयी खनिज नीति बन रही है और...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब ज्ञान है तो क्यों पूछ रहे हो, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान में ला दिया, इन्होंने ध्यान में ला दिया, अब ठीक है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम तो एस.सी., एस.टी., के...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह मूल प्रश्न नीति के बारे में है। मूल प्रश्न ही नीति के बारे में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके नेता खड़े हैं और आप खड़े हो रहे हो। आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रखते...(व्यवधान) आप बैठो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो पैंडिंग मामले हैं उन पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने खनिज पालिसी, 2005 की चर्चा की। मार्बल पालिसी, 2002 और ग्रेनाइट पालिसी 2002 जहां डेलीनेटिंग प्लाट का मामला है वहां टैन परसेंट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये सुरक्षित है। जहां ओ.बी.सी. का प्रश्न है, पांच प्रतिशत ओ.बी.सी. के लिय सुरक्षित है। खनिज पालिसी अंडर प्रोसेस चल रही है। सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी खनिज पालिसी में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिये और सरलीकरण के लिये पूर्व में कहा है। आप इतनी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

चिन्ता नहीं करें। आपके कार्यकाल में तो अनुसूचित जाति और जनजाति की आप चिन्ता करते नहीं, हम तो पूरे राजस्थान की चिन्ता करते हैं। राजस्थान में 56 साल के कार्यकाल में, माननीय कल्ला साहब, साढ़े ग्यारह हजार पत्रावलियों का साढ़े चार माह में आज तक निस्तारण नहीं किया जो हमने अपने कार्यकाल में किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति की नहीं सभी के लिये। आपको यह भी कहना चाहता हूं, आने वाले छह माह के अन्दर चार माह से ज्यादा कोई पत्रावली लम्बित नहीं रहेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 परसेंट ही हमारा रिजर्वेशन कैसे है ? यह तो 28 प्रतिशत होना चाहिये ना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को इस आसन की तरफ से... (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लें पहले। (व्यवधान) इस आसन की तरफ से पूर्व में जो व्यवस्थाएं दी जा चुकी हैं उसके बारे में मैं आपको फिर सूचित करना चाहूंगी। प्रश्न पूछते समय सदस्यों द्वारा केवल सूचना ही मांगी जाए, नीति का प्रतिपादन नहीं चाहा जा सकता। यह इस आसन से व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए नीति सम्बन्धी प्रश्न आप नहीं पूछें तो उचित रहेगा।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, नीति सम्बन्धी प्रश्न लिस्ट क्यों होते हैं ? यह तो असेम्बली सैक्रेटेरिएट की ड्यूटी है कि जो प्रश्न सदस्य दे रहा है यदि वह नीति सम्बन्धी है तो वह लिस्ट नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री पूछा है उन्होंने...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न नीति का है...(व्यवधान) आप देखिये।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री पूछा है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है. He may not take the responsibility. (व्यवधान) T.ie Secretariat will have to take the responsibility of it.

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री पूछा है उन्होंने नीति सम्बन्धी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : लिस्ट क्यों किया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मूल प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि सरकार खनन पट्टों के आवेदन हेतु नई नीति तैयार कर रही है ? अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है।

डा. सी.पी. जोशी : प्रश्न यही लगाया है। प्रश्न ही यही लगाया है तो नहीं पूछेंगे तो कैसे होगा ? आप प्रश्न को अलाउ कर रहे हैं, सप्लीमेन्ट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : यह पूछ रहे हैं कि क्या संविधान में प्रावधान है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है एस.सी., एस.टी. के लिए उसके अनुरूप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, छोटी-सी बात है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लें, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर : उस प्राथमिकता के तहत क्या इस खनिज नीति में वह प्रावधान लागू करना चाहती है राजस्थान सरकार ? (व्यवधान) छोटी-सी बात है, सटीक बात है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। सुभा .चन्द्र शर्मा, नैक्स्ट क्वेश्चन।

कोटपूतली में विस्फोटक सामग्री हेतु जारी अनुज्ञा-पत्रों का दुरुपयोग

333. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्ष 1990 से अब तक किन किन लोगों को किस-किस स्थान के लिये किस-किस प्रकार की विस्फोटक सामग्री बनाने के लाइसेंस जारी किये गये? लाइसेंस धारकों के नाम, विस्फोटक का प्रकार व लाइसेंस जारी करने की तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लाइसेंस धारियों द्वारा लाइसेंस जारी किये गये स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर भी विस्फोटक सामग्री निर्माण का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों द्वारा और कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लाइसेंस धारकों द्वारा विस्फोटक सामग्री निर्माण में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त लाइसेंस धारकों द्वारा उक्त अवधि में कौन-कौन से वर्ष में कितना-कितना विस्फोटक निर्माण किया गया और किन-किन लोगों को कब कब, कितनी-कितनी मात्रा में विक्रय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त लाइसेंस धारकों के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कब-कब और किस-किस तिथि को किया गया ? तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या इस निरीक्षण के दौरान उक्त लाइसेंस धारकों की कोई अनियमितता पाई गई ? यदि हां, तो कब-कब तथा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्ष 1990 से अब तक राज्य सरकार ने किसी भी व्यक्ति को विस्फोटक सामग्री बनाने का लाइसेंस जारी नहीं किया है। उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार, आम्रपाली रोड, वैशाली नगर, जयपुर ने वर्ष 1990 से अब तक ए.एन.एफ.ओ. (अमोनियम नाइट्रेट फियोलाई) विस्फोटक सामग्री बनाने व उपयोग में लेने हेतु निम्न व्यक्ति और फर्म को लाइसेंस जारी किये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

लाइसेंस नम्बर	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	जिस स्थान के लिये लाइसेंस जारी किया गया है	अनुज्ञप्ति की मात्रा
आ.ए. 989/ई दिनांक 14-2-1992	श्री मोहनलाल अग्रवाल माया भवन, नीम का थाना, जिला सीकर	ग्राम अजीतपुरा जिला जयपुर	100 किग्रा. एएनएफओ
आर.ए. 764/ एएनएफओ दिनांक 3-8-2004	मै. नेशनल लाइन स्टोन कं. प्रा. लि., बजाज सदन शाहपुरा, जिला जयपुर	ग्राम अजीतपुरा जिला जयपुर	18250 किग्रा. एएनएफओ

(2) जी नहीं।

(3) उत्तर के खण्ड एक में वर्णित व्यक्ति और फर्म द्वारा विस्फोटक निर्माण में अमोनियम नाइट्रेट व डीजल का प्रयोग किया जाता है। अन्य विस्फोटक सामग्री लाइसेंसधारी द्वारा क्लमी शोरा, कोयला व गन्धक (गन पाउडर) को मिलाकर काली बारूद तैयार की जाती है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) उक्त लाइसेंस धारियों द्वारा निर्माण किये ए.एन.एफ.ओ. की निर्धारित मात्रा खण्ड एक के उत्तर में दे दी गई है. अन्य लाइसेंस धारि.. द्वारा वर्ष में 12.500 किग्रा. विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती है। किसी भी लाइसेंसधारी ने विस्फोटक सामग्री का अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं किया है।

(5) लाइसेंस धारकों के निर्माण स्थलों का निरीक्षण उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्ति सं. आर.ए.764/एएनएफओ परिसर का निरीक्षण दिनांक 18-9-1995, 15-5-1997, 5-3-1998, 19-8-1999, 16-10-2001 को किया गया तथा अनुज्ञप्ति संख्या आर.ए.989/ई परिसर का निरीक्षण दिनांक 15-3-1992, 15-5-1997, 5-3-1998 को किया गया।

(6) उक्त परिसरों के निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उनकी अनुपालना उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक विभाग, जयपुर के अधिकारियों द्वारा करा ली गई है।

श्री सुभा चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अमोनियम नाइट्रेट फियोलाई विस्फोटक सामग्री किस उपयोग में लाई जा रही है और इस पर सरकार के नियन्त्रण की क्या व्यवस्था है ?

दूसरा, उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रण विभाग, जयपुर के ... राज्य सरकार द्वारा भी इस पर नियन्त्रण की कोई व्यवस्था है ? तीसरा, ... ने यह बताया है कि इसके अलावा और कोई निर्माण नहीं कर रहा है, मैं ... से निवदेन करना चाहूंगा कि कोटपूतली के कम से कम 5 गांवों में यहां विस्फोटक सामग्री का निर्माण हो रहा है जो स्थान आपने बताये हैं उनके अलावा, क्या उनकी सरकार को जानकारी है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा, राजस्थान सरकार ने विस्फोटक सामग्री निर्माण के लिए 1990 से कोटपूतली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्षेत्र में दो लोगों को लाइसेंस दिया हुआ था एक हैं परसादी लाल पुत्र श्री सूरजमल, दूसरे हैं चेतराम पुत्र श्री चुन्नीलाल। इन दो को लाइसेंस राजस्थान के यहां से दिये गये, बाकी जो लाइसेंस हैं वे केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये हैं। जो लाइसेंस दिये हैं उनकी सारी तारीखें, यह जो आपने कहा है कि नियन्त्रण की दृष्टि से क्या हैं, राजस्थान की हमारी पुलिस हमारे जो लाइसेंसधारी हैं उनका तो समय-समय पर निरीक्षण करती है और उसमें अपनी रिपोर्ट देती है। जैसे चेतराम पुत्र चुन्नीलाल को 1991 में 6-9-1991 को तत्कालीन एस.एच.ओ. कोटपूतली ने निरीक्षण किया। रामप्रसाद पुत्र सूरजमल का 6-9-1991 को तत्कालीन एस.एच.ओ. कोटपूतली ने किया। चेतराम का पुनः 19-11-2004 को घनश्याम शर्मा, एस.एच.ओ. कोटपूतली ने किया और इसमें जो कमियां पायी गयीं, हमारे एस.एच.ओ. ने जो किया, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है उसके विरुद्ध मुकदमे भी बनाये हैं। पहला मुकदमा हमने 6-9-1991 को जो निरीक्षण किया 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत चेतराम के अगेंस्ट में किया, केस बनाया और चार्ज शीट हमने 13-9-1993 को पेश की है। दूसरा केस हमने इसी तरह से रामप्रसाद पुत्र सूरजमल का बनाया और वह भी 6-9-1991 को चार्ज शीट पेश कर दी है। तीसरा जो अभी 18-11-2004 को हुआ मनोहरलाल पुत्र चेतराम, इसकी अभी जेर तफ्तीश में है, चालान पेश नहीं हुआ।

इसी तरह से केन्द्र का जो विस्फोटक डिपार्टमेन्ट है उसने भी समय समय पर अपने निरीक्षण किये हैं। निरीक्षण में जो कमियां बतायीं उनके लिये उनको हिदायत दी और उन्होंने उसको ठीक कर लिया। अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में बता दूं- पहला उन्होंने 19 मई, 1997 को जिन कमियों को निकालकर दी अजीतपुरा जयपुर का, आप चाहें तो पूरा इसके साथ में है। दूसरा नोटिस इन्होंने दिया, चूंकि इनके दो ही हैं लाइम स्टोन कम्पनी, इनको दे दिया है उन्होंने 29 मई, 1997 को और इसकी पालना उन्होंने कर ली। केन्द्र से राजस्थान में प्रारम्भ से लेकर आज तक जितने लाइसेंस दिये गये हैं विभिन्न जिलों में भी, वे 209 हैं, अलग-अलग फर्मों के अलग-अलग होते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ये जो मिलते हैं वे केन्द्र के विस्फोटक के मार्फत हैं। ये सारे के सारे माइन्स में विस्फोटक करने की दृष्टि से होते हैं और यहां से हम जो लाइसेंस देते हैं यह केवल सामान्यता: पटाखा बनाने, बारूद की दृष्टि से होते हैं। केन्द्र सरकार के इस कानून के तहत केन्द्र सरकार ही इसको देने के लिए अधिकृत है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया है कि और कहीं पर इसका निर्माण नहीं हो रहा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 गांवों में इस विस्फोटक सामग्री का निर्माण हो रहा है। आपने अपने जवाब में बताया कि इसका किसी को विक्रय नहीं किया। जितनी भी माइन्स वहां पर हैं उन सबको उसका विक्रय किया जा रहा है। पांच गांवों में उसका निर्माण हो रहा है जिसको आपने जवाब में कहीं भी उत्तर में शामिल नहीं किया है। उन आदमियों का मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार उनकी जांच करेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ? जिस प्रकार से उस सामग्री की बिक्री हो रही है उससे अवैध खनन को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रोके सके ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिनको यह विस्फोटक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है, केन्द्र सरकार के द्वारा ही करायी जाती है। सीधा उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तो जो हम लाइसेंस जिनको देते हैं उनका ही निरीक्षण करने, उनके ही विरुद्ध कार्यवाही करने का काम हमारा है। लेकिन चूंकि आपका विषय है तो हम इस विभाग से सम्बन्धित जो अधिकारी जयपुर में हैं, उनको इसके बारे में अपनी तरफ से भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की इल्लीगल विस्फोटक सामग्री जो स्थान आपने तय कर रखें हैं उसके अतिरिक्त भी बन रही है। उसका निरीक्षण करके उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करनी होगी, वह उन्हीं को करनी होगी।

(12.00 बजे)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय मंत्रीजी, अन्तर प्रदेशीय स्तर पर इसकी बिक्री हो रही है, इसमें कई मामले आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्धित भी हो सकते हैं। अन्तर प्रदेशीय स्तर पर मध्य प्रदेश और बिहार तक इनकी बिक्री हो रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसे जो इल्लीगल स्थानों पर इस प्रकार की सामग्री बन रही है, उसको पकड़ना और उनके विरुद्ध केस बनाना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में भी है। इसके लिए हम समय-समय पर ऐसे कुछ लोगों को पकड़ते भी हैं, उनके विरुद्ध विस्फोटक सामग्री का मुकदमा भी बनाते हैं, चालान भी करते हैं लेकिन उस फैक्ट्री और निर्माण स्थल का निरीक्षण करना हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन जो बनाकर दूसरे लोगों को सप्लाई करते हैं, ऐसे इल्लीगल लोगों को पकड़ना और उनके विरुद्ध कार्यवाही करना हमारे विभाग के क्षेत्र में आता है। अगर इस प्रकार की कोई घटना ध्यान में आएगी तो निश्चित रूप से हमारा विभाग इस पर जो भी कार्यवाही कर सकता है, निश्चित रूप से करेगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : जो लाइसेंस धारक ही नहीं हैं वे निर्माण कर रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध केन्द्र सरकार को लिखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है ? इसके बारे में आप कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य की 22 लाख विधवाओं पर हो रहे कथित अत्याचार के सम्बन्ध में।

(2) श्री महीपाल सिंह यादव एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से लोक

(श्री अध्यक्ष)

सेवा आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की महिला अध्यापकों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतने गम्भीर प्रकृति के तो नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. चन्द्रशेखर बैद एवं श्री महीपालसिंह यादव को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख सूचनाएं

(1) श्री हरज्ञान सिंह, सदस्य की ओर से करौली एवं महुआ क्षेत्र की युद्ध विधवाओं को आवास उपलब्ध करवाने के समबन्ध में।

(2) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर के ग्राम काकाड़ी में लगे हुए क्रेशर से वायु प्रदूषण फैलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के पुराने तहसील भवन को नीलाम करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरीसिंह रावत, सदस्य की ओर से शिक्षित बेरोजगारों को संविदा अध्यापकों के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

(5) श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ में वायुसेना द्वारा अधिग्रहित रेंज ठुकराना की अवार्ड राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री लालचन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किसानों की काफी जमीन टी.सी. के तहत काश्त किए जाने की समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में खनन कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति हो...

डाक्टर चन्द्रशेखर बैद के बोलने से पहले मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि 9 तारीख को जब दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य श्री भरतसिंह के टास्क फोर्स में नोमीनेशन के बारे में चर्चा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं पड़ता, मैं सूचित करना चाहूंगी कि मैंने रिकार्ड में देख लिया, मेरी अनुमति के बाद ही उनका मनोनयन किया गया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इसकी लिखित सूचना आज तक नहीं पहुंची है जबकि परम्परा यह रही है कि माननीय अध्यक्ष के यहां से जो भी अनुमति दी जाती है उसके अगले दिन माननीय सदस्यों को उसका बुलेटिन पहुंच जाता है। नहीं पहुंचने की वजह से संदेह हुआ।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य की 22 लाख विधवाओं के साथ अत्याचार

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष, एकल महिला और विधवाओं की समस्या आज नई नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आप जरा यह बता दें कि ये 22 लाख केवल राजस्थान में हैं ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : राजस्थान में हैं। मैं इसके सारे फैक्ट्स और फीगर्स आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ये आंकड़े कहां से आये आपके पास ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : आंकड़े इन्हीं के कागजों और प्रतिवेदन से आये हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, 22 लाख विधवाएं बता रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं बताऊंगा आपको, आप मेरे बोलने से पहले ही... आप मुझे सुन तो लें।

विधवाओं और एकल महिलाओं की समस्या नई नहीं है, काफी पुरानी समस्या है लेकिन आज की तारीख में यह समस्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार तीनों सर्वोच्च पदों पर महिलाएं बैठी हैं। पूरे राजस्थान की जनसंख्या 5 करोड़ 64 लाख में 76 प्रतिशत लो. रूरल एरिया में रहते हैं, और इनमें 22 लाख महिलाएं हैं, इस तरह से 17 लाख महिलाएं ग्रामीण इलाकों में रहती हैं और 5 लाख महिलाएं अरबन एरियाज में रहती हैं। आप यह देखिये कि आज की तारीख में राज्य सरकार द्वारा सिर्फ ढाई लाख महिलाओं को ही पेंशन दी जा रही है जबकि 12 लाख महिलाएं आज की तारीख में (बी.पी.एल.) गरीबी की रेखा से नीचे प्रवास करती हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। 54 प्रतिशत एकल महिलाएं ऐसी हैं जिनको पेंशन नहीं दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इन महिलाओं को 200 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है जो बहुत ही कम है, इतनी कम है कि कोई भी एकल महिला 200 रुपए में अपने बच्चों के साथ गुजर करने में असमर्थ है।

राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अन्नपूर्णा योजना में इन महिलाओं को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं का आबंटन किया जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि इस तरह की महिलाओं को अन्त्योदय अन्न योजना में डाला जाए जिसमें 10 किलो नहीं 35 किलो गेहूं का आबंटन होता है जिससे इस तरह की लाचार महिलाएं एक महीने में अपना और अपने बच्चों का गुजर कर सकें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ दर्जन महिला संस्थाओं के रिप्रजेंटेटिव 15 महीने से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिलने का लगातार प्रयास कर रही हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी पर यह आरोप लगाया कि वह सामन्तशाही गतिविधियों का प्रतीक हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी तो आपको सम्बोधित करती हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : आप गलत आरोप लगा रहे हैं। एकल नारी संगठनों के लोग हमसे भी मिले थे, उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि अपने नियमों में बहुत सावधानीपूर्वक केवल आपको यह अधिकार है, आपके अधिकार से सब बोलते हैं। 22 लाख महिलाओं को आपने विधवा घोषित कर दिया, अब माननीय सदस्य यहां जो बोल रहे हैं उस पर बाहर तो प्रसंज्ञान लिया नहीं जा सकता।

हमारी सरकार ने 'प्रशासन आपके द्वार' अभियान चलाकर सारी विधवाओं के फार्म लिये। एक भी ऐसी विधवा महिला नहीं है जिसका फार्म नहीं लिया गया हो। आप सदन का दुरुपयोग केवल आरोप लगाने के लिए करना चाहते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, ये किस हैसियत से यहां पर जवाब दे रहे हैं और काहे का ? इस बात पर आपको जवाब देने का अधिकार है क्या ? अध्यक्ष महोदय ने आपको समय नहीं दिया, बोलने की अनुमति नहीं दी, अगर दी हो तो, माननीय अध्यक्षजी, बता दें आप।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय सदस्य विधवा महिलाओं की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधवा महिलाओं को पेंशन देने की हमारी सरकार की नीति है कि जिनके कमाने वाला बच्चा परिवार में नहीं है, जिनके खेती की जमीन नहीं है.. (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बीच में कौनसा जवाब आ गया ? आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, मंत्रीजी ? (व्यवधान) आप पहले पूरी बात सुन लें और उसके बाद जवाब दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप काहे खड़े हो गये बीच में ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : बच्चा भी कमाने वाला है और परिवार में और भी कमाने वाला है तो भी बी.पी.एल. परिवार की महिला को पेंशन मिलती है। अध्यक्ष महोदय, जिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिलती...

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। स्थान ग्रहण करें। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी एक बार बैठें। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, 22 लाख विधवाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में आपने अपना भा .ण शुरू किया, आपने मुख्य मंत्री पर यह चार्ज लगा दिया कि वो इतने दिनों से मिलना चाह रही हैं और मिलना नहीं हो सका। तो यह आपकी पर्सनल जानकारी थी जिसके आधार पर आपने यह कहा ? लेकिन, माननीय मंत्रीजी, विधवाओं के बारे में आपको कोई जवाब देना है तो जब वे अपना खतम कर दें, दो मिनट का समय मैंने उनको बोलने के लिए दिया है, उसके बाद आप स्पष्ट कर दीजिएगा। उसके बाद बात को स्पष्ट कर दीजिए, इसमें क्या बात है ? (व्यवधान) देखिए, स्थगन प्रस्तावों पर केवल बोलने की अनुमति दी है, उसका जवाब नहीं दिया जाता। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सामंत शब्द प्रयोग में लिया है हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिए, यह शब्द वापस लें। यह कह देना कि मुख्य मंत्री सामंतशाही के कारण मिल नहीं रही हैं, ये अपना शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठो। आपको क्या जरूरत है जवाब देने की ? (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सांगसिंह भाटी : यह आरोप बेबुनियाद है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अब आपको क्या हो गया ?

श्री सांगसिंह भाटी : गांव-गांव हमारी मुख्य मंत्री गई हैं, आपको पता नहीं, आप अपने घरों में रहते हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, सामंत की क्या परिभा ा है, स्पष्ट करें।

श्री सांगसिंह भाटी : लोक सभा और विधान सभा के सदस्य होना सामंतशाह का प्रतीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई भी सदस्य यहां पर जो कुछ भी कहता है, दूसरे माननीय सदस्य को उसका जवाब देने का अधिकार नहीं होता है। आप बीच में क्यों बोलते हैं ? मंत्री स्थिति स्पष्ट करेंगे, मंत्री जवाब देंगे, आप बोलने क्यों खड़े हो जाते हैं ? आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं तो अपने नियन्त्रण में आएं और सही ढंग से नियमों और प्रक्रिया के आधार पर कहें। इस प्रकार की अगर बात करते हैं, अगर इनकी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में हम इस प्रकार की बात करेंगे तो क्या उचित होगा? यह परम्परा गलत है। राजस्थान की 5 करोड़ जनता इनके इस कृत्य को देख रही है। यह व्यवस्था बिलकुल गलत है। आरोप लगाएं, ढंग से अपनी बात करें और व्यवस्थित ढंग से पेश करें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : 50 साल तक सांमत कह-कहकर इन्होंने वोट ले लिया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है, सामंत कहने से कोई वोट मिलने वाला नहीं है। काम करना पड़ेगा, आपको जन हित में फैसले करने पड़ेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सामंत की क्या परिभाषा है ? सामंत कोई आतंकवादी शब्द है ? सामंत की क्या परिभाषा है, स्पष्ट करें। बार-बार सामंत शब्द को सदन में दोहराया जा रहा है, यह गलत परम्परा है। चाहे किसी भी पक्ष से दोहराया जाए, यह गलत परम्परा है। सामंत की परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए। सामंत से क्या तात्पर्य है ? किसी भी पार्टी के हों, सामंत शब्द की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, तात्पर्य सीधा-सा है कि गम्भीरता बिलकुल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता सदन की तरफ देख रही है। प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा है तो कोई जन हित की बात करें। अध्यक्ष महोदय, दिन भर सदन का समय आरोप-प्रत्यारोप में चला जाता है। एक-एक मिनट पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, सदन का दुरुपयोग हो रहा है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महारानी हैं या नहीं ? फिर सामंत क्यों नहीं हैं ? आप दो अलग-अलग बातें कहते हैं। एक तरफ तो महारानी कहना...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : जनता की महारानी हैं, जनता की।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी अत्याचार होता है उस अत्याचार को सामंत के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा, सामंत की परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि आप इसकी जांच करा लें।

डा. सी.पी. जोशी : आप फैसला कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपकी चुनी हुई मुख्य मंत्री हैं...(व्यवधान) आप महारानी क्यों कहते हो ? आप महारानी कहते हो तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : कांग्रेस में कितने बड़े सामंतशाही है, यह बता दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भरत सिंहजी क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप विषय को डाइवर्ट न करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप विषय को डाइवर्ट न करें। आप पहले तो यह बताएं कि 22 लाख का आंकड़ा आप कहां से लाये ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं बता रहा हूं, मुझे बताने का मौका मिले तब तो बताऊं।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आप अपने विषय पर बोलें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री यदि सामंत है तो आप भी किसी मंदिर में बैठे हुए पण्डे हो। आप पण्डे हो, सण्डे को बैठो जाकर। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : + + +

डा. सी.पी. जोशी : मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कहो।

श्री अमराराम (धोद) : उसके संस्कार ही सामंती हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हम तो पण्डित के घर में पैदा हुए हैं इसलिए पण्डा कहो, हमें क्या तकलीफ है ? हमें कोई तकलीफ थोड़े ही है, हम क्यों मना करें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : पण्डितों के जो कर्म थे वो आप नहीं कर रहे।

डा. सी.पी. जोशी : वो तो बंशीलालजी बोल देंगे, कौन क्या है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है। जब जनता की आंखों के सामने हम सब लोग खरे उतरे हुए हैं और हम जनता की वजह से यहां बैठे हुए हैं, आज जो भी हैं, यह सब जनता की वजह से है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आर्गुमेंट किस बात का है। काम पर आ जाओ ना, अपना काम करो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का टाइम मिला है, मेरा सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। मैं एक ही मिनट में अपनी बात कम्प्लीट कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : कर लीजिए आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद : जो बजट एस्टीमेट था 2003-2004 का 44 करोड़ रुपये का, उसका रिवाइज एस्टीमेट इन महिलाओं के लिए महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद 44 करोड़ रुपये से कम करके 36 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह आपके कागजों के अन्दर ही है, मैं नहीं लाया हूं। आपका बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट आपने निकाला था 2004-2005 का, 44 से घटाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया और अभी जो बजट प्रस्तुत किया उसके अन्दर 44 से घटाकर उसको वापस 40 ही रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जब इस प्रदेश के काफी बड़े हिस्से के अन्दर ड्राउट और फेमिन चल रहा है, उस स्थिति के अन्दर इनके बारे में बजट बढ़ाने की जगह उस बजट को कम करना कहां तक सही है ?

दूसरी बात, इतनी चर्चा हुई, मैं अपने मन से यह बात नहीं कह रहा हूं महिला संगठन जिनकी संख्या 18 है, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से मिलने की गुजारिश की...

श्री अध्य ् : फि आ विषय से विषयान्तर हो रहे हैं।

डा. चन्द्रशे र बैट : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आ ा वि .यान्तर हो रहे हैं। आप विषयान्तर क्यों हो रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये मूल विषय से अलग जा रहे हैं। इनके पास कुछ कहने को तो है नहीं। कुछ कहने को नहीं है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : उनके लिए गेहूं का प्रावधान रखा है।

श्री महावीर प्रस द जैन : जो सदस्य के बोलने के नियम हैं उनका दुरुपयोग है, अध्यक्ष महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : विधवाओं के लिए 10-10 किलो का प्रावधान भी रखा है।

्री अमराराम (धोद) : यह क्या है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आप संख्या बल के आधार पर नहीं बोलने दें, यह क्या बात हुई ?

श्री र ा सिंह ा टी : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। 22 लाख विधवाएं हैं क्या ? आपके पास आंकड़े हैं तो सदन के पटल पर रखें। (व्यव ान)

् मराराम (ध द) : 18 महिला संगठनों ने मिलने के लिए समय मांगा, मुख्य मंत्रीजी ने नहीं दिया। जब राजस्थान की महिलाओं ने मिलने के लिए टाइम मांगा, महिला मुख्य मंत्री होने के बाद आज तक नहीं दिया, यह सही है। (व्यवधान)

श ध्य ् : माननीय सदस्यगण। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी कि इन विधवाओं के लिए जो बजट का प्रावधान है वो ईयर बाई ईयर कम होता जा रहा है। यह ध्यान में आपने ला दिया। साथ में आपने यह भी आरोप लगा दिया, खतम हुई बात।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एक बात और जोड़ना चाहूंगा, विधवाओं की पुत्रियों के लिए....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कपोल कल्पित आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं इनके पास सोर्स है, किस सोर्स से ये लेकर आये हैं ? कपोल-कल्पित बात कर रहे हैं। बिना जानकारी के कह रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं आपको क्लीयर कर दूं कि महिलाओं की जो भी मुसीबतें हैं वो हमारे लिए सर आंखों पर हैं। जो जम्मू और कश्मीर के अन्दर हमारी महिलाओं को रहने नहीं देते, ऐसी पार्टी के ऐसे लोगों को इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर के अन्दर जो हो रहा है, अगर महिला की वहां शादी हो जाती है तो अपने घर के अन्दर अपनी जमीन रख नहीं सकती। जो लोग इसको सम्भाल नहीं सकते, महिलाओं को जो प्रतिष्ठित पद के ऊपर नहीं रख सकते, ऐसी स्थिति में आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। मैं आपको यह बता सकती हूं, जितना इस सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए राजस्थान के अन्दर किया है और करते जाएंगे, जहां हमको मुसीबत मिले वहां हम लोग उसको पाटते जाएंगे, यह विश्वास दे रखा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में जो जानकारी दी है मैं उनको करैक्ट करना चाहता हूं कि वहां हम लोगों ने ऐसी किसी भी बात का कोई समर्थन नहीं किया।

श्री कालूलाल गुर्जर : महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार कहां है कश्मीर में ? कश्मीर में प्रापर्टी नहीं खरीद सकते शादी के बाद। हिन्दू विधवा अधिनियम बना हुआ है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठायी हैं, आप सब लोगों के पास में हैं, 18 महिला संगठनों ने लिखकर दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। आप

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बता दें कि आपने उनको समय दिया है तो हम कह देंगे कि मुख्य मंत्रीजी इस दिन आपसे मिली हैं। एक महिला मुख्य मंत्रीजी को महिलाओं से मिलने की फुर्सत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह वि य सदन में चर्चा का नहीं है। ये उठा रहे हैं महिलाओं की बात कि यहां की मुख्य मंत्रीजी ने समय दिया कि नहीं दिया ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह बहुत अफसोस की बात है लोकतंत्र में।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आप उसकी चिंता मत करिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम क्यों नहीं चिंता करें ? 18 संगठन लिखकर दे रहे हैं महिलाओं के, जो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी उनको मिलने का समय नहीं दे रही हैं, यह बहुत अफसोस और निंदा की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह तत्काल एकल नारी संगठन के...(व्यवधान) उनकी पेंशन बढ़ाने की बात है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, आप लोगों ने जो महिलाओं के संगठन बना रखे हैं उन संगठनों में महिलाओं की क्या हालत होती है? (व्यवधान) वह कोई आप-बीती बता देगी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : संसदीय कार्य मंत्री स्वयं व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात समाप्त कर दी ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : आपने जितने संगठन बना रखे हैं उन महिलाओं के साथ क्या-क्या उत्पीड़न होता है, वह भी सामने आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं वह कुछ कहना चाह रहे हैं। इनको बात खतम कर लेने दीजिए, मैं जवाब दे दूंगी फिर।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नहीं, ये हर चीज के ऊपर अगर खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो सकते हैं। हमने सब को बोल दिया है कि जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं के सवाल के ऊपर हम लोगों ने पूरी तरह से ध्यान दिया है। इतना ही ध्यान ये लोग सब दे देते, अपने गिरहबान में झांक लेते तो फिर कोई परेशानी ही नहीं होती।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम तो मातृ शक्ति का हमेशा सम्मान करते आये हैं-या देवी सर्वभूतेषु, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमो नमः।:(व्यवधान)

हम तो मातृ शक्ति का सम्मान कर रहे हैं लेकिन अफसोस यह है कि मातृ शक्ति जो स्वयं हैं हमारी मुख्य मंत्री, वह महिला संगठनों से नहीं मिल रही हैं। (व्यवधान) उनके इस एटीट्यूड पर और सरकार के व्यवहार के कारण हम इस सदन का बहिर्गमन करते हैं और यह चेतावनी देते हैं कि लोकतंत्र में आप अपनी खिड़की खुली रखिए, लोकतंत्र में संवाद कायम रखिए, संवादहीनता अच्छी नहीं है। (व्यवधान) इसलिए महिलाओं की उपेक्षा करने के कारण हम सदन से बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 22 लाख महिलाएं विधवा, इनके टाइम में कितनी थीं ? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पक्ष और विपक्ष का फैसला जनता करती है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : वह अकेली नारी जा रही है। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इससे आपको साफ पता लग जाएगा कि महिलाएं कौन-कौन सी पार्टी को पसंद करती हैं

श्री ओम बिरला : आपने विधवाओं के साथ जो अन्याय किया है, वह बतायें मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल बंसीवाल : दिल्ली में जलाया था एक महिला को तंदूर में डालकर। तंदूर कांड याद नहीं करते ये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिए। 295. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : एक तंदूर कांड क्यों है, इनके पता नहीं कितने तंदूर कांड और सारे के सारे कांड हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांगसिंह नहीं हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिए.

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बहिर्गमन किया है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो मामला उठाया था उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एकल नारी संगठन मेरे से चार बार मिला है और चार बार ही वह धन्यवाद देकर मुझे गये हैं, सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है। ये जो विधवा महिलाएं कह रहे हैं, 22 लाख विधवा महिलाएं नहीं हैं, यह उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने यह कहा कि जो 20 या 22 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वे इसमें शामिल हैं, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं वे इसमें शामिल हैं, जो विधवा महिलाएं हैं वे इसमें शामिल हैं। ऐसा करके उनका कहना था कि ऐसे हम 22 लाख हैं परन्तु सरकारी रिकार्ड पर कहीं भी ऐसा नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के सदस्य जब पूर्व सरकार में थे, आपको जानकारी सुनकर काफी कष्ट होगा कि विधवा महिलाओं, वृद्ध और विकलांग ऐसे 3 लाख 93 हजार लोगों की इन्होंने पेंशन

(श्री मदन दिलावर)

बंद की थी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वसुन्धराजी ने मुख्य मंत्री बनते ही मेरे को निर्देश दिये थे समाज कल्याण मंत्री बनाने के बाद कि विधवा महिलाओं की कांग्रेस के राज में काफी पेंशन बंद हुई है इसलिए कोई रास्ता निकालो कि इनको पेंशन कैसे दी जा सकती है। हमने जनवरी, 2004 में ही एक आदेश निकाला कि जो बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिलाएं हैं उन सब को पेंशन दी जाए। जो भी विधवा महिलाएं बी.पी.एल. सूची में हैं, उनको तो पेंशन दे ही रहे हैं, उसके अलावा पूर्व जो नियम थे हमारे कि 20 साल से बड़ा बेटा जिनके नहीं है और जिनके कमाई का साधन नहीं है, उनको भी पेंशन दी जाए। जो इस पात्रता में आते हैं उन सब को रेगुलर हम पेंशन दे रहे हैं और इसमें बजट का कोई सवाल ही नहीं उठता। घटाया और बढ़ाया है, जितनी भी महिलाएं आएगी, सब को पेंशन दी जाएगी। इसलिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य केवल हो-हल्ला कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं। ये महिला विरोधी हैं, विधवा महिलाओं के विरोधी हैं, इनको अपने गिरहबान में झांककर देखना चाहिए।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो भी कहा, हमने मान लिया, अगर आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने पेंशन बंद की थी, हम आपसे सिर्फ...(व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय, कभी बोलने दिया करिए। आप हर बात में खड़े हो जाते हैं, कोई नियमों की भी बात किया करें। (व्यवधान) आप बार-बार में खड़े होते हैं, यह पिछली बार भी कहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : महिलाओं को तंदूर में जला दिया। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : लेकिन आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्या, अगर आपकी पार्टी महिलाओं की

(श्री सांवर लाल)

समर्थक है तो आपको प्रतिपक्ष का नेता बनाकर बताइए। इनकी आप अकेली महिला हैं इस सदन में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या।

श्री सांवर लाल : नेता बना दे तब मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय। बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या, जिस प्रश्न के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने बहिर्गमन कर लिया, उस मुद्दे को अब किस लिए उठा रहे हैं आप ? (व्यवधान) जवाब दे दिया। (व्यवधान) मंत्रीजी ने स्थिति स्पष्ट कर दी, The matter ends here.

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज मैं आपकी परमिशन से और जोड़ना चाहता हूं। 1999 के बाद जब से यह सरकार आई, इनके डिपार्टमेंट में महिलाओं के मामले में ही बजट लगातार हर साल होता आ रहा है, यह आंकड़े दर्शाते हैं, अगर आप मुझे पहले यह कहते कि आज डिस्कशन होगा, मैं आंकड़े लेकर आता, अध्यक्ष महोदय, लगातार कम किया है इन्होंने बजट। विधवाओं की पेंशन, वृद्धों की पेंशन आप लोगों ने बन्द की है और लगातार आंकड़े कम हुए हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इस पर आधे घंटे की चर्चा रख लो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपसे पहले तो आपकी सरकार के मंत्री को कहना चाहिए था कि जवाब हमारे पास नहीं है, नाथूसिंहजी देंगे। हमारी गलती है क्या? आपकी सरकार के मंत्री कहते आपसे कि आप जवाब देना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 1998 की तुलना में 2003 में क्या स्थिति थी, चर्चा करवा लो आधे घंटे की, 1998 की तुलना में मालूम पड़ जाएगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : 1999 से लेकर 2004 तक के आंकड़े रखे हैं आपके सामने।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी असलियत सामने आ जाएगी। (व्यवधान)

डा. एस.एन. गुर्जर : मैं बताऊंगा, असलियत मैं रखूंगा, 1999 से लेकर 2004 के आंकड़े दे दूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : महिलाओं के हितैषी, तंदूर कांड याद करो आप अपना।

श्री अध्यक्ष : कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोले बिना पार नहीं पड़ती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : गंगानगर में एक पार्षद कांग्रेस का जो बोर्ड था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या रेलेवेंसी है इस बात से उसकी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : मैं जवाब दे रहा हूं उस चीज का।

श्री अध्यक्ष : क्या रेलेवेंसी है ? जवाब आवश्यक नहीं है आपके लिए देना। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : विधवा महिलाओं के नाम पर यह किस प्रकार से किया है। उस पार्षद को मैंने पूछा, तुम्हें कुछ लालच मिलता है ? या क्यों नहीं छोड़ रहे ? तो उसने कहा और मेरे को खुद को दिखाया, डेढ़ सौ बी.पी.एल. राशन कार्ड, एक कांग्रेस पार्षद के घर में पड़े थे, और बोला, इन सारों की मैं दवाई इनका पैसा उठाता हूं, तेल भी लेता हूं, गेहूं भी लेता हूं, चीनी भी लेता हूं। महिलाओं को देते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं केवल तीन मिनट दे रही हूं बोलने के लिए, तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

श्री सुभा . चन्द्र शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस समय कोई व्यवस्था नहीं। जीरो आवर में कोई व्यवस्था नहीं होती। आप, महीपाल सिंह यादव।

राजस्थान में विवाहित ऐसी महिलाएं जिनका पैतृक स्थान राजस्थान से बाहर है, ओ.बी.सी. आरक्षण से वंचित

श्री महीपालसिंह यादव (बानसूर) : माननीय अध्यक्षजी, इस समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चालू है उसमें ओ.बी.सी. महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। 29 तारीख को एक समाचार छपा है कि पिछड़े वर्ग की ऐसी महिलाओं को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा जिनकी सिर्फ ससुराल राजस्थान में है। आयोग ने ओ.बी.सी. महिलाओं के मामले में पति के स्थान पर पिता की आय का प्रमाण-पत्र वैध मानते हुए यह कहा है कि राजस्थान की मूल निवासी ओ.बी.सी. महिलाओं के मामले में तो यह पूरी तरह स्पष्ट है। लेकिन जिन ओ.बी.सी. महिलाओं के पिता दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं, आयोग उनके मामले में किसी निष्क ् पर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे मामले में आयोग के सामने समस्या थी कि दूसरे राज्यों के...

श्री अध्यक्ष : आप तो पढ़ रहे हैं। आप बोल क्या रहे हैं ? पढ़ना तो मना है यहां।

ी महीपाल सिंह यादव : ...दूसरे राज्यों के प्रमाण-पत्र के आधार पर इसको नहीं मान रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, ओमवती पुत्री...

श्री अध्यक्ष : उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। बोनाफाइड उसी को माना है जो यहां पर पैदा हुई है। बस इतनी-सी बात है।

श्री महीपाल सिंह यादव : नहीं, अध्यक्षजी, हमारे राजस्थान के गंगानगर, झुन्झुनूं, अलवर ये कई जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से बिलकुल अटैच हैं और जिन बच्चियों की शादी राजस्थान में हुई है। 80 प्रतिशत तो वैवाहिक सम्बन्ध इन एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सब के हरियाणा से हैं। जिन महिलाओं की शादी...

श्री अध्यक्ष : अब आप राजस्थान में सम्बन्ध करो, हरियाणा की तरफ मत जाओ। आप करो।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन महिलाओं की शादी आरक्षण से पहले हुई है, 15 साल पहले जिन महिलाओं की शादी राजस्थान में हुई है...

श्री अध्यक्ष : वहां से लाएंगे उनको तो मिलेगा नहीं न फायदा।

श्री महीपाल सिंह यादव : महिलाओं के मामले में कितने संवदेनशील हैं आप ? (व्यवधान) आपके तो पता नहीं क्या है कि 10 मिनट आप चुप ही नहीं रह सकते। आपको तो वरदान है साधु का। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल पहले शादी हुई है, उस समय आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी और इसके बाद जब आरक्षण लागू हुआ है वो इसमें कैसे शामिल हो ? उन महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यह कानूनी है, मण्डल आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्ट दिया है। शादी होने के बाद जो महिलाएं राजस्थान में पढ़ी हैं, बी.ए. किया है, एलएल.बी. किया है, यहां से बी.एड. किया है, यहां के एस.डी.एम. ने उनको मूल प्रमाण पत्र दिया है, यह महिलाओं के साथ घोर कुठाराघात हो रहा है जो कि अव्यावहारिक है और असंवैधानिक है। यहां पर हमारी मुख्य मंत्रीजी भी महिला हैं, आप भी हैं, अब बताओ, राजस्थान की महिला अगर कोई हरियाणा से शादी होकर आई तो उसको यहां पर कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बेटा यहां ब्याहो आप अपना।

श्री महीपाल सिंह यादव : यह तो मौलिक अधिकार है। उनका मूल प्रमाण पत्र है, एस.डी.ओ. ने उनको यहां का प्रमाण पत्र जारी किया है और...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : यह आप हमेशा बार-बार गिनाते हो कि मुख्य मंत्रीजी महिला हैं, अध्यक्षजी महिला हैं, राज्यपाल भी महिला हैं, तो क्या पुरूष से किसी से कम हैं क्या ?

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को कंट्रोल करना

(श्री श्रवण कुमार)

है तो सुरेन्द्र के बेल डलवानी पड़ेगी। कोई तरीका ही नहीं है। बीच में जब चाहे जब खड़े हो जाते हो। आप सोचो तो सही कम से कम। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : तो आपको किसने इजाजत दी है ? ये मत सोचें कि पड़ोसी-पड़ोसी होकर आपको मिल जाएगा।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिन महिलाओं के मैरिट में अंक आ चुके हैं, मैरिट में वो जस्टिफाइड हैं, जिनको लगाना चाहिए उनको मात्र यह कह कर कि वो हरियाणा में पैदा हुई हैं, यह कौनसा न्याय है, बताइये आप ? ओ.बी.सी. की जितनी भी महिलाएं हैं जिनका मैरिट में स्थान है उनको यह कहकर रोका जा रहा है कि आपका जन्म हरियाणा में हुआ है, गुजरात में हुआ है। यह कौनसा कानून है ? आरक्षण से पहले जिनकी शादी हुई है उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : उसका आरक्षण से क्या ताल्लुक है ?

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय मुख्य मंत्रीजी इस मामले में चुप हैं, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री बैठे हैं, बताइये आप इसमें। इन महिलाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? कानून में जिनका मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर जवाब दे कि ऐसी महिलाएं जिनका मैरिट में स्थान है, ऐसी 15 महिलाएं जो कि ओ.बी.सी. में हैं, जिनका जन्म ठीक है हरियाणा में हुआ है लेकिन उनकी शादी आरक्षण से पहले यहां हुई है...

श्री अध्यक्ष : आरक्षण से क्या ताल्लुक है इसका ? आरक्षण से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री महीपाल सिंह यादव : जाट, सैनी, यादव हैं, ये सारे ओ.बी.सी. में हैं और ओ.बी.सी. की महिलाओं को आरक्षण, अब मजबूरन इन महिलाओं को अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। अब इन महिलाओं के साथ न्याय कौन करेगा? आप सबसे बड़े पद पर बिराजी हुई हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी भी महिला हैं, राज्यपाल भी महिला हैं...

श्री अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि यदि महीपालसिंह यादव अपनी लड़की की शादी किसी एस.सी. के साथ कर दे तो वह एस.सी. नहीं बन जाएगी और वो फायदा नहीं उठा पाएगी जो एस.सी., एस.टी. का है। यह सुप्रीम कोर्ट को फैसला है।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्षजी, जाति की बात नहीं कर रहा हूं। जाति तो बदल ही नहीं सकते आप, आप धर्म बदल सकते हैं। हिन्दुस्तान में कोई जाति नहीं बदल सकता, धर्म बदला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वह एस.सी. का फायदा नहीं उठा सकता।

श्री कालूलाल गुर्जर : जन्म के आधार पर जाति चलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

श्री अध्यक्ष : जन्म के आधार पर है।

श्री महीपाल सिंह यादव : ये जन्म के आधार पर मामले हैं।

श्री अध्यक्ष : जन्म के आधार पर बोनाफाइड रेजीडेंट है, बोनाफाइड रेजीडेंट के बारे में बात यह है कि बोनाफाइड रेजीडेंट वो है जो यहां पर पैदा हुआ है, जिसके पिता-माता यहां रहते हैं। यह बोनाफाइड रेजीडेंट की बात है। यदि वहां से आई है तो इसका मतलब She is not bonafide resident.

श्री महीपाल सिंह यादव : यह रामकुमार जाट ने अपनी पुत्री ओमवती का विवाह इसलिए नहीं किया था कि राजस्थान में आरक्षण व्यवस्था लागू होगी तो मेरी बेटी को उसका लाभ मिलेगा। 15 साल पहले शादी हुई थी, उस समय तो आरक्षण भी नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसमें बहुत-सी महिलाएं, आज जो चयन हो रहा है तृतीय श्रेणी अध्यापकों का, इसमें वंचित रह जाएंगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं है। धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। अब रामकुमार जाट ने कोई इस

(श्री महीपाल सिंह यादव)

तरह शादी की है कि लड़की को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा ? उस समय तो आरक्षण भी नहीं था।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। 295, श्री हरज्ञान सिंह।

श्री महीपाल सिंह यादव : और सरकार इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहती। बोलो न आप, महिलाओं के बड़े शुभचिन्तक हो रहे हो। आपके पास कोई जवाब नहीं है, महिला विरोधी सरकार है यह।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत चार दिन पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और आपने राज्य सरकार को जानकारी भेजने के निर्देश प्रदान किये थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था फर्माने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। ऐसा है कि जिस बारे में आसन की तरफ से यह व्यवस्था हो जाए कि सरकार से जानकारी मांगी गई है, उस विषय में आप चैम्बर में ही आकर बात कर सकते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। यहां पर नहीं पूछ सकते हैं आप, यह नियम है।

श्री संयम लोढ़ा : जो मैंने चैम्बर में आपसे निवेदन किया था उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे जैसा आदेश दिया गया था आपके द्वारा।

श्री अध्यक्ष : फिर आप चैम्बर में ही बात करें तो मैं आपका जवाब दूंगी, यहां नहीं। चैम्बर में ही बात करिये।

श्री संयम लोढ़ा : आपने तो मुझे आदेश दिया था उठाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : तो आप चैम्बर में आइयेगा, बात करियेगा, मैं आपको जवाब दूंगी। श्री हरज्ञान सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

करौली व महुआ क्षेत्र के सैनिकों की विधवाओं के लिए आवास की व्यवस्था

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी को आजादी से पूर्व के उन सेवानिवृत्त सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं के लिए दी जा रही 300/- रुपये प्रति माह की पेंशन को दुगना कर 600/- रुपये प्रति माह करने एवं जिला सीकर एवं झुन्झुनूं में युद्ध विधवाओं के लिए आवास गृह उपलब्ध कराये जाने के निर्णय के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र महुआ एवं जिला करौली से सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों की संख्या काफी अधिक है। इनमें से कई सैनिकों ने विभिन्नि लड़ाइयों में भाग लेकर एक विक्टोरिया क्रास एवं दो वीर चक्र तथा सेना मैडल प्राप्त किये हैं। इन्हीं सैनिकों में से हिन्द चीन युद्ध 1962, हिन्द पाक युद्ध-1965, हिन्द पाक युद्ध-197 एवं कारगिल की लड़ाइयों में कुर्बानियां दी हैं तथा 82 सैनिक शहीद हुए हैं जो राजस्थान का एक रिकार्ड है। इन सैनिकों की कुर्बानियों को नजरन्दाज किया जाना न्यायोचित नहीं है

अतः मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिला सीकर एवं झुन्झुनूं में युद्ध विधवाओं को आवास उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार जिला करौली एवं महुआ क्षेत्र की युद्ध विधवाओं के लिए भी आवास गृह आबंटित कराये जाएं तो उन युद्ध विधवाओं का परिवार सुरक्षित एवं लाभान्वित होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल।

जोधपुर के पास काकाड़ी में लगे हुए क्रैशर्स से हो रहा भारी वायु-प्रदूषण

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 65 पर जोधपुर शहर से थोड़ी दूरी पर ग्राम काकाड़ी के पास स्थित काकाजी भाकरी पर अनेक क्रैशर लगे हुए हैं, जिनसे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण हो रहा है। इन क्रैशर के बिलकुल पास व इस राष्ट्रीय राज मार्ग के दोनों तरफ लगे हुए होने, रात-दिन चलने, बिना वायु प्रदूषण बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये कार्यरत होने से इस राष्ट्रीय राज मार्ग व आस-पास के गांवों में पत्थर कटिंग से निकलने वाले छोटे-छोटे कणों से धुआं छा जाता है। अवैध रूप से चलने वाले इन क्रैशरों से राष्ट्रीय राज मार्ग पर अंधेरा हो जाने से अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा पिछले दो-तीन वर्षों में 50-60 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। कृपया इसको रूकवाने, इनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने व इस पहाड़ी को बचाने तथा इस पर स्थित मन्दिर व उसके रास्ते को बचाने की प्रार्थना सरकार से है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल जीनगर।

चित्तौड़गढ़ के तहसील मुख्यालय के पुराने व खण्डहर हो चुके तहसील भवन का बेचान

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राशमी तहसील के पुराने भवन की नीलामी करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

तहसील मुख्यालय राशमी जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम राशमी में 100 वर्षों से भी पुराना तहसील भवन खण्डहर के रूप में खड़ा है। आये दिन इसकी

दीवारें ढहकर रास्ते को जाम करती रहती हैं और खण्डहर भवन कूड़े-करकट का ढेर बना हुआ है। यह खण्डहर गांव के बीच में है। इस खण्डहर के दोनों रास्तों पर विद्यालय के बालक-बालिकाएं व अन्य ग्रामीण जाते-आते रहते हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अतः सरकार इस खण्डहर को गिराने की व्यवस्था करे तथा इसे नीलाम करावे जिससे गांव में फैल रही गन्दगी भी कम हो सकेगी और आबादी क्षेत्र बस सकेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीसिंह रावत।

शिक्षित बेरोजगारों को संविदा अध्यापक पद पर नियुक्ति

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह प्रकरण शिक्षित बेरोजगारों को संविदा अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। प्रथम बार नियुक्ति दी गई थी तब 170 संविदा अध्यापक थे जिन्हें कुछ समय बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था। वापस जिला परिषद, राजसमन्द के पत्र क्रमांक एफ.3(7)(5)जि.प.रा./संस्था-समिति/नियुक्ति/2003/2878 दिनांक 5-3-2003 के अनुसार 125 संविदा अध्यापकों को नियुक्ति दी गई। जब शेष व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले तो शेष संविदा अध्यापकों के एस.बी.सी. रिट संख्या 2328/2003 भैरूलाल पालीवाल व अन्य बनाम सरकार प्रकरण में हुए निर्णय दिनांक 11-10-2004 के सम्बन्ध में कार्यालय जिला परिषद, रामसमन्द के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पत्र द्वारा उप विधि परामर्शी (प्रा.शि.) विधि प्रकोष्ठ, राज., जयपुर को लिखे पत्र क्रमांक प.स.आ./विधि/2005/2201-2 दिनांक 22-1-2005 द्वारा स्पष्टीकरण चाहा लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसके उपरान्त फिर संविदा अध्यापकों ने जिला परिषद, राजसमन्द से सम्पर्क किया तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने

(श्री हरीसिंह रावत)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के हवाला अनुसार संविदा नियुक्ति प्रकरण के बारे में वापस उप विधि परामर्शी (प्रा.शि.) विधि प्रकोष्ठ, विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक जिपरा/विधि/2004/1704 दिनांक 18-11-2004 द्वारा फिर रैमाइण्ड किया तब जाकर उप विधि परामर्शी (प्रा.शि.) विभाग की नींद खुली एवं तब जाकर विभाग ने निदेशक (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर को प्रत्युत्तर हेतु पत्र क्रमांक प.8(281)प्रा.शि.वि.प्रा./104 जयपुर दिनांक 5-3-2005 को प्रेषित किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस मामले में बहुत संवदेनशील है, अतः संविदा द्वारा लिये गये अध्यापकों में शेष रहे 45 संविदा अध्यापकों को नियुक्ति दिलाई जाए। उप विधि प्रकोष्ठ (प्रा.शि.) विभाग से मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकरण में ऐसी शिथिलता क्यों की गई, स्पष्टीकरण दें ? मैं आपके माध्यम से इस प्रकरण का अतिशीघ्र निदान चाहता हूं ताकि शेष बचे संविदा अध्यापकों को उचित न्याय मिल सके एवं बेरोजगार व्यक्तियों के कई सालों से मुर्झाये चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ सके। जय भारत, धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

सूरतगढ़ में वायु सेना द्वारा ठुकरना रेंज हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव (वायु सेना द्वारा अधिग्रहण रेंज ठुकरना (सूरतगढ़) राजस्थान की अवार्ड राशि के भुगतान बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

वायु सेना द्वारा 1989 में तत्कालीन गंगानगर जिला (वर्तमान जिला हनुमानगढ़) के एयर-टू-ग्राउण्ड रेंज, ठुकरना के नाम से नई रेंज हेतु कृषि भूमि एवं आवासीय क्षेत्र के अधिग्रहण की कार्यवाही की गई। भूमि आबंटित

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

अधिकारी, एस.डी.एम. नोहर द्वारा भूमि अवार्ड 16-5-2000 को ग्राम धान्धूसर मोटेर, बन्नासर, धीरदेसर एवं बागासर की कृषि भूमि के साथ-साथ आबादी भूमि का कुल रकबा 47,299 बीघा भूमि अवाप्त कर रुपये 1.60 अरब (रुपये 1,59,97,16,925/- के लगभग) की राशि स्वीकृत की गई।

सूरतगढ़ वायु सेना के अधिकारीगण, रक्षा सम्पदा अधिकारी, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सामूहिक तौर पर अवार्ड में दर्शाई भूमि, भवनों, पेड़ों व कुण्डों का भौतिक सत्यापन किया गया था। अवार्ड में जारी सभी सम्पत्तियां यथावत मिलीं। तत्पश्चात् वायु सेना, सूरतगढ़ द्वारा पूर्व में जारी अवार्ड के साथ-साथ वर्तमान दरों के अनुसार सभी विभागों से उक्त रकबे का वर्तमान अनुमानित अवार्ड वायु सेना, नई दिल्ली को वर्ष 2004 में भिजवाया जा चुका है जो वहां पर लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अधिग्रहण की कार्यवाही को 15 वर्ष हो चुके हैं एवं इन गांवों में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, सड़कों आदि की कमी है क्योंकि उक्त कृषि भूमि व आबादी भूमि के अधिग्रहण होने से राज्य सरकार विकास कार्य भी नहीं करवाती है। गांव धान्धूसर मोटेर, बन्नासर, धीरदेसर, बागासर शत-प्रतिशत अकालग्रस्त क्षेत्र हैं, इस स्थिति में वहां के नागरिकों के साथ अन्याय है। यह प्रकरण विगत 15 वर्षों से केन्द्र के यहां लम्बित है। अत: राज्य सरकार केन्द्र सरकार से वार्ता करे ताकि उक्त भूमि को तुरन्त अधिग्रहण कर अवार्ड की राशि सम्बन्धित काश्तकारों एवं आवास मालिकों को मिले एवं इन्हें राहत मिले ताकि वो लोग अन्यत्र बस सकें या फिर उक्त अधिग्रहण की कार्यवाही निरस्त करवाई जाए ताकि उक्त ग्रामीणों के गरीब काश्तकारों को विकास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द।

रायसिंहनगर में टी.सी. के अनुसार पुख्ता आबंटन

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में काफी जमीन किसानों की टी.सी. के तहत काश्त की जाती है। राज्य सरकार ने किसानों की इस विकट समस्या को देखते हुए पुख्ता आबंटन करने का आदेश कर दिया है। किसानों के नाम प्रति व . होने वाली टी.सी. के तहत जमीन ज्यादा है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि गंगनहर क्षेत्र में टी.सी. से पुख्ता आबंटन के समय टी.सी. धारक के नाम आबंटन से अधिक रकबा होने से इ.गा.न.प. क्षेत्र की तर्ज पर उनके पुत्र-पुत्रियों के नाम जो बालिग हैं, आबंटन किये जाने के आदेश फर्माएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

निवाई में लगी क्रैशर मशीनों से व्याप्त प्रदू.ण

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवाई विधान सभा क्षेत्र में खनन कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई (बरथल) पताड़ी, नोहट्टा, वनस्थली मोड़ पर पत्थर पीसने हेतु क्रैशर मशीनें लगी हुई हैं। इन मशीनों से पत्थर पिसाई से धूल उड़ने पर आसपास की बस्तियों एवं खेतों में जम जाती हैं। इससे आसपास के लोगों के जनजीवन के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इससे भयंकर बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही खेतों में पिसाई से उड़ी धूल जमने से कृ.कों की जमीनें ऊसर और अनुपजाऊ होती जा रही हैं। पहाड़ी एवं नाहट्टा के पताड़ी क्षेत्र में घास में ही घनी आबादी बसी हुई है। उक्त आबादी की अधिकतर जनता टी.बी., अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित

(श्री हीरालाल)

हो चुकी है। परन्तु फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा उनके इलाज हेतु ना तो कोई उस क्षेत्र में जहां खाने हैं, अस्पताल है और ना ही इलाज की व्यवस्था है। इसमें अधिकतर गरीब पिछड़े वर्गों के अनु. जाति एवं जनजाति के व्यक्ति क्रैशर पर कार्य करते हैं। साथ ही जहां पर क्रैशर मशीनें पत्थर की पिसाई कर रही हैं, वास्तव में नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है कि नहीं, इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच करवाई जाए। यदि नियमानुसार नहीं हो तो इन्हें बन्द करवाया जाए। जो नागरिक बीमारियों से ग्रसित हों, उनके इन क्रैशर मशीनों के मालिकों से इलाज की तुरन्त व्यवस्था करवाई जाए। भविष्य में ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। दोषी क्रैशर मालिकों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : आज चार पर्चियां आई हैं। पहली पर्ची श्री सुरेश मीणा की है-डाक्टर भीमराव अम्बेड़कर की प्रतिमा राजस्थान विधान सभा परिसर में लगाने बाबत उन्होंने अपनी पर्ची दी है। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर जो है कौल एण्ड शकधर का, उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है-

"No alteration or addition can be made in the Parliament Hc ıse and no new structure can be erected in the parliament estate withoı ıe Speaker's permission."

मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि इस बारे में कोई बात करने में मैं भी सक्षम नहीं हूं इसलिए मैं इस बारे में आपको बोलने की अनुमति देने में भी असमर्थ हूं। इसलिए अब मैं नाम पुकार रही हूं, श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई ऐसा तो है नहीं, हम मांग ही तो रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मांग के बारे में ही तो मैंने आपको व्यवस्था दी है। इसमें यह है कि विधान सभा परिसर में किसी भी तरह का परिवर्तन, परिवर्द्धन

(श्री अध्यक्ष)

कोई भी कुछ नहीं किया जा सकता स्पीकर की बिना अनुमति के और स्पीकर में भी पावर्स हाउस की हैं, हाउस ही देता है पावर, इसलिए मैं इस बारे में अपनी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि परिसर में नहीं लगे तो वह दूसरी जगह लगाएं, उसके बारे में थोड़ा-सा आपसे बोल सकता हूं। परिसर की बात हटा दो फिर...।

श्री अध्यक्ष : यह बात आप मेरे चैम्बर में कीजियेगा मुझसे, अभी नहीं, अभी नहीं।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा समय तो दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जब कुछ कर ही नहीं सकते अपन तो समय देकर क्या करूंगी मैं ? क्या करेंगे, क्या बोलेंगे ?

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि परिसर के मामले से हटकर....

श्री अध्यक्ष : वह कहा न, जब तक आप। प्रीवियस परमिशन नहीं लें, तब तक इस बारे में अनुमति देने में असमर्थ हूं। आप मिल लेना चैम्बर में मुझसे, जो कुछ कहना है, कह देना।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ तो, थोड़ा दो मिनट का टाइम तो दिया जाए न।

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं हो सकती सदन में चर्चा।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से तो पर्ची आती है और आप हमको बोलने का मौका नहीं देती हैं, नये-नये हम आये हैं.

श्री अध्यक्ष : नहीं, देखिये, पर्ची आप ऐसे विषय पर दें जिस पर मैं आपको अनुमति दे सकूं। जब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति देने में असमर्थ हूं। इसलिए आप चर्चा करके क्या करेंगे ? और कोई रीसेंट आकरेंस भी नहीं है कि जिसके बारे में कोई बहुत जरूरी हो बोलना।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह अम्बेड़कर की बात नहीं है, हमारे साथ राजस्थान में जो अन्याय हो रहा है वह आपको बताना चाहता हूं, इस सदन में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : न महात्मा गांधी की, न अम्बेड़कर की, न जवाहर लाल नेहरू की और न इन्दिरा गांधी की, किसी की भी। सब उठाएंगे यह प्रश्न कि इसकी लगाओ, इसकी लगाओ, इसलिए जैसी व्यवस्था है उसे चलने दीजिये आप।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़े समाज के बारे में दो बात तो कह सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : अब आप हठधर्मी कर रहे हैं। अब यह हठधर्मी उचित नहीं है आपकी। जब व्यवस्था दी जा चुकी है तो व्यवस्था को मान लेना चाहिए आपको। मैंने आपसे कहा, चैम्बर में बात कर लीजियेगा आप मुझसे। श्री हरिमोहन शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले मनोनयन के अभाव में जेडीए अथारिटी द्वारा लिये जा रहे निर्णयों का औचित्य

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के गठन को लगभग एक वर्ष और चार माह के आसपास हो गया और एक वर्ष चार माह के इतने लम्बे...(व्यवधान) माननीय दिलावर साहब, सीट पर कोई स्प्रिंग लग रही है क्या आपके ? नहीं हुए क्या आपको सवा साल ? एक साल चार महीना नहीं हुआ क्या ?

श्री रामप्रताप कासनिया : अठारह महीने हो गये, याद करो।

श्री अध्यक्ष : यहां कांटे तो कई माननीय सदस्यों की सीट पर हैं। कई माननीय सदस्यों की सीट पर कांटे हैं, वह बार-बार उठते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : डेढ़ साल के आसपास, अठारह महीने, जैसा यह कह रहे हैं, इस सरकार को बने हुए हो गये। मंत्रिमण्डल का गठन होकर निरन्तर ये काम करने की ओर अग्रसर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय, कि जे.डी.ए. अथारिटी का गठन डेढ़ साल होने के बावजूद भी वर्तमान सरकार नहीं कर पायी। जेडीए एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत जो अथारिटी का गठन करना है सैक्शन 4 में सात लोगों को, अधिक से अधिक, सात लोगों को, चाहे वे विधायक हों, चाहे किसी अन्य पद पर हों, उनका मनोनयन करने के बाद पूरी जेडीए अथारिटी का गठन होता है। डेढ़ साल के बाद भी जेडीए में उस अथारिटी का विधिवत रूप से गठन नहीं होना और उस गठन न होने के बाद, जो हमारे संविधान में संशोधन हुआ है, चौहत्तरवें संविधान संशोधन में शिड्यूल 12 में, नगरपालिका, जे.डी.ए. और जो भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनमें जन प्रतिनिधियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो अधिकार उनको दिये हैं, उसके बावजूद भी आज तक वर्तमान सरकार जेडीए की अथारिटी में सात लोगों का मनोनयन नहीं कर पायी, न इनके विधायकों का कर पायी और न दूसरे लोगों का मनोनयन कर पायी। इसलिए वह अथारिटी जो फुलफ्लैजेड होनी चाहिए, उसका अभाव है। डेढ़ साल गुजरने के बाद अथारिटी तो नहीं कर पायी, मनोनयन तो नहीं कर पायी, जन प्रतिनिधियों को तो उससे नहीं जोड़ पायी, बल्कि महत्वपूर्ण फैसले सरकारी अधिकारियों और एक्स-आफिशियो पदाधिकारियों के माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आप अवैधानिक निर्णय पर आ जाओ अब, क्या अवैधानिक निर्णय ले लिया ? यह तो ठीक है आपकी बात, अवैधानिक निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर बोल रहे हैं न आप, वह अवैधानिक निर्णय पर आओ आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बोलने तो दो, साहब।

श्री अध्यक्ष : आपको टाइम तो मिला कुल तीन मिनट चार मिनट का।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, तीन मिनट का नहीं मिला, पर्ची पर बोलने का मिला है।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर बोलने का घंटे भर समय है, किसने कह दिया यह ? यह कब की व्यवस्था है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं अभी पांच-सात मिनट में....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर्ची तो एक ही मिनट की होती है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई बात थोड़े ही हुई।

एक माननीय सदस्य : आप बैठो, स्प्रिंग आपके भी लगी हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : सारे ही पर्ची पर एक-एक घंटा बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलें, आप बोलें। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा बोलने देंगे हम। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिये। अवैधानिक निर्णय बता दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : जितनी आपकी मेहरबानी। जब तक आपकी मेहरबानी है तब तक ही।

श्री अध्यक्ष : हां, अवैधानिक निर्णय बता दो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : अवैधानिक यह है कि अभी-अभी इन्होंने यह फैसला किया है और यह एक निर्णय लिया है कि नालेज कारीडोर के नाम से, चाहे वह जयपुर से दिल्ली की सड़क हो, चाहे वह जयपुर से अजमेर की सड़क हो, चाहे वह यहां से आगरा वाली सड़क हो, चाहे वह यहां से टौंक वाली सड़क हो, इन सड़कों पर नालेज कारीडोर के नाम से सड़कों के दोनों ही तरफ एक एक किलोमीटर सड़क लेकर एक-एक किलोमीटर की भूमि को अवाप्त करना चाहते हैं।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (स्वायत शासन राज्य मंत्री) : आपकी भी जमीन है वह छोड़ देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोगों को ढूंढ रहे हैं कि किन-किन लोगों की जमीन है और किन-किन से अपना हिसाब-किताब करके फिर उनको छोड़ दें। यह कहने आ रहा हूं, आप विराजें। मैं यही कहने आ रहा हूं।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यही कहने आ रहा हूं जो आप समझ रहे हैं। यह जो नालेज कारीडोर है इस कारीडोर को बनाने का इन्होंने अपना जो आधार बताया है, इन्फार्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडीकल इंस्टीट्यूशन इसके लिए पूरे ही स्थानों पर एक-एक किलोमीटर की भूमि को अवाप्त करने का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। कई जगह इन्होंने भूमि अवाप्ति की धारा 4 के तहत कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी नेशनल हाइवे के नजदीक एक-एक किलोमीटर की भूमि है, सब लोगों ने लाखों की कीमत में उन भूमियों को खरीद रखा है। कोई भी एक साधारण किसान के पास भूमि शेष नहीं रही है। नेशनल हाइवे से लेकर वहां तक लाखों रुपये की भूमि, पहले तो जो अपनी रेट थी उसी पर अपन ले सकते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि आपको मार्केट रेट के हिसाब से उनको कम्पनसेशन देना पड़ेगा। जब आप मार्केट रेट से उसका कम्पनसेशन देंगे और मार्केट रेट से कम्पनसेशन देकर उस भूमि को अवाप्त करेंगे, आपके पास एक भी एप्लीकेशन इस समय तक न तो इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी के नाम से, न मेडिकल इंस्टीट्यूशन के नाम पर और न किसी और नाम पर आई है, और जितनी भूमि ये अवाप्त करना चाहते हैं चारों तरफ, मार्केट रेट से आप कम्पनसेशन करोगे तो अरबों-खरबों पर राशि जाएगी। करोड़ों पर नहीं अरबों-खरबों पर राशि जाएगी। अरबों-खरबों की

(13.00 बजे)

राशि नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों को आतंकित करने का दृष्टिकोण है जिन्होंने उस जमीन को खरीद रखा है। इनके पास न कोई योजना है, न कोई

(श्री हरिमोहन शर्मा)

दरख्वास्त है। अगर इनको लेना था तो मास्टर प्लान में परिवर्तन करते। मास्टर प्लान बनाते कि यहां का जो मास्टर प्लान है, चारों रोडों का जो हमारा मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान में हमारी यह योजना है, हम यहां पर इन्फार्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी सेंटर कायम करेंगे, यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करेंगे, यहां पर यह काम करेंगे। लेकिन मान्यवर, ये नाम तो ले रहे हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कल्पना पर आधारित ये सब बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब आप विराजिये, महावीरजी। विराजिये। आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह पर्ची का न तो विषय है। मैं तो अध्यक्षजी से निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने सारे जयपुर के चारों तरफ को नालेज थोड़े किया है, एक तरफ का किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : चारों तरफ का किया है, साहब-अजमेर रोड़ का किया है, दिल्ली रोड़ का किया है, टोंक रोड़ का किया है, आगरा रोड़ का किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लाएं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने उद्देश्य तो बताया कन्वेंशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर, इन्फार्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी सेंटर और उसमें चुपचाप एक लाइन और बढ़ा दी मल्टी परपज। हमारे जचेगी जो करेंगे, नाम लगाएंगे. हम इन्फार्मेशन सेंटर का। हम कहेंगे नालेज कारीडोर बना रहे हैं, हम कह रहे है इन्फार्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी का कारीडोर बना रहे हैं। और चुपचाप भूमि अवाप्ति में मल्टी परपज उसमें लिख दिया, ताकि इन सेंटरों को तो अलग रख कर मल्टी परपज के नाम पर, जब आपकी न तो कोई

योजना है, मल्टी परपज क्या होता है, आपने कोई डिफाइन किया ?....(व्यवधान)....आप विराजिये, मान्यवर। मान्यवर, इस मामले में इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इन्फार्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी का करना था, आपको अगर इन्फार्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी के साथ कन्वेंशन सेंटर का करना था, इनके पास 2500 बीघा जमीन मानसरोवर में थी। अध्यक्ष महोदय, मानसरोवर की 2500 बीघा जमीन जो जे.डी.ए. ने और इन्होंने अवाप्त कर ली थी, वो तो इन्होंने की है मुक्त कि जाइये, तुम सबको वापस हम छोड़ते हैं और नये स्थान पर सैकड़ों बीघा जमीन के लिए उन लोगों को आतंकित कर रहे हैं बिना योजना के, बिना पैसे के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक ढंग से जन प्रतिनिधियों का चोला पहन कर मानसिक दृष्टि से व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मानसिक दृष्टि से जो व्यापारी लोग चाहे वो मनोनयन के माध्यम से चाहे वो चुने हुए माध्यम से, वो व्यापारी वर्ग और व्यापारिक दिमाग माननीय मुख्य मंत्रीजी के सचिवालय को गुमराह कर इस प्रकार की गलत योजना बना कर इस प्रकार लोगों को आतंकित कर अपने-अपने लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य के कारण यह योजना बना कर उन लोगों से पैसा ऐंठ करके यह काम करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। धन्यवाद। अब और क्या ? कह दी आपने अपनी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह तो दी, अब क्या कहेंगे आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मैंने अभी नहीं कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : आपने तो सारी कह दी और क्या करेंगे आप ? सारा मोटिव बता दिया आपने, सरकार का मोटिव बता दिया कि सरकार का यह

मोटिव है। आपने सब कुछ तो बता दिया। सरकार को मोटिव बता दिया, चारों तरफ की जमीन बात दी, और क्या बताएंगे अब आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पर्ची पर है....(व्यवधान)...यह तो आधे घंटे की चर्चा भी नहीं है स्थगन भी नहीं है, ध्यानाकर्षण भी नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप दो मिनट मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : .....(व्यवधान)....ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पैसा लेकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। पैसा लेकर आपको यहां विधान सभा में इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके वश का रोग नहीं है, बैठें। बैठें आप। दिलावर साहब, आपकी समझ के बाहर है।

श्री अध्यक्ष : पर्ची के ऊपर आपको बोलने का समय मैंने दे दिया। अब आप गलत बात है। अब आप गलत बात है। गलत बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....(व्यवधान)....कोई जवाब दिया नहीं जा सकता और वो बोले जो रहे हैं। यानी आधा घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी लोक महत्व के विषय पर, सबको पीछे छोड़ दिया। इस पर्ची ने सबको पीछे छोड़ दिया, माननीय अध्यक्षजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : ....(व्यवधान)....इतना तो बजट भाषण पर नहीं बोलते, उससे ज्यादा तो ये बोले जो रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने सब बातें कह दीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां-हां, एक मिनट में मैं समाप्त करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई जवाब ही नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : सरकार का मोटिव बता दिया, नान आफिशियल को अभी तक नामिनेट नहीं किया, उसके बाद में अब और क्या बताएंगे अब आप ? अब क्या बताएंगे ?

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट मुझे बोलने दें। एक मिनट मुझे बोलने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप जिद कर रहे हैं। अब आप जिद कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : ऐसा है अगर मैं पैसा खा रहा हूं और पैसा खा कर बोलने का जो....(व्यवधान)....विराजें, साहब।

श्री अध्यक्ष : अब आप जिद कर रहे हैं। अब आप विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा : .....एक मिनट विराजें आप। मैं सदन से इस्तीफा दूंगा, और नहीं तो मैं आरोप लगाता हूं कि + + + (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सांगसिंह भाटी : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : क्या कहा इन्होंने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह गलत बात है। आप बिना नोटिस दिये इस तरह की बात कह रहे हैं, गलत है यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें आप। स्थान ग्रहण करें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें। अब आप स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं कहती हूं स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीरसिंह मीणा : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री मदन दिलावार : xxx

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको नाम से पुकारु ? आप क्या चाहते हैं ? नहीं-नहीं, आप

(श्री अध्यक्ष)

एक बार स्थान ग्रहण करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको नाम से पुकारु ? आसन पांवों पर।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात। नो। नो।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : कृपया आसन को भी सुनें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य पता नहीं क्या-क्या कह गये। मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा कि उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। बावजूद इसके कि मैंने कहा, आसन पांवों पर है, आपका समय समाप्त हो गया। पर्सनल जब तक आपने नोटिस नहीं दिया था आपको मुख्य मंत्री के खिलाफ कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। बाकायदा 273 में नोटिस दीजिये, उसके बाद अपना प्रस्ताव लाइये, उस पर चर्चा करिये। लेकिन आपनें यह सब नहीं किया। आपको मैंने टोका और टोकने के बाद भी आप पर कोई असर नहीं हुआ इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि भविष्य के अन्दर आप इस बात का ध्यान रखें। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत से माननीय सदस्य ऐसे जो आसन का काम करने लग जाते हैं। आसन को अपना काम करने दीजिये। आसन करेगा अपना काम। कोई बात इस तरह की होती है, आपने नोटिस में ला दी बात, नोटिस में लाने के बाद आप ही आपस में उत्तर-प्रत्युत्तर करने लग जाते हैं। यह उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना यह कर रहा था कि आपके चैम्बर में बात हुई थी जिसमें पक्ष भी था और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिपक्ष भी था, यह तय हुआ था कि पर्ची के माध्यम से कोई सूचना देना चाहे सूचना देंगे, अल्पकाल में अपनी बात कहेंगे। पर पर्ची के माध्यम से मंत्री उत्तर दे, यह आवश्यक नहीं है। मंत्री का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं है। आपकी खुद की मांग थी कि मंत्री उत्तर नहीं दे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। मंत्री का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अधिकार इनको भी नहीं है कि पर्ची के माध्यम से बिना नोटिस कोई बात उठाएं और अनर्गल आरोप लगाकर चले जाएं। आपने हमें परम्पराओं और मान्यताओं से बांधा है, आपसे कुछ सीखा है हमने, आप इस सदन के साक्षी रहे हैं। आपने ही तय किया था उसी का ये उल्लंघन कर रहे हैं। बिना कोई आधार के आरोप लगाते चले जा रहे हैं। आप इसको एक्सपंज कराएं।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि आसन को बिलकुल ओवररूल करके यहां नियमों का दुरुपयोग कर जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उससे हमें बाध्य होकर खड़ा होना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह मीणा : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब यह तय हुआ है और पर्ची का एक माध्यम है....(व्यवधान) पर्ची के माध्यम से....(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारी मर्यादाएं तोड़कर....(व्यवधान) इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे कोई सारे हाउस को अपने माथे पर ले लिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब देखो, अटल बिहारी वाजपेयी आ गये यहां पर।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आपने अपनी बात कह दी, वह अपनी बात कह रहे हैं। अब आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनकी पत्नी के नाम से, और अपने एम.एल.ए. पद का दुरुपयोग करते हुए क्या-क्या नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहेंगे। अब आप सुनो।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (नगरीय विकास राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने व्यवस्था दे दी है कि पर्ची पर कोई बोलना जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, कोई आवश्यक नहीं है जवाब देना। चूंकि इन्होंने आरोप लगाये हैं इसलिए आप चाहते हैं तो दें।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें कह दीं, उन्होंने कहा है कि अथारिटी ने जो निर्णय लिये वही गठन है। इसमें पूरा प्रावधान है। जो भी किया है नियमानुसार किया है और पूरी पारदर्शिता के साथ किया है। मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी का मेरे ऊपर कोई प्रैशर नहीं है, मेरे पास स्वतन्त्र प्रभार है, मैं खुद अपने विवेक से निर्णय लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी एक्ट, 1982 की धारा 3 में इस अथारिटी के गठन का प्रावधान है। इसी एक्ट की धारा 4 के तहत यह प्रावधान है कि इस अथारिटी का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। इस अथोरिटी में अध्यक्ष सहित कुल 12 शासकीय सदस्य होंगे। राज्य सरकार गैर

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

सरकारी सदस्यों को मनोनीत करेगी, जिसकी अधिकतम संख्या 7 होगी। गैर सरकारी सदस्यों जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, उनका कार्यकाल इस एक्ट की धारा 4(8) के तहत दो वर्ष का होगा। जे.डी.ए. की धारा 4 की उप धारा 9 में निम्न प्रावधान है :-

"No act or proceeding of the Authority, or any board, committee or other body there of shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that any of the members of the Authority or such body are not nominated, appointed or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or any meeting of the Authority, or such body or any person is a member in more than one...."

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं खड़ें हों, आप स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में इन्टरप्ट नहीं करें।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : "....capacity or there are one or more vacancies in the offices of any members of the Authority or such body." अच्छा देख लेना, सभी नहीं देख सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप जो कुछ कहते हैं वह सुनते हैं कि नहीं सुनते तो वो जो कुछ पढ़ रहे हैं सुन लो।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए कानूनी रूप से यह स्पष्ट है कि मनोनीत सदस्यों के अभाव में भी यह अथारिटी की जो मीटिंग होती है वह वैधानिक है।

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर सवाल-जवाब नहीं होता है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : यह हमारा अधिकार है, आपके कहने से नहीं करेंगे हम। यह हमारा अधिकार है, हम जब चाहें तब करेंगे, जब चाहें तब नहीं करेंगे। आपके कहने से नहीं करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री बृजकिशोर शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, सदन का प्रांगण जिसके कब्जे में है वह मंत्री के कब्जे में था, आपको बीच में नहीं खड़े होना चाहिये था।

श्री बृजकिशोर शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा, आसन ग्रहण करें।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ हैं, मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाएंगे। मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो आपने अजमेर और दिल्ली रोड़ का कहा है या दूसरी रोडों का कहा है कि आप 1-1 किलोमीटर एक्वायर करने जा रहे हैं और वो कर लिया, वो कर लिया, इस प्रकार की कोई हमारी मंशा नहीं है। अगर कोई बड़ा इन्वैस्टमेंट आता है, कोई 500-1000 करोड़ राजस्थान में इन्वैस्ट करेगा तो उसको हमें सुविधा देनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से हमने यह निर्णय लिया है, पूरी पारदर्शिता से निर्णय लिया है। जो आगे काम करेंगे पूरी पारदर्शिता से करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलेंगे। बिलकुल नहीं बोलेंगे, खड़े भी नहीं होंगे। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर चर्चा का विषय नहीं होता। पर्ची कोई चर्चा का विषय नहीं होती है। काहे को खड़े हो रहे हो आप बेकार में ?

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर कोई सवाल-जवाब नहीं होता। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें आप।

परमिट पर गाड़ी नम्बर के अभाव में हो रही डोडा-पोस्त की तस्करी

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका गरीब और खेतिहर मजदूर से सम्बन्ध है, वह है डोडा-पोस्त की बिक्री। इस डोडा-पोस्त की बिकी राजस्थान के जितने भी बार्डर जिले हैं, उनमें अवैध रूप से और वैध रूप से होती है और यह पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से होती है। इन जिलों से हरियाणा और पंजाब में भी तस्करी होती है

(13.20 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्योंकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बड़े-बड़े जागीरदार और किसान गरीब खेतिहर मजदूरों को धीरे-धीरे डोडा-पोस्त की आदत डाल देते हैं। डोडा पोस्त के सेवन से खेतिहर मजदूर एक ऐसी आदत में पड़ जाता है कि वह इससे छूट ही नहीं सकता। यह आदत ऐसी है कि जब इंसान की मौत होती है उसके साथ ही छूटती है। एक बार अगर वह इस आदत को सीख जाता है उसके बाद उसकी मौत के साथ ही इससे पीछा छूटता है। इसका मेन कारण है पुलिस और आबकारी। आबकारी विभाग परमिट जारी करता है उस पर गाड़ी

(श्री धर्मपाल चौधरी)

नम्बर नहीं डालता है, गाड़ी नम्बर नहीं डालने की वजह से बार्डर जिले के जो ठेकेदार हैं-अलवर, भरतपुर, झुन्झुनूं, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के, क्योंकि सबसे ज्यादा तस्करी इसकी हरियाणा और पंजाब में होती है, परमिट नम्बर नहीं डालने की वजह से उस परमिट की फोटो कापी कराकर, रंगीन फोटो कापी और ओरिजिनल में बहुत कम अन्तर समझ में आता है, उस रंगीन फोटो कापी से एक-एक गाड़ी से छह-छह गाड़ियों में माल सप्लाई करते हैं। यह माल जहां पर इकट्ठा होता है वहां पर भी दो नम्बर में, जहां बिकता है वहां भी दो नम्बर में बिकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से इस बात के लिए कहना है कि वहां पर रहने वाला गरीब खेतिहर मजदूर है इसलिए यह जो तस्करी पनप रही है इसको सरकार को रोकना चाहिए। इसके परमिट पर नम्बर डालना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक परमिट पर एक ही गाड़ी माल जाए। ऐसा नहीं हो कि एक-एक परमिट इश्यू हो और उस पर छह-छह गाड़िया माल जाए, परमिटधारी के अलावा दूसरे लोग, पंजाब, हरियाणा वाले लोग ब्लैक में माल ले जाएं। वहां पर कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी आदत डालकर, वहां माल सप्लाई हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहां पर गरीब खेतिहर मजदूर हैं जिसको लेकर यह बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान हो।

मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, गंगानगर जिले के सारे एम.एल.एज., हनुमानगढ़ के भी बैठे हैं, हम अलवर के हैं. हमारे इन जिलों में यह बहुत बड़ी समस्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यही निवेदन है कि मंत्रीजी इस बारे में कहें, आश्वासन दें। आबकारी विभाग, पुलिस विभाग जो भी इसमें सम्मिलित हैं, भविष्य में इन परमिटों पर गाड़ियों के नम्बर डालें और अवैध माल की सप्लाई नहीं हो, यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : इसी सन्दर्भ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : हम सारे, गंगानगर सीमा लगती है पंजाब से (व्यवधान) हरियाणा सीमा से, हम सभी का सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हनुमानगढ़, गंगानगर जिले की बहुत बड़ी समस्या है और मंत्रीजी यहां बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : इसलिए आपसे निवेदन है, हम भी मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति नहीं दूंगा बोलने को।

श्री गुरजंटसिंह बराड़ (संगरिया) : सबसे ज्यादा हम प्रभावित होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुरजंटसिंह बराड़ : परमिट अपने पास रखते हो....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : इसलिए कह रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त राज्य मंत्री तो विराजे हुए हैं और आबकारी राज्य मंत्री भी शायद हों, पोस्त डोडा चूरा यहां से नागौर, बाड़मेर. जैसलमेर गरीब लोग जो जाते हैं.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : फसल कटाई के लिए, गेहूं कटाई के लिए....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : परमिट में नम्बर डालने में, जब पुलिस यहां बैठी है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : बड़े-बड़े जमीदार उनको चाय में डाल-डालकर उसका एडिक्ट कर देते हैं। क्योंकि काम करने की ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है इसलिए वो उनको एडिक्ट करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, धर्मपालजी को बात कहनी थी कह दी, उसको आप क्यों करते हो ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक ट्रक बिल होता है उस पर छह-छह, सात-सात बार ट्रक लोड होता है, सारा पंजाब और हरियाणा जहां बैड है वहां बेचने का या ठेका वगैरह नहीं है, उस एरिया में भी बेचते हैं। हमारे एरिया में भी छोटे-छोटे बच्चों को एडिक्ट करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कृपया मंत्री महोदय, इसे बचाने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुरजंटसिंह बराड़ : आपका देखा हुआ है, साहब हनुमानगढ़ जिला हरियाणा और पंजाब से लगता है और इसमें सादुलशहर और संगरिया आता है, ज्यादातर लोग वहां से तस्करी करते हैं। होता यह है कि ठेकेदार इतने परमिट बना लेते हैं, वे अपने पास रखते हैं और वहां के लोकल रहने वालों को उचंती में बेचते हैं। पोस्त जाता है पंजाब और हरियाणा, वे लोग लेने आते हैं। हमारे सादुलशहर, संगरिया, हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा जो स्मैक का काम चल रहा है वह इनकी वजह से चल रहा है।

माननीय सदस्य जो पहले बोलकर गये, उन्होंने कहा कि 4-5 ट्रकों के ऊपर परमिट देते हैं मेरे को तो ख्याल है कि एक-एक महीने एक ही परमिट चलता है इनका। उस हिसाब से इनका खुला खाता है और यह पंजाब हरियाणा में जाता है। संगरिया, सादुलशहर को ऐसा नष्ट किया है कि जो बच्चे हैं

(श्री गुरजंटसिंह बराड़)

उनको भी इन्होंने ऐसा आदी कर दिया कि वह नशे बिना नहीं रह सकते। जो पोस्त और अफीम से बचे हुए हैं उनको स्मैक से करते हैं। हरियाणा और पंजाब से लाकर वहां एक अड्डा बना हुआ है। मैं आपसे यही चाहूंगा कि.... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हम तो यह चाहते हैं कि मंत्रीजी आश्वासन दें कि आगे परमिट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : जो परमिट आगे जारी होने हैं....(व्यवधान) परमिट में नम्बर लिखे जाएंगे। पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से जो काम चल रहा है, तो मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर (गंगानगर) : जिला आबकारी अधिकारी से मिलकर उनको....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्षजी, जब मंत्रीजी यहां बैठे हैं तो फिर.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई लम्बी बात नहीं है। जो ट्रक जाए उस ट्रक की एंट्री होनी चाहिए हर हालत में।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य की जो पीड़ा आपने बताई मैंने उनको नोट कर लिया है, आज ही अधिकारियों को बुलाकर इसकी जांच करवा लेते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि एक परमिट देते हैं, एक परमिट में छह-छह वाहनों का आवागमन होता है, मैं इसकी एक-दो दिन में जांच कराकर जो भी उचित कार्यवाही, कठोर से कठोर कार्यवाही मेरी ओर से की जाएगी।

उपाध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

सिरोही से पाली जा रही पानी की पाइप लाइन में व्यवधान

मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : राजस्थान की लोकप्रिय सरकार बहुत उत्तम रीति से जनहित के काम कर रही है.....(व्यवधान)

वण कुमार : दण्डित किया जाए, किसी के साथ अन्याय नहीं कि जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मदन राठौड़ : मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य बहुत ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से जन सेवा को समर्पित हैं। राजस्थान सरकार ने दो बार बजट प्रस्तुत किया, उन दोनों बजट प्रस्तावों की जनता ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। हमारे उ विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो सदस्य हैं, उनके पास सदन में भी कहने के लिए कुछ नहीं है और जनता के बीच में जाने की भी उनकी हिम्मत नहीं है। उनसे जब अभी सत्ता छिन गई तो उनको बड़े झटके आ रहे हैं। वे श र्ट कट ढूंढ रहे हैं कि कितनी जल्दी इस सरकार को बदनाम किया जा सके और हमें सत्ता हासिल हो सके। इसके लिए वे कई गलत तरीके ढूंढ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की शांति को भं करने के षड्यंत्र में विपक्षी लोग शामिल हैं। अभी मैं सोजत का एक उदाहर देना चाहूंगा, भीलवाड़ा का उदाहरण सर्वविदित है। सोजत में जब कि ने कोई आपराधिक कृत्य किया तो सम्माननीय विपक्ष के नेता और विपक्ष के कई माननीय सदस्य वहां गये और उन लोगों से मिले जिन्होंने पथराव शुरू किया, जिन्होंने उपद्रव करने का प्रयास किया। उनको केवल भड़काया ही नहीं, यह भी कहा कि तब तक शांत मत होना जब तक हम आपको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिलावा दें। इस प्रकार का कृत्य इन्होंने किया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा। केवल यहीं नहीं.....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : आप विराजें। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा नाम लेकर जो बातें कह रहे हैं वे बिलकुल असत्य हैं। भड़काने का काम आप करते हो। भीलवाड़ा में, अकलेरा में, निम्बाहेड़ा में, सोजत में। हम लोगों ने कलक्टर को केवल यह कहा था कि आप पांच-पांच हजार का मुआवजा दे रहे हो, दो-दो लाख का नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उतना मुआवजा दीजिए। कहीं कोई आश्वासन देकर नहीं आये, न भड़काकर आये। वहां शांति की अपील करके आये। आप पूरे राजस्थान की शांति भंग कर रहे हो और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हो, यह बड़े अफसोस की बात है। और फिर पैरवी यहां यह करते हैं कि हम यह काम कर रहे हैं। पूरा राजस्थान देख रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम केवल मात्र भाजपा का है, और किसी का नहीं है। भाजपा का....(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : वहां से पथराव हुआ था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : माननीय सदस्य, जो बात मैंने कही है उसकी पूरी तसल्ली की है, पूरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री मदन राठौड़ : यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए, कल का जो घटनाक्रम हुआ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : कल हमारे विपक्ष के नेता....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतना इसको साधारण मत बनाइये, कोई स्पेसिफिक बात हो तो वह कहिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : और सौभाग्य से वह कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी बन गये। प्रदेशाध्यक्ष क्या बने, जैसे कोई उदाहरण है ना, + + + ऐसा इन्होंने वह कृत्य किया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह किस पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह किस पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : किस पर बोल रहे हैं यह ? क्या विषय पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : पर्ची पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको शांति-व्यवस्था.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पर्ची का विषय क्या है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री मदन राठौड़ : राजस्थान में षड़्यंत्र कर रहे हैं। षड़्यंत्र की बात मैं कहना चाहता हूं, मामला गम्भीर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पुराना मामला हो चुका है। शांति व्यवस्था के लिये....(व्यवधान) इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है आपको।

एक माननीय सदस्य : ये असत्य आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : जब हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य किस प्रकार से बोल रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय ? हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य नियमों को ताक में रखकर बोल सकते हैं....(व्यवधान) मैं तो नियमों के अन्तर्गत बोल रहा हूं और मेरी सरकार को सावधान करना चाहता हूं। मैं मेरी सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वह सावधान रहे (व्यवधान) इनके षड़्यंत्र के जो मंसूबे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मदन राठौड़ : इनके जो षड़्यंत्रकारी मंसूबे हैं उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इनके षड़्यंत्र को किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं होने देना है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रयासों से साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए सर्वदलीय समिति बनाने की जो प्रक्रिया चली है, एक बहुत अच्छी शुरूआत हुई है और गृह मंत्रीजी जानते हैं उसके माण्डल में परिणाम आये हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले नोट कर लीजिए मेरी बात को.

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इस तरह की बात इसलिये यहां नहीं उठायी जाए जिससे वह प्रक्रिया जो शांति की शुरू हुई है उसमें दखल पड़े और एक गलत परम्परा यहां पड़े. (व्यवधान) आप माननीय सदस्य से कहिये, यह गलत बात है कि फिर से वातावरण खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) मैं अपने आप देख रहा हूं। (व्यवधान) आप बीच में मत करिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री जुबेर खान : आप उनको सीमाओं में रखिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे पाली के बारे में बात बताना चाहूंगा.

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं। आप क्यों कह रहे हो ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ये क्या बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : बिलकुल शांति से सब कुछ चल रहा था तो एक महिला को इन्होंने तैयार किया सती करने के लिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिये एक बार। (व्यवधान) आप शांति व्यवस्था के हिसाब से कोई जनरल भाषण देना चाहते हैं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपको कोई स्पेसिफिक बात साधारण तौर पर कहनी हो तो कीजिए। पुरानी बातों के बारे में इतना विस्तार से कहने की क्या आवश्यकता है आपको ?

श्री मदन राठौड़ : मैं मेरी सरकार को सावधान कर रहा हूं, केवल सूचना दे रहा हूं कि इनके षड्यंत्रकारी मंसूबों से सावधान रहे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय के लिये, प्रतिपक्ष के नेता के लिये जो + + + शब्द प्रयोग किया है उसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस बात पर....(व्यवधान) देख लूंगा। लोढ़ा साहब, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आप विराजो, एक्सपंज। आप क्या-क्या बोल लेते हो, जरा अपने गिरहबान में झांककर तो देखो। आप क्या-क्या कर रहे हो, कितने नियमों में आप रह रहे हो, जरा इसका भी ख्याल रखो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये बार-बार शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। ये स्वयं प्रतिपक्ष के नेता के विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आप देखिये, प्रतिपक्ष के नेता कितने गम्भीर हैं। मैं यह बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य विधान सभा में केवल दो बार आये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान) कहना क्या चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछो, विषय क्या है इनका। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य विधान सभा में बिलकुल आते ही नहीं हैं, केवल दो बार आये। (व्यवधान) जिनको कभी इन्होंने मुख्य मंत्री...वे कभी आते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : क्या कोई तरीका है क्या ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा इनकी पर्ची का विषय बता दें कि पर्ची किस विषय के ऊपर है ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : सरदारपुरा क्षेत्र की एकदम अवहेलना हो रही है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपको पर्ची किस विषय के ऊपर दी गयी है ? (व्यवधान) पर्ची में लिखा जाता है कि मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, आप यह बता दें जरा सदन को। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : इनको पता ही नहीं, क्या बोल रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आसन को अपने आप रोकना चाहिए। (व्यवधान) कुछ कह ही नहीं रहे। इनका विषय है नहीं, मालूम है नहीं, क्या बोल रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोई माननीय सदस्य आते हैं कि नहीं आते हैं ? यह कोई भाषण का विषय नहीं है। यह पर्ची का वि .य है क्या ? अकल का अजीर्ण हो गया इनका। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ये बावले हो रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : आप बोल रहे थे, वही बात ये कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने आप आसन की तरफ से व्यवस्था कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इनके पास कोई पाइण्ट तो हो ना कम से कम बोलने का। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बन्दर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दिया। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस पर बोलना है, मर्जी आये सो खड़े हो गये। अब क्या बोल रहे हैं, समझाओ तो सही। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यह हम जानते हैं। मैं आपका पड़ौसी हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि उस्तरा किसके हाथ में है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि सुमेरपुर में जो नदी है उस नदी में से पानी व्यवस्थित रूप से चल रहा था। कुएं हैं उन कुओं पर पाइप लाइन लगी हुई थी, मोटर लगी हुई थी। लगातार हम पानी ले रहे हैं। 3 लाख लीटर पानी सुमेरपुर को सप्लाई हो रहा है उन कुओं से। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कल इन्होंने उपद्रव पैदा किया, वहां कुछ गुण्डों को भेजा और वह पाइप लाइन तोड़ दी, मोटर को पानी में डाल दिया। वहां से पाइप लाइन हटा दी। अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं। जब वहां से शांति से पेयजल व्यवस्था हो रही है....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी सरकार है, करो कुछ। (व्यवधान) फिर असत्य बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो आप...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अब मैंने कौनसी गलत बात कह दी है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : करो, करो कुछ। असत्य अफवाहें फैलाने के माहिर हो आप तो। फिर और असत्य बोल रहे हो आप। क्या कह रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अब मैं सही बात कह रहा हूं। कल की बात है, मैंने रात को गृह मंत्रीजी को फोन किया। (व्यवधान) अब गृह मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, आप वहां पर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री राईया मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह असत्य बात कह रहे हैं। माननीय सदस्य, आरोप लगा रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं आरोप सही लगा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप इसमें व्यक्तिगत तौर पर आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए। मैं आपका समय समाप्त करता हूं। मैं नैक्स्ट मुद्दा ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया उनको, कोई आरोप....(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मेरी एक बात सुन लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य का आपको स्पष्टीकरण दिलवाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सदस्य से कह दिया है कि आप आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए। (व्यवधान) कौन झगड़ रहा है, कौन नहीं झगड़ रहा है, इस विषय को इतना लम्बा मत खींचिए। (व्यवधान) आप अपना समाप्त कीजिए, मैं अगला...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उनको स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए, यह हमेशा परम्परा रही है। (व्यंवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैंने जो बात कही है, कल की बात कही है, कल रात को...(व्यवधान) कल रात को, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। मैं रोक रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए, बैठिए आप।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ एक्सप्लेनेशन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर...माननीय सदस्य, अभी नहीं, माननीय सदस्य, मैंने कह दिया....(व्यवधान) कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पर आरोप लगाया है, या तो आप एक्सपंज करें, नहीं तो इन्हें अपना स्पष्टीकरण का मौका दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आरोप लगाया नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने यह कहा है कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के आदमियों न उन पाइपों को तोड़ डाला। अब या तो आप इनको एक्सपंज करो। (व्यवधान) गुण्डों से....यह कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बुलवा दो, बुलवाना चाहते हो तो, नहीं तोड़ा, खतम हुई बात। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : गुण्डों को भेजकर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसका अभी कोई निर्णय होना नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : पाइप लाइन तोड़ी है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो इसको एक्सपंज करें और एक्सपंज नहीं करें तो इनको स्पष्टीकरण का मौका दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें स्पष्टीकरण क्या ? आप तो कह दो, मैंने नहीं किया है। अब इसकी कोई जांच थोड़े ही होगी ? आपने कह दिया, मेरे ऊपर आरोप लगाये...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइण्ट आफ एक्सप्लेनेशन, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : पाइप लाइन तोड़ी है। (व्यवधान) मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री राईया मीणा : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि शांति एकदम से कोई बिगड़ रही हो। आपका कोई अर्जेण्ट मामला नहीं है, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। इन्होंने ऐसा किया है, फालतू बात है। सुधार देंगे सुधारने वाले, आप इतनी क्यों चिन्ता कर रहे हो ?

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

डा. जालमसिंह रावलोत : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मैं रिकार्ड देख रहा हूं, क्या है इसमें।

श्री संयम लोढ़ा : सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाये हैं कि मैंने गुण्डे भेजकर पाइप लाइन तोड़ दी और शिवगंज से पानी जोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं थे वहां पर ? कह दो, नहीं थे, बस खतम हुई बात।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं बात कह रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसको कार्यवाही से हटवा दीजिए। इसको कार्यवाही से हटवा दो।

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है इनके खिलाफ, उसको कार्यवाही से हटवा दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आपने उन पर आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : यह किस विषय से आ रहे हैं ? किस नियम से आ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : फिर नाम काहे के लिए लेते हो, ऐसी बात है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपके बस की बात नहीं है, कालूलालजी, यह.... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी ऐसा होता रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : यदि आपके लिए कहें कि कालूलालजी माननीय मंत्रीजी ने अपने यहां से गुण्डे भेजे तो आप पर आरोप नहीं होगा ?

श्री जोगाराम पटेल : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या बोला, जरा उधर भी देखो आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री जोगाराम पटेल : आसन खड़ा है और फिर भी यह खड़े हैं, यह कितने नियम की पालना कर रहे हैं ? (व्यवधान) आप जरा इनकी ओर भी देखा करो।

श्री संयम लोढ़ा : आप अच्छे वकील हो, मालूम है मेरे को।

श्री जोगाराम पटेल : नियमों और प्रक्रियाओं से आने वाले पहले नियमों की पालना करें, फिर बोलिये दूसरों को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन की इजाजत से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (गृह राज्य मंत्री) : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या मालूम है, आप क्या कह रहे हो, वकील हो ? वकील हैं तो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बहुत अच्छे वकील हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : वह मैंने मान लिया आपको और आप हंस रहे हो, पाइप लाइन टूट रही है। आपको शर्म आनी चाहिए, हंस रहे हो आप। (व्यवधान) लोग प्यासे मर रहे हैं और यह बात कह रहे हैं, उस पर आपको हंसी आ रही है। यह विधान सभा चल रही है उस समय यह क्या होगा तब.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप विराजिये। आसन ने मुझे अलाउ किया है।

श्री जुबेर खान : आप तो गृह मंत्री हैं, आपके गृह मंत्री होते हुए पाइप लाइन टूट गयी, आपको खुद को ही शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कह रहे हैं कि पाइप लाइन टूट गयी।

श्री उपाध्यक्ष : पाइप लाइन टूटी है। किसी को अगर....(व्यवधान) आप मान लीजिए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : आसन पैरों पर है फिर भी यह खड़े हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे ध्यान में माननीय सदस्य ने यह पाइप लाइन टूटने के बारे में....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : गृह मंत्रीजी, मुझे आसन ने अलाउ किया है एक्सप्लेनेशन के लिए। I am on a point of personal explanation, hon'ble minister. (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं तो केवल अपनी बात कहता हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको सुन लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : आपको अलाउ नहीं किया है, मुझे अलाउ किया है। आप पहले मुझे एक्सप्लेनेशन देने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्री गुलाबन्द कटारिया : यह फैसला आसन को करना है, आपको नहीं करना है, श्रीमान। यह फैसला आसन को करना है, यह फैसला मुझे भी नहीं करना है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप इनको स्पष्टीकरण देने दीजिए। आसन ने अलाउ कर दिया इनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह फैसला कर दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह फैसला मेरे को नहीं करना है, आपको नहीं करना है, आसन को करना है।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे अलाउ किया है, गृह मंत्रीजी बीच में कैसे खड़े हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये पहले। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, यह कानून व्यवस्था की बात थी, गृह मंत्रीजी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो पहले मैं इनको मौका दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : आपने मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए अलाउ किया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपको मौका दे दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे ध्यान में यह बात लायी गयी कि जो सुमेरपुर को पानी जाता है उस पाइप लाइन को तोड़ा गया है और उसके कारण से अशांति वहां पर हो रही है। मैंने उसी समय वहां के कलक्टर और आई.जी., जोधपुर दोनों से बात की और मैंने उनको कहा कि आप तुरन्त मौके पर जाइये और जाकर जो पानी की पूर्व व्यवस्था थी उसको रेस्टोर करिये। तो मैं सोचता हूं कि विवाद का सवाल नहीं था। जैसे ही आपने जानकारी दी, वैसे ही मैंने तुरन्त कार्यवाही करने के लिए जो भी सम्बन्धित अधिकारी था, उससे बात करके मैंने बताया है। अब उस विषय में आपस में क्या बात हो रही है, मैं नहीं जानता हूं। वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए और जिसने भी अगर गलत किया है और तोड़ने का काम किया है तो कानून के तहत जो अपराधी होगा उसे दण्डित करूंगा, इतनी-सी बात है। खतम हुई बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बात खतम हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : I am on a point of explanation.

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ करूंगा, बोलिये।

स्पष्टीकरण

संयम लोढ़ा श्री, माननीय सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाये, आपकी जानकारी में है कि कल मैं पूरे दिन सदन में था और रात को भी मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष के धरने पर बैठे होने की वजह से उस सब कुछ में, पार्टी की ओर से हम भी वहां कार्य कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि शिवगंज शहर पानी की भीषण समस्या का सामना कर रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो बहस चालू कर दी।

श्री संयम लोढ़ा : सुनने की भी पैशेंस रखो। आप जब आरोप लगाते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो। आपका बहुमत है इसका मतलब बहुमत के घमण्ड में इतना चूर मत हो जाओ कि किसी को अपनी बात ही नहीं कहने दो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्पमत में होने का यह मतलब नहीं है कि नियम, कानून, कायदे की परवाह नहीं करें और अपनी बात कहने के लिए खड़े हो जाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सही है कि हम अल्प मत में हैं पर.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, आसन ने मुझे इजाजत दी है। आप थोड़ा बैठा करो हाउस में ताकि आपको जानकारी रहे। बाहर जाते हो और आते हो,

(श्री संयम लोढ़ा)

पता तो रहता नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको ही पता है क्या सब कुछ ? मंत्री को पता नहीं तो आपको ही पता है क्या ? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : मंत्रीजी को पूरी जानकारी है, आपसे ज्यादा जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो आरोप लगा दो मुख्य मंत्री पर और यह....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्री पर आरोप लगाता हूं तो सही लगाता हूं और आरोप लगाने का अधिकार है मुझे। (व्यवधान) मुख्य मंत्री पर आरोप लगाता हूं और लगाऊंगा। आपकी मेहरबानी से नहीं आया इस हाउस के अन्दर मैं। (व्यवधान) आपके मुख्य मंत्री की मेहरबानी से नहीं आया हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम आपकी मेहरबानी से नहीं आये हैं यहां पर। जो माननीय सदस्य ने कहा है ठीक कहा है आपके बारे में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं नहीं कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे दो मिनट की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं, आप काहे के लिए खड़े होते हैं बीच में ? (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइप लाइन वगैरह में व्यवधान पैदा किया है और उन्होंने बाद में

(श्री उपाध्यक्ष)

यह भी कह दिया कि आपने जब कहा कि मैं वहां पर नहीं था तो कह रहे हैं कि आप नहीं होंगे। तो सुनी-सुनायी बात के ऊपर कहा, आप कह दो कि मैं वहां पर नहीं था, मेरा हाथ नहीं था, खतम हुई बात। इसके अन्दर अब भूमिका बांधने की क्या आवश्यकता है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जिस रेफरैंस में बात आयी है, मुझे कहनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री राईया मीणा : उनको सुनो तो सही आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझ पर गुण्डा रखने का आरोप लगाया है। (व्यवधान) उन्होंने मुझे गुण्डा....(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : जिन्दगी में हमेशा + + + बोला है आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई गुण्डागर्दी की ऐसी कोई बात होगी तो हम देखकर उसको हटा देंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट आप दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मैं नहीं था और यहां पर था, खतम हुई बात।

श्री संयम लोढ़ा : आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कह दिया।

श्री संयम लोढ़ा : आप घटना को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : आपको यह सदन में जो जानकारी दी है, सिरोही विधान सभा क्षेत्र का नाम लिया है तो मुझे तथ्य रखने की इजाजत देनी पड़ेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको। I am on a point of explanation. I am within the rules. I have a right to speak.

श्री धर्मपाल चौधरी : दादागिरी है क्या, देनी पड़ेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने आंखों नहीं देखा तो आप कहिये कि....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किस बात को दो मिनट में रखेंगे, क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बात ही खतम हो गयी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस पाइप लाइन का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है वह....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जैसा है, वैसा ही बताया है इन्होंने। जैसे हो वैसा ही बताया है, आप काहे की सफाई दे रहे हो यहां पर ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद में इस तरह से टोकाटाकी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कर रहे हैं, यह व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री दात राम गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की परम्परा नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपने माननीय सदस्य को मौका दिया, अपना स्पष्टीकरण के लिए कह दिया तो यह...(व्यवधान)...संख्या के बल पर बोलने नहीं दे रहे, यह उचित नहीं है।

श्री दाताराम गुर्जर : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं कहूंगा अपनी बात। मैं तो बोलूंगा। आपको डिमांड पास करनी है तो वह करवा लो। मैं तो जो बात कहनी है वह कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : कैसे बोलेंगे ?

श्री जोगाराम पटेल : यह दादागिरी नहीं चलेगी। सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : लाट साहब नहीं हो आप।

श्री संयम लोढ़ा : यह आपकी भी दादागिरी नहीं चलेगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी।

श्री संयम लोढ़ा : हां, तो हम भी यही कह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल : यह कह रहे है दादागीरी से करेंगे तो कैसे होगा ?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को अलाउ कर दिया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को अलाउ करने के बाद सत्ता पक्ष के दस-दस माननीय सदस्य खड़े हों, यह तो कोई परम्परा और नियम नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किस बात के लिए अलाउ कर दिया ?

श्री अमराराम (धोद) : वह मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव : सदन की कोई गरिमा नहीं है, आसन का कोई ख्याल नहीं करते हुए + + + हर वक्त खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिना चेयर की स्वीकृति के क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान) तो करने दो खण्डन आप। बीच में काहे के लिए, खण्डन करने दो इनको। माननीय सदस्य, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने यह बात नहीं कही है कि मैंने आंखों से देखा है, वहां पर यह तोड़ रहे थे, उन्होंने सुनी सुनाई बात कही है। आपने इसके बारे में कह दिया है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : बात कर रहे हैं कि आरोप लगाये हैं, क्या सबूत है इनके पास अब बोलने का कि....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि कोई भी माननीय सदस्य तथ्यों के आधार पर यहां बोलेगा। सुनी-सुनाई बात इस सदन में नहीं कही जा सकती है।

श्री मदन राठौड़ : सुनी-सुनाई नहीं। मैंने जो कहा इन्होंने भेजकर, आप रिकार्ड में देख लें, मैंने यह नहीं कहा कि यह गये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा : यह गये, शब्द की वजह से....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : इन्होंने भेजकर यह कहा है।

श्री देवीशंकर भूतड़ा : (व्यवधान) षड्यन्त्र की जानकारी दी है कि कांग्रेस के लोग किस तरीके से षड्यन्त्र रचकर शांति भंग करते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी षड्यन्त्र के भी आरोप लगाये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से, कि जो आपकी पार्टी के लोगों ने बात कही, आपकी सरकार है, आप खुले दिल से जांच करवाओ और आपको कुछ मिले तो उस पर कार्यवाही कर लेना। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका हाथ नहीं था उसमें, बात खतम हुई। फिर क्या चाहते हो उसमें ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बोलने तो दो। अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे क्या ? यह क्या बात हुई ? ये बार-बार आरोप लगा रहे हैं और उनको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते। इनको स्पष्टीकरण देने दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं बोल रहा हूं, आप बीच में टोक रहे हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : काहे का स्पष्टीकरण देंगे ? स्पष्टीकरण दे तो दिया और क्या देंगे ? उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं नहीं था, अब और क्या स्पष्टीकरण देंगे ? काहे का स्पष्टीकरण देंगे और ? भाषण देंगे यहां पर ? कह दिया उन्होंने, बात खतम हो गयी। (व्यवधान) आपके कहने से क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, 26 जून, 2003 को जवाई बांध से शिवगंज की पेयजल योजना स्वीकृत हुई। माननीय सी.पी. जोशी साहब जलदाय मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया और आज दो साल हो गये, उसके टेण्डर तक इस सरकार ने नहीं किये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काहे के लिये बोल रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : दो साल हो गये उसके टेण्डर तक इन्होंने नहीं किये। शिवगंज की जनता पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद और कांग्रेस के 9 पार्षद....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक एम.एल.ए. रहे आपके राज में.... (व्यवधान) पांच साल में क्या किया शिवगंज की जनता के साथ में ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए पाइप लाइन तोड़ेंगे ?.....(व्यवधान) इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इन्होंने पाइप लाइन तोड़ी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : बिना टेण्डर के शिलान्यास कैसे हो गये ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक कहां थे (व्यवधान) पांच साल तक कहां पर थे ? जब आपका राज था ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : टैंकरों से पिला देंगे आपको, पाइप लाइन तोड़ने की जरूरी नहीं है।....(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, बिना टेण्डर के शिलान्यास कैसे कर दिया ? सारे काम फर्जी, सारे शिलान्यास के....(व्यवधान) बिना टेण्डर के शिलान्यास करना जनता के साथ बहुत बडा धोखा है। पांच साल जनता को धोखा दिया है कोई टेण्डर नहीं, कोई स्वीकृति नहीं, सिर्फ धोखा किया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कल शिवगंज गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बात सुन लीजिये, सिर्फ एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये पहले। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक नट सुन लीजि आप।.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख पहले इसका जवाब दो। बिना टेण्डर के शिलान्यास कैसे हो गया, पहले का जवाब दो।.......;(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ात हुई है शिवगंज के लिये, वह योजना नहीं है। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिय : जब चाहे जब दादागिरी करते हो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : बिना टेण्डर शिलान्यास कैसे करवा दिया ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, वह योजना ही गलत हैं बिलकुल। पहाड़ी पर कभी पानी पहुंचा है ? यह योजना गलत है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप इनकों बिठाओ, मैं बताता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : एक मिंनट, मंत्रीजी, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात वाइंड-अप कर रहा हूं मैं। (व्यवधान) जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कल शिवगंज गये थे, उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, भाजपा के 11 पार्षद, कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षद, 20 पार्षदों ने मिलकर अधीक्षण अभियन्ता की मौजूदगी में जनता के साथ मिलकर एक राय से, कांग्रेस और भाजपा के सारे लोगों ने, शिवगंज क्षेत्र में खुदे हुए उन कुओं से पाइप लाइन को जोड़ा तो क्या गलत करवा दिया, क्या अन्याय करवा दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : उस बात को कौन कहता है, छोड़ो न। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पार्टी की चेयरमैन काबिल है, आपकी पार्टी के 11 पार्षद काबिल हैं और पूरे शिवगंज शहर की जनता शामिल है उसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया ? काम करेगा जलदाय विभाग करेगा। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक रो रहे थे क्या वहां पर ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : फिर यह करने वाले कौन होते हैं ? (व्यवधान) इन्होंने कैसे कर दिया ?... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस षड्यन्त्र के पीछे कौन सा चेहरा सामने आ गया ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अधीक्षण अभियन्ता की मौजूदगी में हुआ। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक क्या किया था आपने वहां पर ? पांच साल तक राज में रहे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह स्वयं ने स्वीकार किया है।...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अब तो बैठ जाओ, भाई।...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आपने कानून हाथ में कैसे लिया ?...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : वह स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने कानून तोड़ा (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनता को पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिये। पानी उपलब्ध कराने की सरकार की जिम्मदारी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपके अधीक्षण अभियन्ता ने कल करवाया, फिर आप क्या जवाब दे रहे हो ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप सुन लो।..(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्षजी ने अलाउ किया है, क्या बोल रहे हो ?

श्री सांवर लाल (जलदाय मंत्री) : आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को पीने का पानी उपलब्ध हम करवाएंगे चाहे किसी भी साधन सें करवाएं। अभी जो यह स्कीम्स की बात हो रही है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सी.पी. जोशीजी भी मंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, यह भी मंत्री थे, उस राज के अन्दर पांच साल में जितने शिलान्यास हुए, कुछ भी किया, कोई भी फण्डिंग की व्यवस्था नहीं की। बिना टेण्डर, बिना फण्डिंग की व्यवस्था के, यह बीसलपुर ले लीजिये ....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप पहले अपना कागज देखो। भारत सरकार से एप्रूवल है उसकी और पैसा भारत सरकार दे रही है, आपका कुछ नहीं है उसमें। (व्यवधान) अगर आपके अन्दर दम है तो लाओ कागज। बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आता कुछ है नहीं।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सच क्या होता है, अब सुनो आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पांच साल में कुछ किया नहीं, उस हकीकत को सुनने से भी तकलीफ हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि उनके राज में आने के बाद कम से कम....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, अगर आप में दम है तो चर्चा रखो जवाई मानसी योजना पर। भट्टा बैठा दिया आपने पूरे राजस्थान का। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : दम है तो आपसे क्या चर्चा करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आज भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चाहे राजस्थान का....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 18-18 महीने हो गये, सारी सैंक्शन योजना को रोककर बैठे हैं।....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : काहे की सैंक्शन ? ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पैसा केन्द्र सरकार का है, आपका नहीं है।... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आशा मैं करते हैं, आप कर रहे हो वैसे तो... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको कुछ भी पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मुझे सब पता है.....(व्यवधान)

श्री नरसिंह राठौड़ : कुछ भी पता नहीं है इनको। जिन्दगी भर तो आप + + + बोलते रहे। + + + भ्रष्टाचारी हो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : + + + भ्रष्टाचारी हो।...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : एक नम्बर के + + + हो आप।....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : क्या बात कर रहे हो आप ?...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : क्या बात करते हो आप ?...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह बात कह रहा हूं, आपने तो बिना टेण्डर के सबमर्सिबल पम्प का ठेका दिया। आप क्या बात कर रहे हो ? घोटाला किया आपने (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हां, तो दिया। मुख्य मंत्रीजी के आभारी हैं कि ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : आप तो दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो।

श्री सांवर लाल : उनके लिये व्यवस्था की है। टेण्डर प्रोसेस में योजनाओं को लागू करके रहेंगे।...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अब इनको बिठाइये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकृति का मतलब यह क्या समझते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पांच साल तक राज करने वाली उस सरकार ने एक भी योजना के लिये फण्डिंग की व्यवस्था नहीं की। कोई टेण्डर नहीं हुए, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, उसके बाद जगह-जगह पत्थर लगा दिये। राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाया और यहां खड़े होकर शेखियां बघार रहे हैं। कौनसी योजना की स्वीकृति दी ?...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप बताओ ना, जिस योजना का मैंने जिक्र किया है..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बैठ जाइये आप। पांच साल धोखा दिया जनता को।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो...(व्यवधान) हाउस ऐसे चलेगा क्या ? ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किस बात पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) नहीं, आपके द्वारा चलेगा क्या ? आप मन में आये जब खड़े हो जाते हो, किस बात पर बोल रहे हो ? ....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हाउस मत चलाइये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : किस बात पर बोल रहे हो ? किस तरह बोल रहे हो ? (व्यवधान) काहे पर बोल रहे हो ? बिना मतलब ही बोलेंगे। (व्यवधान) बिना परमिशन के बोलने के लिये जब आये जब यह खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपके मन में आए जो बोल लो, हम जवाब नहीं देंगे क्या ?....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सी.पी. जोशीजी, मन में आए जो नहीं बोला, आपके माननीय सदस्य ने बात छेड़ी है। वस्तुस्थिति से मैंने सदन को अवगत कराया। आप मंत्री थे, आप बता दीजिये, पत्थर लगाने के अलावा और प्रशासनिक स्वीकृति करने के अलावा कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उसकी वितीय और तकनीकी स्वीकृति हुई थी।

श्री सांवर लाल : जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप निकालो कागज, बताओ कागज हो तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कानून को हाथ में लेने का अधिकार है क्या किसी को ?

श्री संयम लोढ़ा : एफ.एस., टी.एस. दोनों हुई थीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कानून को हाथ में लेने का अधिकार है क्या किसी को ?

श्री संयम लोढ़ा : एफ.एस. और टी.एस. दोनों हुई थीं 26 जून, 2003 को। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बिना पैसे के एफ.एस. होती है क्या ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पैसा भारत सरकार का है, आपका नहीं। आप तो फालतू रोककर बैठोगे उसको।...(व्यवधान) पैसा गवर्नमेंट आफ इण्डिया से लाये थे हम। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आखिरी साल में पत्थर लगवा दिया, सैंक्शन करवा दी और बातें कर रहे हो। हमदर्दी दिखा रहे हो वहां की जनता के प्रति।

श्री संयम लोढ़ा : हमदर्दी नहीं, आप अन्याय कर रहे हो। राज लेकर बैठे हो, जनता के काम करो, नहीं तो जनता भेज देगी वापस घर पर। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके भरोसे हैं क्या ?...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बहुमत का घमण्ड मत करो आप। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, बन्द कराओ, क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी दादी के भरोसे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देखते रहो, काम चल रहा है।....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप अगर + + + नहीं होते तो विधायक यहां खड़े नहीं होते। आपकी + + + से खड़े हो रहे हैं आपके विधायक। आपकी + + + से। + + + (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके तो सारे के सारे + + + हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अगर आप + + + नहीं होते, तो आपके एम.एल.ए. यहां खड़े होते नहीं। आप + + + (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप सदन में व्यवस्था करिये। माननीय सदस्यों को बैठाइये। यह गलत तरीका है। इस तरह से सदन की कार्यवाही कब तक चलेगी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : त्राहि-त्राहि कर रही है वहां की जनता। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इस सदन का सबसे + + + संयम लोढ़ा हैं। इसको परमानेंट तौर से निलम्बित किया जाए। सबसे ज्यादा + + + बातें करने वाले यह संयम लोढ़ा हैं जिन्होंने सभी गरिमाओं को तोड़ दिया। इसको प्रमाणित तौर से निलम्बित किया गया हैं। सबसे ज्यादा + + + यह संयम लोढ़ा है।

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (भारी व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सभी गरिमाओं को तोड़ दिया। सबसे ज्यादा + + + संयम लोढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में मीटिंग बुलाइये पहले, ऐसे हाउस चलाओगे क्या आप ? ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य .... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : लुटेरे हो, राजस्थान की जनता को लूट लिया। पांच साल में आपने क्या किया, राजस्थान की जनता को लूटा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में बिना स्वीकृति लिये बिना क्यों बोलने लग जाते हैं ? ...(व्यवधान) नहीं, माननीय सदस्य, इस पर चर्चा समाप्त है और मैं आगे की कार्यवाही शुरू कर रहा हूं। (व्यवधान)....

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस योजना का जिक्र किया है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति, उसकी वित्तीय स्वीकृति....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आपका तो पूरा + + + ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : + + + ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस पर चर्चा समाप्त कर दी है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड को ठीक करिये। हाउस नहीं चलेगा, रिकार्ड ठीक करिये।

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी, पर्ची के ऊपर भी...(व्यवधान)....

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड को ठीक करना जरूरी है। मंत्रीजी ने यह कहा है कि पिछली सरकार ने पांच साल में पी.एच.ई.डी. में कोई वितीय प्रावधान नहीं किया और शिलान्यास कर दिया। यह रिकार्ड पर कहा। यदि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, आप पूरी सुनिये। आप विराजिये, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, ऐसा क्या है ? क्या आरोप है ऐसा ?

डा. सी.पी. जोशी : क्या आरोप है ? इतना गम्भीर आरोप है, आप क्या आरोप है ?...(व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय बन्द करिये हाउस को, कोई जरूरी है क्या हाउस चलाना ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

पंचायती राज विभाग

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर (पंचायतीराज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य में उल्लिखित निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री कालूलाल गुर्जर)

1. अधिसूचना संख्या-एफ. 4() पीआरडी/ला/अमेंड/04/1690 दिनांक 1-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या-एफ. 165()लेखा/ वि.अ./मेन्टिनेन्सएकाउण्ट/ 2003-04/2202 दिनांक 2-8-2004 जिसके द्वारा विकास अधिकारी की, पंचायत समिति के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भत्ते भुगतान करने सम्बन्धी कतिपय शक्तियों को, जिला परिषद में पदस्थापित परियोजना अधिकारी (लेखा) को प्रत्यायोजित किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(11)पंरावि/विधि/रा.अ./प्रत्या./ अधि./04/3382 दिनांक 11-11-2004 जिसके द्वारा एक लाख रुपये से अधिक की विक्रय की पुष्टि की शक्तियां सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को 27-11-2004 से 31-12-2004 तक प्रदान की गयी हैं।

4. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(11)पंरावि/विधि/रा.अ./प्रत्या./ अधि./04/3383 दिनांक 11-11-2004 जिसके द्वारा कोई भी अन्य निःशुल्क या रियायती कीमत पर आबंटन की शक्तियां सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को 27-11-2004 से 31-12-2004 तक प्रदान की गयी हैं।

5. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(11)पंरावि/विधि/रा.अ./प्रत्या./ अधि./04/3600 दिनांक 3-12-2004 जिसके द्वारा निःशुल्क भू-आबंटन की शक्तियां सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को 27 -11-2004 से 31-12-2004 तक प्रदान की गयी हैं।

6. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(11)पीआरडी/लीगल/आरसी/डीले/ एक्ट/2004/3601 दिनांक 3-12-2004 जिसके द्वारा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(10)पंरावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनोक 13-12-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ. 139 (19आरडीपी/एल एण्ड जे/95/3273 दिनांक 3-12-1996 के द्वारा जिला कलक्टरों को प्रदत्त किये गये अधिकारियों को उसी तिथि से पुनर्स्थापित किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(15)पंरावि/विधि/2005/784 दिनांक 7-3-2005 जिसके द्वार अधिसूचना संख्या-एफ. 4 () ग्राविप/विधि/जनरल/99/157 दिनांक 22-1-2002 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या-एफ. 15()पंरावि/विधि/चार्ज/2005/826 दिनांक 10-3-2005 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(1)पंरावि/विधि/रा.अ./प्रत्या./अधि./2004/947 दिनांक 23-3-2005 जिसके द्वारा एक लाख रुपये से अधिक की विक्रय की पुष्टि की शक्तियां सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को 24-2-2005 से 23-3-2005 तक प्रदान की गयी हैं।

11. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(11)पंरावि/विधि/रा.अ./प्रत्या./अधि./2004/948 दिनांक 23-3-2005 जिसके द्वारा कोई भी अन्य निःशुल्क या रियायती कीमत पर आबंटन की शक्तियां सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को 24-2-2005 से 23-3-2005 तक प्रदान की गयी हैं।

12. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(11)पंरावि/विधि/रा.अ./प्रत्या./अधि/2004/949 दिनांक 23-3-2005 जिसके द्वारा निःशुल्क

(श्री कालूलाल गुर्जर)

भू-आबंटन की शक्तियां सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को 24-2-2005 से 23-3-2005 तक प्रदान की गयी हैं।

13. अधिसूचना संख्या-एफ. 4(11)पीआरडी/लीगल/आरसी/डीले/एक्ट/2004/950 दिनांक 23-3-2005 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में संशोधन किया गया हैं।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका थोडी है, आप मन में आए जो बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, यह आरोप-प्रत्यारोप, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हो यह सरकार कुछ नहीं कर रही हैं, ये तो बाते हैं, इसमें ऐसी कौनसी बात है ? ...(व्यवधान) क्या आरोप लग गया इसमें ?

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, मंत्री बोले हैं। माननीय सदस्य बोलें, पर मंत्री जिम्मेदार आदमी हैं। सदस्य बोलें, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं हैं, पर मंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मंत्री के पास सारी सूचनाएं हैं, मंत्री गैर-जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : यह पूरी तरह गैर-जिम्मदार हैं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री, कोई भी विभाग अगर पैसा खर्च करता है वह अपने घर से नहीं करता, राजस्थान की जनता का पैसा खर्च करता है। उस सरकार ने या इस सरकार ने पैसा खर्च किया, नहीं किया, कोई भी मंत्री मण्डल हैं वह राजस्थान की जनता का पैसा खर्च करते हैं। कोई भी मंत्री ऐसा अपने आप मे नहीं समझ ले कि जो पैसा खर्च कर रहा है वह अपने घर से खर्च कर रहा है। यह जनता का खर्च है, वह घर से नहीं लाये हो। ना पहले वाली सरकार लायी और ना आप लाये हो, राजस्थान की जनता का पैसा है। यह जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे नहीं आये, आप तो घर में खेत बेच कर लाये हो क्या ?

श्री सांवर लाल : विराज जाओ न आप। राज तो कइयों ने किया है, जो जनता के लिए करता है जनता उसी को यहां भेजती है।

श्री अमराराम (धोद) : यह राजस्थान की जनता का है और इसको लोन लेकर 52 से 60 हजार करोड़ कर दिया आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन करना चाह रहा हूं। यह सब को पता है कि यह खजाना राजस्थान की जनता का है, राजस्थान की जनता के लिए हम करते हैं, पर करने वाले ही कर सकते हैं। कर्जा माफ हमने किया, असल माफ हमने किया। 1950, 52 से लेकर राज कर रहे हैं, इनको पूछ लो आप, एक रुपया किसान का माफ किया हो तो। बताओ न आप, यह खजाना भी तो जनता का था, आप किस बात की बात कर रहे हो ?

श्री अमराराम (धोद) : यह 60 हजार करोड़ का कर्जा भी आप ही ने किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पक्ष और विपक्ष की अपनी-अपनी बातें हाउस में होती रहती हैं।

श्री सांवर लाल : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि काफी योजनाएं ऐसी थीं जिनकी स्वीकृतियां आपने कीं, शिलान्यास किये, इसके बाद में कोई फंडिंग की व्यवस्था नहीं हुई। यह सच है और अगर आप कहेंगे तो मैं सूचना उपलब्ध करवा दूंगा। इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा होता है।....(व्यवधान)....

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मंत्रीजी, विराजो।

श्री सांवर लाल : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, इनकी योजना आपने सैंक्शन की होगी पर उसकी कोई आगे कार्यवाही नहीं हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बीसलपुर से जयपुर की जो पाइप लाइन है उसका शिलान्यास किया कि नहीं किया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, अभी बताता हूं।...(व्यवधान)....

श्री सांवर लाल : मैं आपको भरोसा दिलाता हूं....(व्यवधान)....एक मिनट, मैं बोल रहा हूं तो बैठ जाओ न।

राजस्थान में पीने के लिए जहां भी नयी योजना बनाने की आवश्यकता होगी, वह भी हमने स्वीकृत की है, बना रहे हैं, उसकी फंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं. पुरानी योजनाएं जो आपके टाइम में स्वीकृत हुई हैं, कइयों की फंडिंग की व्यवस्था हमने की है। जो बीच में हुई है उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, हम इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, उसको पूरा करेंगे, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय मंत्रीजी ने यह कह दिया कि पांच साल में कोई योजना हमने पी.एच.ई.डी. की... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये। आप बीच में क्यों बोलते हो ?... (व्यवधान)....

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, जरा सुन लीजिए न, हम आपकी बात सुनते हैं आप मुंह पर ताला लगाना चाहते हो क्या ? यह क्या बात हुई ?

श्री संयम लोढ़ा : ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री को नहीं बोलने देना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उनको कहने दीजिए. सत्ता पक्ष ने अपनी बात कह दी, इनको अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान) सही कहें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एशियाई विकास बैंक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा इन सब स्थानों के ऊपर जो योजनाएं मंजूर हुई, क्या उनके केवल शिलान्यास हुए या उनके काम भी हो गये ? बीसलपुर के लिए ए.डी.बी. में प्रावधान किया हुआ था, प्रावधान के बाद प्रोसेस में समय लगता है। ए.डी.बी. में प्रावधान किया हुआ था तभी उसका शिलान्यास हुआ। इसलिए यह बात कहना है कि आपने यह कर दिया, आपके वक्त के शिलान्यास, बी.जे.पी. के राज में मैं अभी भी बता दूं जो शिलान्यास के भाटे लगे हुए हैं और कोई काम नहीं हुआ। ये बातें करना उचित नहीं है। जब आप आरोप लगाते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन देने का भी हक है हम लोगों को।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और पूर्व जलदाय मंत्रीजी अपनी बात कह रहे थे, उनको सुनने का माद्दा भी रखो आप। लोकतंत्र के मुंह पर ताला मत लगाओ। इसलिए मैंने कहा था कि आपकी सरकार की दो लाईनों में परिभाषा है कि "लोकतंत्र के मुंह पर ताला और कहीं दलाली कहीं घोटाला"। आप घोटाला करते रहोगे, दलालियां करते रहोगे और हमको बोलने भी नहीं दोगे तो यह आप मुंह पर ताला नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपनी जलदाय विभाग की योजनाओं को पूरा किया।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपकी रही है घोटालों की सरकार तो। दिल्ली में घोटाले हों, कांग्रेस के राज में जितने घोटाले हुए, कभी हुए नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।...(व्यवधान)....

डा. ओ.पी. महेन्द्रा : पांच साल तक आपके मंत्री घोटालों में लिप्त रहे हैं। यह पमाणित हो गया है कि आपके मंत्री घोटालों में लिप्त रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...(व्यवधान)....

श्री धर्मपाल चौधरी : आप पर तो खुद पर आरोप लगे हुए हैं घोटालों के।

श्री ज्ञानचन्द्र पारख : लोकतंत्र के नाम पर झूठ बोलें सदन में, यह भी ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....(व्यवधान)....

श्री संयम लोढ़ा : आप तो सत्यवादी हरीशचन्द्र हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, मैं चुनौती देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के वक्त में किसी भी माननीय सदस्य ने या किसी भी व्यक्ति ने घोटाला किया है, आज आप सरकार में हो, आप जांच क्यों नहीं कराते ? आप क्या बात करते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।....(व्यवधान)...

डा. ओ.पी. महेन्द्रा : तीन-तीन मंत्री रिश्वत लेते हुए सरेआम पकड़े गये, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह सर्वविदित है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : तकीउद्दीन, गुलाब सिंह शक्तावत, छोगाराम बाकोलिया, भूल गये क्या ?...(व्यवधान)....

डा. बुलाकीदास कल्ला : विराजो, विराजो। आपकी सरकार है, आप सरकार में हो....(व्यवधान).... आप जांच करवाइये। इस पर कार्यवाही करिये, कौन डरता है इससे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो।...(व्यवधान)....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : भूल गये क्या ? याद करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन केवल मात्र आप बातें करते हो।.... (व्यवधान)....

श्री संयम लोढ़ा : हमारे तो पकड़े गये कि नहीं पकड़े गये.... (व्यवधान)...

श्री रघुवीरसिंह मीणा : हमारे नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया, मुख्यमंत्रीजी बोलेंगी.... (व्यवधान).... फर्जी आरोप बक रहे हैं, जो भी मन में आये बक रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रिश्वत लेते हुए सी.डी. में नहीं है ? रिश्वत लेते, शर्म करो। ....(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : हमारे तो मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़े गये कि नहीं पकड़े गये, पर आपके मंत्रिमण्डल में रिश्वत लेने वाला मंत्री बैठा है जिसने इस सदन में कहा है कि मैंने 15 हजार रुपये कांग्रेस के मंत्री को रिश्वत दिये और अपना ट्रांसफर करवाया। + + +

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

(अध्यक्षपीठ द्वारा हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री नन्दलाल बंशीवाल : x x x

डा. ओ.पी. महेन्द्रा : x x x

श्री धर्मपाल चौधरी : x x x

श्री रघुवीर सिंह मीणा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। अंकित ही नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री धर्मपाल चौधरी : x x x

श्री हीरालाल (निवाई) : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है, इस सदन की परम्परा भी रही है, सत्ता पक्ष अपना जो भी कोई कार्य करते हैं उसके बारे में कहते हैं और विरोधी पक्ष हमेशा उसका विरोध भी करते हैं कि काम अच्छा नहीं हो रहा है,

(श्री उपाध्यक्ष)

काम तो ठीक नहीं हो रहा है, इन बातों पर उत्तेजित होने की कहां आवश्यकता है ? नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो उनको अपनी बात कहने दीजिए, और वह समाप्त कर ही दी थी उन्होंने, बीच में इसमें आपको व्यवधान करने की, सर्टिफिकेट लेने की कहां जरूरत है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं पूरा कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में व्यवधान क्यों डालते हो आप ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब आप संसदीय कार्य मंत्री होकर ऐसी क्या बात कर रहे हो ?

श्री जुबेर खान : सदन को ढंग से चलने दो, साहब, क्यों बिलकुल आपने ऐसा अन्याय कर रखा है कि इसको चलने ही नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं सभी लोग देख रहे हैं। आप तो कम से कम संयत भाषा और मर्यादित भाषा बोलो। कौनसा न्याय हैं सारे दलाली और फलानां दलाली, क्या आपसे लोग..

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं कहते हैं..

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने क्या बोला ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अभी-अभी क्या बोला, लोकतंत्र के मुंह पर ताला

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप लगा रहे हो। जगह-जगह बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या है बोलना, बहस ओपन कर रहे हो क्या आप ? उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या देख रहा हूं हाउस में, मुझे मजबूर होकर बहिर्गमन करना पड़ेगा सदन से (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रतिपक्ष की तरफ से बोलते हैं और दो पांच आदमी बोलकर उसके मुंह पर ताला लगाना चाहते हो (व्यवधान) एक आदमी प्रतिपक्ष की तरफ से बोलता है और पांच माननीय सदस्य खड़े होकर उसको प्रतिरोध करते हैं, यह लोकतंत्र के मुंह पर ताला लगाने जैसी बात है। इसकी हम निन्दा करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अमर्यादित बात कर रहे हो। आप खुद मर्यादित नहीं हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम मर्यादित हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यह शोभा नहीं देती आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र कोई असंसदीय शब्द नहीं है। व्यवधान पैदा करने का मतलब ही लोकतंत्र के मुंह पर ताला लगाने की बात कर रहे हो। यह भी कोई असंसदीय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहीं ताला, कही दलाली.....(व्यवधान) सुनो, कुछ सुनो, अगर सुनना है तो सुनो, फिर यही बहस हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके माननीय सदस्य जो हैं उनको आप मर्यादित रखिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी माननीय सदस्य के बारे में, कोई आपके पास जांच लम्बित है तो आप सरकार में हो जांच करो। हम लोग जितने भी बैठे हैं हम चुनौती देते हैं कि जो भी आपको कार्यवाही करनी है कांग्रेस के बारे में करो, आपको छूट है, लेकिन आपको बिना वजह बोलने की छूट प्रजातंत्र में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नहीं है। लोकतंत्र में हम यदि कोई बात कहते हैं तो आपके मंत्री उसका जवाब दे दें, लेकिन आप बोलने ही नहीं दो, ऐसा सदन में नहीं चल सकता। फिर कभी मुख्य मंत्री बोलेंगे तो हम 55 से 55 खड़े हो जाएंगे, देखते हैं वह कैसे बोलती हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते। (व्यवधान) यह कोई बात हुई क्या कि आप सदन में जो व्यक्ति विचार देना चाहे उसको स्पष्टीकरण देने नहीं दें।

अन्त में मैं यह कहना चांहता हूं पी.एच.ई.डी. के बारे में कि बीसलपुर योजना निश्चित रूप से डिले हुई है लेकिन उसके लिए प्रावधान किया गया था और जो प्रावधान किये गये हैं उसको आगे बढ़ाने की बात है। एक योजना को लेकर आप यह कह दो कि राजस्थान में पी.एच.ई.डी. में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यह उचित नहीं है।

इसके अलावा जो पैसे आते हैं भारत सरकार देती है। आप कोई फेवर नहीं कर रहे हो राजस्थान की जनता पर। पूरा का पूरा पैसा केन्द्रीय सरकार दे रही है। त्वरित गति से पेयजल की पूरे राजस्थान में समस्या है इस समस्या को दूर करिये, नहीं तो तीन महीने में लोग मटके जगह-जगह फोड़ेंगे और सरकार को कोसेंगे। इसलिए पेयजल की आप पूरी व्यवस्था कीजिए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं। यह आपसे ज्यादा मुझे जानकारी है कि पैसा कहां से आता है, कहां से नहीं आता है। (व्यवधान) जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी, पैसा भारत सरकार से आता है, कहीं से हम लोन लेते हैं, जो भी करते हैं, आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। दूसरी चीज यह है कि मटके फोड़ेंगे, आपके राज में फूटे उससे ज्यादा फूट गये तो मुझे बता देना।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर निवेदन करता हूं....

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अजमेर में क्या स्थिति हो रही है...(व्यवधान) गन्दा पानी आ रहा है। आप खुद अजमेर चले जाओ और देख लो इसको आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी।

डा. सी.पी. जोशी : एक मिनट, मंत्रीजी से बात...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पी.एच.ई.डी. की डिमांड है क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी कह रहे हैं कोई व्यवस्था ही नहीं की पांच साल में, मतलब आप कम से कम रिकार्ड में यह क्या चीज करवा रहे हैं ? (व्यवधान) फिर क्या कहा, अभी भी यही कहा उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो एक ही व्यवस्था कर लो कि आप आगे आकर विराज जाओ। एक ही व्यवस्था कर लो जिसमें आप लगे हुए हो, आप प्रतिपक्ष के नेता बन जाओ।

डा. सी.पी. जोशी : अच्छा, ठीक है।

श्री सांवर लाल : आपके कार्यकाल को छोड दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की एफीशिएंसी पर मैं चैलेंज नहीं कर रहा। पानी की व्यवस्था करने के लिए जैसा इन्होंने कहा हैं, सदन को आश्वस्त किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। पर, माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं जानते हैं, ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. का पैसा जो सब व्यवस्था हैं, वह कोई आपकी सरकार की नहीं है, भारत सरकार से पैसा मिलता हैं। दिल्ली में आपकी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, जो कुछ भी योजना लागू की वह पी.पी.सी. से पास करके लागू की गयी। इसलिए यहां खड़े होकर यह कहना कि किसी की पैसे की व्यवस्था नहीं कर रखी थी, यह मंत्रीजी, आपके लिए, मैं समझता हूं आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कम से कम सदन में, हो सकता है कि आपने हमसे ज्यादा व्यवस्था की हो उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन आप एक स्वीपिंग रिर्माक कर दें कि पांच साल में सरकार ने शिलान्यास कर दिया और किसी तरह का वितीय प्रबन्ध नहीं किया, मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं है। बाकी आप भी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको

(डा. सी. पी. जोशी)

जरूर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि आप जो कुछ भी हम व्यवस्था नहीं कर पाये, आप करिये, आपको मुबारकबाद। पांच साल में सब काम करके पूरा करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन सदन को यह मत कहिए कि पांच साल की सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। आप रिकार्ड उठाकर देख लें, एक भी योजना जो पी.पी.सी. से पास नहीं है, उसके बिना किसी का फाउण्डेशन नहीं हुआ है। जो पैसा आता है वह भारत सरकार से ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. का 125 प्रतिशत पैसा आता है। योजना कैसे बनती हैं वह आपकी भी जानकारी में है। इसलिए यह स्वीपिंग रिमार्क जो कर रहे हैं इसमें, ठीक नहीं है।

बाकी मंत्रीजी, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे पूरा भरोसा है जैसा आपने हमको आश्वस्त किया है कि इस आने वाले मई-जून में राजस्थान के कोने-कोने में जो पानी की तकलीफ हैं, आप पूरी व्यवस्था करेंगे, जो आपने आश्वासन दिया है उस आश्वासन को आप पूरा करें। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने कहा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, प्रजातंत्र की यह प्रक्रिया है, सरकारें आती हैं जाती हैं, जो मौजूदा सरकार सत्ता पक्ष में होती है वह हमेशा अपने काम करने का श्रेय लेना चाहती हैं और अमूमन तौर पर, ज्यादातर यह होता है कि पिछली सरकारों ने कोई काम किया नहीं। कोई सरकारें शिलान्यास करती है, आने वाली सरकारें उसका उदघाटन करती हैं, यह सतत् प्रक्रिया है उसके अन्दर कोई आरोप-प्रत्यारोप वाली बात नहीं है। कभी भी कोई सरकार सम्पूर्ण काम करके जा नहीं सकती और यह कह नहीं सकते कि इसके अन्दर यह काम सही है यह गलत है। अपनी-अपनी सरकार के काम करने की व्यवस्था है। मंत्रीजी ने कह दिया इसमें किसी को अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं, बीच में नहीं।

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन जी, बीच में नहीं।

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री उपाध्यक्ष : यह इसमें रिकार्ड कुछ नहीं किया जाएगा, आप छोड़ दीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर 298 में यह है कि रिकार्ड के अन्दर एक गलत बात चली गयी है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो गंगानगर के माननीय सदस्य ने एक बात यहां पर आपत्तिजनक कह दी, मेरी उसी में आपत्ति है। उन्होंने यह बात कही कि + + + यह पूरे ब्राह्मण समाज के लिए बड़े शर्म की बात उन्होंने कही है, बड़ी असंसदीय भाषा में उन्होंने कही हैं। ब्राह्मण समाज किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसको कार्यवाही से निकाला जाए और सम्बन्धित माननीय सदस्य को इसके लिए प्रताड़ित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह कार्यवाही देखकर ऐसे कोई शब्द लिए हैं तो उसको निकाल दिया जाएगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आप कार्यवाही देखकर सदन को सूचित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे। (अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री अनुदान की मांग संख्या 37 एवं 39 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने

(श्री प्रभुलाल सैनी)

वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3, 15, 41, 32000 (तीन अरब पन्द्रह करोड़ इकतालिस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1, 49, 83, 46000 (एक अरब उनचास करोड़, तिरयासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि बोलने वाले सदस्यों की संख्या करीब 45-50 है इसलिए सदस्य यह कोशिश करेंगे कि पांच और दस मिनट के बीच में अपना समय करीब-करीब पूरा करें ताकि सभी सदस्यों को समय मिल सके।

श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि की राशि तीन अरब पन्द्रह करोड़ बत्तीस हजार को स्वीकार करने हेतु अपनी बात प्रस्तुत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी काश्तकार हूं, कृषि विषय मेरा स्वयं का है, पशुपालन सब्जैक्ट भी मेरा स्वयं का है, मेरा निवेदन है कि आपने बहुत कम समय दिया। मैंने तो तीन दिन से इसकी तैयारी की है आपने दस मिनट का समय दिया है तो मैं अब आंकड़ों पर नहीं जाकर मुख्य-मुख्य बात ही कह देता हूं।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का क्षेत्रफल तीन करोड़ एक लाख हैक्टेयर है और इसमें से 50-60 परसेंट क्षेत्र ही कृषि लायक है। यह मरुस्थल प्रदेश, हम जन्म से देखते आ रहे हैं कि यहां की कृषि बरसात पर निर्भर है। सिंचित क्षेत्र बहुत लिमिटेड है-कोटा क्षेत्र या गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र है। या हमारी सरकार कोशिश करेगी तो नर्मदा का पानी, माही डैम से सिंचाई की योजना तैयार करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उससे हमारा प्रदेश कृषि की ओर आगे बढ़ेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि यहां सारा का सारा मामला बरसात पर निर्भर है, हर तीन-चार साल के बाद में अकाल पड़ जाता है, फिर भी पिछली सरकारें और विशेषकर हमारी सरकार कृषि के विकास और विस्तार में बहुत चिंतित रही हैं, इर्रिगेशन, अच्छे उत्पादों के लिये मेन्योर और उन्नत किस्म के बीज बांटने के लिये प्रयासरत हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले टाइम से अभी जो प्रगति हुई है 2004 में 440 मिलीमीटर बरसात हुई, करीब 25 जिलों में बरसात कम हुई इस वजह से हमारा जो उत्पादन कृषि का होना चाहिये था वह नहीं हुआ। फिर भी हमारी सरकार ने बाजरा, ग्वार, मोठ, मक्की के उन्नत बीज वितरित किये, इस साल न्यूनतम बरसात से तीन-चार जिलों में ज्यादा बरसात हुई-उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर, इन तीनों जिलों के अलावा बाकी सभी जिलों में औसत से कम बरसात हुई इसलिए करीब-करीब हमारी फसल नष्ट हो गयी। फसलों के लिये उन्नत किस्म के बीज दिये जाएं और फर्टिलाइजर्स सप्लाई कराये जाएं, इस हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। मान्यवर, कृषि के लिए जो सिंचित क्षेत्र है वहां पर गेहूं सरसों, जीरा, सोयाबीन, इन फसलों में सरकार अच्छे किस्म के बीज दे रही है और भण्डार गृह खोल रही हैं, उससे हमें यह विश्वास बंधा है कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं थोड़े-से आंकड़े देना चाहता हूं कि 2004-2005 में जो फसल बोयी गयी उसमें अनाज 78.7 लाख हैक्टेयर, दलहन 28.98, खाद्यान्न

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

105.15, तिलहन 10.184, कपास 3.44, तिलहन 10.14 लाख हैक्टेयर में बोया गया और अनाज का उत्पादन हुआ 37.32, यह एक रिकार्ड बात है। खाद्यान्न में 28.7 यह भी एक रिकार्ड बात है। ग्वार में 6.8 लाख टन यह भी एक रिकार्ड बात है। हमारे प्रयास से ये फसलें बहुत अच्छी हुईं।

रबी की फसल की बुवाई 70 से 50 परसेंट में होती है और 50 से 60 सिंचित क्षेत्र में होती है। रबी सीजन में गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, धनिया, जीरा, मेथी की बुवाई की जाती है। अनाज 14.92, दलहन 5.22, खाद्यान्न 20.14, तिलहन 0.92 लाख टन और धनिया यहां उत्पादित हो रहा है। यह बढ़कर हो गया के अनाज 62.85, दलहन 7.67, खाद्यान्न 70.52, तिलहन 27.42 और धनिया 2.24 लाख, इस तरह यह आशातीत प्रगति मैं आपको बताना चाहता हूं। रबी महीने में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई और इसलिए हुई कि उन्नत किस्म के गेहूं के बीज 28.00 लाख रुपये के वितरित किये गये।

सबसे बड़ा काम जो हमारी सरकार ने किया वह था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने का, क्योंकि यह बिलकुल विदित था, कई वर्षों से यह चर्चा चल रही थी कि काश्तकारा का तो देवता भगवान ही है। हम राजस्थान कि काश्तकार खेती नहीं करते हैं, एक जुआ खेलते हैं। काश्तकार नो प्राफिट नो लोस में चला जाए, तब तो कोई बात नहीं लेकिन अमूमन काश्तकार एक जुआ ही खेलता है। कभी ठण्डी हवाएं, कभी गरम हवाएं, कभी कीड़ा खा जाता है, कभी बरसात कम होती है इसलिए फसलें अधिकतर नष्ट हुआ करती हैं। राज्य सरकार ने कई वर्षों से कृषकों की मांग अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है। 2003 में जो फसल हुई उसमें 6811 लघु सीमान्त काश्तकारों की 14.71 लाख की फसलें बीमित की गयीं। कुल प्रीमियम राशि 94,064 लाख रुपये काश्तकार से वसूल की गयी और 128 कृषकों को 0.60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। यह हमारी शुरूआत इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार काश्तकारों के प्रति कितनी चिंतित है। बीमा होने के बाद अब सभी कृषकों को कम से कम यह विश्वास बंध गया कि हमारी फसल का

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

बीमा हो जाएगा तो इतना तो नहीं होगा कि हम डूब जाएंगे। काश्तकार खेती करते हैं तो पैदावार जितना बीज है उतनी भी नहीं होती है। तो यह बहुत अच्छी शुरूआत हुई है।

दूसरा पशुपालन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान एक पशुपालक प्रदेश है, यहां की इकोनोमी पशुओं पर डिपेंड हैं। मान्यवर, यह जो ट्रैक्टर पद्धति हुई उससे मैं यह महसूस करता हूं कि जमीन में जो ठोस उर्वरकता होती है, इतनी तेजी से चलते हैं खाद वाले स्थान को नीचा कर देते हैं तो बिना उर्वरक की जमीन ऊपर आ जाती है। तो यह प्रचलन ट्रैक्टरों का हुआ, वह हुआ तो अच्छे के लिये था लेकिन जो पशुधन था, जो लोग पशुपालन करते थे, जिनकी इकोनोमी उन पर निर्भर थी, ट्रैक्टरों की वजह से जमीन की उर्वरकता दिन-ब-दिन खतम होती जा रही है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पशुधन को बढ़ावा देने के लिये जो नागौरी नस्ल है-हिन्दुस्तान की सबसे बढ़िया जमीन जोतने की बैल की सबसे शक्तिशाली नस्ल होती है वह है नागौरी, सांचोरी, इस जाति की नस्ल के लिए गांव-गांव में सेंटर खोलें जिससे पशुधन मजबूत पैदा हो। दिन-पर-दिन मैं देखता आ रहा हूं कि पशु मेले खतम हो रहे हैं। सरकार इसकी तरफ कम ध्यान दे रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक झगड़ा पड़ गया था बछड़ों का, लोगों ने कहा कि 12 महीने तक के बछड़े जो पशु मेले में बिकते हैं, ये कटने के लिए जाते हैं। यह हवा पैदा करने से सारे पशु मेले खतम हो गये। आप खुद समझते हैं कि राजस्थान में लगातार चार-पांच साल से अकाल पड़ रहे हैं, चारा इतना महंगा हो गया, चार-पांच रुपयं किलो लूण और खाखला मिलता है, उनका पालना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन यह बहुत जरूरी है पशुधन में, यदि नागौरी नस्ल हुई, यदि किसान बैलों से खेती करेगा तो उसकी लाइन भी सही होगी, उसका लेवल भी बढ़िया होगा और बीज भी ठीक से डलेगा। आज जो आपके कृषि के हल हैं, ये भागते-भागते स्पीड में

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

कितने ही बीज कहां डाल देते हैं, कितने ही बीज कहां डाल देते हैं, जिससे प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की चिंता होती है कि आखिर क्या होगा, धीरे-धीरे उर्वरता खतम होती जा रही है। गरीबों के पास में, कृषकों के पास में फर्टिलाइजर कम हैं। सरकार अब फर्टिलाइजर पर ध्यान दे रही है, सब्सिडी बेस पर दे रही है। लेकिन यदि मेलों को लगाए और बैलों की प्रगति के लिए सरकार जनता को, कृषकों को और पशु-पालकों को बाध्य करेगी तो अच्छा होगा। जो पशु मेलों में बछड़ों पर आपने रोक लगा रखी है उसको आप खतम करें, वर्ना लोग छोड़ने लग गये हैं बछड़ों को। राजस्थान की इकोनोमी और काश्तकार की इकोनोमी पशुओं पर ही निर्भर है, इसलिए मंडियों में बछड़ों को जाने से ना रोकें और इसके लिए कार्यवाही करें। हर जगह आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर भी खोलें।

उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी के मामले में हमारी सरकार ने बहुत तरक्की की है। पहले जितना दूध बिकता था, आज 20 लाख किलोग्राम दूध पशुओं से इकट्ठा करके दिया जा रहा है। आप इनसे मिनेशन सेंटर खोले और जो दुधारू गायें हैं-गीर ब्रीड है, साइवाल है, माउन्टगोमती है, इनकी उन्न्त ब्रीड आप पैदा करें। जैसलमेर है, पोकरण बाड़मेर का एरिया है, यहां साइवाल, माउन्ट गोमटी और दूसरी नस्लों की गायें हैं उनको अमेरिका ले जाकर जर्सी से क्रॉस ब्रीड कराया था। यदि आप इनसेमिनेशन सेंटर के जरिये इन गायों की उन्नत जाति पैदा करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का दूध उत्पादन में एकाधिकार हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इनसेमिनेशन सेंटर खोलें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पशुपालन में पिगरीज हैं, यह भी बहुत आवश्यक चीज है। एनिमल हसबैंडरी विभाग में पिगरीज को भी लिया जाए, इससे भी खाद्यान्न की स्थिति ठीक हो जाएगी। पिगरीज से काफी समस्या खाद्यान्न की हल हो सकती है।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ों का जहां तक सवाल है ये दिन पर दिन खतम होती जा रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार इस बात पर ध्यान कम दे रही है और जितने भी हमारे राजस्थान में पाश्चर थे वे कम होते जा रहे हैं, लोग उस पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। जो पाश्चर हैं उनका अलाटमेंट कर रहे हैं जिससे भेड़ें मध्य भारत तक जा रही हैं। दिन पर दिन अंगोल, मालपूरा, मारवाड़ी ब्रीड जिनसे बहुत अच्छा ऊन का उत्पादन होता है, वह ब्रीड खतम हो रही है। उस ब्रीड का भविष्य अन्धकार में हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मालपूरा और मारवाड़ी ब्रीड को डपलप करने के लिए अच्छे से अच्छा शीष ब्रीडिंग कराए जिससे कि उन्नत किस्म की ऊन पैदा हो, जिससे ऊन का उत्पादन ज्यादा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में, मुझे मालूम है कि आप घंटी बजा रहे हैं, मैं सरकार को इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप पिगरीज, शीप-ब्रीड के लिए भी ध्यान दें। मैं आपकी इस मांग को तहे दिल से स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तगाराम चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, बजट पर बोलने का अवसर नहीं मिला इसलिए पहले तो दो शब्द यह कहूंगा कि हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो वित्त मंत्री भी हैं, जिस प्रकार से गत वर्ष का बजट और उससे बढ़कर वित्त वर्ष 2005-06 का बजट रखा है और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई हैं, वास्तव में जितनी प्रशंसा हो उतनी ही कम है। जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट प्रस्तुत किया, उन्होंने करों में रियायत की झड़ी लगा दी और यही नहीं, जब प्रावधान की बात आयी तो कोई वर्ग ऐसा नजर में नहीं आया जिसको छुआ नहीं हो, उसमें सुधार लाने के बारे में प्रावधान नहीं किया हो। मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज तक राजस्थान के जो बजट आये उन सब में

(श्री तगाराम चौधरी)

अति सुन्दर, प्रभावशाली, विकासोन्मुखी यह बजट है, इसने राजस्थान के जन-जन को, विशेष तौर से गरीबों को, महिलाओं को, आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय मित्रों को भी यह लगा कि हम उस पर उंगली उठाने की तो क्या बात करें, हालांकि कभी किसी नयी बात को लेकर, कभी किसी को लेकर प्रयत्न किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बजट के बारे में बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा बजट आपने प्रस्तुत किया, गत वर्ष के बजट से भी राजस्थान बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि पर विचार हो रहा है। मैं किसान हूं और खेती आप जानते हैं कि राजस्थान में ज्यादा वर्षा पर ही निर्भर है, सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। अच्छा होता कि अटल बिहारीजी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते, देश की नदियों को योजना बनाकर आपस में एक दूसरे से जोड़ने का उन्होंने सोचा था, वह नहीं हुआ, इस कारण से हम इस लाभ से वंचित-सा रह गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बाड़मेर से आया हूं वह सीमान्त जिला तो है ही, रेगिस्तान जिला भी है। वहां खारा पानी है और नहर नाम का कोई वहां पर निशान नहीं है। आज तक जो भी चुनकर आये, सत्ता में रहे, उन्होंने चुनाव के समय तो बहुत-से वादे किये कि नहर का पानी ले आएंगे, गरीबी हटा देंगे और शिलान्यास भी किये-किसानों और युवाओं को आज से साढ़े छह साल पहले यह कहा गया था कि सबको नौकरियां दे देंगे, 58 साल रिटायरमेंट की आयु कर देंगे, इस तरह के वादे तो किये लेकिन नियुक्तियों पर रोक लगा दी, इससे बढ़कर कुछ नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जैसे क्षेत्र में कम पानी से खेती करके किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात तो मेरे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए भी नयी हैं लेकिन जब मैंने देखा एक झाड़ी की सी फसल को जिसे होहोबा या जोजोबा भी कहते हैं, उसे देखने

(श्री तगाराम चौधरी)

के बाद मुझे विश्वास हुआ। उस खेती के बारे में मैं जिस तरह से समझ पाया हूं, वह बाड़मेर जैसी धरती के लिए जहां जल कम है, उपयोगी हो सकती है। इसका कारण यह हैं कि उसके मीठे पानी की आवश्यकता नहीं है। भूमि भी चाहे काली मिट्टी हो, बालू रेत हो या दोनों के बीच की हो, उसमें भी उसकी खेती की जा सकती है। बूंद-बूंद से खेती की जाती है, परन्तु इसमें बहुत अधिक राशि की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सुझाव के रूप में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक नई प्रकार की सोच के साथ होहोबा जैसी खेती को लागू करने के लिए कोई न कोई योजना बनाई जाए और इस पर विचार किया जाए। यह बहुत अच्छी बात है, इसमें कम पानी में बहुत अधिकार पैदावार हो सकती है लेकिन इसके लिए तकनीकी सहायता की बहुत भारी आवश्यकता है। है बहुत लाभकारी लेकिन समझाने के लिये सहयोग और प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो जाए तो वहां पर इस प्रकार की खेती पनप सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दूध का सवाल है बाड़मेर का पशुधन सदियों से अग्रणी रहा है, लेकिन आज पशु बहुत कमजोर-से और खराब हो गये हैं। पूराने समय में बैलों से कृषि करते थे, पानी सींचते थे लेकिन अब कृषि टैक्टर से होने लगी। वहां की माली हालत सुधारने के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी उद्योग आवश्यक है। यदि नस्ल सुधार और डेयरी उद्योग को सरकार की तरफ से मदद मिले तो गाय-भैंसों का दूध बढ़ाकर किसान अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है, अपने परिवार की माली हालत सुधार सकता है। माननीय मंत्रीजी, इस वर्ष के बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया है कृषि और पशुपालन के लिए, मुझे पक्का भरोसा है कि इसका कोई न कोई लाभ अवश्य मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगा। आपने मुझे समय दिया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि और पशुपालन की मांग पर अपने सुझाव देना चाहता हूं। आज कृषि प्रधान प्रदेश होते-हुए भी हमारा किसान बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। बरसात की कमी के कारण राज्य में खासकर बाड़मेर जिले में बार-बार अकाल का सामना करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के 10 हजार तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, मेहरबानी करके आप इस पर अमल करें। आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूं। आपने जो कहा है तो जरूर करिए, यदि नहीं कहा है तो आप विधान सभा में स्पष्ट कर दीजिए कि हमारे घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात नहीं थी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : कृषि मंत्रीजी ने जो काम किये हैं उनके लिए तो आप उनको धन्यवाद दे दो।

श्री हेमाराम चौधरी : आप नै तो सीधो धन्यवाद ही चाहीजे, बाकी की न चाहीजे। न तो म आपनै धन्यवाद देवण न वास्ते खड़्यो हुयो हूं, आप ऐडो केछ कर्यो ही नीं कि धन्यवाद देऊं। आप कह रहे हैं कि धन्यवाद दे दूं। आप किसानों के 10 हजार तक के कर्जे माफ कर दो, माफ करने के बाद इसी सीट से खड़े होकर धन्यवाद मांग लो, मैं आपको धन्यवाद ही नहीं दूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : यही तो बचा है आपके पास।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए आप धन्यवाद के लिए तैयार हों।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : आपने किसानों के लिए पांच साल तक सोचा भी नहीं कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : आप धन्यवाद की तैयारी करो यदि लेना है तो, नहीं लेना है तो बीच-बीच में खड़े होकर व्यवधान पैदा करते रहो।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) : (व्यवधान) पर यह नहीं कहा था कि सरकार बनते ही माफ कर देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : जवाब देने में माननीय मंत्रीजी सक्षम हैं, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, आप क्यों बीच में इस तरह से जवाब देने के लिए खड़े होते हैं ? आपको अपनी योग्यता यहां प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। न मैंने आपसे पूछा। मैंने उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन किया है कि मंत्रीजी इस बारे में जो भी स्थिति है स्पष्ट कर दें। करना चाहते है तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। कोई जोर-जबर्दस्ती थोड़े ही है। और इस तरह हम करवा थोडे ही सकते हैं ? हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। मैं आपको आपकी बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ऐसा कहा है, कहीं आप भूल तो नहीं गये हैं। आप सत्ता में बैठे हो इसलिए लोग आपको याद नहीं दिलवाएंगे, उनको अभी सत्ता का नशा है। हमारा नशा उतरा हुआ है, जनता ने हमारा नशा उतार दिया इसलिए काम है आपको याद दिलाएं हर बार कि आपका यह काम ठीक नहीं है, इसमें इस चीज की कमी है। यह हमारा फर्ज हैं कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करें। आपका ध्यान आकर्षित होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपका ध्यान जनता आकर्षित कर देगी।

श्री रामलाल शर्मा : आपने अपनी सरकार के समय में क्यों नहीं किया ?

श्री हेमाराम चौधरी : हमारी सरकार के समय में हमने बहुत काम किये। हमारे किसान मुख्य मंत्री थे और आपके किसान कृषि मंत्री हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वे कुछ करेंगे इसलिए निवेदन कर रहा हूं। यदि ये किसान नहीं होते तो मैं इनसे भी निवेदन करता नहीं। ये किसान हैं और उसकी पीड़ा समझते हैं, जानते हैं इसलिए मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि किसानों के कर्जे माफ करने की बात पर ये गौर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के लिए मकराना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने लागू की। अभी स्थगन प्रस्ताव मैंने विधान सभा में रखा उस दिन मंत्रीजी कह रहे थे कि तत्कालीन सरकार ने यह

(श्री हेमाराम चौधरी)

फसल बीमा योजना लागू की। फसल बीमा योजना लागू तो हमने की और जहां श्रेय लेने की बात आती है वहां ये खड़े होकर श्रेय लेने की बात करते हैं, और जहां इसमें खामी है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : प्रीमियम जमा हुआ है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : कितना हुआ है, बता दो। 100 रुपये, 200 रुपये कितना हुआ है ?

श्री हेमाराम चौधरी : जितना कराया है, मैं बताऊंगा। आप सरकार से पूछ लीजिएगा, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कितने किसानों से प्रीमियम जमा कराया। लेकिन फसल बीमा योजना के लिए आपको मालूम होना चाहिए, 24 जुलाई, 2003 को इसकी अधिसूचना जारी हुई है, चुनाव नवम्बर में हुए।

श्री उपाध्यक्ष : 2003 में घोषणा कर दी थी।

श्री हेमाराम चौधरी : 2003 में कुछ जिलों में प्रीमियम जमा हुआ है, कुछ जिलों में नहीं हुआ। हमारे बाड़मेर जिले में किसानों से बैंक वाले प्रीमियम वसूल कर रहे थे, मैंने उसको रुकवाया। इसलिए रुकवाया क्योंकि उस समय करीब-करीब फसल पकने पर आ गई थी। उस समय प्रीमियम वसूल करना उन्होंने शुरू किया था। तब मैंने कहा था कि यह प्रीमियम किसान नहीं देना चाहते, आप जबर्दस्ती किसानों का बीमा मत करिए। हम क्यों प्रीमियम दें और क्यों बीमा कराएं ? हमारी फसल पकने की स्थिति में है और पक जाएगी, इसलिए हमें मुआवजे के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। हम अब बीमा नहीं कराना चाहते, बीमा कराने की स्टेज चली गई। यह उस समय मैंने खुद रूकवाया, हमारी खुद की सरकार थी, कलक्टर से कहकर, दबाव देकर वह जबर्दस्ती कराया।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह वाजपेयीजी की मेहरबानी है, केन्द्र सरकार से हुआ था पहले।

श्री हेमाराम चौधरी : अब वाजपेयीजी की मेहरबानी की भी मैं बता दूंगा, आपको ज्यादा ही फिक्र है। उनसे भी ज्यादा चिन्ता उनकी मत करो।

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं तो जो सही है वो बयान कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : सही मुझे भी मालूम है, ज्यादा आपको मालूम है तो ठीक है, थोड़ा-बहुत मुझे भी मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था, दूसरे कई जिलों में खरीफ की फसल 2003 आप देख लीजिए, संवत् 2059 की, उसमें प्रीमियम जमा हुआ या नहीं हुआ। कुछ प्रीमियम जमा हुआ है कई जिलों में। सब जिलों में नहीं हुआ, बहुत कम जिलों में बहुत कम काश्तकारों का हुआ, लेकिन हुआ जरूर है। मुआवजा किसी को नहीं मिला। यह बात कहने को तैयार नहीं हैं। आप बता दें बिफोर लास्ट ईयर, इस साल अकाल है उसके बाद 2003 की बात बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय ये कह रहे थे केन्द्र में सरकार वाजपेयीजी की थी, केन्द्र में वाजपेयीजी की सरकार थी उसी का सब बंटाधार किया हुआ है। केन्द्र सरकार की अपनी शर्तों के अनुसार इस फसल का बीमा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना हिस्सा दिया, केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा दिया। इसमें तहसील को इकाई माना है और तहसील को इकाई मानकर काश्तकारों की फसल का बीमा किया है पूरी तहसील का नुकसान मानकर मुआवजा देंगे। कैसे मुआवजा देंगे, किस तरह नहीं देंगे, किस प्रकार की योजना है, बड़ी विचित्र योजना है।

मंत्रीजी ने मुझे पूर्व में जवाब दिया था कि नियमों से बंधा हुआ हूं। मैं मानता हूं, आप नियमों से ऊपर कुछ नहीं कर सकते। जो नियम हैं उसी से करेंगे। लेकिन आखिर ये नियम बनाने वाले कोई न कोई इंसान हैं। कासनियाजी को बहुत चिन्ता है वाजपेयीजी की, उन्होंने ही तो ऐसे नियम बनाये हैं, उनको पता नहीं। वे किसान परिवार से नहीं हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह योजना सही नहीं बनी, मैं इससे सहमत हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : आपके वाजपेयीजी ने सब बंटाधार कर दिया। अब इसको आप ठीक करवाएं। केन्द्र में हमारी सरकार है, आप उसके सामने प्रस्ताव ले जाएं राजस्थान सरकार की तरफ से, वे इसको ठीक कर देंगे। ठीक करना पड़ेगा। चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बी.जे.पी. की हो, किसी की सरकार हो, उसका तो काम है।

श्री बंशीलाल खटीक : वाजपेयीजी ने तो इतने बड़े-बड़े काम किये जो आपकी सरकार आज तक नहीं कर पायी। वाजपेयीजी की बराबरी आप नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकते वाजपेयीजी की बराबरी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : हम तो वाजपेयी का नाम ही नहीं लेते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : x x x

श्री उपाध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि आप कोई वाजपेयीजी के विरोध में ऐसी बात कह नहीं रहे थे। आप बीच में बिना परमिशन के..... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री उपाध्यक्ष : आपको नहीं कहा। आप बीच में नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने नहीं कहा। मैं कासनियाजी का जवाब दे रहा था, मैंने नाम नहीं लिया। कासनियाजी ने याद दिला दिया कि आप उनके बारे में दो शब्द कहिए तब मुझे कहना पड़ा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने यह किया, इसको ठीक करने का काम हमारी सरकार से, मनमोहन सिंह जी से ठीक करवा लीजिए। यह किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं है।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है।

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अटलजी की टांग-पूंछ की भी बराबरी नहीं कर सकता। (व्यवधान) आप सुदर्शन लेकर उनके पीछे क्यों पड़े हो ? वे सुदर्शन के चक्र में फंसे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, फसल बीमा योजना की इकाई आप खसरा नम्बर मानें। गिरदावरी होती है, गिरदावरी आप खसरा नम्बर के हिसाब से करते हैं। प्रत्येक खसरा की आप पृथक से गिरदावरी करते हैं और प्रत्येक जिंस की पृथक् से गिरदावरी करते हैं कि किस खसरे में कौनसी जिंस बोयी गयी। जो भी जिंस जिस खसरे में बोयी गई उसमें से प्रत्येक जिंस में किस-किस जगह में कितना-कितना खराब हुआ, यह आपका गिरदावरी का रिकार्ड कहता है। तो फिर उस गिरदावरी रिकार्ड के आधार पर आप मुआवजा

क्यों नहीं तय कर सकते, मुआवजा क्यों नहीं दे सकते ? आपको अलग से कुछ नहीं करना। आप कहेंगे कि प्रत्येक खसरा नम्बर का अलग से नुकसान का आकलन करें। इतना आप कैसे करें। यह तो हमेशा से होता आया है, गिरदावरी तो हमेशा होती है। उसके आधार पर ही तो आप अकाल घोषित करते हैं। कौन से गांव को अकालग्रस्त घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, इसका आधार सिर्फ गिरदावरी है। बाड़मेर जिले में गुढामालानी तहसील में 362 गांव हैं उसमें से 261 गांवों में 75 परसेंट से 100 परसेंट के बीच में खराबा बताया और 101 में 50 परसेंट से 76 परसेंट खराब बताया। पर खराबा 361 में ही है, अधिकांश गांवों में। 362 में से 261 में तो 75 से सौ परसेंट खराबा है। जब 75 से सौ परसेंट गांवों में खराबा 261 गांवों में और औसत का भी आप अगर खराबा मानते हो, पूरी तहसील को भी इकाई मानते हो, तो फिर इसमें बाकी क्या रहा है ? फिर इन किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का क्या कारण रहा ? फिर आखिर कोई बात समझाओं हमारे को। 362 में से 261 में 75 परसेंट से अधिक खराबा हैं और 101 में भी खराबा उनमें भी है लेकिन उनमें 74 परसेंट तक है, 50 से ऊपर हंडरेड परसेंट पूरी तहसील अकालग्रस्त घोषित और फिर भी उन काश्तकारों को आप खरीफ की फसल में जिस जिंस का इन्होंने करवाया, ज्यादातर बाजरे का करवाया, उसका मुआवजा आप नहीं दो, तो क्या आपने यह बीमा योजना किसानों से प्रीमियम लेने के लिए की ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नहीं देने का कोई निर्णय लिया क्या इन्होंने ?

श्री हेमाराम चौधरी : इन्होंने मुआवजा तय करके आंकड़े प्रसारित किये हैं, जारी किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया चालू है।

श्री हेमाराम चौधरी : प्रक्रिया चालू है, दुबारा जांच के इन्होंने आदेश

(श्री हेमाराम चौधरी)

दिए हैं। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने दुबारा जांच के आदेश दे दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि दुबारा जांच में सही चीज सामने आ जाएगी, सही निर्धारण हो जाएगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ हैं, मंत्रीजी स्वयं को मालूम है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए भी यह मामला मैंने उठाया था, किसानों का वहां पर धरना रखा था, बहुत लम्बा-चौड़ा मामला है, मंत्रीजी को मालूम है।

श्री गुरजंट सिंह : साहब, एक मिनट, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : अब यों तो फिर मैं बोल ही नहीं सकूं।

श्री गुरजंट सिंह : मैं एक ही मिनट आपसे निवेदन करूंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने फसल बीमा योजना चालू कराई, बहुत अच्छा कराया। साहब, आपकी सरकार ने मान लो, हमारी सरकार में नहीं। साहब, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीमा योजना में आपने तहसील इकाई मान ली, आपने उस टाइम सोचा होता जो व्यक्तिगत लोगों ने बीमा करवाये। व्यक्तिगत को करना चाहिएं था आपकी सरकार ने। क्या/आपने यह सुझाव भेजा था कि इसको ऐसे ही होना चाहिए ? आज बड़ी दलीलें दे रहे हो, आप लोग बड़े-बड़े सुझाव दे रहे हो, आपको उस टाइम सोचना चाहिए था, किसान मुख्य मंत्री थे, किसान ही आप थे। जो भी सुझाव लेकर आओ, हम यह चाहते हैं कि गांव को, पटवार सर्किल को इकाई मानकर हो। यह बहुत अच्छा, सुन्दर सुझाव है। अगर आपसे नहीं हो तो मैं माननीय मंत्रीजी को भी सुझाव दूंगा कि आप इसको मानों-गांव को इकाई मानो, चाहे पटवार सर्किल को मानो। यह तहसील वाला मामला हमारा सही नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : अब ये बोलने लग गये। कभी यह बोलते हैं, कभी वह बोलते हैं। सबको अच्छे-अच्छे सुझाव नजर आ रहे हैं। तो अपने सुझाव आपका वक्त आए तब दे देना, आप मुझे तो दो मिनट बोलने दो न।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इस सुझाव के साथ आपको थोड़ा हमारे पर भी यह है कि आप क्यों नहीं बोले। भाई, हम नहीं बोले उसकी वजह से यह हो गया। हम तो नहीं बोले तो हमारा तो फैसला हो गया, अब और हमारा क्या करना चाहते हो ? किसान भी हमारा और तो क्या करेगा ? हमको उधर से इधर बैठा दिया, आपको अब काम सौप दिया, अब काम आपके हाथों में है। आप अपने मंत्रीजी को सुझाव दीजिए। अब आप कहोगे, केन्द्र में आपकी सरकार है तो उस समय केन्द्र में आपकी सरकार थी और राजस्थान में हमारी थी। भाई, बात वही है, अभी भी वही रगड़ा है, अभी भी वहां हमारी और यहां आपकी सरकार है। उस समय यहां हमारी थी और वहां आपकी थी, मामला वही है इसलिए इस विवाद में मत पड़ो। इस विवाद में भी मत पड़ो कि किसने क्या किया। जिसने भी ध्यान नहीं दिया, जाने-अनजाने में भी होता है, कई बार नियम कायदे बनाते है, नियम बाद में लागू करने पर पता लगता है कि इन नियमों में कुछ गलती हो गई है और इससे जनता बहुत परेशान है, इसमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। तो तब्दीली कर दीजिए। तब्दीली आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ? केन्द्र सरकार के पास में जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं, केन्द्र सरकार के पास जाना पड़ेगा तो आप केन्द्र सरकार के पास जाइए, करवाइए। हमारे से जो भी सहयोग लेना चाहो, वह हम कहने को तैयार हैं, बाकी तो क्या कर सकते हैं ? हम कोई लट्ठ तो किसी के मार नहीं सकते। लट्ठ से मारकर करवा लें तो आपसे ही करवा लें। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप मेहरबानी करके इस खरीफ की फसल में गुढामालानी तहसील के काश्तकारों को मुआवजा दीजिए। मैंने आपको बता दिया, उनकी बात बिलकुल वाजिब है।

श्री टीकमचंद कांत : सिवाना में एक लाख 66 हजार ही किया है।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, बिलकुल आया है। हां, सिवाना में एक लाख 66 हजार ही किया है तो वह भी गलत हुआ है।

श्री टीकमचंद कांत : यही मैं कह रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने स्थगन प्रस्ताव में सिवाना का भी उल्लेख किया है। हमारे को 9 लाख और कुछ मिला, आपको एक लाख ही कुछ मिला, इसलिए आपके साथ ओर मेरे साथ...

श्री टीकमचंद कांत : हेमारामजी, जो प्रीमियम भरा जाता है वह खेत के हिसाब से प्रत्येक किसान का व्यक्तिगत भरा जाता है या सामूहिक भरा जाता है ?

श्री हेमाराम चौधरी : प्रत्येक काश्तकार का व्यक्तिगत ।

श्री टीकमचंद कांत : व्यक्तिगत भरा जाता है तो फिर व्यक्तिगत आधार पर ही उस खसरे के आधार पर बीमा मिलना चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी : यही तो बात मैं कह रहा हूं।

श्री टीकमचंद कांत : अच्छा एक चीज, कि आप किसान हैं और यह भी किसान हैं, मोठ का बीमा वहां अपने सिवाना में दे रहे हैं। किसका, मोठ का। मोठ में खराबी बता रहे हैं जबकि मोठ तो एक अच्छी बरसात हो जाए तो ठीक हो जाता है। खराबा आ गया है तो बाजरे में स्वतः ही खराबा होगा, यह बात समझ में नहीं आ रही है क्या ?

श्री हेमाराम चौधरी : समझ में इनके नहीं आ रही है।

श्री टीकमचंद कांत : मोठ का बीमा दे रहे हो और बाजरे का नहीं दे रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी : यह समझ में किसके नहीं आ रहा है ? मेरे नहीं आ रहा है या सरकार के नहीं आ रहा है ? यह बात कांत साहब के अब समझ में आ गई। कांत साहब, यह आपको पता नहीं है, आपके और मेरे ऊपर ही गाज पड़ी है। यों पड़ी है यह बात आपकी समझ में धीरे-धीरे आएगी। लेकिन मैं तो जानता हूं, आपको और मेरे को जान-बूझकर इसका निशाना बनाया गया है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : तगारामजी से पूछा आप, माननीय सदस्य तगारामजी अच्छी तरह समझा देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि खरीफ की फसल का बीमा का आपने आदेश दे दिया दुबारा जांच का। गुढ़ामालानी तहसील, सिवाना तहसील तहसील दोनों का बिलकुल गलत तरीके से आकलन किया गया है नुकसान का, इसलिए आप मेहरबानी करके मुआवजा दिलाएं उन किसानों को। उपाध्यक्ष महोदय, खरीफ की फसल के बाद अब रबी की फसल का भी आपने बीमा किया है, किसानों से आपने प्रीमियम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप नाराज होंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं किसी से नाराज नहीं हूं, आपसे भी नाराज नहीं हूं। रबी की फसल का भी आपने बीमा किया है तो रबी की फसल भी नष्ट हो चुकी है, बाड़मेर जिले में। मंत्री महोदय, अभी यह ओलावृष्टि का मामला आया, जैसलमेर जिले में भी बारिश होने से जीरे से और ईसब की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। बाड़मेर जिले में बरसात से नष्ट नहीं हुई, बाड़मेर जिले में रबी की फसल पाला पड़ने से नष्ट हो गई। अरंडी बिलकुल नष्ट हो गई, जीरा, गेहूं, ईसब में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले एक आंधी चली थी एक बार, एक दिन बहुत जबरदस्त आंधी चली थी, उस समय जीरा बोया हुआ था, थोड़ा-सा जमीन के बाहर निकला हुआ था, अंकुरित हुआ था, उस समय आंधी तेज चलने से जो रेतीले खेत थे, जो रेतीली जमीन थी वह उड़ गई और जीरा उखेड़ दिया, साफ कर दिया। बिलकुल पूरी जमीन साफ हो गई, उन किसानों का नुकसान हो गया। लेकिन आज दिन तक, मेरी जानकारी के अनुसार, उस आंधी से रबी के फ़सल में काश्तकारों को कितना नुकसान हुआ, किस-किस काश्तकार को अरंडी का कितना नुकसान हुआ पाले से, जीरे का कितना नुकसान हुआ, ईसबगोल का कितना नुकसान हुआ, गेहूं में कितना नुकसान हुआ, किसी ने कोई जांच तक नहीं की, क्योंकि रबी की फसल की गिरदावरी भी नहीं होती। खरीफ की फसल की तो गिरदावरी होती है, रबी

(श्री हेमाराम चौधरी)

की फसल की गिरदावरी भी नहीं होती है, गिरदावरी भी नहीं मिलेगी तो फिर हम आखिर आपके सामने विनती किस आधार पर करेंगे ? हमारे पास बाद में आपके सामने पुकार करने का कोई आधार नहीं रहेगा। खरीफ के लिए हमारे पास गिरदावरी है, उस आधार पर आपसे कम से कम पुकार तो कर सकते है, आप सुनें न सुनें अलग बात हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी फसल की कटाई का काम चल रहा है, आपके वहां मौके पर जाने से आज ही पता लग सकता हैं कि यहां पर फसल में कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार से किस-किस फसल में कितना नुकसान हुआ। यह आप मालूम करेंगे जब तो आप रबी की फसल का आपने बीमा किया उनको मुआवजा दे पायेंगे। और आप उस तरह कोई ध्यान ही नहीं देंगे, आपकी उस तरफ कोई नजर ही नहीं जाए तो फिर उनको मुआवजा कहां देने की बात है ? फिर तो उनका प्रीमियम लेना था जो ले लिया और मुआवजे की कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नही, मंत्रीजी, आपको ध्यान होगा, नहीं तो आप ध्यान कर लें, जानकारी कर लें, यह रबी और खरीफ दोनों फसलें, जिन काश्तकारों ने बैंक से ऋण लिया है उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया गया है। काश्तकारों ने बीमा करवाने के लिए प्रीमियम देने की सहमति प्रकट की हो या न की हो, जो लोन काश्तकारों को दिया गया उस लोन में से प्रीमियम की अदायगी कर दी गई है। तो यह आपने अनिवार्य रूप से कर दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको अनिवार्य रूप से मत कीजिये, आप इसको स्वैच्छिक रखिये। बैंक से लोन लेने जाएगा उसका तो आप अनिवार्य रूप से कर दोगे और बाकी किसान का आप कर नहीं पाओगे, होगा नहीं फसल का बीमा। इसका मतलब यह हुआ कि किसान को लोन लेते वक्त भी सोचना पड़ेगा कि यह बीमा अनिवार्य रूप से इस लोन के साथ लगा दिया इसलिए मैं लोन लूं या नहीं लूं। मुझे प्रीमियम का पैसा तो देना ही पड़ेगा। और हो सकता है, कल मुझे मुआवजा नहीं मिला तो प्रीमियम का पैसा तो फालतू लग जाएगा। इसलिए आप अनिवार्य मत कीजिये। अनिवार्य कोई चीज नहीं है प्रजातन्त्र में। हिन्दुस्तान में किसी के ऊपर अनिवार्य रूप से कोई चीज थोपी

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं जा सकती। परिवार नियोजन अगर अनिवार्य रूप से थोप दो तो सारी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा हो नहीं सकता इसलिए आप मेहरबानी करके इस पर विचार करें। जो करवाना चाहे वह करवाए, लेकिन जबरदस्ती आप किसी का बीमा, रबी या खरीफ दोनों में, किसी काश्तकार का नहीं करें। सिर्फ लोनिंग वाले काश्तकारों का ही है मामला, बाकी वाले से तो प्रीमियम कहां से लाओगे ? वो देगा नहीं, जबरदस्ती खींचकर उसको पकड़कर जेब फाड़कर तो लाने से रहे। बैंक से लोन देते वक्त आप ऐसा कर सकते हैं। यह जो बात मैं बता रहा हूं यह आथेंटिक है, सही जानकारी दे रहा हूं। इसलिए आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके 10 हजार तक के कर्जे माफ करें। खरीफ और रबी दोनों फसलों का जो आपने बीमा किया है, वास्तव में जिस काश्तकार का नुकसान हुआ है, जिंसवार और खसरेवार आप उसका आकलन कराएं क्योंकि काश्तकार ने बीमा भी अपने खेत और अलग अलग जिंस का, अलग-अलग जिंस की अलग-अलग प्रीमियम है उस हिसाब से कराया है। आज आदमी भी कोई बीमा कराता है तो पालिसी अलग-अलग तरह की होती है। ट्रिपल रिस्क पालिसी किसी ने ली, किसी ने सिंगल रिस्क पालिसी ली, तो सिंगल रिस्क वाले को ट्रिपल रिस्क का पेमेंट होगा क्या ? जिसने ट्रिपल रिस्क की पालिसी ली उसको ट्रिपल रिस्क का पेमेंट होगा। इसलिए इसमें जो भी कमियां रह गई हैं, मैं नहीं कहता कि ये कमियां आपकी वजह से रही हैं या हमारी वजह से रही हैं, हमारी वजह से ही मान लो, लेकिन मेहरबानी करके आप इसको सुधार दो। सुधार करना तो आपके हाथ में हैं। अभी इस समय तो इसमें सुझाव दे सकते हैं। पूर्व में हमने चाहे कितने ही गुनाह किये हो, कितने ही पाप किये हों वो पाप तो हमारे पिछले चुनाव में धुल गये। अभी नहीं धुलें ? (व्यवधान) एक बार हरिद्वार गंगाजी जाने के बाद पूराने पाप धुल जाते हैं। वापस आने के बाद नये पाप करता है तो फिर वे उसके और नामे लिख जाते हैं। अब नये पाप करने का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब तो जो कुछ पाप करोगे तो वो आप करोगे। इसलिए मेहरबानी करके आप तो कम से कम ऐसा मत करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो अधिकार इधर के विधायकों को हैं उतने ही अधिकार आपके भी हैं। पाप कोई भी कर सकते हैं तो वो आप भी कर सकते हो।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं अगर इस बात में को यहां नहीं उठाता, मेरा काम है इस सदन में कोई बात है जो समस्याओं से जुड़ी हुई है उसको यहां उठाना, मैं नहीं उठाता तो मैं भी पाप करता।

श्री रामप्रताप कासनिया : निर्दलीय पापी नहीं हो सकते। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस के पाप धोते कितना समय लगेगा ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मैंने 10 हजार कर्ज की बात आपको याद दिला दी। यह फसल बीमा रबी और खरीफ की आपको याद दिला दी। अनिवार्य रूप से बीमा की याद दिला दी। कृषि के बारे में और दूसरी बातें जैसे उन्नत बीज के बारे में, कम वर्षा से होने वाली खेती के बारे में दूसरे सदस्य बहुत सुझाव देंगे, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाह रहा हूं। थोड़ा-सा पशुपालन पर निवेदन करना चाहता हूं।

पशुपालन के बारे में अच्छी नस्ल की गायें, अच्छा दूध देने वाली गायें हमारे वहां पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर, कांग्रेस और राठी, इस नस्ल की गायें हुआ करती थीं जो अब बहुत कम हो गई हैं। अभी भी हैं इस नस्ल की लेकिन उनकी संख्या बहुत घट गई है, कम हो गई है क्योंकि इस नस्ल के सांड उपलब्ध नहीं हैं। जब थारपारकर, कांग्रेस या राठी नस्ल का सांड ही उपलब्ध नहीं होगा तो यह नस्ल लुप्त होनी ही हैं और यह नस्ल लुप्त हो गई। कहने को तो गौवंश है, गिनती में करोगे तो वो भी लाखों में होंगी, लेकिन अगर वह दूध देने वाली नहीं हैं तो उससे किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और किसान भी उसकी परवरिश क्यों करेगा ? किसान गौमाता की सेवा, परवरिश तभी करेगा जब गौमाता भी उसको बदले में कुछ दूध, खाद वगैरह देगी। खाद तो कैसी भी गाय होगी उससे हो जाएगा, लेकिन दूध भी चाहिए।

श्री बंशीलाल खटीक : ...जिस गाय के दूध नहीं है फिर भी यदि आप उसका सर्वांगीण विकास करोगे तो वो सब कुछ ब्याज सहित आपका खर्चा उतार देगी, यदि उसके बारे में आप जानोगे। उसका महत्व दूध देने से ही मत समझो। गाय पूजनीय है, वह सब कुछ देती है अगर आप उसको बराबर समझो तो।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां जो सांड हैं न, इस तरह के जो उपयोगी नहीं हैं, जो नस्ल बिगाड़ रहे हैं उन सारे सांडो को इकट्ठा करके बंशीलालजी के राजसमन्द छोड़ आओ।

श्री बंशीलाल खटीक : मैं तैयार हूं लेने के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी : ...अच्छी नस्ल के सांडो की व्यवस्था करो आप। सांड भी उपलब्ध कराओ, उनकी देखरेख की, चारे की दूसरी सारी व्यवस्था आप करोगे तो होगा। सांड तो आप उपलब्ध कराओ और उसकी देखरेख की व्यवस्था नहीं करोगे तो भी मामला ठीक होने वाला नहीं है, जमने वाला नहीं है। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिये। पहले तो जो अच्छे बछड़े होते थे, अच्छी बैलों की जोड़ी होती थी, बहुत उनकी कीमत होती थी, खेती के काम आते थे। अब टैक्टर से होने लग गई तो टैक्टर से खेती होने की वजह से इनकी उपयोगिता कम हो गई। अब ये बछड़े ज्यादा बड़े करके खेती में काम लेते नहीं हैं तो छोटे बछड़े होते हैं उनको बेचना चाहते हैं, लेकिन मेले में उनको खरीदने वाला नहीं है क्योंकि आउट स्टेट, बाहर भेज नहीं सकते। इस बात का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि यह बछड़ा इतने साल से ऊपर का है, एक साल से ऊपर का है। यह सर्टिफिकेट छोटा है तो कौन देगा ? फर्जी सर्टिफिकेट तो चलता नहीं है। यह आप पाबन्दी हटाइये। इन बछड़ों को बाहर नहीं भेजने दो तो मेले में जो पशुपालन बछड़े छोडकर चले जाते हैं, बिकते तो हैं नहीं, लेता है नहीं कोई। वापस ले जाकर उनको खिलाएगा क्या ? खिलाने को उसके पास चारा नहीं है, अकाल पड़ गया। तो मेहरबानी करके इन बछड़ों को कहीं एक जगह गौशाला ऐसी खोलिये जिनमें इनको भर्ती कर दिया जाए, प्रवेश दिला

(श्री हेमाराम चौधरी)

दिया जाए और वहां चारे की व्यवस्था कर दी जाए। सिणधरी पंचायत समिति में एक पशु मेला था वहां सैकड़ों बछड़ें पशुपालक छोड़कर चले गये। आप कलक्टर से भी मालूम कर लीजिये, यह तो हकीकत है। फिर गांव वालों ने व्यवस्था काफी लम्बे समय तक की। अब जाकर हमारे कोई पशु शिविर खुला हैं, मेरे ख्याल से उसमें कोई व्यवस्था उनकी करने की कोशिश की है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके जहां भी पशु मेले लगते हैं वहां पशुपालक अपने बछड़े बेचने को जाएं तो या तो आप बिकने दीजिये, बाहर जाने दीजिये या वहां जो छोड़कर चले जाएं, मेहरबानी करके सरकार उनकी कोई व्यवस्था करे। या बंशीलालजी के यहां भेज दीजिये। क्या करें आखिर ? वो हमारी आखों के सामने भूखे मरते हैं, हम उनकी दशा देखते हैं तो हमको भी आता हैं कि इनकी क्या दुर्दशा हो रही है। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए मेहरबानी करके इसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिये।

मेरा तो आपसे यही निवेदन है, मैंने कोई आप पर आरोप नहीं लगायें। आप खुद किसान हैं, जितनी तकलीफ मुझे है उतनी आपको भी है किसानों की। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने ही ठेका ले रखा हो। आप वह करना चाहते हैं, आपके मन में भी यह पीड़ा है, सबके मन में है। ऐसी बात नहीं है। आपकी सरकार भी करना चाहती है, हो सकता है कुछ कठिनाइयां हों। लेकिन फिर भी आप मन से प्रयास करें। हो सकता है आपको, जैसे आपका और केन्द्र सरकार का मिलाजुला मामला है फसल बीमा वाला, केन्द्र सरकार के पास आप जाएं और वहां आपको कोई कठिनाई आये तो आप हमें बतायें, हम उनसे भी लड़ेंगे। आपसे लड़ रहे हैं इससे ज्यादा उनसे लड़ेंगे, दुगुने जोश के साथ, दुगुनी तरह से। मैं पूर्व में भी इस तरह से कहता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। करना न करना, यह किसी के हाथ की बात नहीं है। कहने का मतलब प्रयास करने का काम है। इसलिए आप मेहरबानी करके करिये। यह योजना तो अच्छी है लेकिन योजना ढंग से लागू हो, जिस तरीके से, जिस ढंग से लागू होनी चाहिए। तभी तो अच्छी होगी। आज भारतीय जीवन बीमा में आदमी का बीमा होता है, जानवरों का बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, वह क्या सामूहिक

(श्री हेमाराम चौधरी)

इस तरह से होता है ? क्या किसी भी एक तहसील के अन्दर, एक गांव का बीमा होता है कोई ? हेमाराम का अपना बीमा होगा। हेमाराम के परिवार का भी नहीं होता है। हेमाराम का अपना होगा तो हेमाराम के जाने के बाद भी परिवार को अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो किस काम का ? अब आपने तो इस तरह से कह दिया, पूरी तहसील में खराबा होगा तब मिलेगा। हालांकि हमारे यहां पूरी तहसील में खराबा हैं फिर भी नहीं दिया। यह बड़ी एक और अजीब बात हो गई। खैर अजीब बात तो आप ठीक कर दोगे, मुझे विश्वास है, पर इस पर आप सुधार करिये मेहरबानी करके। मेरे तो कोई आरोप नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आपकी बुराई नहीं की, आप इस बात से दुःखी मत होइये। मैंने तो आपको सुझाव दिये हैं, कि आप करिये। हम नहीं कर सके वह आप करिये, अब तो आपके ही हाथ में है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल। तगाराम जी, आप रहने दीजिये।

श्री तगाराम चौधरी :एक छोटा-सा निवेदन है।

श्री हेमाराम चौधरी : इनको मेरी हर बात पर स्पष्टीकरण देना जरूरी है, चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, तगारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने इनका नाम नहीं लिया, इनके बारे में कुछ कहा नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : बाद में कह देना।

श्री तगाराम चौधरी : पहले अटलजी की सरकार थी और अब जो मनमोहनजी की सरकार है इसकी बात आई हैं, मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि अटलजी की सरकार रिमोट से नहीं चलती थी। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये कृषि के मामले में बहुत विद्वान आदमी हैं, आप अपना स्पष्टीकरण करो, साहब। दिलाओ, दिलाओ स्पष्टीकरण।

श्री हेमाराम चौधरी : इनको तो समझ में आए तब मैं बता दूंगा के कब आएगा, अब समझ में आ गया।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा तो यह है कि अब की जो सरकार है वह रिमोट से चलती है, अटलजी की सरकार रिमोट से नहीं चल रही थी।

श्री हेमाराम चौधरी : अटलजी पर जो सुदर्शन चक्र आ पड़ा, उसको तो हटाओ। (व्यवधान) यह सुदर्शन चक्र है, इसका तो कुछ बताओ। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : इटली से तो नहीं चली ना, नागपुर से ही चल रही थी। यह सरकार कैसे चल रही है, सारा देश देख रहा है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कैसे चल रही है, आप अंधेरे में घूम रहे हो। आप तो अंधेरे में घूम रहे हो, पता ही नहीं आपको। आप ज्यादा मत बोलो, आपको तो मंत्री बनना है। ज्यादा बोलोगे तो नम्बर कम हो जाएंगे। हम कहेंगे तो मंत्री बनाएंगे आपको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो सुदर्शन और नागपुर बन्द करो, मैं अपनी बात कहूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में अपनी बात इस पवित्र सदन में कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में बहुत बातें सदन में रखीं। गुढ़ामालानी से आने वाले हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने भी किसान के सम्बन्ध में अपनी बात रखी। मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, उससे पूर्व माननीय सदस्य से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कोई विधि या कानून अगर एक बार बन जाता है तो उसके सुधार के लिए, उसकी गलती निकालने के लिए तरीका यह नहीं है कि उसमें सुधार किया जाए। उसमें गलती या सुधार के लिए तरीका

(श्री जोगाराम पटेल)

यह है कि उसमें अमेडमेंट के लिए या संशोधन के लिए प्रार्थना की जाए या विधि अनुसार कार्यवाही की जाए ताकि जो किसान की आपकी और हमारी पीड़ा है, उसका सही निराकरण हो सके। कृषि बीमा योजना में सम्बन्धित जो कानून है, आज की तारीख में उसमें तहसील को इकाई मानकर उसके खराबे के आधार पर मुआवजा देने या नहीं देने का प्रावधान है। जब तक यह प्रावधान प्रभाव में है, किसी भी राजनैतिक पार्टी की सरकार हो, उसके मुआवजे को उसी आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिस आधार पर कानून बना हुआ है। जो आधार माननीय सदस्य बताना चाहते हैं, जो आधार वह अंकित कर रहे हैं या उल्लिखित कर रहे हैं, उस आधार में भी अपने आप में बुराइयां हैं। कृषि बीमा योजना से सम्बन्धित उन्होंने यह कहा कि व्यक्ति का बीमा होता है तो क्यों नहीं एक खेत का बीमा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह बीमा योजना जिस व्यक्ति ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य बैंक से लोन लिया, उस पर योजना आवश्यक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी काश्तकार ने अपनी सुविधा से अपनी सहायता के लिए किसी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लिया है, उस विधि में लिखे हुए प्रावधान के अनुसार उसका बीमा अनिवार्य हैं, यह उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई दुपहिया वाहन या चार पहिया वाहन ले और यह कहे कि मैं इसका बीमा नहीं कराऊंगा, यह उसकी इच्छा पर या उसकी बिल पर नहीं निर्भर करता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी बैंक या अन्य किसी संस्था से जो राष्ट्रीयकृत संस्था हैं, लोन ले तो उस लोन की रिकवरी के लिए एक प्रावधान बनाया गया है कि अपनी फसल का बीमा कराओगे इसलिए उसी के तहत बीमा किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह एक कटु सत्य है कि जिस वक्त यह प्रावधान लाया गया, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में या अन्यत्र क्षेत्र में, कि एक खेत में खराबा हो सकता है तो दूसरे खेत में खराबा नहीं भी हो सकता है। परन्तु इसका दूसरा पक्ष और है, उसकी ओर भी माननीय सदस्य को ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति

(श्री जोगाराम पटेल)

अपनी फसल का बीमा कराना चाहता है और अगर तहसील को एक इकाई नहीं रखा जाए या पंचायत को इकाई नहीं रखा जाएं या पटवार सर्कल को इकाई नहीं रखा जाएं और यह जान-बूझकर दुरुपयोग ही करें तो ऐसी सम्भावना भी आने की सम्भावना हैं। इसलिए बीमा किया जाता हैं तो किसी एक व्यक्ति का ध्यान में रखकर नहीं किया जाता हैं। कानून जो बनाया जाता है, किसी एक व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता हैं। वह समग्र आने वाली हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता हैं। एंसी स्थिति में अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो यह कोई पक्ष और विपक्ष का आरोप नहीं हो सकता, यह नो विधि में प्रावधान जो हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता हैं। उसके लिए आप और हम सब मिलकर प्रयास करें तो इसमें आवश्यक संशीर्धन हो सकता हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विविधताओं से भरा है। राजस्थान में 34,200 वर्ग किलोमीटर जो भूमि है, उस भूमि में हर 50 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर या 200 किलोमीटर के बाद में विविधता आती है। भाषा बदल जाती है, कृषि की उपज बदल जाती है। उत्पादन का आकार बदल जाता है, पैदा करने की संस्कृति बदल जाती है। इस प्रदेश में जितने जिले हैं, उसके अनुसार आप देखें, अलग-अलग फसलें पैदा होती हैं, अलग-अलग जिंस पैदा होती है, अलग-अलग बोने का तरीका है और अलग अलग पैदावार लने का भी तरीका है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रदेश में बहुत कम है और प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वह भी बहुत कम है। प्रति बीघा जो उत्पादन है वह बहुत कम है। अमेरिका में एक व्यक्ति जो पैदा करता है, यहां एक गांव या आधा प्रदेश भी पैदा नहीं करता है, इसलिए जनसंख्या के आधार पर भी इसमें क्राइटेरिया है। हमारे प्रदेश का एक चौथाई भौगोलिक दृष्टि से मरूस्थल है जो पश्चिमी प्रदेश है, पश्चिमी क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग पशुपालन पर निर्भर है जो 72 या 71 प्रतिशत है। हमारे निवासी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। मौजूदा सरकार आने के बाद मैं धन्यवाद दूंगा हमारी लोकप्रिय

(श्री जोगाराम पटेल)

(15.27 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे कृषि मंत्रीजी को कि उन्होंने पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए और इससे सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए चाहे वे पशुपालन नहीं भी करते हों, चाहे वे कृषि भी नहीं करते हों पर इन फसलों पर निर्भर हैं, इस व्यवस्था पर निर्भर हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। मैं उनमें से कुछ, जो योजना बनाई गई हैं, उसके लिए आपको निवेदन करूंगा। कृषि और पशुपालन पर हमारा यह प्रदेश निर्भर है। पश्चिमी राजस्थान मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है और इस व्यवसाय का राजस्थान के विकास में करीब 19 प्रतिशत योगदान है। हमारे यहां करीब 419.46 लाख पशु हैं और इन पशुओं के लिए प्रदेश में अनेकों तरह की व्यवस्थाएं हैं। इन पशुओं से 10 प्रतिशत दूध हमें प्राप्त होता है, 30 प्रतिशत मांस प्राप्त होता है और 40 प्रतिशत ऊन इनसे प्राप्त होती है। इनकी सुरक्षा हेतु हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने 7,500 गौवंश इकाइयों का निर्धारण किया है, उनकी व्यवस्था की है। हर 10 किलोमीटर या उसके उपरान्त इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अभी 1425 एनीमल अस्पताल कार्यरत हैं, 285 अस्पताल कार्यरत हैं और 1287 उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। इनको विभाजित करके अलग-अलग क्षेत्रों में सभी तरह के पशुओं को इनका लाभ मिले, इसलिए सात और इकाइयां बनाई गई हैं, सात सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। तीन आरक्षण दल बनाये गये हैं जो इन पर बराबर निगरानी रखेंगे और यह देखेंगे कि ये जो अस्पताल हैं, औषधालय हैं, इनका पूरा का पूरा लाभ पशुओं को प्राप्त हो रहा हैं अथवा नहीं। इस हेतु राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला जयपुर में और क्षेत्रीय स्तर पर रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान का पूरा भाग पशुपालन पर निर्भर है। इस सूचना को ध्यान में रखते हुए इस बजट में

(श्री जोगाराम पटेल)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं अपनी बात समय सीमा में बन्द करने का प्रयास करूंगा, आपका संकेत मुझे प्राप्त हुआ।

मैं विशेष रूप से यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार ने गौशालाओं के विकास हेतु अनेक योजनाएं चलाई हैं, उन्हें अनुदान देने का प्रयास किया है। इसी के तहत पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात के दो-तीन भागों में पचमेड़ा की गौशाला है उसको 1099 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। 33 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं उनको अनुदान दिया गया है और इन पर, मानिटरिंग के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जो 642 पंजीकृत गौशालाएं हैं जिनमें करीब एक करोड़ के आस-पास विभिन्न प्रकार के पशु हैं, उनको सहायता के लिए भी प्रावधान किया गया है। 2004-05 की बजाय इस बजट में अधिक प्रावधान किया गया है। विभिन्न विभागीय योजनाएं लागू की गई हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने आदिवासी क्षेत्र में पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेज की घोषणाएं की हैं और उनसे उनको बहुत ही लाभ मिल रहा है। पशुपालकों के परिवारों के लिए, बच्चों के लिए भी विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। यह पहली बार है। राजस्थान का गठन होने के बाद विभिन्न सरकारें आई पर किसी भी सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की। पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और आवासीय सुविधा प्रारम्भ की गई है। तीन जिलों का जहां मिलान होता है वहां सुमेरपुर में इन बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। इतना ही नही, पशुओं के चराई के लिए भी क्षेत्रवार स्थान निश्चित किये गये हैं। मैं कुछ निवेदन भी हमारी माननीय मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री से करूंगा कि इन पशुओं के चराई हेतु स्थान निश्चित किया जाना भी आवश्यक है, व्यवस्था की जाना भी आवश्यक है, क्योंकि जहां भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वे धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं और वन क्षेत्र में इनको चराने में तकलीफ हो रही है। वन हो, ओरण हो, गोचर हो, इनकी व्यवस्था की जाए तो पशुओं को चराई हेतु व्यवस्था हो सकती है। माननीय सभापतिजी, इतना ही नहीं, नदी के तट पर जो भूमियां

(श्री जोगाराम पटेल)

बेकार पड़ी हैं उनको इनके लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनका उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता, बहुत ही बंजर है। घास की उपज वहां पैदा कर पशुपालकों के पशुओं की चराई के लिए व्यवस्था की जा सकती है। इसी के साथ उन्नत किस्म के पशु के लिए भी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं हैं जैसा कि अभी सदन का ध्यान दिलाया गया।

माननीय उप सभापति महोदय, इसके अलावा कृषकों के हित में राजस्थान में पहली बार जीरा की मंडी जोधपुर में विकसित करने का जो प्रावधान रखा गया है, किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। प्रदेश में जीरा पैदा करने वाले जो जिले हैं वह जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर का भाग है इसलिए इसका पूरा-पूरा लाभ उन काश्तकारों को मिलेगा। कृषि उत्पादन में जो इस वर्ष 136 करोड़ 74 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, पहली बार इतना बड़ा प्रावधान किया गया है, इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना बड़ा प्रावधान किया गया था, इतना ही नहीं, अमूल नीर योजना के तहत किसानों को सिंचाई हेतु पूरे साधन मिलें और जल संरक्षण, फव्वारा पद्धति, बून्द-बून्द पाइप लाइन इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, यह सब किसानों के हितों के लिए की गई है। जैसा कि हर माननीय सदस्य को जानकारी है, पानी का स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है और काश्तकारों के लिए सिंचाई की योजना दिनों-दिन खटाई में पड़ती जा रही है। इस हेतु हमारी सरकार ने बून्द-बून्द योजना, जल फव्वारा योजना और इससे सम्बन्धित जल संरक्षण योजनाएं जो लागू की हैं, इनसे किसानों को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा।

माननीय सदस्यों का यह भी निवेदन है कि गिरदावरी के आधार पर फसल बीमा योजना लागू की जाएं। परन्तु फसल बीमा का फायदा अगर वास्तविक रूप में लिया जाए तो वह फायदा भी मिल सकता है। पहली बार इस बजट प्रावधान के द्वारा जीरे को भी फसल बीमा योजना के तहत लाया गया है और बजट प्रावधान बढ़ाया गया है, इन सब से यह बखूबी स्पष्ट है कि

(श्री जोगाराम पटेल)

यह सरकार किसानों की बहुत हितकारी सरकार है, पशुपालकों की हितकारी सरकार है और पहली बार विशेष रूप से पशुपालकों, किसानों व ग्रामीणों का इतना ध्यान रखा गया है। इससे पहले इतना ध्यान नहीं रखा गया है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, अभी...

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करें।

श्री जोगाराम पटेल : दो मिनट में, एक मिनट में खतम कर दूंगा बात, सिर्फ एक मिनट में ही।

अभी यह बतलाया गया कि यहां पर उन्नत बीजों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। पर मौजूदा बजट में हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने, हमारी सरकार ने उन्नत बीजों की व्यवस्था हेतु कृषि विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तरीय एवं राज्य स्तरीय निगमों, संस्थाओं को परिणाम आधारित सहायता देने का भी प्रावधान किया है जिससे उन्नत बीज काश्तकारों को प्राप्त होंगे। अगर उन्न्त बीज काश्तकारों को मिलेंगे तो काश्तकार फसल बढ़िया पैदा करेंगे और वे ज्यादा फसल देंगे, कम भूमि में अधिक पैदावार होगी तो देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा।

मैं अन्त में यह भी निवेदन करूंगा कि टिश्यू कल्चर के आधार पर गुणवत्ता बनाने की जो योजना इस बजट में रखी गई है, उससे भी काश्तकारों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं एक विषय पर मेरे सभी वरिष्ठ साथियों से, आदरणीय, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये दो विषय जो हैं- कृषि और पशुपालन, बिना किसी वाद-विवाद के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के भेदभाव के, यह हर काश्तकार, हर पशुपालक के हित की बात है, जो आवश्यक सुझाव हों, जो जरूरी सुझाव हों, वे दिये जाएं। पर मैं इतना निवेदन करूंगा कि मौजूदा सरकार ने, हमारी आदणीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे कृषि मंत्रीजी ने इस बजट में पशुपालकों और काश्तकारों के लिए जो ध्यान रखा है, ऐसा ध्यान कभी भी नहीं रखा गया है और इस बजट के परिणाम से

(श्री जोगाराम पटेल)

काश्तकारों का और पशुपालकों का बहुत बड़ा विकास होगा। आदरणीय सभापतिजी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने समय दिया। मैं आदरणीय सभी सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं कि मेरी बात उन्होंने ध्यान से सुनी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रणधीर सिंह भीण्डर। माननीय श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39 के ऊपर चर्चा में मैं भी अपने आप को सम्मिलित करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारे प्रदेश के किसान जो दिन-रात अपने खेतों में काम करते हैं, उनकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं हैं। उनकी माली हालत सुधारने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में पर्याप्त सुधार करने चाहिए जिसकी वजह से किसानों का खुद का स्तर ऊंचा उठेगा और प्रदेश भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजबूत होगा। इसके लिए, माननीय सभापति महोदय, आवश्यक है कि किसान के खेतों में सिंचाई हेतु सिंचाई के साधन बढ़ाये जाएं, उन्नत बीज, उन्न्त खाद इनकी व्यवस्था करवाई जाए। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पास ही मण्डियों का निर्माण हो, आवागमन के साधन सुलभ कराये जाएं। हर दृष्टि से यदि किसान को प्रोत्साहित किया जाएगा तो निश्चित रूप से किसान अपनी पैदावार बढ़ाने में सक्षम होगा। इस दिशा में हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इस मौजूदा बजट में उठाये गये कदमों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें बारम्बार धन्यवाद भी देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग पच्चीस वर्षों से गागरीन बांध को बंधवाने की तत्कालिन सरकारों से क्षेत्र के किसानों के द्वारा समय-समय के ऊपर मांग की गई। लेकिन लगभग 25 वर्ष बाद हमारी मुख्य

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

मंत्री महोदया ने उस मांग को स्वीकार करते हुए इस मौजूदा बजट में गांगरेन बांध को बंधवाने का रास्ता प्रशस्त करते हुए सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्ताव भिजवा दिये हैं, इसके लिए मैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के समस्त किसान मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से काफी सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को अपनी उपज पास ही बेचने हेतु मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदया से और कृषि मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में दो गौण मंडियों-रायपुर और पिड़ावा की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि किसानों को अपनी उपज पास ही बेचने का लाभ प्राप्त हो सके। मैं मुख्य मंत्री महोदया का और कृषि मंत्री महोदया का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि दोनों कृषि उपज गौण मंडियां आपके द्वारा स्वीकृत की गयीं। स्वीकृत ही नहीं की गयीं बल्कि भूमि उपलब्ध करायी गयी और बाउन्ड्रीवाल और गेट और चौकी निर्माण हेतु बीस-बीस लाख रुपये भी दोनों गौण मंडियों हेतु स्वीकृत कर दिये गये। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदया का और कृषि मंत्री महोदया का बारम्बार धन्यवाद प्रदान करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसान खेती करता है, उसकी जिन्दगी हमेशा खतरों से खेलती रहती है। रात-रात भर खेतों में पिलाई करता है वहां सांप का, बिच्छुओं का डर बना रहता है। करंट से कितने ही किसान मर गये ओर मर जाते हैं। कृषि कार्य करते हुए किसान की मौत हो जाती थी उसके लिए अभी तक 30 हजार का प्रावधान पूर्ववर्ती सरकार ने किया हुआ था। लेकिन इस बार हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदया ने कृषि कार्य करते हुए किसान की मौत के ऊपर उसके परिवार को पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की जो बजट में घोषणा की है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य घोषणा है और समस्त किसान वर्ग इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से आभार प्रकट करता है।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

सभापति महोदय, किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने के लिए कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें बनाये जाने का प्रावधान है। मैंने मेरे क्षेत्र में तीन-तीन किलोमीटर की दो सड़कों की मांग रखी है लेकिन अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं हुई हैं। कृषि मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सिरपोई से सामरिया, धरोनिया से सरोनिया दो तीन-तीन किलोमीटर की सड़कों हैं जिन्हें आप कृषि विपणन बोर्ड से स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में काफी सहायता उपलब्ध होगी। साथ ही मैं मुख्य मंत्री महोदया से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में काफी बड़े नाले भी बहते हैं और छोटी नदियां भी हैं, उन पर यदि हम एनिकट्स निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से वहां के किसान अपनी उपजाऊ भूमि को अधिक उपजाऊ के काबिल बना सकेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुख्य मंत्री महोदया द्वारा मेरे क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण एनिकट्स हैं उनकी स्वीकृति निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में चंबली डैम जब माननीय शेखावत साहब की सरकार थी उस समय स्वीकृत हुआ था और उस पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया था। क्षेत्र के किसानों को बहुत अधिक मुआवजा तो उसी समय प्रदान कर दिया गया था लेकिन बीच में पांच साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही उस समय किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया । मात्र दो करोड़ का मुआवजा पांच साल के भीतर-भीतर अदा किया गया, जबकि करोंड़ो का मुआवजा किसानों का बकाया चल रहा था। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 8 करोड़ का मुआवजा इसी वर्ष उन किसानों को दिया है। मैं इसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उस समय एक और अन्याय उन किसानों के साथ हुआ, जिन किसानों की सिंचित भूमि थी उस भूमि को असिंचित मान कर असिंचित का मुआवजा दिया गया। हमने अभी मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध किया कि जिन किसानों की सिंचित भूमि है उनको सिंचित का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

सरकार ने ऐसा न करके सिंचित भूमि का असिंचित भूमि मान कर मुआवता दिया था। मुख्य मंत्री महोदया ने इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया और उन्होंने डूब में आने वाले किसानों को सबको आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से यदि आपके साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो मैं उसका डिफरेंस निकलवा कर आपको आपका वाजिब मुआवजा निश्चित रूप से दिलवाऊंगी। यह आश्वासन हमारे डूब में आने वाले किसानों को मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिया गया, मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही उस मुआवजे का भुगतान उन किसानों को कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पशु के बिना किसान की खेती अधूरी है। पशु किसान का महत्वपूर्ण साथी है। यदि किसान को पशुओं का सहारा नहीं हो, उनकी सहायता नहीं मिले तो वो अपनी खेती की उपज पूर्ण रूप से नहीं ले पाता है। बैलों के द्वारा खेतों की जुताई होती है...

श्री सभापति : समाप्त करें अब आप।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार : बस दो मिनट और। पशुधन से हमें गोबर प्राप्त होता है जो हमारे खेतों में खाद के रूप में काम आता है। इस दृष्टि से पशु किसानों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उस तुलना में पशुओं की ओर हमारा ध्यान बहुत कम जा पा रहा है। जितनी सेवा पशु किसान को देता हैं उसके अनुपात में उसकी परवाह बहुत कम की जा रही है। मेरे क्षेत्र के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में कहीं डाक्टर्स नहीं हैं, कहीं कम्पाउंडर्स नहीं हैं और कहीं-कहीं तो चपरासी ही पूरा अस्पताल चला रहे हैं। मैं पशुपालन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के जितने भी पशु चिकित्सालय हैं उनमें शीघ्र ही वांछित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए ताकि पशुधन के स्वास्थ्य को उपचार दिलाया जा सके। इस बार गौवंश की देखभाल हेतु, गौवंश के संवर्द्धन हेतु मुख्य मंत्री महोदया ने गौशाला आयोग को आर्थिक सहायता प्रदान कर जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री

महोदया का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे क्षेत्र में तीन गौशालाएं संचालित हैं, दो गौशालाओं में गायों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से मैं पशुपालन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि धरोनिया और सिरपोई दोनों गौशालाओं में एक-एक ट्यूबवैल और एक-एक खेल का निर्माण कराया जाए ताकि गायों को पानी सुलभ हो सके।

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, 15 मिनट हो गये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार : माननीय सभापति महोदय, मेरा पूरा होने जा रहा है।

श्री सभापति : बस अब पूरा ही है आपका। माननीय श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार : आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बोलें तो बोल लें आप। दो मिनट और बोल लें।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार : एक बात कहूंगा, मेरे क्षेत्र में...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : पहली बार नहीं, 53 साल से यहां बहस कर रहे हो, कुछ इसका सार निकला हो तो।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार : मेरे क्षेत्र में सन्तरे के बगीचे बहुत ज्यादा हैं। सन्तरे की बहुतायत में खेती होती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कभी खिलाये तो नहीं किसी को।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार : पधारें, साहब, स्वागत है आपका। मैं यह कह रहा था कि इस वर्ष उद्यान विकास हेतु भी मुख्य मंत्री महोदय ने जो 66 करोड़ 53 लाख से बढ़ाकर 136 करोड़ 73 लाख की घोषणा की है, उसका तो

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

मैं हार्दिक स्वागत करता ही हूं और आभार भी प्रकट करता हूं, साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में इतने बहुतायत में सन्तरे पैदा होते हैं कि कभी-कभी किसानों को कौड़ियों के मोल अपने सन्तरे बेचने पड़ते हैं। यदि झालावाड़ जिले में कहीं भी एक भी सन्तरा उत्पादन से सम्बन्धित कोई ज्यूस आदि की फैक्ट्री लगा दी जाए तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा हो रही है, मैं भी आपके माध्यम से अपने विचार इस चर्चा में पेश कर रहा हूं। सभापति महोदय, 53 साल से इस सदन में बहस चल रही है और आज कृषि और पशुपालन पर बहस है, जितने भी माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं या तो खेती करते है या खेती करने वाले से कुछ सम्बन्ध रखते हैं या कुछ खरीदते हैं, उनको पता हैं कि आज किसान की क्या दशा है। आज इस प्रदेश की 5 करोड़ से अधिक जनता का और देश की 100 करोड़ से अधिक जनता का पेट भरने वाला, जो इस देश का अन्नदाता कहा जाता है, उस किसान की दशा यह है कि वह धरती का सीना चीरकर अपने खून-पसीने से पैदावार अपने खलिहान से निकालकर जब बाजार में लेकर जाता है तो खुली बोली में नीलामी के साथ उसका माल बिकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि 53 साल से आप बहस कर रहे हैं उस बहस का सार कुछ निकला हो, उस बहस की कोई क्रियान्विति हुई हो तो कोई सदस्य इस सदन में बता दें कि इस बहस का यह सार निकला। सभापति महोदय, मैं जो भी बात आपके माध्यम से रखने जाऊंगा, बिलकुल सच्चाई रखूंगा। न कोई आरोप लगाऊंगा, न प्रत्यारोप करूंगा। जो एक बीड़ी का बंडल बनाता है, 4 रुपये 30 पैसे लेता है तो 4 रुपये 30 पैसे में ही बेचेगा। जो एक चप्पल की जोड़ी बेचता हैं, 99.99 रुपये लेगा तो वह 99.99 रुपये में ही बेचेगा। पर किसान जो अपने खून और पसीने से फसल पैदा करता है, उसको अपनी

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मनमानी रेट से उस फसल को बेचने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि उसकी आवाज उठाने वाले कमजोर है, उसके नुमाइन्दे कमजोर है। उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कमजोर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यमं से यह निवेदन करना चाहूंगा, सरकारें बदलती हैं, 5 साल यह करते हैं, 5 साल यह करते हैं, पर व्यवस्था नहीं बदलती है। 5 साल तक इनका शासन रहा, इनकी भी अभी एक-दो बातें कहूंगा, और 5 साल का शासन इनका रहेगा। साढ़े तीन साल में इनको भी झांली-झंड़ा लेकर घर भेज देंगे। वही किसान है जिसके पास यह ताकत हैं हिन्दुस्तान में किसी को सत्ता में बैठाता है तो वह किसान अपनी ताकत से बैठाता हैं। प्रदेश में किसान अपनी ताकत से सत्ता में बैठाता है और उसी किसान के बल पर हम सब लोग इस सदन के सदस्य चुनकर आते हैं।

सभापति महोदय, आज बजट में प्रावधान रखा गया कृषि और पशु पालन के लिये 142.23 करोड़ रुपये का, जबकि वार्षिक योजना का आकार 7 हजार 31 करोड़ रुपये है और इस प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी खेती और पशुपालन पर अपना जीवन यापन करती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा, कृषि मंत्रीजी, आप तो किसानों के लिये इतना ही कर दो कि इनको मिलावटी बीज से बचाओ, मिलावटी खाद से बचाओ और उनसे जो लोग बिना लाइसेंस की दुकानें चलाते हैं। अभी वन और पर्यावरण पर टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अफसरों की लम्बी चौड़ी फौज है मैं कहना चाहूंगा कि सभी जन प्रतिनिधि एक से नहीं होते, उसी तरह सभी अफसर भी एक से नहीं होते। यह उधाई है, आपके दोनों विभाग में उधाई लगी हुई है। पहले आप कोई अच्छा स्प्रे मंगाकर इस उधाई पर छिड़काव करो जिससे राजस्थान के किसानों को इस उधाई से छुटकारा मिले। जो नकली दवाइयां बेचते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। जो नकली बीज बेचते है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। डीजल का मामला आपका नहीं है, डीजल में भी भारी मिलावट होती है। ये सब चीजें जो लोग बेचते हैं, उनके कितने केस होते हैं ?

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिना लाइसेंस की दुकानों से बीज बेचते हैं, खाद बेचते हैं, अन्य प्रकार की कृषि सामग्री बेचते हैं, उनके खिलाफ आपको कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, पर इस सदन का समय जाया न कर खास मुद्दे की बात यह है कि सरकार किसी की भी हो, किसान को आज तक न्याय नहीं मिला। यही होता आया हैं, यह हो रहा है और यही होता रहेगा।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की बात भी निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले में भू-जल स्तर बहुत गिर गया है। इतना पानी खराब हो गया कि अब जो खेती करने वाले लोग हैं, जमीन भी उनकी खराब हो गई। आये साल उसमें जिप्सम डालते हैं तो कुछ-कुछ अनाज पैदा होता है। नहर इलाके की जमीन में जो खेती होती है वह खेती सस्ती पड़ती है। हमारे लोग जो कुओं से खेती करते हैं, वह खेती चाहे बिजली से लेओ, चाहे आप हाथ से लेओ, चाहे आप डीजल से लेओ, चाहे आप बीज से लेओ, चाहे आप जिप्सम से लेओ, हर प्रकार से उन खेती करने वालों को घाटा ही घाटा रहता है। सभापति महोदय, हमारे इलाके में अब तो पूरा डार्क जोन घोषित हो गया। जमीन की हालत यह है कि रात को पानी पिलाओ, सुबह आपको बिलकुल सफेद जमीन दिखेगी। इतना खार उभरता हैं उस जमीन में। फसल बोने पर तरह-तरह की बीमारियां उन फसलों में लगती हैं। अबके सरसों की फसल में इतनी अल लगा कि 8-9 मण बीघा पर उतरने वाली सरसों चार-साढ़े चार मण पर आकर रह गई। सभापति महोदय, सरकार इतना कर सकती हैं कि समर्थन मूल्य की घोषणा करे। सरकार के बूते की बात नहीं हैं, चाहे इनकी हो चाहे इनकी हो, कि पूरी सरसों की खरीद कर ले, पूरे धान की खरीद कर ले। पर यह बात बस की जरूर है कि समर्थन मूल्य की घोषणा समय पर हो जाए तो किसान को 2-3 सौ रुपये ज्यादा के भाव मिलते रहें। यह फायदा किसान को हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से 2-4 बातें पशु पालन के लिये निवेदन करना चाहूंगा। यूं तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में ही पशुपालन पर लोग निर्भर हैं, खेती

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पर लोग निर्भर हैं, पर हमारे जिले की जो नस्ल है, जिसका मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, नागौर का प्रसिद्ध बैल। प्रदेश में 10 पशु मेले लगते हैं उनमें से तीन सबसे बड़े मेले हमारे नागौर में लगते हैं वीर तेजाजी का मेला परबतसर, रामदेवरा पशु मेला नागौर और मेड़ता सिटी में बलदेव पशु मेला लगता है। डीडवाना में पशु मेला लगता है। ये सब मेले खतम हो गये। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बछड़ों पर रोक लगी है। उससे अब लोग गाय पालते ही नहीं, रखते ही नहीं। साढ़े तीन-चार रुपये किलो का चारा खिलाकर गाय से अगर कोई आमदनी न हो तो, सभापति महोदय, कौन गाय पालेगा ? गायों की आज जो दुर्दशा हो रही है, मेले सब खतम हो रहे हैं, उससे किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। सभपति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 30 लाख पशुओं की संख्या हमारे नागौर जिले में है, इस संख्या को देखते हुए आप वेटरिनरी कालेज नागौर में खेलो। इसमें आप संशोधन करके बछड़ो को बाहर भेजने पर जो रोक लगी हुई है उस रोक को हटाकर पश्चिमी राजस्थान के किसानों को राहत पहुंचाएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, नागौर में पशुओं की संख्या 30 लाख, पशु औषधालय 12, पशु चिकित्सालय 71 और उप केन्द्र 67 हैं। इनमें भेड़ें भी हैं, भेड़ पालक भी खूब हैं। भेड़ो की संख्या इन 30 लाख के अन्दर शामिल हैं। भेड़ी में तरह-तरह के रोग आते हैं-पिड़किया, भेड़ माता आती है, कई तरह के रोग आते हैं लेकिन इनके हास्पिटल में भेड़ो का टीका उपलब्ध नहीं है। गायों में रोग आता हैं मुंह पका-खुरपका, उसके लिए इनके पास दवाइयां नहीं हैं। सभापति महोदय, मेरे गांव में तीन गौशालाएं चलती हैं, कई संस्थाएं चलाती हैं उनको। अभी तीन महीने पहले मुहंपका-खुरपका रोग आया, उसके लिए जिला पशुपालन अधिकारी से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका टीका नहीं है, आप बाहर से मंगवा लीजिए, लगवाने की व्यवस्था हम कर देंगे।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

जो गरीब लोग भेड़ पालते हैं, गायों के टीके लगते हैं ये दवाइयां भी आप उपलब्ध नहीं करा सकते तो मैं मानता हूं कि सरकार पशुपालन के प्रति गम्भीर नहीं है। आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए।

जहां पद रिक्त हैं उनको भरवाना चाहिए। पशुओं को बचाने के लिए सरकार की तरफ से आपको कदम उठाने चाहिए कि आपके हर हास्पिटल में दवाइयां उपलब्ध हों और किसानों तक दवाइयां पहुंचती रहें।

किसानों के लिए मैंने बातें कही, पशुपालन के लिए कहीं, सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रतिभाजी।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मांग 37 व 39 पर अपने विचार रखना चाहती हूं।

राजस्थान हमारे पूरे राजस्थान का कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है। हमारी जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग आज भी गांवों में निवास करता है। 75 प्रतिशत में से भी 5 प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि के अलावा कार्य करती है, बाकी 70 प्रतिशत लोगों की इकोनोमी है वह खेती के ऊपर ही निर्भर है।

कई सरकारें आईं और गईं लेकिन किसान की हालत बद से बदतर होती गई। आज किसान की हालत यह है कि वह बहुत परेशान है। किसान को बिजली नहीं है। बिजली दे रहे हैं तो तब जब फसल पकने का टाइम हो, तो उसकी वी.सी.आर. इतनी तगड़ी भर दी जाती हैं कि उस वी.सी.आर. की रकम के अन्दर उसकी पूरी फसल की कीमत है उसका समायोजन हो जाए। कुल मिलाकर एक खाका जो राजस्थान के मानचित्र पर किसान का उभरता है वह यह है कि किसान का पूरा शोषण हो रहा है।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

जबकि जो भी सरकार बनती हैं, किसान का शोर उठाकर बनती हैं कि हम किसान के लिए स्कीम लाएंगे। लेकिन वह एक लोक लुभावना वादा-सा होता है वोट लेने का। वोट लेने के बाद जो भी सरकारें नीति निर्धारण करती हैं उनको काकस के लोग घेर लेते हैं जो किसान की बात, जो भी पोस्ट पर आदमी होता है उस तक पहुंचने नहीं देते।

पहले राज्य में कृषि थी मानसून पर आधारित। हमेशा से रही। आज खेती मानसून के साथ-साथ राज पर भी आधारित हो गई हैं। राज पर इस तरीके से आधारित हो गई है कि बिजली दे तो सरकार दे सात घण्टे का डिसीजन लें, छह घण्टे का लें, आठ घण्टे का लें। बीज मुहैया करवाए तो वह सरकार करवाती है। कृषि की सहयोगी और भी जो चीजें हैं, कृषि की बुवाई के अन्दर, उन सबकी व्यवस्था राज्य के द्वारा होती है इसलिए कृषि मानसून के साथ-साथ राज के ऊपर भी डिपेंड हो गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि जल का कुशलता से उपयोग हेतु जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जैसे फव्वारा , बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई, पाइप लाइन पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो कि पिछले सालों से चल रहा है। पिछले सालों के हम आंकड़े देखें तो कोई विशेष प्रगति इन कार्यों के अन्दर नहीं हुई है। कृषि विभाग के प्रशासनिक और प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार फव्वारा सिंचाई के लिए वर्ष 2004-05 का लक्ष्य हमने 24 हजार किसानों का रखा कि हम इनको लाभान्वित करेंगे। लेकिन आप इनका लाभ देखिए, माह दिसम्बर, 2004 तक यानि नौ महिने के अन्दर हम मात्र 2607 किसानों को ही इसमें लाभान्वित कर सके। इसका लाभ देखिए आप गैप का, कितना तगड़ा है। अब आप तीन महीने में क्या कर देंगे ?

इसी तरीके से हमने लक्ष्य रखा 35 हजार किसानों का। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि टारगेट अचीव करने में हमारी जो

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

इच्छाशक्ति की कमजोरी है, चाहे उसके कारण कोई भी रहे हों, उसका सब खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है।

हमारे अपने टारगेट बना लिये, लोगों के सामने आकंड़ा दे दिया लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रैस होना चाहिए इन टारगेट को अचीव करने के लिए, उसमें जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कार्यवाही नहीं करें और उसको खुला छोड़ दें। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि टारगेट को अचीव करने के लिए हमें लोंगों की जिम्मेदारी नियत करनी चाहिए।

वर्तमान में हमने फव्वारा सिंचाई के अन्दर 340 का लक्ष्य रखकर 60 किसानों को ही लाभ दिया। हमारे जो टारगेट हैं और जो हम कर रहे हैं, उनका अन्तर देखिए। फिर हम सब बैठकर सपने लें कि हम कृषि की हालत को सुधार देंगे, तो यह कैसे सम्भव है ?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि खेत, तलाई इसमें जो प्रगति वर्ष 2003-04 की थी वह 704 थी, 2004-05 में हमने इसको 500 कर दिया लेकिन इसमें लाभान्वित 323 किसान ही हुए हैं। आपके आंकड़े में कथनी और करनी का अन्तर हैं इसे दुरूस्त करिए, वर्ना आप पर से, इस व्यवस्था पर से किसानों का विश्वास हट जाएगा।

ड्रिप सिंचाई पद्धति उद्यान और बागबानी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज पानी की कमी है, जल स्तर नीचे जा रहा है। ड्रिप सिंचाई पद्धति के ऊपर हमें पूरा स्ट्रैस इसलिए देना चाहिए कि हमारे यहां पानी की कमी हो गई है। इसका भी लक्ष्य हमने रखा था, लेकिन जो हमने लक्ष्य प्राप्ति की है वह तो शून्य है। यह तो बहुत ही शोचनीय है कि राजस्थान जैसे राज्य के अन्दर जहां पानी की इतनी किल्लत है, हम ड्रिप सिंचाई के अन्दर सवा साल में कुछ भी अचीव नहीं कर सके हैं।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जल में कुशलता से उपयोग हेतु जो अनुदान की योजनाएं आपने बना रखी हैं, जो हमारे विभाग की तरफ से संचालित की जाती हैं, यह किसनों के लिए बहुत बड़ा भ्रमजाल है। जो कर्मचारी इनसे जुड़े हुए हैं जैसे पटवारी हैं, तहसील के हैं, बैंक के हैं, कृषि विभाग के कर्मचारियों की लम्बी फौज है, वह यह समझती है कि किसान को यह अनुदान की योजना हैं यह तो उसके लिए फ्री है। वह डवलपमेंट के लिए नहीं सोचते हैं और उसको फ्री मानकर उसमें अपना सुविधा शुल्क मांगते हैं। आप मेहरबानी करके इनके ऊपर कोई अंकुश लगाएं कि वे इसको फ्री का नहीं समझे। मरता क्या न करता, किसान बेचारा परेशान होकर चक्कर काटता है और कुछ ले लिवाकर मेरा पीछा छोड़, ऐसा कहकर इस चीज से अपना पीछा छुड़ाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि हमारा वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है और किसानों के खेतों की बुवाई का कार्य माह दिसम्बर तक पूरा हो जाता है और तब तक विभाग के जो लक्ष्य है वे बहुत ही कम पूरे हो जाते हैं। मार्च में जब फसल की बुवाई का वक्त नहीं होता, हम हमारा जोर लगाते हैं उन तीन महीनें में कि टारगेट पूरा करें। इस व्यवस्था को थोड़ा आप दुरुस्त करें, क्योंकि यह जो 3 महीने का पीरियड है इसमें कोई भी फसल की बुवाई नहीं होती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं जल्दी ही कनक्लूड कर रही हूं।

किसान के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके सामने अनिश्चितता बनी रहती है कि यह मौसम कैसा रहने वाला है, बाजार के भाव क्या रहेंगे, बिजली हमें किस रेशो में मिलने वाली है। वह बहुत मेहनत करके तो अपनी फसल तैयार करता है लेकिन जो हमने बीमा योजना बनायी है, मेरे से पूर्ववर्ती

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

कई स्पीकर्स भी बोल चुके हैं, कि पिछली सरकार गलती कर चुकी तो क्या आप उसको रिपीट ही करते रहेंगे ? आप लोगों के पास बहुमत है 120 का, 10 निर्दलीयों का आपको समर्थन है, कम से कम इस व्यवस्था को सुधारिये। सभापति महोदय, अभी रिछपालजी बात कर रहे थे जो डुप्लीकेट दवाइयां और बीज मिलते हैं इसमें हमारे सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। जो दुकान वाला ब्यूरोक्रेट्स को राजी रखता है बड़े धड़ल्ले से नकली बीज बाजार में बेचता है। किसान बेचारे को मालूम नहीं लगता है, वह फसल बो देता है। बाद में वह फसल को देखकर रोता है कि मैं नकली लेकर मारा गया। इसलिए मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि आप कृपा करके इस व्यवस्था को दुरूस्त करिये।

प्राकृतिक आपदा, अकाल, अतिवृष्टि, खेती के रोगों से फसल बर्बाद हो जाती है और राहत कार्य आप जो चालू करते हैं उसमें बी.पी.एल. वालों को ले लेते हैं। हमारे यहां एक सामाजिक व्यवस्था है कि किसान अपने खेत के ऊपर जरूर सारा परिवार लगकर काम कर लेता है लेकिन वह मजदूरी करने घर से बाहर नहीं निकलता है। तो उसको सरकारी राहत का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। जो कार्य चालू करते हैं उनकी दशा सुधारने की भी कोई व्यवस्था करें। लघु और सीमान्त कृषकों की स्थिति गांव के अन्दर स्पष्ट नहीं है। पटवारी, तहसीलदार, और गिरदावर इनको बरगलाते रहते हैं। कभी कोई आंकड़ा देते हैं, कभी कोई देते हैं। इसलिये मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करे ताकि इस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उस पर हम अंकुश लगा सकें।

सरकार बधाई की पात्र है कि हमारे झुंझुनूं में भी मृदा परिक्षण की तकनीक अभी शुरू की है। लेकिन, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि आप जब फसल का टाइम हो तो शिविर लगवाएं और मौके पर ही, तत्काल लोगों को मय प्रमाण-पत्र जांच रिपोर्ट देने की व्यवस्था करें कि उस मिट्टी में...

श्री सभापति : आप वाइंड-अप करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : वाइंड-अप कर रही हूं।

उस मिट्टी के अन्दर कौनसी चीज पैदा हो सकती है। उसमें लम्बा टाइम निकलने से किसान घूम-घूम कर परेशान हो जाता है। यदि शिविर में हम काम एक निश्चित वक्त में करवा सकेंगे तो इसका किसान को निश्चित फायदा होगा

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कृषि साथी जो योजना है, आर्थिक सहायता आपने बढ़ायी है, बहुत ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान के कुएं पर अन्य कोई भी काम करता है। वह कोई बहुत धन्ना सेठ तो नहीं होता है कि उसके यहां काम करने आए। इस दायरे को बढ़ायें। वह आदमी काम करता हुआ उनके यहां कभी खतम हो जाता हैं, उसको भी इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिभाजी, अब धन्यवाद।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : सर, एक मिनट, पशु चिकित्सा के वास्ते दो मिनट।

श्री सभापति : समय की सीमा है। मेरा निवेदन है आपसे कि समय की सीमा है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : सर, एक पाइण्ट और बोल लेने दीजिए।

श्री सभापति : समय की सीमा है 15 मिनट हो गये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : मैं कोई सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई अनर्गल बात नहीं कर रही हूं। टू द पाइण्ट बात कर रही हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सब बोलते हैं, सब टू द पाइण्ट ही बोलते हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : वर्तमान में वितीय संस्थाओं से ऋण लेने में जो मंदिर माफी की भूमि है उस पर विद्युत कनेक्शन नहीं मिलता है और वितीय संस्थाओं से ऋण भी नहीं मिलता है। यह समस्या, मैं जानती हूं अकेले आपके डिपार्टमेंट की नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी सरकार से कि इस भूमि का भी कोई निपटारा करवा सकें तो पूरे राजस्थान में लाखों की तादाद में ऐसे किसान बर्बाद हो रहे हैं उनका कुछ भला हो सके।

सभापति महोदय, अब मैं कनक्लूड करती हूं खाली पशुपालन पर आपको बताकर क्योंकि मेरे नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 8 ही पशु चिकित्सालय हैं जिनमें बहुत कम डाक्टर्स हैं और 28 ही कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं। मैं मंत्रीजी की तबज्जों चाहूंगी, आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनें। कम कर्मचारी होने से इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का आलम बहुत ज्यादा है। बहुत लम्बे बैल्ट के अन्दर एक ही कम्पाउण्डर होता है, सब लोग गाय-भैंस अपने यहां पर रखते हैं, आपको मैं दावे के साथ कहती हूं कि 5-5 सौ रुपये वे लोग घर जाकर देखने की फीस लेते हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

माननीय श्री पुष्पेन्द्रसिंह जी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामलाल शर्मा

(अनुपस्थित)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : इसलिये अपना स्टाफ पूरा करें। सभापति महोदय, मैं और भी बोलना तो चाहती थी मगर आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने 2 मिनट का मौका दिया, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री नानालाल अहारी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सदन में मांग संख्या 37 और

(श्री जयराम जाटव)

39 के ऊपर बड़े जोर-शोर से चर्चा चल रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह पूरा प्रदेश कृषि के ऊपर निर्धारित है और कृषि के ऊपर चर्चा है, अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से सदन में कृषि की चर्चा कर रहे थे। सभापतिजी, आपके आसन से जो मुझे आदेश मिला है उसी के अनुसार, लम्बा समय न लेते हुए अपनी बात कहूंगा। देश में आजादी के बाद 56 सालों में केन्द्र में किसी की सरकार रही हो लेकिन मैं यह सोचता हूं कि अधिकांश सरकार कांग्रेस की केन्द्र में रही है। कृषि नीति आज तक कोई तय नहीं की गयी। कांग्रेस के सदस्य कह रहे थे कि फसल बीमा योजना की इकाई तहसील को माना है, खेत को नहीं माना है। यह बात सत्य है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब भी केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस के सदस्य जाकर सिफारिश करें कि फसल बीमा योजना में इस तरह के प्रभावी कदम रखे जाएं और उसमें खेत को इकाई माना जाए। फसल बीमा योजना जो लागू की गयी, कांग्रेस के टाइम 6 फसलों को लागू किया गया उसमें। हमारी राजस्थान में सरकार आयी, हमने खरीफ की सारी फसलों को रखा और अब की बार जो बजट है उस बजट के माध्यम से रबी की सारी फसलों को फसल बीमा योजना में लागू किया गया है। इस बजट के माध्यम से कृषि में 136 करोड़ रुपये की राशि किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ देने के लिये रखी गयी, उसके समर्थन में मैं अपना भाषण दे रहा हूं। जैसे क्षारय रोग हो जाता है जिसमें जिप्सम को लाकर डाला जाता है कई जिलों में। उसमें जो संख्या कांग्रेस के टाइम में थी, 92 हजार मीट्रिक टन जिप्सम का वितरण किया गया था उसको बढ़ाकर 2004-05 में 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन किया गया है। इसी तरह से भविष्य में बायो ईंधन के रूप में रतन जोत की खेती की जाएगी। इस तरह के रतन जोत के जो पौधारोपण हैं उससे किसानों को लाभ होगा, पूरे प्रदेश को लाभ होगा। इस बजट में कृषि और कृषि की आधारभूत सुविधाओं नवीन बीज और कई तरह के संयंत्र लगाने की चर्चा जो की गयी, कृषि के पक्ष में जो

(श्री जयराम जाटव)

कार्यक्रम रखे गये हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन साथ ही गांव-गांव में कृषि कर्मचारी जो किसानों को फसल बोने के टाइम पर बीजों के बारे में जानकारी देने के लिए बैठे हैं, उनका मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि समय-समय पर उनको प्रशिक्षण/ट्रेनिंग दें। अभी नकली खाद-बीज की बात चल रही थी, कांग्रेस के पांच साल के राज में रोजाना अखबारों में पढ़ने को मिलता था, अधिकांश नकली खाद-बीज और दवाइयों का पांच साल तक भारी प्रचलन चला और एक दो केस को छोड़कर किसी का चालान नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्रीजी ने कहीं पर खाद की चर्चा जब सुनी कि इस तरह से खाद आये हैं तो अधिकारियों को मौके पर ले जाकर गोदाम पर जाकर चैक किया। नकली खाद-बीज का प्रचलन इस साल में कहीं भी किसी तरह का पकड़ा नहीं गया, क्योंकि हमारे जो कृषि मंत्री हैं अपना सन्तुलन बनाये रखते हुए कृषि की तरफ पूरा ध्यान उनका है। अभी जो फसल बीमा की बात चल रही थी, उसके सुधार के लिए माननीय मंत्रीजी और हमारी सरकार जागरूक है।

दूसरा, अभी पशुपालन की बात चल रही थी। कोई भी किसान अगर खेती करते हुए एक्सपायर हो जाता है तो उसको जो 30 हजार रुपये मिलते थे, 50 हजार रुपये हमारी सरकार ने किया हैं, यह भी एक सराहनीय कदम है। इसलिए आज जो बात सदन में आयी, कृषि के समर्थन में. हमारी सरकार 136 करोड़ रुपये का बजट रखकर किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ देना चाहती है। उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : श्री सुन्दर लाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज किसानों की मांग संख्या 37 और 39 पर विचार हो रहा है किसान की बात के लिए सदन में कितने आदमी बैठे हैं ? सारा देश जिनसे चलता है उसकी बात के लिए कितने बैठे हैं ? अब किसान की बात कहां से शुरू करें ? सबसे पहले

(श्री सुन्दर लाल)

तो किसानों के लिए पानी नीचे चला गया। सरसों ज्यादा हुआ करती थी तो उसके एक ऐसा रोग लगा है जिसको मुरगोजा कहते हैं, कोई उसको और चीज भी कहते हैं, वह ऐसा रोग है कि 10 बीघा की जो सरसों होती थी वहां पर दो-तीन मन होने लग गयी। कई बार इनके बड़े-बड़े अधिकारियों को बुलाकर पूछा तो वे जमीन सूंघ कर चले जाते हैं और कहते हैं कि इलाज करेंगे। पांच वर्ष हो गये इनको इलाज का पता नहीं चला। इनको यह नहीं पता कि ग्वार बोएं उसके दूसरे साल क्या बोया जाएगा। फिर काहे की इन्होंने डाक्टरी की पदवी लगा रखी है ? यह डाक्टर है और पता है नहीं। जानकारी नहीं है इनको। इनको यह पूछें कि ग्वार, मूंग और बाजरा बोया जाए तो कैसे बोया जाएगा, तो कहते हैं कि तीन चीज इकट्ठी नहीं बोएंगी। सारी उम्र मैं तीन चीज बोया करता था ग्वार, मूंग और बाजरा, पर इन डाक्टरों को पूछे तो कहते हैं कि नहीं, तीन तो नहीं होंगे। तीन नहीं होगी तो होगा क्या ? इनको इस बात का पता नहीं हैं, न इनको जानकारी है और डाक्टर की पदवी लिये फिरते हैं फ्री में ही। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस जगह की जमीन हैं उस जमीन के लिए, जैसे हमारे कोई खेतों में जब यह पानी लग जाता है तो चने इतने-इतने हो जाते हैं और उन पर फली नहीं लगती है, तो इस बार यह तो तय करना चाहिए कि कौनसी जमीन में कौनसा अनाज पैदा हो। इतना रुपया लगाते हैं तो इसको तय करने में क्या दिक्कत है ? जाकर पता लगाइये कि इस जमीन में यह अनाज पैदा होगा। चना होगा, बाजरा होगा, ग्वार होगा, सरसों होगी, जौ होगा, क्या होगा ? यह पता नहीं लगाते और कहते हैं कि वो लीजिए आपके जंचे सो ही। क्या बो लें, आप बताइये ? इसलिए इन बातों के ऊपर सोचना चाहिए जब इतने पैसे खर्च करते हैं।

उसके बाद में मैं कृषि मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेरे एक सूरजगढ़ मण्डी है उसमें किसानों के लिए फंड बनाने के लिए मैंने आपको कई एप्लीकेशन दी हैं कि फंड बन जाए जिसमें वे अनाज डाल दें। आज बोली नहीं लगी और रात को बरसात आ जाए तो वह भीगे नहीं और भीतर डाल दें।

(श्री सुन्दर लाल)

बोली नहीं लगी-अनाज पैदा हम करें, बोएं हम और बोली दूसरा लगाए। इसलिए आप यह तय करके दो कि मण्डी में फंड बन जाए तो किसान अपना अनाज वहां डाल ले। बोली आज नहीं लगी तो कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी पर उसका अनाज भीगे तो नहीं। यह फैसला तो करो। कई मण्डियों में पूरी-पूरी मण्डी में कोई पेशाब घर आपकी तरफ से नहीं है। मेरी मण्डी में 10 लाख रुपये आपके पडे हैं, पर आप कहेंगे कि ये तो दूसरी जगह लगेंगे। पैसे तो हमारे किसानों ने किये और लगाएंगे दूसरी जगह पर। आप उसका फैसला तो करो। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मण्डियों में यह तय कर दो कि चार-पांच तो बाथरूम होने चाहिए। किसानों के लिए अनाज डालने के लिए उसमें टिन होनी चाहिए। तो किसानों को फायदा होगा। किसान को फायदा नहीं। रुपया हमारा, अनाज हमारा और फायदा हमारा नहीं आता है, इसलिए आप इस बात को देखो कि क्या कर रहे हो ?

इसके अलावा कृषि का आज कमीशन भी बैठा हैं। वह हमारे जिले का इंचार्ज है। बरसात होगी जून के लास्ट में और आप बीज की व्यवस्था करेंगे अगस्त में। एक महीने के बाद में आप बीज की व्यवस्था करते हैं। और फिर आप चाय की दुकानों पर दस-दस थैली धरी रखते हैं। कोई भी मोहर लगा लेता है, ये बीज हैं हमारे। इसलिए मैं इस साल आपको कहना चाहता हूं कि जो नकली बीज बेचे, उसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। सारे बाजार में थैली लेकर आ जाए और आपकी बीज की व्यवस्था अगस्त में होगी। हमें चाहिए, जरूरत पड़ती है जून, 30 को और व्यवस्था करो आप अगस्त में, फिर बीज कहां से आएगा ? फिर अगले बीज की व्यवस्था हो। हमें चाहिए सितम्बर तक और तब तक की व्यवस्था करते हैं नवम्बर में। इसलिए आप किसान के हित की बात करते हो तो इन सारी बातों को आपको नोट करना चाहिए कि बरसात होने से पहले बीज चले जाना चाहिए, एक बात।

उसके बाद दूसरी बात, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि नकली बीज नहीं बिके। नकली बीज का इतना प्रचलन हो रहा है, कोई भी आदमी कहते हैं

(श्री सुन्दर लाल)

बाजरा बेचूंगा नहीं, क्यों ? इसकी थैली ले आऊंगा दो सेर, तीन सेर, भर-भर कर बेच देंगे। थैली बन्द हो जानी चाहिए। किसान नहीं देखता है कि यह असली है या नकली। लाइसेंसशुदा वाला भी क्या करता है कि वह अपना बीज असली तो रखता है दूसरी थैली भरकर, दूसरे को दे देता हैं कि आप बेच दो, इसका काम आप करो। यह बेइमानी वाला काम आप करो और ईमानदारी वाला मैं करता ही रहूंगा। आपने इस बात के ऊपर कभी विचारं ही नहीं किया, पर आपको विचार करना ही पड़ेगा। किसान आपको कमा कर देता है। किसान खेत के ऊपर रात को 12.00 बजे आवाज लगाता है बिजली आ गयी, और भागकर जाकर नल को मोड़ता है। यह हालत है। आप तो किसान के बेटे हैं, इस बात को सोचो कि किसान की हालत क्या है। किसान कितना परेशान होता है ? इसके बाद आप इस बात को देखिये कि हम किसान के हित की बात करते हैं, जितना भी इस बारे में कहते हैं। हमारे क्या है, चिड़ावा तहसील का तो बीमा होगा और बुहाना तहसील और खेतड़ी का नहीं होगा। वे कहते हैं कि इसकी मिट्टी ठीक नहीं हैं। इसमें भी आप फैसला करो। मिट्टी में क्या हो गया ? अनाज तो हमारे ज्यादा पैदा होता है। यह मजाक नहीं है। इन्होंने कह दिया कि उस तहसील का तो बीमा होगा और इस तहसील का नहीं होगा। आप इस बात को नोट करो कि कहीं भी बीमा करना चाहते हैं तो वहां सब जगह कराओ। एक तहसील का होगा और दूसरी का होगा नहीं, तो वहां ओले पड़ गये तो वहां उसका क्या होगा, एक बात ? दूसरी बात, किसानों के लिए आपने कहा कि बड़े किसान से 300 मन, 500 मन अनाज का नुकसान हो गया तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। छोटा किसान तो जाकर मजदूरी भी कर ले, बड़ा किसान मजदूरी भी नहीं करता। उसको मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। यह पहले खातेदारी बदलवाओ। छोटी-छोटी खातेदारी कराओ। 20-20 घरों की एक खातेदारी ही है, वह तो बंटी नहीं। यह किसान बड़ा हो गया, इसको मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए कई बातों की विसंगतियां हैं, इनको सही करके इनको फायदा कराने की व्यवस्था करो।

(श्री सुन्दर लाल)

इसके अलावा पशु चिकित्सालय का मैंने एक प्रश्न लगाया था उसमें बताया, 11 डाक्टर तो झुन्झुनूं में 11 हास्पिटलों में कम हैं आपके प्रश्न में हैं यह, और 32 कम्पाउण्डर। इतना ही था, कर दो व्यवस्था। आपने जवाब में दिया है कि 11 डाक्टर कम हैं। उसके अलावा आपके जो पशु चिकित्सालय हैं पशुओं के, वहां सारी दवाएं कम्पाउण्डर अपने साथ रखता है और बिना जीप कम्पाउण्डर नहीं चलता। कहता है जीप लेकर आओ। अब किसान कीं भैंस के रुपये लगते हैं 30 हजार, वह भागकर जाए 500 रुपये जीप वाला ले ले और 600 की दवाई दे। न तो भैंस को पता कैसी दवाई थी, भैंस बोलती तो है नहीं। दवाई ऐसी अच्छी दी कि कल ही ठीक हो जाएगी। न भैंस बोले न घरवाले को पता। इसलिये आप इस बात की व्यवस्था तो करो। आप कितनी दवाई भेजते हो, इस बार आपको पता लगे। दवाई कितनी भेजते हो तो उसका उपयोग कितने का होता है। एक भी रुपये की दवाई कभी डाक्टर या कम्पाउण्डर अपने घर से नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

देता, किसान के घर से लगती हैं। इसलिए जो इस तरह की व्यवस्था हैं, उस पर मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप किसान के बेटे हो, गाय-भैंस का भी पता हैं, आपको पता हैं इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस पर कार्यवाही करो। आप जवान हो, जिलों का दौरा करो। आपके डायरेक्टर को, सबको साथ लेकर जाओ, देखो, वहां क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गाय-भैंस का पता संयम लोढ़ा से पूछो।

श्री सुन्दर लाल : संयम लोढ़ा को पता नहीं, गाय कहां होती है, कहां नहीं होती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दो, संयमजी। सुन्दर काका आप से पूछ रहे थे, देओ जवाब अब।

श्री संयम लोढ़ा : इतने बड़े महाज्ञानी का मैं जवाब थोड़े ही दे सकता हूं।

श्री सुन्दर लाल : नहीं, मैंने तो पहले भी यह कहा था, किसान मैं हूं...

श्री सभापति : आप अब कनक्लूड करें।

श्री सुन्दर लाल : सुनिये। शुरू में तो बोलता ही नहीं, आप ठहरें। पहले भी एक बार कहा था कि मैं भी किसान हूं, तो मैंने उसको पूछा कि मुझे तो यह बता दें, हल्का पाछ्र कहां लगता हैं आप बता दो तो मैं आपको किसान मान लूं। उसने कहा मुझे नहीं पता। इसलिएं किसान को सब बातों का नहीं पता। किसान तो किसान होता है और उसको पता है। मैंने जो बातें कहीं, उनके ऊपर विचार करें। यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराडा) : माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि और 39-पशुपालन एवं चिकित्सालय पर विचार-विमर्श हो रहा है। मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हुआ कुछ सुझाव आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, सभी इस बात को जानते हैं कि राजस्थान कृषि पर निर्भर हैं और 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हैं। कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। अभी सभी माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे थे, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहकर यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान खेती में बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके अपने खून-पसीने से फसल तैयार करता है, कभी-कभी प्रकृति भी साथ नहीं देती। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बरसात हो जाती है तो तैयार फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिये, किसान के लिये दो ही रास्ते होते है किसान या तो सरकार की तरफ देखता है या फिर वह मन में भगवान को याद करता है। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व हो जाता है। जब भगवान रूठ जाता है तो सरकार को आगे आकर किसान को सहारा देना चाहिये और किसान का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की पूरी इच्छा शक्ति होनी चाहिये, करना भी चाहिये। अभी सभी सरकारें किसान के हित की बात करती हैं, पर बजट में प्रावधान देखें तो बहुत ही कम होता है। आज हमारे किसान कृषि पर आधारित हैं, हम कितना बजट रखते हैं, यह देखने की बात है। अभी रिछपालजी मिर्धा ने कहा था कि 142-143 करोड़

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

का जो बजट रखा हुआ है, बिलकुल ही राजस्थान के किसान के लिये अपर्याप्त है। किसान बहुत मेहनत करके फसल तैयार करता है, उचित मूल्य नहीं मिलने से उसका दिल टूटता है। अभी मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करते हुए, दक्षिण पूर्व राजस्थान से आता हूं। वही की बात कहूंगा। उदयपुर जिले में छोटी लैण्ड होल्डिंग है और लोग पूरे ही कृषि, पशुपालन और मजदूरी पर आधारित हैं। वहां कम खेती है। कितनी भी अच्छी बरसात हो जाए, छह महीने से ज्यादा अपना भरण पोषण करे, इतनी भी नहीं होती है।

श्री जोगाराम पटेल : आसन को पीठ बताकर खड़े हैं माननीयं सदस्य।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सीट पर विराजो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हमारे वहां के किसानों की छोटी-छोटी जमीन है, समय-समय पर खाद, बीज नहीं मिल पाने की वजह से आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पाता है तो उसकी उपज भी बहुत कम होती है। कृषि मंत्रीजी, इस पर ध्यान दें कि जनजाति बहुल क्षेत्र में पर्याप्त बीज नहीं मिलता है, आता नहीं है, उन्नत किस्म का बीज इतना मंहगा होता है कि वहां का आदिवासी खरीद नहीं सकता है। खरीद नहीं सकता है तो मात्र अपने घर के अन्दर जो खाने का अनाज होता है उसको बीज बनाकर बो देता है। ऐसी स्थिति में वह बीज कितना कारगर होगा, उसके लिये कितना उपजाऊ होगा, हम सब महसूस कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि अच्छी किस्म का बीज उसको दिया जाना चाहिये, कम रेट पर दिया जाना चाहिये, बल्कि मैं तो कहूं, फ्री भी दे दें, तो भी कोई ज्यादा भार पड़ने वाली बात नहीं है। सबको नहीं देवें, परन्तु जो बी.पी.एल. में हैं, उनकी छोटी जमीन है, मामूली-सा बीज लगता है, अच्छी नस्ल का अगर हम बीज देंगे तो निश्चित तौर पर उस बीज से उसकी फसल काफी अच्छी पैदा होगी और वह कुछ कर सकेगा। अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, अपने घर का गुजारा चला सकेगा। एक उन्नत किस्म के बीजों के अलावा आजकल बायोटैक खेती होती है उसके लिये प्रेरित करना पड़ेगा। वहां

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

के आदिवासी हों चाहे दूसरे किसान हों, कोई भी हों, जो खेती करते हैं उनको किसी न किसी तरह से आर्थिक मदद करके उस ओर मोड़ना पड़ेगा और जो हम पैदा करते हैं उसमें जैविक खाद के लिये उसको इन्सेन्टिव देना पड़ेगा। किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित करना पड़ेगा। सैट तैयार करने के लिये कुछ अनुदान देवें। इस तरह से हम करेंगे तो निश्चित तौर पर वे इस ओर ध्यान भी देंगे और अपने आपको उसको समर्पित भी करेंगे।

उदयपुर जिले के झाड़ोल-कोटड़ा वाले क्षेत्र में बायफ संस्था ऐसी है जिसने वहां के लोगों का जीवन स्तर परिवर्तित किया है। वहां करीब 2500 2600 बाडियां हैं, उस आधार पर पूरे परिवार का गुजारा चलता है पूरे साल भर का। ऐसा उनका रूख बदला है तो निश्चित तौर पर हमें भी पूरे क्षेत्र में करना चाहिये। उदयपुर जिला ही नहीं, मैं तो पूरे ट्राइबल सब प्लान इलाके की बात कह रहा हूं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही का जो इलाका आता है 23 पंचायत समितियों का, जहां 30 लाख 91 हजार आदिवासी रहते हैं और 45 लाख जो खेती का काम करने वाले हैं, उन सबके लिये मैं बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : कनक्लूड करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : पहली बार बोल रहा हूं। पूरे सत्र में पहली बार खड़ा हुआ हूं। आपकी इच्छा हो तो बोलूं।

श्री सभापति : आंपको मना किसने किया ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उदयपुर सम्भाग में कृषि सुपरवाइजर हैं उनके 50 प्रतिशत पद खाली हैं, ऐसी स्थिति में उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ? कृषि पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और कृषि अधिकारी, ये तो हमने दे दिये पंचायत समिति में और उप निदेशक, जिसको जिला कृषि अधिकारी कहते हैं, वह है कृषि विभाग के अण्डर में, तो उसका मानिटरिंग कैसे करेंगे ? न तो

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

मानिटरिंग होती है, अपनी तनख्वाह लेने के अलावा जिला कृषि अधिकारी कुछ काम नहीं करता। पंचायती राज के अण्डर में हमने जो कृषि पर्यवेक्षक कर रखे हैं वे उनका काम करते हैं। उनकी मानिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। या तो कृषि विभाग के अन्दर कर दिया जाए या पंचायती राज में कर दिया जाए, यह मेरा सुझाव है।

अब आपने घंटी बजा ही दी तो, सभापति महोदय, मैं पशुपालन पर कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। हमारे उदयपुर जिले में करीब 29 लाख 32 हजार पशुधन है जिसमें गोवंश भी आ गया, भैस वंश भी आ गया, बकरियां, भेड़ सभी आ गये। इन सबके रख-रखाव के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए सात तो अस्पताल हैं, 17 औषधालय हैं और 138 उप केन्द्र हैं, इस तरह कुल मिलाकर 215 की व्यवस्था है। अब इनमें 68 डाक्टर्स के पद हैं इसमें से 32 खाली हैं, कम्पाउण्डर के 205 पदों में से 24 खाली हैं, सइस के 145 में से 63 खाली हैं। और दवाइयों और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए मात्र 8 लाख का बजट हमारे पास है, 8 लाख में इतना लम्बा-चौड़ा एरिया कैसे कवर होगा ? हमने अकाल राहत में खाली दस लाख की ही व्यवस्था की, ऐसी स्थिति में हम ज्यादा उम्मीद करें, कैसे क्या कर सकेंगे ?

एच.एस. गलघोंटू जैसी बीमारी है, प्रति डोज एक रुपया खर्चा आता है और साल में कम से कम एक-दो बार वैक्सीन करानी पड़ती है, वह वहां का आदिवासी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमको इस वैक्सीन, दवाई के लिए ज्यादा बजट की व्यवस्था करनी चाहिए, पशुधन की रक्षा के लिए हमको दवाई फ्री करनी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी सरकार ने एक योजना चालू की, 25 भेड़ों पर बीमा करने की जो योजना आपने चलायी उसके लिए बधाई भी देते हैं कि कम से कम भेड़ पालकों को सहारा मिलेगा। परन्तु उदयपुर सम्भाग में, सब-प्लान

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

इलाके में किसी के पास दस भेड़ होती हैं, किसी के पास 15 भेड़ होती हैं, बीस से ज्यादा किसी के पास नहीं होतीं, अब आप यह उम्मीद करो कि आपके 15 हो तब जाकर बीमा करेंगे, मेरे खयाल से यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि 15 की जगह उस क्षेत्र के लिए दस का पावधान रखना चाहिए कि दस जिसके पास हो वह उस योजना का लाभ ले सके।

श्री सभापति : माननीय श्री रामलाल शर्मा। अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, राज्य की राजस्व आय की 19 प्रतिशत पशुधन से होता है जबकि हम मात्र तीन से चार प्रतिशत खर्चा करते हैं, यह न्यायोचित नहीं है। अगर हम राजस्थान के किसानों का भला करना चाहते हैं, किसानों के लिए हम हमेशा कहते आये है कि रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी है, अगर हम मदद करना चाहते हैं तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए और नीयत साफ करके पर्याप्त बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी जो पद खाली है, जो व्यवस्थाओं की हमारी तरफ से कमी लग रही है इन सारी व्यवस्थाओं को हमें पूरा करना चाहिए। यही निवेदन करना है मुझे। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 37 और 39 की चर्चा में मैं भी भाग लेते हुए कुछ सुझाव आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं। सभापति महोदय, यदि इन मांगों के साथ किसान को केन्द्रित मान कर हम राजस्व, पंचायती राज और बिजली, इन तीनों की मांग भी रखते तो मैं समझता हूं कि किसान की सर्वांगीण समस्याओं की चर्चा इस सदन में होती।

सभापति महोदय, यह किसान की विडम्बना है कि वह कठिन परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद एक सपना देखता है कि आने वाली भावी पीढ़ी अच्छे संस्कारों से युक्त रह कर इस समाज की सेवा करेगी। लेकिन समाज की सेवा करना तो दूर, उस अभागे किसान को शिक्षित समाज के अन्दर अपमान

(श्री रामलाल शर्मा)

सहना होता है, बेइज्जती सहनी पड़ती है। उसे यह कह कर बाहर निकाल दिया जाता है कि यह अनपढ़ गंवार कहां से आ गया। और हमारे जैसे सूटबूट में चले जाएं तो बैठा कर चाय पिलाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों को भी इतना सम्मान उस किसान को जरूर देना चाहिए, किसान की बदौलत हम इस सदन में बिराजमान हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 और 39 पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री रामलाल शर्मा : सभापति महोदय, आज सभी माननीय सदस्य चर्चा करते हैं किसान की समस्या के बारे में लेकिन कितने सकारात्मक होकर करते हैं या बातें करना ही उनका उद्देश्य है ? आज का किसान उसी हालत में है जिसमें पिछले पचास साल से उसकी स्थिति की शुरूआत हुई थी। किसान को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ न कुछ हम सब को मिल कर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। आज किसान को लूटा जाता है, चाहे बीज का मामला हो, चाहे दवाइयां हों और चाहे उनके द्वारा कठिन परिश्रम से उगायी फसल को बचाने का मामला हो। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इतनी मेहनत और

(श्री रामलाल शर्मा)

परिश्रम करने के बावजूद भी किसान को आज यह हक नहीं है कि वह मन के भावों से अपनी फसल का बेचान कर सके। फसल बेचने जाता है उस समय भी भाव व्यापारी ही निर्धारित करता है और मजबूत व्यापारी के निर्धारित किये हुए भावों के अन्दर किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ती हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, चार-पांच सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। आज आवश्यकता कृषि के ऊपर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, कृषि के ऊपर आधारित जो भी फसलें पैदा होती हैं यदि उन फसलों पर आधारित उद्योग अपन लगाएंगे तो बेरोजगारी की जो प्रमुख समस्या है उसका भी समाधान होगा और उस बेरोजगारी की समस्या के कारण जो अपराध बढ़ रहे हैं उनमें भी गिरावट आएगी।

दूसरा, सभापति महोदय, आज कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी देने की बात आती है, नाम मात्र की किसानों को सब्सिडी दी जाती हैं। जबकि बड़े, पेशेवर लोगों द्वारा उद्योग लगाये जाते हैं, उद्योग असफल होते हैं या उद्योग चल नहीं पाते, करोंड़ो रुपये का ऋण उन पर बाकी रहता है, इसके बावजूद भी वह सब तो माफ है। लेकिन यदि किसान का दस रुपये का ऋण भी बाकी है तो किसान को कुर्की का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसान की हालत को सुधारने के लिए ऋणों में भी रियायत देनी चाहिए।

तीसरा, सभापति महोदय, जो पिछले 15 या 20 साल से ऋण लेते आ रहे हैं, ऋण में मात्र पांच प्रतिशत लोग ही उसका फायदा उठा पाते हैं। सरकार किसी की भी बने, घूम-फिर कर वही लोग जो पिछले 20 साल से ऋण ले रहे हैं, लेते है, आज भी वही लोग ऋण ले रहे हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जो व्यक्ति पिछले पांच साल से ऋण लेते आ रहे हैं उनके अलावा अन्य व्यक्तियों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि सभी को इन ऋणों का फायदा मिल सके।

(श्री रामलाल शर्मा)

एक सुझाव और देना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर राजस्थान की मैं समझता हूं कि दूसरी सबसे बड़ी सब्जी मण्डी है। उस सब्जी मण्डी के अन्दर आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 15 या 20 किलोमीटर दूर के किसान सब्जी बेचने के लिए आते हैं, लेकिन जब मौसम आता है, चाहे वह टमाटर का हो, चाहे मटर का हो, चाहे गोभी का हो, छोटे-छोटे स्थान जैसे बांसा है, महार है, अणतपुरा है, इन स्थानों पर बाहर के व्यापारियों द्वारा आकर टालें लगायी जाती हैं और टालें लगाने के लिए मण्डी का जो टैक्स है वह टैक्स भी नहीं चुकाया जाता। मेरा यह निवेदन है कि यदि उन जगहों पर छोटी-छोटी मंडियां स्थापित कर दी जाएं तो मण्डी के अन्दर शुल्क की वसूली भी होगी और किसानों की जो समस्या है उसका समाधान भी हो सकेगा।

सभापति महोदय, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो रोड का निर्माण किया जाता है, पिछली सरकर ने 200 करोड़ रुपये की योजना बनायी थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस 200 करोड़ रुपये की योजना के तहत अधिकांश सड़कें उन क्षेत्रों में स्वीकत हुई है जहां मण्डियां स्थित नहीं थी। राजनीति आधार पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए माननीय सदस्यों और मंत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की रोड स्वीकार करायी, लेकिन जिन क्षेत्रों से वह पैसा कलैक्ट किया गया था उन क्षेत्रों में सड़कें बनने से वंचित रहीं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों के अन्दर मण्डियां हैं उनको अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उन क्षेत्रों के अन्दर मिसिंग सड़कें बनायी जाएं ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और सुझाव देना चाहूंगा। कृषक साथी योजना के तहत जो मुआवजा दिया जाता है वह मुआवजा मात्र मृत्यु होने पर या दो अंग क्षति होने पर दिया जाता है। इसमें तीसरा क्राइटेरिया अग्नि पीड़ित व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए क्योंकि किसान के

(श्री रामलाल शर्मा)

यहां आग लगती हैं, जो गरीब है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। मेरा सुझाव हैं आपके माध्यम से कि अग्नि पीडित जो किसान हैं उनको भी मुआवजा देने का प्रावधान करें। उस प्रावधान के अन्दर यह हो सकता हैं कि पटवारी की जो रिपोर्ट आती हैं उसका पचास परसेंट यदि पचास परसेंट नहीं तो पच्चीस परसेंट मुआवजा कृषक साथी योजना के तहत दिया जाए। यदि कृषक साथी योजना के तहत मापदण्ड आप निर्धारित नहीं करते हो तो मिनिमम सहायता चाहे हजार रुपए की हो, पन्द्रह सौ की हो चाहे दो हजार की हो, जो भी कम सहायता हो वह सहायता दी जाए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सुझाव है।

सभापति महोदय, पशुपालन की जहां तक बात हैं, पशुपालन के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कहा कि आने वाले चार वर्षों के अन्दर पूरे प्रदेश के अन्दर दुग्ध संकलन लगभग पच्चीस लाख लीटर प्रतिदिन करने का हमने लक्ष्य रखा है। धन्यवाद देना चाहता हूं कृषकों को कि उन्होंने एक वर्ष के अन्दर ही 20.48 लाख दुग्ध संकलन कर इस प्रदेश में रिकार्ड स्थापित किया है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अंन्दर लगभग दो लाख लीटर प्रति दिन दुग्ध इकट्ठा किया जाता है। क्षेत्र में अधिक मात्रा में किसान रहने की वजह से हमारे यहां जो कैटल फील्ड की सप्लाई की जाती है वह नदबई से की जाती है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारा जो रीको इण्डस्ट्रियल एरिया है कालाडेरा के अन्दर, यदि वहां कैटल फील्ड की फैक्ट्री स्थापित की जाती है तो वहां के किसानों को लाभ मिलेगा और यातायात का जो खर्चा वहन करना पड़ता है उसके अन्दर भी थोड़ी कमी आएगी।

(समय- समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कभी-कभी तो खड़े होते हैं, आप घंटी बजा देते हो, हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं।

एक और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। किसानों की दशा सुधारने के लिए पिछले बजट में 66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उस 66 करोड़ को बढ़ाकर इस वर्ष 136 करोड़ किया गया। माननीय सभापति महोदय, जहां सम्पूर्ण प्रदेश में सत्तर प्रतिशत किसान हैं और इस प्रदेश की सम्पूर्ण

(श्री रामलाल शर्मा)

अर्थव्यवस्था यदि देखा जाए तो किसानों के ऊपर आधारित रहती है, क्यों न हम उन सबके सपनों को साकार करने के लिए इस बजट में और वृद्धि करें और किसानों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए अन्य योजनाओं की शुरूआत करें। चाहे फव्वारा पद्धति हो, चाहे ड्रिप सिस्टम हो, चाहे अन्य कोई पद्धति हो, उनके माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें तो सचमुच वे मुख्य धारा में आएंगे और जो उन्होंने सपना देखा है वह सपना भी साकार होगा। वर्तमान समय में किसानों की एक समस्या नहीं हैं, यदि वह फाइल जमा कराने जाता है तो वहां उसका शोषण होता है। पटवारी जमाबन्दी नहीं देता है उसके लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए हम सब उनके दुःख दर्द को दूर करने के लिए योजना बनाकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनके आंसुओं को पोंछने का कार्य करेंगे। आपने मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37 और 39 के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसान पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खेतों में उपज पैदा करके अपने परिवार का लालन-पालन करता है। लालन-पालन करने के बाद, आज तीन पीढ़ी के बाद उसके जो नाम चल रही है। जमीन, आज भी उसके नाम म्यूटेशन हैं, वह जमीन मन्दिर माफी के नाम में निकाल दी। मेरे क्षेत्र के करीब पचास हजार काश्तकार ऐसे हैं जिनके गांव के गांव पूरे मन्दिर माफी में आ गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें कोई अमेंडमेंट करें और इसका कोई रास्ता निकालें। किसान वहां से हटने वाले भी नहीं हैं। आप चाहे हट जाएंगे, किसान हटने वाले नहीं हैं। हो सकता हैं कभी आपके यहां धरना भी देना पड़े उनको। मियादी धरना भी दे सकते हैं वे लोग, ऐसी योजना बना रहे हैं अभी। तो उनके म्यूटेशन जो अभी खोले जा रहे हैं मन्दिरों के नाम से,

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

उनको रोका जाए। अभी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने रूकवा दिए हैं, लेकिन कलक्टर साहब कानून की आड़ लेकर उसको खोलने पर उतारू हैं। तो उनके म्यूटेशन जो मन्दिर माफी में खोले जा रहे हैं, उनको अभी फिलहाल रूकवाया जाए।

साथ ही, राजस्थान में सबसे ज्यादा टमाटर मेरे क्षेत्र बस्सी में होता है। राजस्थान में नहीं हिन्दुस्तान के नक्शे में अच्छी किस्म का अच्छी तादाद में जो टमाटर होता है वह बस्सी के अन्दर होता है (व्यवधान) चौमूं में नहीं है इतना। बस्सी के अन्दर आप आज भी देख लें।

श्री सभापति : आपस में, बीच में बातें नहीं करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो टमाटर यहां से बाहर जा रहे हैं, वे टमाटर व्यापारी यहीं आकर लें, विशिष्ट मण्डी के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सारे किसानों की ओर से। वहां पर विशिष्ट मण्डी अगर आप खोलते हैं तो बस्सी, जमवारामगढ़, लालसोट और चाकसू इन चारों तहसीलों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा।बस्सी के देखे-देख अड़ौस-पड़ौस के सारी तहसीलों के किसान ऐसी टमाटर की खेती शुरू कर रहे हैं। आप कम से कम मेरा यह निवेदन स्वीकार करें । अभी लिबरेन कम्पनी ने यहां से टमाटर मंगवाया, वहां जाकर वे खराब हो गये तो पंजाब में खराब हो जाने के बाद उन्होंने किसानों को पैसा नहीं दिया। वे अपने आप ही यहां आकर यदि टमाटर ले जाएं खरीदकर तो ठीक रहेगा। आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप इस विशिष्ट मण्डी की घोषणा कर दें। सारी जगह आप और मण्डियां खोलते आ रहें हो।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं तूंगा में एक गौण मण्डी के लिए क्योंकि वहां के किसान वहां से आस-पास चाकसू जाते हैं। वहां से करीब तीस किलोमीटर दूर जाकर अनाज को दिया जाता है और तूंगा बहुत बड़ा कस्बा है। इसलिए तूंगा में एक गौण मण्डी की घोषणा करें। मण्डियों के अन्दर किसान अपना अनाज लेकर जाता है,

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

मण्डियों के अन्दर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उससे किसान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कृषि उपज मण्डी में भी जो पैसा आता है वह, मैं कह रहा हूं दस प्रतिशत से ज्यादा पैसा मण्डी में जमा नहीं होता है। एक बोरी के 35 रुपए लिए जाते हैं, 10 रुपए आपका कर्मचारी ले लेता है, 25 रुपए वह व्यापारी अपने फायदे के लिए लेता है। न कहीं कोई रसीद कटती है न कहीं रिकार्ड में लेते हैं उचन्ती का उचन्ती सारा काम होता है। आज भी कृषि उपज मण्डी के सचिव महोदय कहीं जाते हैं तो बाहर से ही रवाना हो जाते हैं, बाहर से ही मिल लेते हैं। गाडियां कितनी खड़ी हैं, कितनी लाइन में हैं, कितने का रिकार्ड है, कितने का नहीं है, यह पूछने का काम कभी नहीं करते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि रोड की जो दुर्दशा हो रही है वह नहीं हो, कम से कम पैसा तो वहां पर बचे।

साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों का मामला है, कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा आज से तीन चार साल पहले उनका पुन: डामरीकरण किया गया था, कुछ जगह किया गया था बहुत सारी जगह छोड़ दिया गया था, तो मैं मेरे क्षेत्र के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कहीं दो किलोमीटर, कहीं तीन किलोमीटर अधूरी रह गयी हैं मैं ऐसी सड़कों के आप चाहें तो नाम बोल देता हूं, पन्द्रह सड़के हैं मेरे यहां। कृषि उपज मण्डी बस्सी से सुजानपुरा दो किलोमीटर, दूधली से झर तीन किलोमीटर। खेतपुरा से करणगढ़ क्षतिग्रस्त सड़क है, बहुत बुरी हालत हो गयी है इसकी। देवगांव से झींझा तक मिसिंग लिंक है। कोटखावदा से मूण्डली बांया कांकरिया, बास भगवतपुरा अचलपुरा, यह 11 किलोमीटर रोड है और इससे कम से कम डेढ़ सौ गांवों को बहुत लाभ होगा। अर्थ वर्क हो रहा है इस पर ग्रेवल हुआ पड़ा है लेकिन यह रोड पचास साल से पड़ी हुई है ज्यों की त्यों, आज तक कोई इसकी ओर देखने वाला नहीं है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुंथारा से श्योपुरा वाया काथड़िया वाली ढ़ाणी और बैनाड़ा से भावपुरा, इतनी बुरी हालत है इसकी, इसका भी पुन: डामरीकरण करवाया जाए। दांतली से बूरथल क्षतिग्रस्त सड़क है, फाल्यावास से मनोहरपुरा छह किलोमीटर, सामरिया से जगदीशपुरा क्या, सभापति महोदय, अभी तो मैंने बोलना

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चालू किया है ? सामरिया से जगदीशपुरा, काशीपुरा से रूपाहेड़ी चार किलोमीटर, कानोता सामरिया रोड़ से कचौलिया वाया महाराजपुरा, हाथीपुरा से राजपुरा वाया मधोकपुरा और करणगढ़ से तूंगा वाया केल्यावाला यह 15 सड़के हैं।

(17.00 बजे)

साथ ही, कृषक साथी योजना के तहत आपने जो पैसे बढ़ाये, 25 से 50,000 किये, इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। काश्तकार को खेती करते हुए कहीं सांप खा जाए, गोहरा खा जाए, बिजली का करंट लग जाए और वह खतम हो जाए तो डाक्टर की रिपोर्ट मांगते हैं। गांव वाले डाक्टर को दिखाने जाते नहीं हैं, उसको उठाकर जला देते हैं जब डैथ हो जाती है। आपने पंचनामे का प्रोफार्मा तो कर रखा है लेकिन उसको आप मानते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मेरे खयाल से पूरे भारतवर्ष में जो झूठे पंचनामे पर हस्ताक्षर कर दे कि इस आदमी की डैथ हो गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये हलका पटवारी की रिपोर्ट ले लें, वहां के ग्रुप सचिव की लें लें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ले लें, तो आप उस व्यक्ति के पंचनामे को स्वीकृति दें जिससे उस किसान को दर-दर नहीं भटकना पड़े। बार बार कृषि उपज मण्डी के चक्कर न लगाने पड़ें, ऐसी व्यवस्था आप करें।

मेलों के लिये निवेदन करना चाहूंगा। नागौर के अन्दर मेला लगता है, हर जगह मेले लगते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो गधों का मेला लगता है उसका आपके यहां कोई रिकार्ड नहीं है, जबकि यह मेला अपनी किस्म का एशिया का प्रथम मेला है। सारी जगह मिक्स मेले भरते हैं, यहां ओन्ली गधे ही गधे इकट्ठे होते हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि इस गधे मेले का आपके यहां कम से कम रिकार्ड में तो होना चाहिये...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उदघाटन करवाओ न आप मंत्रीजी से।

श्री शांतिलाल चपलोत : आपसे उद्घाटन करवाना चाहते हैं गधे मेले का।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज तक जिससे भी उदघाटन करवाया वह दुबारा चुनाव नहीं जीता।

श्री हेमराज मीणा : वहां जिसने उदघाटन किया है वही-मंत्री बना है अभी तक उस मेले का।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, मंत्री बना है जिसने उदघाटन किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा : यह, सभापति महोदय, परिवर्तन लाने वाली सरकार है, तो अब जो भी उदघाटन करेगा वह मंत्री बनेगा।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में हिंगोनिया की जो दुर्दशा है...(व्यवधान) हिंगोनिया की गौशाला की दुर्दशा से तो मैं कल आपको अवगत करा चुका हूं। आपका जो पशु चिकित्सक है वहां पर, वह महीने में एक बार या दो बार चला जाए तो चला जाए, नहीं तो नहीं जाता है। एक डाक्टर माथुर वहां पर लगे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको बदलें, या दूसरा कोई डाक्टर वहां पर लगा दिया जाए।

पांच बत्ती में आपका सबसे बड़ा हास्पिटल मानते हैं, ऊंट जो राजस्थान का जहाज है उसका कहीं पैर टूट जाता है तो उसके न कोई प्लास्टर होता है और न ही कोई हड्डी जुड़ सकती है। कोई रिसर्च टीम बनाकर करवाने की व्यवस्था आप करें। एक बार को काश्तकार उसको छोड़ देगा। वह धक्के खाता रहता है, भूखे रहकर मर जाता है..

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें कृपया।

श्री कन्हैया लाल मीणा : उस हड्डी को जुड़वाने की व्यवस्था आप करें। बस दो मिनट में...।

श्री सभापति : अब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : मैं साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, आपके विभाग में बड़े अधिकारियों की तो डी.पी.सी. हो जाती है लेकिन जो सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक हैं उनकी लम्बे समय से डी.पी.सी. नहीं हो रही है, आप उनकी डी.पी.सी. कराएं जिससे उन लोगों को भी सम्बल मिल सके।

चाकसू के अन्दर बकरियों में एक बीमारी आयी। माननीय विधायक मोहम्मद माहिर आजादजी के भी काफी सारी बकरियां हैं, इनकी तो 19 बकरियां मर गयीं। और भी लोगों की बहुत सारी बकरियां मर गयीं, गलघोंटू टाइप बीमारी थी। मोहम्मद माहिर आजादजी ने जो रिपोर्ट आपको की थी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि चाकसू में अपने एक टीम भेजी और साथ ही आपने एक सेमिनार भी इसके अन्दर किया। बकरियों की इस बीमारी का कोई टीका भी आपके पास नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे बकरियां मर नहीं पाएं और ऐसा टीका निकालें जिससे उनका इलाज हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, राज्य के बहुसंख्यक वर्ग की समस्याओं पर चर्चा में मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया है इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, किसान वर्ग ऐसा वर्ग है जो हर प्रकार की समस्याओं से जुझता है चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, चाहे स्थानीय समस्या हो। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपना दृष्टिकोण आपके समक्ष रखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान वह व्यक्ति है जो इस धरती पर निवास करने वाला सबसे बड़ा जुआरी है। समय पर बरसात न होना, पक्की फसल का ओलावृष्टि या और किसी कारण से नष्ट हो जाना, यह उसके जीवन का भाग

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

है। कठोर जीवन जीने वाला हमारा कृषक, हमारा काश्तकार, इसके उत्थान के लिये क्या कुछ किया जा सके, यह एक सोच का विषय है। पूर्ववर्ती सरकारों ने समय-समय पर अपने स्तर पर प्रयास किये थे जो कि आज के समय में देखा जाए तो नाकाफी साबित हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर जिला बीकानेर की स्थिति रखना चाहता हूं। वहां वर्तमान समय में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होने के बावजूद भी वहां की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए किसानों के हित में हम ऐसे कोई कदम नहीं उठा पाये जिससे किसान निश्चित होकर, निष्फ्रिक होकर खेती करके धन अर्जित कर सके और राष्ट्र को उत्थान दिला सके। गत समय में ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल नष्ट हुई, उसके मुआवजे के नाम पर सरकार द्वारा जो घोषणा की गयी, वह नाकाफी हैं। अभी जो प्रावधान किये गये हैं उन प्रावधानों का यदि हम आंकलन करें तो किसान और उसके परिवार के श्रम की कीमत तो दूर उसकी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम उस काश्तकार को जो ईमानदारी से अपने परिवार की आजीविका का पालन करने के नाम पर खेती करता है, राहत प्रदान करने की बात करें तो उसके साथ वास्तविक रूप से न्याय हो।

आज खेती के अन्दर जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वे बहुत कम दी जा रही हैं। मेरे साथी चौमूं से आने वाले विधायक ने जो बात कही, उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों के विकास के नाम पर, किसी उद्योग के सिक हो जाने की स्थिति में उसको राहत प्रदान करने के नाम पर हम करोड़ों रुपया एक उद्योगपति के पक्ष में प्रोविजन कर देते हैं। हम उसके लोन को माफ कर देते हैं, उसको आने वाले वर्षों के लिये और सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। लेकिन काश्तकार जो हर वर्ष पीड़ित रहता है, हर वर्ष आपदाएं झेलता है, उसको राहत प्रदान करने के नाम पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इसके साथ-साथ काश्तकार को सुविधा देने के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था हमने लागू की है, इस बात पर ध्यान दें कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने वाला किसान किस तरीके से लूटा जा रहा है। वह जब आवेदन करता है, उसका आवेदन तहसील से हटकर बैंक तक जाता हैं, उसकी जो प्रायोरिटी बनती है उस प्रायोरिटी के आधार पर उसको पैसा नहीं दिया जाता । वहां पर घूसखोरी का बोलबाला है। वह तहसील और बैंक के बीच में चक्कर काटता रहता है। उसके बाद में आने वाले आवेदनकर्ताओं को पैसा दे दिया जाता है, किसान क्रेडिट की सुविधा दे दी जाती है और जब वक्त आता है तो कहा यह जाता है कि हमारी लिमिट एग्जास्ट हो गयी। ऐसा क्यों है, इस बात को देखना नितान्त आवश्यक है।

आज जो बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं, कई बार यह जानकारी मिलती है कि नकली बीज से उसने जो काश्त की उसके कारण उसको फसल नहीं मिली। मेरा निवेदन है कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है, इसकी रोकथाम के लिये भरसक प्रयास किये जाएं। आने वाले समय में आप उचित समझें, सदन उचित समझे तो ऐसा प्रावधान करें कि जो हमारे अनएप्लायड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको हम इसके लिये लाइसेंस दें, जो खाद और बीज की दुकानों का संचालन करें और काश्तकार को मार्गदर्शन भी दे सकें।

पूर्व के जो प्रावधान हैं, कृषि विपणन बोर्ड के मार्फत कुछ काश्तकारों को हम ट्रैक्टर खरीद के ऊपर सब्सिडी देते हैं। किसी तहसील में दो काश्तकार होते हैं, कहीं पर कम और कहीं ज्यादा भी होते हैं। ऐसे काश्तकारों को सब्सिडी देने के नाम पर इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ-साथ बेरोजगार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को हम निःशुल्क भूमि आबंटन करते थे, या रियायती दर पर भूमि का आबंटन करते थे, वह प्रक्रिया अभी रुकी हुई है इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सभापति महोदय, फसल जो भी उत्पादित की जा रही है, आज वक्त है कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने का। हम अभी भी अपने वही ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं। खेती का हमारा वही पुराना स्टाइल हैं जिसको बदला जाना चाहिए। आज औषधीय खेती की बात की जा रही हैं। आज ड्रिप इर्रिगेशन के मार्फत खेती की बात की जा रही है। लेकिन हमारा अधिकांश इलाका आज भी बरसात के भरोसे है, बारानी भूमि की खेती ईश्वरीय मेहरबानी के बूते की जा रही है। इसके साथ-साथ स्लो इर्रिगेशन का मैथड भी आज अपनाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर ऐसे प्रावधान किये जाएं कि ड्रिप इर्रिगेशन से खेती करने के नाम पर जो काश्तकार आगे आना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जाए।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ जो हम राहत प्रदान करने के नाम पर काम करते हैं, इलाकों के अन्दर इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए, एक क्षेत्र वह है जहां पर अगर कोई ट्यूबवैल के मार्फत खेती करता हैं उसको पानी 70-80 फुट पर मिल जाता है। दूसरी तरफ ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी 400-400 फुट तक नहीं मिल पाता है। फसल की कीमत वही है लेकिन लागत बहुत ज्यादा है, इस प्रकार जहां पानी ज्यादा गहराई पर है वहां पर बिजली के बिलों में कोई सब्सिडी दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, आज जो बार-बार बात करते हैं कृषि बीमा की, सभी सदस्यों को यह दृष्टिकोण है कि यह व्यवस्था उचित नहीं है। इसको व्यक्तिगत इकाई के रूप में हम लागू करें जिससे वास्तव में कृषक को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आज हमारा काश्तकार जो खेती से अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता है, पशु पालन वह एक मात्र व्यवसाय है जो उसके परिवार का लालन-पालन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

करता है। हम पशुपालक को जितना प्रोत्साहन दे सकें, वह कम है। पशुओं की अच्छी और उन्नत नस्ल को बनाये रखने के लिए हमारे जो प्रयास हैं वे नाकाफी हैं। हमारा जिला बीकानेर मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, यहां पर बहुसंख्यक पशुपालक हैं जो अपनी आजीविका पशुपालन के जरिये अर्जित करते हैं, चाहे वह भेड़ों के नाम पर हो चाहे वह राठी नस्ल की गायों कि नाम पर हो। वर्तमान समय में समय-समय पर भेड़ें बीमारियों का शिकार होकर अकाल मौत का शिकार हो रही है। विगत कुछ माह पूर्व भी इसी प्रकार से तहसील लूणकरणसर के लम्बे-चौड़े क्षेत्र में भेड़ों में अचानक किसी बीमारी के पाये जाने से उनकी मौत हुई। हजारों भेड़ों की मौत के कारण जो पशुपालक हैं उनका करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। सभापति महोदय, विभागीय स्तर पर समय पर कार्यवाही नहीं होने के कारण जो पशुपालकों को नुकसान हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

जिसके कि आज तक सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं आ पाये हैं कि भेड़ों की मौत किस कारण से हुई। उनको दी गयी दवा के कारण उनकी मौत हुई या बीमारी के नाम पर। किसी भी कारण से हुई, भेड़पालक जो कि गरीब पशु पालक हैं, उसको राहत प्रदान करने के नाम पर मुआवजा दिया जाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने अनेक योजनाएं तो बना रखी हैं, मसलन जिला परिषद के मार्फत जो योजना अभी लागू की गयी है उसके चलते हम लोन उपलब्ध करा रहे हैं। हम गायों को खरीदने के नाम पर राशि उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उसके अन्दर कुछ ऐसी कंडीशंस लगायी गयी हैं कि अगर हमें गायों की खरीद करनी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हैं तो किसी राज्य विशेष में या स्थान विशेष पर जाना पड़ेगा। इतनी दूर जाना और वहां से खरीद कर पशुओं को अपने स्थान पर लाना, इसमें हजारों रुपया तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर खर्च हो जाता है। ऐसी बंदिशों की व्यावहारिकता की जांच की जाए और उसका सरलीकरण किया जाए। इसी के साथ-साथ दूध की कीमत जो हम वर्तमान में दे रहे हैं वह नाकाफी है। हम एक ओर उद्योगों को सब्सिडी देते हैं, लम्बी-चौड़ी राहत की घोषणाएं करते हैं। वहीं गरीब पशुपालक को जो कि उसकी आजीविका का जरिया है, दूध बेचकर वह अपने परिवार को चलाता है, उसको हम दूध की कीमत बहुत ही कम दे रहे हैं। कम्पीटीशन के कारण पशुपालक को प्राइवेट सैक्टर को भी दूध बेचना पड़ता है और वहां पर उसकी लूट का भी शिकार होना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि पशुपालकों की अभी वर्तमान में जो दूध की कीमत हैं इसको बढ़ाया जाए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, आज कृषि और पशु पालन की मांग संख्या 37 और 39 जो राजस्थान की 70-75 प्रतिशत आबादी की आजीविका का साधन है, उस पर चर्चा हो रही है। उसमें भाग लेते हुए मेरा मानना हैं कि पिछले दस साल से हमारे देश और प्रदेश में जिन उदारीकरण की नीतियों पर चलने का सरकार ने काम किया है इसका सबसे विपरित असर हमारे किसान वर्ग की जो 75 प्रतिशत आबादी है, उस पर पड़ा है। जो भी इनपुट्स हैं, या जो लागत है, 1995 से 2005 तक हम देखें तो चाहे वह डीजल है, चाहे वह बिजली है, चाहे वह खाद है, चाहे वह बीज है, चाहे कीटनाशक दवाइयां हैं, इन दस सालों के दौरान उनकी कीमत कई गुणा बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ किसान की उपज की कीमत या तो स्थिर हैं या गिरी हैं। या उस मात्रा में नहीं बढ़ी है जिस मात्रा में इनपुट्स की लागत का मूल्य बढ़ा है। चाहे डीजल से लीजिये, बिजली से लीजिये, तमाम इनपुट्स की वृद्धि हुई है। यह इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि इनपुट्स की कीमत बढ़ी है और पैदावार की कीमत कम करने का काम किया है।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, इसी के साथ राजस्थान में सबसे छोटा किसान वह है जो सब्जी पैदा करता है। एक तरफ पैदावार करने वाला लूटा जाता है दूसरी तरफ उपभोक्ता लूटा जाता हैं। हमारी मण्डियों में किसान सुबह सब्जी लेकर आएगा, एक रुपंये, दो रुपये किलो से सब्जी बेचेगा। चार महीने तक जो सब्जी पैदा करेगा उसको मिलेगा दो रुपया और उपभोक्ता को शाम को उससे दुगुनी या तिगुनी कीमत में मिलेगी। कोई सोच नहीं सकता कि जो पैदा करता है और जो उपभोग करता है वे दोनों लूटे जा रहे हैं और जो मध्यस्थ हैं वह मालामाल हो रहा है। हमें इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। पिछले 24 सालों से चाहे सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात हो, चाहे प्रतिपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस की हो, पूरी कृषि विपणन व्यवस्था, मंडियों की व्यवस्था अधिकारियों के हवाले कर दीं, जहां किसान अपनी उपज चाहे वह धान के रूप में हो, सब्जी के रूप में हो, चाहे जिंस हो, उसे बेचकर अपना परिवार चलाता है। पिछले 24 सालों से कृषि उपज मण्डी के चुनाव नहीं कराकर वह अधिकारियों के हवाले कर दी गयी है। सरकार अगर किसान के प्रति हमदर्दी रखती है तो जब सरकार की तरफ से मंत्रीजी जवाब दें, समय सीमा बातएं कि कब कृषि उपज मंडी किसानों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के दिशा-निर्देश से चलेगी।

सभापति महोदय, आप अन्दाजा कीजिये, उसके पैसे का उपयोग किसान के लिए होना चाहिए। सीकर में तीन मण्डियां हैं जिनमें कृषक विश्राम गृह हैं, किसानों के नाम पर बने हुए हैं, लेकिन उनमें निवास कौन करते हैं ? आप किसी से भी जांच करा लीजिये, कृषि मण्डी के कर्मचारी उसमें निवास करते हुए मिलेंगे। ऐसा कोई कृषि विश्राम गृह नहीं होगा जहां किसान दस मिनट के लिए आराम करने के लिए जाता है। जहां उसमें पैदावार का पैसा आता है उसका उपयोग उसकी सुविधा के लिए, व्यापारियों के लिए तो होता है।

सभापति महोदय, जहां तक खरीद का सवाल है, मैं समझता हूं खरीद में उन्हीं नीतियों का नतीजा है। सरसों पूरे देश में जितनी पैदा होती है उसका 40 से 45 प्रतिशत राजस्थान में पैदा होती है और आज उसकी खरीद में किसानों के साथ लूट हो रही है। केन्द्र के माध्यम से राजस्थान की सरकार

(श्री अमराराम)

गेहूं खरीदेगी तो जितने भी आढ़तिये हैं उनके यहां से खरीदेगी। कोई परेशानी नहीं होगी। उनको आढ़त मिलेगी। किसान का अनाज बिकेगा और खरीद पूरी होगी। लेकिन सरसों के लिए हम यह व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरसों हमारी कमर्शियल क्राप है। इन दस सालों में कमर्शियल फसल की तरफ किसान गया है, उसकी सबसे बड़ी मांर भाव में किसान को पड़ी हैं। 1995 में सरसों दो-ढ़ाई हजार में बिकती थी आज वह 1400 में बिकती है। उसको भी खरीदने में अगर सरकार आनाकानी करे तो मैं समझता हूं कि यह सबसे बुरी हालत है। वह गिरदावरी लेकर आएगा, उसका सैम्पल लिया जाएगा, फिर बारदाना नहीं होगा, फिर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होगी। मैं समझता हूं कि वह कितनी मेहनत से फसल पैदा करता है, ये सारी परेशानियां उसके सामने खड़ी करना केवल बहाना हो सकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्याज पैदा होता है, उसका समर्थन मूल्य शायद 285 रुपए प्रति क्विंटल से बहुत कम 100 से 250 रुपए प्रति क्विंटल पर उसको बेचना पड़ रहा है। आज हम खुलेपन, उदारीकरण और निर्यात की बात करते हैं, सरकार इसमें मदद कर सकती है, बेनिफिट दे सकती है।

सभापति महोदय, हम कमर्शियल क्राप की तरफ किसान के डाइवर्शन की बहुत घोषणा करते हैं और दूसरी फसल की तरफ उसको ले जाना चाहते हैं, लेकिन यदि वह दूसरी फसल की तरफ जाता है तो उस पर भावों की मार पड़ जाती है और वह तबाह हो जाता है।

सभापति महोदय, राजस्थान आज सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है लेकिन अफसोस की बात है कि 52 साल बाद भी हम बाजरे का बीज राजस्थान में पैदा नहीं कर पाये। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जहां सबसे कम बाजरा पैदा होता है, वहां का बीज राजस्थान में करोड़ों रुपयों का बिकने आता है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि अब की बार राजस्थान का कृषि विभाग बाजरे

(श्री अमराराम)

का बीज पैदा करेगा। सभापति महोदय, बाजरा बिकता है 5 रुपए किलो और उसका बीज बिकता है 100 रुपए किलो, तो क्या हम नकली बीज को रोक पाएंगे ? जब तक हम पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत बीज पैदा नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसान का भला नहीं कर पाएंगे। यही हालत मोठ और अन्य बीजों की है, नकली दवाइयों की है। इनको रोकने में हमारी इच्छाशक्ति होनी चाहिए। ऐसे लोग जो किसानों को चीट करने वाले हैं, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले हैं, नकली खाद और नकली बीज बेचने वाले हैं, उन पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

अभी रबी की फसल के समय डी.ए.पी. का ब्लैक हुआ है। कृषि मंत्रीजी कह रहे थे कि कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन राजस्थान का किसान रबी की फ़सल को बीजने में इतना परेशान हुआ, उसको ब्लैक में खरीदना पड़ा। आपका इतना बड़ा विभाग होने के बावजूद नकली डी.ए.पी. खरीदना पड़ा। उसका पैसा लगता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नकली खाद और बीज पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, कृषि के बाद क़िसान की राजस्थान में दूसरी मुख्य गतिविधि पशुपालन है। हमारे राजस्थान में सरकार ने तीन साल तक के बछड़ों को बाहर भेजने पर पाबन्दी लगाई है, यह कहकर कि वह बाहर जाएगा तो कट जाएगा। लेकिन तीन साल और एक महीने के बछड़ों की आपको चिन्ता नहीं है। तीन साल तक़ की रखवाली करने के लिए तो सरकार ने विधान सभा में कानून पास कर दिया, इसलिए पास किया कि राजस्थान के किसान की आर्थिक रीढ़ पशुपालन है, वह नष्ट कर दी जाए। सभापति महोदय, जब तक हम नस्ल सुधार नहीं करेंगे, पशु धन का विकास नहीं होगा। चाहे हम कितनी ही गौशालाएं चलाते रहें, जब तक गाय आर्थिक इकाई नहीं होगी, किसान उसको नहीं पालेगा। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आ जाए, सरकार गाय पाल नहीं सकती और समय रहते उपाय नहीं किये गये तो उसका नस्ल सुधार नहीं हो सकता। बछड़ों के बाहर जाने पर पाबन्दी लगाकर हमने किसान की

(श्री अमराराम)

आमदनी के जरिए को नष्ट करने की कोशिश की है, गाय, भैंस, बकरी पालन जो राजस्थान की किसान की आजीविका का मुख्य आधार है, उनकी नस्ल सुधारने के लिए जब तक पशु पालन विभाग पहल नहीं करेगा, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम किसान का भला नहीं कर पाएंगे।

किसान पशुओं का दूध बेचता है, पिछले पांच सालों में डेयरी ने जो मुनाफा कमाया उससे किसान को इमदाद मिलनी चाहिए थी इसके बजाय सरकार ने पांच महीने में मुख्य मंत्री के फोटो छपवाने में उस पैसे को खर्च कर दिया। मैं समझता हूं, यह सोच हमारे किसान को और राजस्थान को आगे नहीं बढ़ाएगी। यदि हम राजस्थान की 75 प्रतिशत आबादी का भला करना चाहते हैं तो हमें कृषि, पशुपालन में अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39, कृषि और पशुपालन पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीलीबंगा में नया यार्ड खोलने का जो निर्णय किया है, 25 वर्षों से जो समस्या चली आ रही थी उस समस्या का समाधान हुआ है, तो मैं धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता।

सभापति महोदय, कृषि पर चर्चा बहुत होती है, पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से चिन्तित हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं हैं पर चर्चा चर्चा ही रह जाती है, आज तक किसान के लिए इन चर्चाओं से कोई सार नहीं निकला। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हर मद पर जो बजट बढ़ाया गया है उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे दाहिनी तरफ बैठे साथियों, फसल बीमा पॉलिसी में जो भी कमियां रह गई हैं उनमें सुधार

(श्री रामप्रताप कासनिया)

करवाने का काम आपका है, आपकी सरकार केन्द्र में है, आप वहां जाकर यह कार्य करें कि जो पहले इकाई मानी गई, उसके स्थान पर खेत को इकाई माना जाए, खेत के मालिक को इकाई माना जाए। सभापति महोदय, फसल बीमा में बहुत-सी जिन्सों को राजस्थान सरकार ने सम्मिलित कर लिया है, लेकिन हमारे जिले की मुख्य क्राप नरमा कपास को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर की मुख्य फसल नरमा कपास को भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय, कृषि में योजनाएं बहुत हैं उनमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाती है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मौसम जब बिजाई का होता है उससे तीन माह बाद बीज मिलता है और जब फसल लहलहाने लगती है उस समय कृषि विभाग का बीज पहुंचता है। इसकी तरफ भी, माननीय मंत्री महोदय, आप ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, नकली बीज के बारे में कई बार चर्चाएं हुई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर कहे बिना भी नहीं रह सकता, कि अगर कोई अधिकारी नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे तो इन बीज वालों में इतनी ताकत है कि सब संगठित होकर उसको घर भेजने का काम भी कर देते हैं। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि इनके ध्यान में इस तरह की बात जब भी आयी, इन्होंने तुरन्त एक्शन लिया और कार्यवाही की। इसके लिए मैं मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नकली बीज इतनी का जो प्रकरण है, पिछले वर्ष माइको नाम की अरण्डी का बीज इतनी ज्यादा मात्रा में नकली बिका है, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर सब जगह माइको का इतना महंगा बीज तैयार करती है, चाहे कोई कम्पनी तैयार करे, वो अनुमादित लागत से ज्यादा से ज्यादा सवाया पैदा कर सकती है, पर अबकी

(श्री रामप्रताप कासनिया)

बार 10 गुना ज्यादा बीज लगा है। इतना बीज कोई भी कम्पनी पहले तैयार नहीं कर सकती।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक काश्तकार को उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक खेती घाटे का धन्धा रहेगी। सरकार चाहे किसी की हो, जब तक इस खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक खेती घाटे का सौदा रहेगी। सभापति महोदय, बाजार के अन्दर कोई भी व्यापारी काम करता है तो सबसे पहले वो अपना मुनाफा तय करता है, लागत प्लस मुनाफा जोड़कर फिर अपनी चीज बेचता है। काश्तकार बाजार में जाकर ढेरी करके खड़ा हो जाता है और उसके सामने चाहे पड़ता हो या नहीं हो, बोली लगती है और लास्ट में एक दो तीन कहकर वह बोली छूट जाती है। वो उस ढेरी की तरफ टक-टक देखता रहता है। उसके मन में पीड़ा होती है कि अब पूरा नहीं मिला, लागत का मूल्य नहीं आया, पर सभापति महोदय, काश्तकार बेबस है, उसको फसल बेचनी पड़ती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप घंटी बजाओगे..

श्री सभापति : ऐसा है समय की सीमा है। अभी कम से कम 20 सदस्य और बोलने हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति : 5 मिनट नहीं 8 मिनट हो गये।

श्री रामप्रताप कासनिया : 5 मिनट ही हुए हैं। सबको 15-15 मिनट दिये हैं।

सभापति महोदय, नकली खाद के बारे में यहां चर्चा हुई। जीवाणु खाद और दूसरी खाद है उसकी तरफ अगर काश्तकार को प्रोत्साहित नहीं किया गया तो यह जो नाइट्रोजन है, यूरिया, डी.ए.पी. है, इससे थोड़े समय के लिए पैदावार जरूर बढ़ती है, पर इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बिलकुल ही खतम

(श्री रामप्रताप कासनिया)

हो गई। समय रहते इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी जमीनें बेकार हो जाएंगी, उपजाऊ नहीं रहेंगी। सरकार को इस पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो जीवाणु खाद है इस पर सब्सिडी ज्यादा दी जाए।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं पशुपालन विभाग पर थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। पशुपालन के मामले में राजस्थान हिन्दुस्तान के प्रथम राज्यों में है। सभापति महोदय, यहां नस्ल सुधारने की बात हो रही है, जितना खर्चा नस्ल सुधार पर विभाग कर रहा है अगर उसका 25 परसेंट हिस्सा ही काश्तकार को सीधा उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे राजस्थान की जो नस्लें हैं चाहे राठी हो, चाहे थारपारकर हो, खहे ऊंट हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, अपने आप ही नस्ल सुधार काश्तकार कर देंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं, अगर उनको कोई सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। सभापति महोदय, यह कोई नस्ल सुधार है कि गाय गाय की तरह नहीं बोलती ? विदेशी गाय, अमेरिकन आपने देखी है, वो जब बोलती है तो न तो यह पता लगता है कि गाय है और न यह पता लगता है कि भैंस है। उल्टे हमारी नस्ल बिगाड़ दी।

श्री सभापति : माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर ऊंट बर्बाद होता जा रहा है। ऊंट की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान में ऊंट की नस्ल खतम होने वाली है। इसकी तरफ भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, पशु पालन विभाग की तरफ से गांवों के अन्दर टीकाकरण का कार्यक्रम समय पर नहीं होता। पशुपालन विभाग की तरफ से गांवों में जाकर न तो कोई भेड़-बकरियों को चैक

(श्री रामप्रताप कासनिया)

किया जाता है, न पशुओं को चैक किया जाता है चाहे बीमारी से कितने ही खतम हो जाएं, मर जाएं। शिकायत होने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाता। मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई ऐसी व्यवस्था लागू करें कि गांवों के अन्दर आपके विभाग के डाक्टर जाकर समय से पहले ही बीमारियों के टीकाकरण और पशुओं की सार-सम्भाल करें। ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करें। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, पर बीच-बीच में आपने घंटी बजाकर सांस भी चढ़ायी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39-कृषि एवं पशुपालन पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

कृषि और पशुपालन पर लगभग 75 परसेंट हमारे राज्य की आबादी आज निर्भर है। लगभग 50 साल तक हमारी सरकारों ने राज किया, मैं यह कह सकता हूं, आज जो कृषि और किसानों की हालत है, पशुपालकों की हालत है, वह इन पांच सालों में बिगडी है मैं समझता हूं आज दिन तक इनकी हालत बिगड़ी नहीं है। लगातार 4-5 साल से अकाल का सामना करना पड़ रहा है, भेड़पालकों को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों अकाल का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बजट में कृषि के लिए 66.53 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 136.73 करोड़ का प्रावधान रखा है इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। इसमें आपने और भी कई प्रावधान रखे हैं। जल का किस तरह से उपयोग किया जाए, इसके लिए आपने फव्वारा, बूंद-बूंद, पाइप लाइन और डिग्गी फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था की है। आपने गत बजट में जो प्रावधान रखा, उसे बिलकुल दुगुना करके कृषि क्षेत्र व किसानों के लिए वास्तव में आपने जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

एस.सी., एस.टी. वर्ग के लिए आपने नाबार्ड की सहायता से 1600 वर्ष जल संयोजन कार्यों के लिए एस.सी., एस.टी. के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी रखी है, इससे वे जल का संरक्षण कर सकेंगे और सिंचाई करने के लिए उनको व्यवस्था होगी।

इसी प्रकार आपने ईंधन के लिए 64 लाख हैक्टेयर जमीन पर पौंधों के लिए व्यवस्था रखी है। इसी के साथ आपने रतनजोत जो आज बायो डीजल के रूप में काम आ रहा है, उसके लिए एक हजार हैक्टेयर का प्रावधान रखा है। हर क्षेत्र को आपने कवर किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज लगभग एक साल से हम देख रहे हैं, मैं समझता हूं एक साल में कृषि के लिए मुख्य मंत्रीजी ने जो ध्यान दिया है, अगर 40 साल पहले इस पर ध्यान दिया होता तो आज राज्य की जो हालत है वह कभी नहीं होती। फसल बीमा योजना लागू हुई है, इस सरकार के आने के बाद लागू हुई हैं। गत वर्ष जब हम वहां बैठते थे, बार-बार उस सरकार को हम निवेदन करते रहे, कि लगभग 19 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू हुई है, हमारे राज्य में भी फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए क्योंकि यहां का किसान चार साल में तीन साल अकाल की चपेट में आता है और चौथे साल उसकी खेती होती है। फसल बीमा योजना लागू करना हमारी प्राथमिकता थी पर तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले फसल बीमा योजना लागू की, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को। इसलिए भी कि खरीफ की फसल की जो 8 जिंसें ली थीं उसको आपने बढ़ाकर 14 जिंस कर दिया और जो रबी की फसल की 6 जिंस ली थीं आपने उनको बढ़ाकर 8 जिंस कर दिया। इसी के साथ, मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि रबी की फसल में हमारे लगभग 8-9 जिलों में हजारों किसानों को ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, आपने स्वयं मौके पर पधार कर किसानों की तकलीफ सुनी और जितने भी लघु सीमान्त काश्तकार थे, मुआवजे के रूप में जो भी उनका पैसा बनता है,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपने उसकी मदद रखी है। जो भी आपने मदद रखी, आपने मौके पर पहुंच कर उनकी पीठ थपथपाई है, इस पीठ थपथपाने से वे कमजोर नहीं होंगे, आगे और मेहनत करेंगे।

मैं आपको कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हमारा राजस्थान का किसान, या कोई भी किसान जब तक उसकी फसल उसके घर पर नहीं आती है तब तक वह हमेशा चिंतित रहता है। कभी तो वह ओलावृष्टि के कारण बिखर जाता है, कभी धीम के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है, कभी सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण या भूजल एकदम खतम होने के कारण उसकी खेती खराब हो जाती है, वह हमेशा चिंतित रहता है कि 4-5 महीने की खेती कैसे वह पकाएगा। और जब पकाता है तो इस टाइम जैसे हुआ, पकी पकाई फसल पर ओलावृष्टि गिरने से हजारों किसानों को बहुत नुकसान सहना पड़ा है मैं मुख्य मंत्रीजी को एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बिजली के दो महीने के बिल का किसानों को फायदा दिया है। 8-9 जिलों में ओलावृष्टि हुई है, सरकार ने कहा कि दो महीने के बिल का भुगतान सरकार करेगी, किसानों को उससे माफ किया है, यह जो आपने प्रोत्साहन दिया हैं इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी का। कृषि मंत्रीजी को इस विषय पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस साल लगभग 400 लाख रुपये उन किसानों को बांटे हैं. अपनी खेती करते वक्त या खेतों में काम करते हुए जिनका देहांत हो जाता है। उन आदमियों के परिवारों को आपने 400 लाख रुपये देकर जो सांत्वना दी है, इस विषय पर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मेरा आपसे एक अनुरोध है, जैसा कि पहले अभी माननीय सदस्यों ने बताया, कि जो फसल बीमा योजना है इसकी इकाई या तो पंचायत या गांव को बनाना चाहिए। आपने तहसील को जो इसमें इकाई बनाया है इससे कई गांव प्रभावित हुए हैं जिनको आज भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसमें

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपको संशोधन करना चाहिए। आपका इसमें करने का पूरा विचार है, किसानों की भलाई के लिए आपको इसे आगे केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए।

इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मण्डी सुमेरपुर हमारे क्षेत्र में सरसों की सबसे बड़ी मण्डी है, वैस्टर्न राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों सुमेरपुर में आती है। अच्छा साल होता है तब लगभग 50-60 हजार बोरी एक दिन में कृषि मण्डी सुमेरपुर में आती है। जैसे आपने फूलमण्डी अजमेर को घोषित किया है, जैसे मेहन्दी का घोषित किया है, उसी प्रकार आप सरसों की मण्डी के रूप में सुमेरपुर की मण्डी को घोषित करोगे तो यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में कृषि मण्डी सुमेरपुर द्वारा लगभग सभी छोटे-मोटे गांव रोड से जुड़े हुए हैं, पर आज भी कई ऐसे रोड अधूरे हैं जो कृषि मण्डी तक उसकी दूरी कम करते हैं। जैसे नाणा से बेड़ा वाया सैंदला अगर आप जोड़ दो तो आज की स्थिति में नाणा से बेड़ा लगभग 25 किलोमीटर घूमकर आता है, नाणा से बेड़ा अगर आप वाया सैंदला करोगे तो मात्र 10 किलोमीटर में वह बेड़ा पहुंचता है और कृषि मण्डी के लिए 15 किलोमीटर उस किसान को कम चलना पड़ेगा। इसी प्रकार डूगली से बोया किसान घूमकर आता है जब कि बाली होकर डायरेक्ट सुमेरपुर जाता है, अगर यह छोटा-सा रास्ता बन जाए तो किसान को इससे काफी लाभ होगा, वह मण्डी में जल्दी पहुंच सकता है। उसमें किसानों को भी फायदा होगा और हमारे क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। ऐसी रोड़ हैं जो मण्डी के द्वारा सैंक्शंड हैं जो आज भी...

श्री हेमाराम चौधरी : आज तो आप किसानों की पैरवी कर रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : किसानों की पैरवी नहीं मैं भी किसान ही हूं।

9 सड़कें कृषि एपज मण्डी के द्वारा मेंटिनेन्स के लिए पास हुई थीं, 2003-04 में 18 सड़कें पास हुई थीं, 9 सड़कों का तो कार्य पूर्ण हो चुका है, पर 9 सड़कों का आपके द्वारा बैन लगाया हुआ है, 12 महीने हो गये हैं। आज

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

वे सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि उन पर चलने में लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। लोग यह कहने लगे गये कि अगर यह ऊपर का मामला आप और हटा दो तो यह कच्ची सड़क होगी और चलना बहुत आसान होगा। स्वीकृत हैं, और मण्डी के पास पैसा भी है, ऊपर से आपने इस पर बैन लगा रखा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसको लगभग डेढ़ साल हो गये। मैंने आपको पहले भी विनती की है, आज भी मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इस पर आज आप कोई न कोई आश्वासन देंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ओ.पी. महेन्द्रा।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में कृषि पर चर्चा हो रही है, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमारे देश में जहां 72 प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान समय में गांवों में निवास करती है वहां हमारे देश की पापुलेशन का दो तिहाई भाग कृषि और कृषिजन्य कार्यों पर निर्भर करता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारे 40 हजार से अधिक गांवों में कृषि और कृषि सम्बन्ध कार्यों पर आधारित जो जनसंख्या है वह लगभग 78 प्रतिशत है।

(17.49 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं राजस्थान में कृषि में नवीन व्यूह रचना को अपनाएं। स्ट्रेटेजी फार

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

एग्रीकल्चर इस सोच को लेकर हमारे मुख्य मंत्री ने न केवल पिछले वर्ष बजट बढ़ाया बल्कि इस प्रस्तावित बजट में भी कृषि एवं उद्यान विभागों पर बजट को बढ़ाकर 136.73 करोड़ रुपये का किया गया है, जो पिछले वर्ष 66.53 करोड़ थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। पानी की बहुत कीमत हैं। हमारी सरकार ने इस पर आधारित पद्धतियों के महत्व को बहुत भली-भांति समझा है। बून्द-बून्द संरक्षण पद्धति को अपनाया गया है, इसके अन्तर्गत 2004-05 में 12076 कृषक जहां लाभान्वित हो रहे थे वहां फव्वारा पद्धति में सन् 2005-06 में 20 हजार कृषकों को लाभान्वित करने का प्रोविजन किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बून्द-बून्द पद्धति में जहां 719 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा भी उसे बढ़ाकर 1600 हैक्टेयर करने का प्रावधन अगले वित्तीय बजट में किया गया है। फव्वारा पद्धति के अन्तर्गत जहां संयंत्रों पर एक हैक्टेयर पर अनुदान किया जाता था, वहां इसे बढ़ाकर 2 हैक्टेयर किया गया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के आधुनिक कृषि में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए प्रमाणित बीजों का बहुत अधिक महत्व है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने जहां 2004-05 में 4.60 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किया, वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2005-06 में 6.60 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों के वितरण का लक्ष्य रखा है। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री का तहेदिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उच्च गुणवत्ता में प्लांटिंग मैटीरियल को विकसित करने के लिए राजस्थान में दो टिश्यू कल्चर केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जिनमें एक केन्द्र गंगानगर में स्थापित किया जाएगा। गंगानगर जिले के किसानों की ओर से, गंगानगर जिले के जन प्रतिनिधियों की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभर व्यक्त करना चाहता हूं।

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नई सरकार ने कल्याणकारी योजना बनाई है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। कृषि जिंसों पर आधारित विशिष्ट मण्डियों जैसे सोजत में मेहन्दी मण्डी, जोधपुर में जीरा मण्डी को विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह हमारे राज्य के किसानों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा संकेत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पायलट आधार पर मौसम बीमा योजना के अन्तर्गत 2005-06 के इस बजट में जीरा, सौंफ, मेथी के साथ-साथ गंगानगर जिले में किन्नू का बहुत बड़ा उत्पादन है, किन्नू को भी इस पायलट योजना में लिया गया है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

इसके साथ ही राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार ने एक नई कल्याणकारी योजना बनाई है। जयपुर के हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। उसके साथ ही कृषि मंत्रीजी, कृषि विभाग और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि फल सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक नई मण्डी का विकास किया जा रहा हैं जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मण्डी बन रही है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां पिछले कई सालों से सरसों की खरीद मार्च के महीने में शुरू होती थी, अबकी बार सरकार ने सरसों की खरीद के लिए दो फरवरी से ही 234 केन्द्र शुरू कर दिये हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं सरकार को सुझाव भी देना चाहता हूं कि बारदाने की व्यवस्था वर्तमान समय में बहुत कम है, आने वाले समय में बारदाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कृषि बीमा योजना पर बहुत ज्यादा सदन में चर्चा हुई। कृषि बीमा योजना का जो हमारा एरिया है उसमें तहसील को इकाई माना गया है। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं, पक्ष और विपक्ष

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि बीमा योजना के लिए सदन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया जाए कि इसमें ग्राम को इकाई माना जाए। केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव प्रेषित किया जाए ताकि फसल बीमा योजना का लाभ प्रत्येक किसान को मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना में सन् 2004-05 में 11095 किसानों ने बीमा करवाया या बैंकों के माध्यम से उनका बीमा हुआ। उन्होंने 1189.7 लाख रुपये यानि 11.90 करोड़ रुपये की राशि चुकाई लेकिन उसके एवज में उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ फसल बीमा योजना के तहत नहीं मिला है। पिछले दिनों हमारे जिले में कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, माननीय संवदेनशील मुख्य मंत्रीजी ने क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने देखा है, अनेक बार ओलावृष्टि हुई है, लेकिन कभी ओलावृष्टि पर इतना संवेदनशील होकर सरकार ने कार्य नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत ही संवेदनशील होकर ओलावृष्टि पर कार्य करने का प्रयास किया। दो महीने के किसान के विद्युत कनेक्शन के पैसे माफ किये गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी गंगानगर पधारी थीं, इसके अन्तर्गत जो उनका आबियाना था उसको माफ किया गया। राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत छोटे काश्तकार ही कवर होते हैं, इसके लिए सदन में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा कोष में जो भी वर्तमान में प्रावधान हैं उनको बदलने की आवश्यकता है ताकि सभी किसान उसमें कवर हों, इसके लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव सदन पास करके केन्द्र सरकार को भेजे ताकि राष्ट्रीय आपदा कोष में भी परिवर्तन हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कृषि मंत्रीजी ने हाल ही में गंगानगर जिले के पदमपुर में के.वी. कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जिले में एक आधुनिक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित होगा, इसके लिए माननीय कृषि मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही दो छोटे सुझाव मैं देना चाहता हूं। कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से गंग कैनाल के आधुनीकरण के लिए 8 करोड़ रुपया सरकार में गया है जबकि गंग नहर फास्ट ट्रैक योजना में आ गई है।

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)

गंगानगर जिले की मण्डियों का 8 करोड़ रुपया जो गंग कैनाल के पेटे सरकार के पास आया है यह पैसा मण्डियों को वापस दिया जाए ताकि पिछले 5 सालों में मण्डी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण जो अवरुद्ध हो गया वो निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी समितियों में जो दुकानों का आबंटन होता है उस आबंटन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भी कोटा फिक्स किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान को भी आबंटन का लाभ मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहूंगा कि राष्ट्र और प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और राजस्थान सरकार का स्वाभाविक स्वरूप किसानों के हित के प्रति बजट के प्रोविजन्स को अगर हम ध्यान में रखें तो खुद उससे साफ झलकता है। आपके माध्यम से इतनी ही जानकारी सदन को जरूर देना चाहूंगा कि अगर 2003-2004 की तुलना में 2004-05 का बजट प्रावधान हम देखें तो करीबन 85 प्रतिशत की वृद्धि हमने राजस्व में की है। इसके अन्दर भी खास बात यह है कि किसान के जो दो वर्ग हैं एस.सी. और एस.टी., इसमें एस.सी. का देखें तो 279 प्रतिशत की वृद्धि का प्रोविजन इस बार इस बजट में किया है और एस.टी. के लिए 72.6 परसेंट वृद्धि इस बजट में प्रमुख स्रोत है। यह सारी तुलनात्मक स्थिति इसलिए दी कि सरकार की जो संवेदनशीलता है और किसानों के प्रति जो उनका स्वाभाविक रवैया है, उसको यह दर्शाता हैं। कृषि विभाग का कार्य है कि जो भी सरकार की योजना है, उसको ठीक प्रकार से किसानों तक पहुंचाए। यह कार्य वह तीन या चार मापदण्डों के आधार पर करता है।

(18.00 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

काश्तकार को सर्वप्रथम तो बीज की आवश्यकता पड़ती है बीज सही मात्रा में मिले, गुणवत्ता वाला मिले। उसके लिए 16 से 17 ऐसे कृषि फार्म्स हैं जो कि सरकार के नीचे हैं, वे सरकारी कृषि फार्म हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इतने वर्षों के बाद भी 30 से 40 प्रतिशत बीज ही इन फार्मों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं। इसलिए 60 से 70 प्रतिशत बीज के लिए किसानों को किसी प्राइवेट कम्पनी के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। वहां यह कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि गुणवत्ता के अन्दर जो कमजोर किस्म का बीज है वह आ जाता है और उससे किसान परेशानी में पड़ता है।

दूसरा जो मापदण्ड हैं, जो कि कृषि विभाग का एक प्रमुख मापदण्ड है, वह यह है कि जितनी हमारे यहां जमीन है, उस जमीन के अन्दर 10 लाख हैक्टेयर जमीन तो ऐसी है जो किसी न किसी वजह से उपजाऊ नहीं है चाहे सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा हो या और किसी चीज से हो। उसके लिए हमारे यहां प्रोविजन है कि जिप्सम का इस्तेमाल किया जाए, अब जिप्सम का जब इस्तेमाल होता है तो जिप्सम में गुणवत्ता की बात भी ध्यान में रखनी पड़ती है। जिप्सम के इस्तेमाल के लिए कई स्कीम हैं लेकिन अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 10.72 लाख हैक्टेयर में से 46.00 हैक्टेयर में ही जिप्सम का उपयोग किया गया है यानी मात्र चार प्रतिशत जमीन को हमने जिप्सम के उपयोग के लिए काम में लिया। ये ऐसे आंकड़े हैं जो कहीं न कहीं यह भी दर्शाते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं उनको किसानों के प्रति थोड़ा-सा ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जिप्सम में गुणवत्ता के लिए भी यह बात देखी गई है कि जिप्सम की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। पिछली बार कई ऐसे सैम्पल्स लिये गये हैं जिनमें इन्फीरियर क्वालिटी के जिप्सम का उपयोग हुआ है, जिससे उसके सारे रिजल्ट्स वो नहीं आये, जो कि आने चाहिए थे।

इसके अलावा एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नई नई किस्म के बीज आ रहे हैं, एक बीटी. काटन, जो वैसल्स स्टोन जिंस के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नाम से जाना जाता है। इस काटन के लिए केन्द्र सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ-साथ राजस्थान को भी अधिकृत किया है कि यहां यह बोई जा सकती है। हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर में सरकार के पास में ऐसे कौन से मापदण्ड हैं कि सही ढंग के बीज आएं। आन्ध्र प्रदेश में त्रासदी हुई, कि जिस बीज का उपयोग वहां के काश्तकारों ने किया, जब वह बीज गुणवत्ता के आधार के ऊपर स्पूरियस निकला, इसकी वजह से कई काश्तकारों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। कोई भी हादसा राजस्थान में नहीं हो जाए उसके लिए क्या नियम बनाये गये और कैसे यह रेगुलेट होगी, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि यह जो बीज है, साधारण बीज से इसकी कीमत 100 गुना ज्यादा है। जो साधारण बीज 25 से 35 रुपये किलो के हिसाब से आता है, यह बीज 2000 से 2500 रुपये किलो के हिसाब से आएगा। इसमें कहीं स्पूरियस बीज आ जाएगा तो काश्तकार इस बोझ को नहीं झेल पाएगा। हम यह चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में संवेदनशील रहे और ध्यान रखे।

इसके अलावा बहुत-सी ऐसी सेन्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से सब्सिडी राजस्थान में आती हैं, जिसे राजस्थान सरकार छोटे, लघु, सीमान्त, जिसको हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, उनको देती है, एस.सी., एस.टी. को देती है। कई बार यह देखा गया है, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सेन्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम आई मेकेनाइजेशन आफ स्माल फार्मर्स के लिए, वह ऐसी आई थी जो मार्जिनल फार्मर्स थे या एस.सी., एस.टी. वाले फार्मर्स थे, उनको ट्रैक्टर के ऊपर 30,000 रुपये तक ही सब्सिडी दी जाती है। यह स्कीम आई थी और सलैक्टेड डिस्ट्रिक्टस के लिए थी। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू कर दी गई। सन् 2000 से यह स्कीम चालू है। ये ट्रैक्टर वे होते हैं जो एक पर्टीकुलर हार्स पावर के नीचे हों। एक पंजीकृत सूची है कि वह सब्सिडी उन्हीं को दी जाएगी जो इन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मार्जिनल या छोटे फार्मर्स होते हैं वे एक पर्टीकुलर हार्स पावर का ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात को निश्चित करता है कि क्या उस हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीदा गया और वह पर्टीकुलर सी.सी. का था या नहीं था। अनेकों उदाहरण हैं, इन्वेस्टीगेशन हो रहा हैं और मेरे पास भी दस्तावेज हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, ट्रैक्टर खरीदा गया "आयशर" कम्पनी का, हार्स पावर 380 । 380 हार्स पावर पर सब्सिडी लागू नहीं है। 368 हार्स पावर पर लागू है। फार्मर्स के द्वारा बिल कटाया गया 368 हार्स पावर के नाम से, चैसिस नम्बर और इंजिन नम्बर 380 हार्स पावर का और 30,000 रुपये की सब्सिडी दे दी गई। ये बड़े ट्रैक्टर कौन खरीद रहे हैं, जो कि बड़े फार्मर्स हैं। ऐसे 1000 फार्मर्स हैं जिनको सब्सिडी बांटी गई। 1000 बड़े फार्मर्स को अगर सब्सिडी बांटी गई है तो यह तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। अगर यह सारा देख लिया जाए कि कौनसा ट्रैक्टर आ रहा है, सब्सिडी किसे दी जानी चाहिए और ले कौन रहा हैं, तो यह एक ऐसी सब्सिडी है जिसका दुरुपयोग हुआ है। मैं चाहूंगा, कम से कम सरकार इस बारे में जानकारी लें। जो भी दोषीं व्यक्ति हैं, जो दस्तावेज मेरे पास में हैं, मैं चाहूंगा कि सारे दस्तावेज सदन की मेज पर भी रख दूं। ऐसी कितनी ही कम्पनियां हैं जो इस ढंग की चीज कर रही हैं जो कागज में कुछ और है और वास्तविकता में कुछ और है।

ठीक इसी प्रकार से एक और सब्सिडी स्कीम स्प्रिंकलर पर भी आई थी, जिसके बारे में पहले भी शायद चर्चा हो चुकी है। स्प्रिंकलर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। एक नाबार्ड का सिर्फ इंडीकेटिव था कि 18000 से 20000 रुपये तक का स्प्रिंकलर सिस्टम आता है। यह सबको मालूम हैं कि 50 प्रतिशत तक कम कीमत में वह स्प्रिंकलर सिस्टम अवेलेबल है और 50 प्रतिशत तक की उस पर सब्सिडी है। यानी 10.000 रुपये तक का था, जो कि 50 प्रतिशत आता है, आपने वह दे दी और रेट वह ली जो कि बहुत ज्यादा थी और उससे आधी से कम कीमत में आता था। ऐसी सब्सिडी स्कीम का दुरुपयोग होता है। एक तो वोल्यूम आफ फार्मर्स कम हो जाते हैं। पैसा अगर होता तो डबल फार्मर्स के पास भी जाता और डबल वाल्यूम के फार्मर्स को

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उसका उपयोग करने को मिलता। यहां पैसा भी बर्बाद हो रहा है। यह ऐसी स्कीम है जो आखिर काश्तकार की अपनी आज जो परिस्थिति है, उसको और सुधारने को सरकार लाती है, चाहे केन्द्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो। इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनको आप दण्डित करें और पुनरावृत्ति इसकी नहीं हो, इसके बारे में भी आप ध्यान रखें।

एक चीज मैं आपको और अर्ज करना चाहूंगा कल बात हो रही थी सिंथेटिक दूध की, बात हो रही थी स्पूरियस घी की। आपके यहां एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको आक्सीटोसिन कहते हैं। मैं यह बात जानता हूं कि आंकड़ों के हिसाब से सरस डेयरी के दूध का कनेक्शन आज की तारीख में, हमने 27 साल का रिकार्ड तोड़ दिया, 20 लाख लीटर प्रति दिन का कम से कम कलेक्शन है। लेकिन आक्सीटोसिन एक ऐसा इंजेक्शन है, जब वह पशुओं में लगाया जाता है तो पशुओं में जो प्रोडक्शन है मिल्क का, वह बढ़ जाता है। "एच" श्रेणी का यह इंजेक्शन है, केन्द्र सरकार की तरफ से भी यह रैस्ट्रिक्टेड है कि इसका यूज हो। लेकिन प्रैस्क्राइब वेटरिनटी डाक्टर करे तब ही हो। आपके यहां तो पान की दुकान से लेकर जनरल मर्चेन्ट की दुकान के ऊपर यह आक्सीटोसिन का इंजेक्शन उपलब्ध है। इससे जो दूध निकलता है वह उपयोग में आता है तो it is harmful to women who are pregnant, to the newly born children. It causes cancer. हम यहां यह एक बात और भी कर रहे हैं कि it is bad for the bones of these animals. मगर धड़ल्ले से चल रहा है। it causes breast cancer also. इस आक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग रेगुलेटेड है, there are provisions in the law that it cannot be freely sold. और जो आक्सीटोसिन बिक रहा है, वह भी स्पूरियस क्वालिटी का बिक रहा है, उसमें ऐसे दूसरे लक्षण हैं। प्रापर अगर चैनेलाइज या कम्पनी का नहीं है, उसके लिए तो इफैक्ट्स हैं ही, बगैर रोकथाम के भी इस्तेमाल हो रहा है। हम चाहेंगे कि कृषि विभाग और एनीमल हजबैन्ड्री विभाग कम से कम इस चीज को भी ध्यान में रखे।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एक बात और मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि एग्रो वेस इण्डस्ट्री के बारे में बहुत-सीं बातें हो रही हैं। हम एक बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं अमूल का, को-आपरेटिव बेस, गवर्नमेंट आफ गुजरात की तरफ से यह कई वर्षों से चल रहा है, और यह आम नाम हो गया है। अगर मक्खन का नाम है तो अमूल लो। सरस के हिसाब से हमने दूध और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर इस चीज को हम विकसित कर दें, इस चीज को और दूसरे फील्ड्स में हम खील दें-चाहे वह कास्मेटिक्स हो चाहे वह कंजूमेबल आइटम्स हो, तो इसे हम विस्तृत रूप दे सकेंगे। और जो एक फार्मर्स की टेंडेन्सी है कि सिर्फ मण्डियों तक वह सीमित रह जाता है, उसको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। एक ऐसे इमरजिंग फील्ड की तरफ जाने को उसको ओपन करेंगे, जो कि 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास में साधन हैं, सरकार के पास में बहुत बड़ी योजना है लेकिन कमिटमेंट के साथ में योजना लागू हो जाए और जहां पिलफरेज है उसको हम रोकें, क्योंकि आखिर 10 प्रतिशत राष्ट्र का भू-भाग राजस्थान में हैं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई हैं कि दो तिहाई भू-भाग या तो रेगिस्तानी है या अर्द्ध रेगिस्तान से पीडित है। यहां का काश्तकार सारे के सारे तरीकों से साल में दो बार इसकी आमदनी लेता है। दो बार की आमदनी के लिए पूरी की पूरी इस धरती पर, इस वसुन्धरा पर डिपेंडेंट है। हम यह चाहेंगे कि जो कुछ भी योजना आती है, नीयत किसी भी योजना में खराब नहीं हैं चाहे केन्द्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हर सरकार की नीयत किसान को फायदा पहुंचाने की होती है, लेकिन सिस्टम में कहीं न कहीं एक ऐसी कमी हैं कि काश्तकारों तक वह सारा का सारा बेनेफिट नहीं पहुंचता है। सारी चीज की गई, आकार में और प्लान में आपने इजाफा किया है लेकिन हम यह चाहते हैं इजाफा कमिटमेंट में भी करें, क्योंकि अगर कमिटमेंट रहेगा तब जाकर रिजल्ट्स आएंगे। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्यू।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्षजी, कृषि और पशुपालन पर हो रही चर्चा में भाग लेकर बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात निवेदन करना चाहूंगा और मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब आप उत्तर दें तो कृपया इन बातों का भी उल्लेख करें।

कृषि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, बल्कि हम कहें कि हमारी बैकलोन कृषि अर्थव्यवस्था पर डिपेन्डेड है और इस कमर में बहुत जबरदस्त दर्द है, तो गलत नहीं होगा। किसान परेशान है इस बात को लेकर कि जो उपज वह पैदा कर रहा है उसका बाजार मूल्य उसको नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में बहुत लोगों ने चर्चा की है इसलिए इस बात को कहकर कि किसान परेशान है, मैं आपके सामने सुझाव रखूंगा कि कैसे उस परेशानी का समाधान किया जा सकता है। सरसों की जो खेती में इस साल परेशानी आ रही है, आम लोगों की मान्यता यह होगी कि सरसों इस साल बहुत ज्यादा है इसलिए व्यवस्था बिगड़ रही है। हकीकत में बात यह नहीं है। पिछले साल ज्यादा सरसों का उत्पादन था। तिलहन के उत्पादन में भी देश के अन्दर कोई बढ़ोतरी नहीं है, मगर फर्क यह पड़ा है कि जो बाजार है वह समर्थित मूल्य से कम हैं। पिछले साल किसान को जो बाजार मिल रहा था...(व्यवधान) आप, बहुत गम्भीर विषय है उसको थोड़ा इस सदन में चलने दीजिये।

सरसों का बाजार भाव, जो 1700 रुपयं क्विंटल पर अभी बिक रहा है समर्थन मूल्य पर, आपने जितनी भी व्यवस्था की है उसके बाद भी किसान को खेती करके फसल पैदा करने में ही बहुत परेशानी पैदा होती है, और अगर फसल बेचने में भी उसको परेशानी भुगतनी पड़े तो यह एक बड़ी विड़म्बना है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरसों के बारे में हम पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर चिन्तन करें कि यह परिस्थिति क्यों आई कि सरसों 1700 रुपये क्विंटल के भाव में बिक रही है। हिन्दुस्तान की आबादी सौ करोड़ से ऊपर है। और इसके अन्दर एक बहुत बड़ा कृषि का मार्केट भी है। जो देश कृषि तेल का उत्पादन

(श्री भरत सिंह)

करते हैं मलेशिया, सिंगापुर, और भी जो पाम आयल की खेती करते हैं, उनके पास इतना पाम आयल होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हिन्दुस्तान में उसकी खपत नहीं हो तो वह उस पाम आयल का करेंगे क्या। सोयाबीन की जो खेती हमारे प्रदेश में चालू हुई, देश में चालू हुई, अमेरिका के पास जो सोयाबीन होता है, ब्राजील के पास जो सोयाबीन होता है, उनके पास हिन्दुस्तान के अलावा इतना बड़ा मार्केट है नहीं। इसलिए हमारे देश के ऊपर सब की निगाहें रहती हैं। हमारे प्रदेश में जो सरसों की एक तरह की ग्रोथ हुई हैं, एक बहुत सकारात्मक ग्रोथ हुई है सरसों के कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि सरसों की खेती से ज्यादा लाभदायक राजस्थान की ज्योग्राफिक्स कण्डीशन में और फसल नहीं है। और कुछ कंडीशंस हैं कि हमारे पास पानी बहुत कम है, एक फसल की खेती सरसों है। अगर इसका उचित मूल्य किसानों को मिले तो यह हर दृष्टि से किसान के हित में है, प्रदेश के हित में है। जितनी सरसों राजस्थन में हो रही है, इतनी सरसों हिन्दुस्तान क्या, विश्व में कहीं नहीं होती इतने बडे एकड़ के अन्दर। इस सरसों को हमारे प्रदेश की मुख्य क्राप मानकर हमें इसके इन्टरेस्ट को नेशनल लेवल के ऊपर गाइड करना पड़ेगा। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि हमारे मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे लोक सभा के हों और चाहे राज्य सभा के हों, उन्होंने कलैक्टिवली इस बात पर कभी जोर नहीं दिया कि इस तादाद के अन्दर एडीबल आयल आप इम्पोर्ट नहीं करें। कम से कम इतना तो अवश्य करें कि समर्थन मूल्य के ऊपर जो सरसों है उससे थोड़ा बाजार भाव ऊपर हो। यह समर्थन मूल्य होता क्या है ? समर्थन मूल्य बाजार की व्यवस्था, अगर कोई व्यापारी उस व्यवस्था को बिगाड़नें की कोशिश करे तो बाजार में सरकार हस्तक्षेप करे और व्यवस्था लागू हो जाए। एक जहाज के साथ जिस प्रकार से लाइफ सेविंग बोट्स चलती हैं इमरजेंसी के अन्दर जब कोई दुर्घटना हो जाए तो लाइफ सेविंग बोट्स को उतारा, उसी प्रकार की समर्थन मूल्य की व्यवस्था है। मगर उस व्यवस्था के अन्दर पूरे जहाज की सवारियां ही अगर उन छोटी नाव के अन्दर बैठने लगें तो जहाज तो डूबेगा ही डूबेगा, नाव भी डूबेगी। दस

(श्री भरत सिंह)

हजार करोड़ रुपये का भारत सरकार को इस इम्पोर्टेड आयल के ऊपर शुल्क के रूप में वसूल हो रहा है और दस हजार करोड़ का ही तेल आ रहा है खाने का। हमारे प्रदेश की सरसों की खेती के अन्दर पूरी व्यवस्था में 1700 के बाद, हमारे सहकारी मंत्रीजी तो कह रहे थे कि 500 रुपये खर्चा इसके ऊपर और आएगा, तो 1700 रुपये और 500 रुपये खर्चा है, दो सौ रुपये ही मान लें और अगर बाजार की व्यवस्था उतनी हो, उसके अन्दर इम्पोर्ट उस हिसाब से कम हो तो यह खपत बाजार के अन्दर-अन्दर होनी चाहिए। हमारे जो मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट हैं उनके साथ आपको एक डैपुटेशन के रूप में केन्द्र से बात करनी चाहिए। इम्पोर्ट की ड्यूटी अभी बढ़ाई है, जब दस हजार करोड़ की इम्पोर्ट की ड्यूटी भारत सरकार को मिलती है उससे, तो व्यवस्था को दिल्ली के अन्दर अधिकारी स्तर के ऊपर बिगाड़ने में क्या लगता है। थोड़े करोड़ इधर-उधर हो तो पूरी इम्पोर्ट की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और हमारे देश में ये चीजें होती हैं। इसके लिए इस सदन के अन्दर चर्चा करने का मकसद यह हैं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी मैंम्बर्स आफ पार्लियामेंट को लेकर जाकर बात करिये कि राजस्थान कैसे जीवित रहेगा अगर 1700 रुपये क्विंटल के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी ? इस सरसों की खेती के खिलाफ षड्यन्त्र भी है। जिस खेती के खिलाफ ड्राप्सी की बात की गई, कहां गई वह ड्राप्सी ? क्या थी वह ड्राप्सी ? क्योंकि उन देशों का आयात का तेल है, हिन्दुस्तान के अन्दर उसकी खपत में फर्क पड़ेगा। 1700 की जगह दो हजार रुपये क्विंटन मिलता है। एक टेलीविजन के अन्दर प्रचार होता है। सब्जी अगर दो रुपया किसान को मिलता है तो थैलियां दिखाई जाती हैं कि अब क्या होगा। सब चिल्लाने लग जाते हैं। आज हमारी सरसों की यह जो खेती है, मैं आपसे पूछता हूं, सहकारिता मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, हमारे यहां पर कोटा के अन्दर बहुत बड़ा तिलम संघ बना रखा है, सोसायटियां बना रखी हैं, हमारे यहां सरसों पैदा हो रही है, क्यों नहीं तिलम संघ को चालू करते ? क्यों नहीं हम तेल को, रिफाइन्ड तेल को राज्य के एक फिनिशड प्रोडक्ट के रूप में अन्दर पेश करते ? आप रोजगार की बात करते हैं, क्यों नहीं सरसों के तेल का एक

(श्री भरत सिंह)

रिफाइन्ड तेल के पैकेज के रूप में पैक करके पूरे हिन्दुस्तान का मार्केट कैप्चर करते ? अमूल गुजरात से पूरे हिन्दुस्तान में छा सकता है तो सरसों का तेल राजस्थान के अन्दर, हिन्दुस्तान में, पूरे में जा सकता है। आप उसके लिए योजना बनाइये बाजार हस्तक्षेप योजना, कौन-सी हस्तक्षेप योजना है। मैं कंस्ट्रक्टिव आपको सुझाव दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसका जब उत्तर दें तो इसके बारे में जवाब दें।

दूसरी चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, कृषि विपणन बोर्ड। किसान के हित के लिए कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया था। किसानों का हित तो धरा रह गया, हमारी मण्डी और गौण मण्डियां तो धरी रह गई, कृषि विपणन बोर्ड का मण्डियों का जो सिद्धांत है वह भी धरा रह गया और आपका कृषि विपणन बोर्ड, कौन सी सरकार ने किया, किसने क्या किया, उसमें नहीं पड़ना चाहूंगा क्योंकि एक आपस में डिबेट हो जाएगी, मगर आज आप गिरवी हो गये पी.डब्लयू.डी. के। अगर मैं रखैल शब्द भी उपयोग करूं तो भी गलत नहीं होगा। सब्जी की मण्डी वाले बात कर रहे थे टमाटर के लिए, उसकी मण्डी व्यवस्थित करने के लिए पैसा नहीं, जिस काम के लिए कृषि उपज मण्डी से टैक्स का पैसा लिया जा रहा है। 160 करोड़ रुपये वसूल किये किसानों से और 51 करोड़ सड़क योजना के अन्दर मिल गये। राज्य की सड़क योजना कृषि विपणन बोर्ड पर जो है, उसका हो गया आपका काम, सड़क मंत्री हो गये आप। और जब सड़कों का जवाब होता है तो इसका उल्लेख भी नहीं देते। कृषि विपणन बोर्ड का गंग कैनाल से क्या लेना-देना ? चार सौ करोड़ रुपये गंग कैनाल से चले गये। कृषि विपणन बोर्ड का क्या लेना-देना कि सीकर के अन्दर ओवर ब्रिज मिले ? ड़ेढ़ करोड़ रुपये वहां चले गये। इस कृषि उपज मण्डी के पैसे का क्या लेना-देना कि चाणक्यपुरी में कोई रेस्ट हाउस बने ? उसका पैसा वहां ले गये। जो जिसकी मर्जी आए वैसे उपयोग में लेता है और किसान अपनी मण्डी की दुर्दशा को देखकर रोए, उसका माल मण्डी के अन्दर भीगे, क्या इसीलिए हम कृषि मण्डी में लोगों से पैसा ले रहे हैं ? आप दुगना

(श्री भरत सिंह)

पैसा लीजिये मगर उसको सुविधा वहां दीजिये। आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, इस अव्यवस्थित व्यवस्था में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे चुनाव? होगा क्या उससे? जो चुना हुआ जन प्रतिनिधि है, वह सोचेगा मैं चुनकर आ गया। अगर आप किसान का भला चाहते हैं, भंग करिये इस बोर्ड को। जिला परिषद के अन्दर उस जिले की एक डिवीजन की जितनी भी मण्डी की आय होती है, जिले की आय होती है, उस आय को वहां दीजिये। बोर्ड के जितने पैसे वहां देने हों, ताकि सड़कें बनानी हों तो आपके पास नहीं आए गिड़गिड़ाने कोई। उसका मालिक वह है जो पैसा दे रहा है। कृषि विपणन बोर्ड को धूल कर दिया। किसने करा, क्या करा, मगर आज जितनी दुर्दशा इस कृषि उपज मण्डी की हुई है, कहीं इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है..

श्री मदन दिलावर : कल्लाजी, बोलो। धूल कर दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे पूछ रहे हैं।

श्री भरत सिंह : आपस में मत पड़ें, गम्भीर बात को ऐसे डाइल्यूट न करें आप। आपको अगर नहीं बात आ रही है, मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहिये।

श्री भरत सिंह : मैं आपसे एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा। कृषि पर काफी लोग-बाग बोल चुके हैं, मैं उसमें मामूली एक पहलू को टच करूंगा। किसान बीमा योजना की आपने बात की, फसल बीमा योजना की सब ने उत्साह के साथ। मैं पहले बोल चुका हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और घोषणा की कि हम कुछ फसलें और लेंगे। जब एक बार ठग कर आ गये हम, मैं आपसे पूछता हूं कि कोटा संभाग में एक भी किसान को इसका लाभ मिला क्या ? फिर आप हम उसके घावों पर नमक डाल रहे हैं कि हम और फसलें लेंगे। पहले मरे जो ही घणे। अब दिल्ली ने उसको पास किया या आपने उसको पास किया, दिल्ली या राजस्थान ने किया,

(श्री भरत सिंह)

एक बार जब चीज आ गयी, एक बार चख लिया कि पानी खारा है तो फिर क्यों पीने की बात कर रहे हो ? क्यों गुणगान कर रहे हो ? क्यों डुबो रहे हो ? -" आंधा-आंधा ठेलिया दोनों कूप पड़त" उधर दिल्ली से धक्का। आपको धक्का तो अगर अपन को नहीं आ रहा, आपको वैट पसन्द नहीं तो आपने किया क्या उसको लागू ? नहीं किया। अगर इसको पढ़ा होता आपने और कमी महसूस हुई होती तो आप लागू नहीं करते। और अब लगा दिया लागू तो उसके बाद फिर घोषणा कर रहे हैं, और लगाएंगे। कोटा में हमसे पूछेंगे लोग-बाग कि आपको तो लिख कर दिया था, आपने क्या किया विधान सभा में ? तो मैं चाहूंगा कि आप उत्तर दें तब इसका भी उल्लेख करें। कहना तो मुझे बहुत कुछ हैं, पर और भी कुछ माननीय सदस्यों को भी कहना होगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह देवड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री सांगसिंह भाटी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 37 और 39 पर थोड़े समय के लिए दो बातें कहना चाहूंगा।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : हेमारामजी के कहने में मत आना।

श्री सांगसिंह भाटी : हां। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर किसान हित में जो काम किया, सरसों खरीद जिस ढंग से चालू हुई है, अभी जिस जगह भी काश्तकार की सरसों थी, काश्तकार की फसल थी, उसी जगह राजस्थान सरकार ने पहले व्यवस्था की पूरे राजस्थान में, वो सराहने लायक है। सबसे बड़ी बात, मेरे दाहिने तरफ विराजे हुए जो किसान हित की बात करते हैं, मैं उसकी आलोचना तो नहीं करना चाहता, हकीकत में मैंने भी एक काश्तकार के घर में जन्म लिया और मैंने मेरे हाथों से खेती की

है, मैं जानता हूं कि काश्तकार की क्या पीड़ा है। काश्तकार भटकते रहते थे कई वर्षों तक कि कृषि कनेक्शन मिले। कब कृषि कनेक्शन मिलेगा और कब हमारे ट्यूबवैल पर खेती होगी ? कई वर्षों तक भटकते-भटकते आखिर कल्याणकारी सरकार आयी, काश्तकार की सरकार आयी और राजस्थान में पहली बार अगर इतने कृषि कनेक्शन दिये हैं तो वसुन्धरा राजे सिधिंया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिये हैं।

श्री श्रवण कुमार : भाटी साहब, आप भाटी हो या भाट हो ?

श्री सांगसिंह भाटी : ये तो सामने हैं। हैं तो भाटी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी।

श्री हीरालाल : आप तो सुनें, ये बोल रहे हैं। श्रवण कुमारजी, सुनें आप भाटीजी का भाषण।

श्री सांगसिंह भाटी : किसान हितैषी, गरीब हितैषी और मजदूर हितैषी अगर कोई सरकार है, कल्याणकारी सरकार अगर किसी को कहा जाए तो वर्तमान सरकार माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया की सरकार हैं भारतीय जनता पार्टी की, हर जगह किसान हित में, हर जगह मजदूर हित में कल्याणकारी कार्य किये जिसने किये हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : राठौड़ साहब, पहुंचा देना मुख्य मंत्रीजी तक।

श्री श्रवण कुमार : ये सारे चेले राजेन्द्रजी के हैं, मैंने देख लिया। इन्होंने ऐसे तैयार कर दिया 20-25 आदमियों को कि ऐसे कर देते है न। पहलें भैरोसिंहजी हमारे टाइम में ऐसे करते थे तो राजेन्द्रजी खड़े हो जाते थें, अब राजेन्द्रजी ने कर दिये। सबको तैयार कर दिया। ये विधान सभा के हीरो बने हैं...(व्यवधान)...

श्री सांगसिंह भाटी : एक सैकिंड, आप विराजिये। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि इस सरकार ने

(श्री सांगसिंह भाटी)

काश्तकारों के हित में एक कदम भी नहीं उठाया। कह सकता हूं कि आपको या तो जानकारी नहीं होगी या जान-बूझकर आप जो काम हुए हैं उनको कहना नहीं चाह रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि जो भी कोई काम करे-किसान हित का काम करे, जन हित का काम हो, वो कम से कम आपको कहना तो चाहिए कि हां, यह काम सही हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक हजार साल में भी नहीं हुए ऐसे काम।

श्री सांगसिंह भाटी : नहीं हुए न। हां तो यह कहना चाहिए आपको।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है। हकीकत में काश्तकार जो अनाज पैदा करता है वो काश्तकार अपने हित के लिए नहीं पैदा कर रहा है, काश्तकार अनाज पैदा करता हैं देश के लिए इसलिए पूर्व वक्ताओं ने भी मांग रखी और मैं भी उनके साथ यह मांग रख रहा हूं कि काश्तकार को उद्योग का दर्जा दिया जाए तो ही देश का उद्वार होगा। काश्तकार को उद्योग का दर्जा देना अति आवश्यक है। कारण है कि इण्डस्ट्री लगाए करोड़ों की और 15 दिन में या साल दो साल बाद कह देंगे के इसमें तो आग लग गयी, इतना नुकसान हो गया। लेकिन काश्तकार की फसल का जो नुकसान होता है उसकी पीड़ा वो किसान ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए काश्तकार को औद्योगिक दर्जा देना अति आवश्यक है। यह मेरी मांग भी है। दूसरी तरफ खाद के भाव-डी.ए.पी. खाद, यूरिया खाद और तरह-तरह की जो दवाइयां आ रही हैं जैसे मेलाथिन है, रोगर है, इन दवाइयों के भाव आकाश छू रहे हैं और काश्तकार की फसल के भाब तुलना में जो मिलने चाहिए वो काश्तकार को नहीं के बराबर मिल रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ने अभी जैविक खेती की जो प्लानिंग बनायी है वो सराहने लायक है और हकीकत में उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारी कल्याणकारी सरकार ने फव्वारा पद्धति और बून्द-बून्द सिंचाई की जो पद्धति लागू की, माहिर आजादजी मेरे सामने देख रहे हैं, माननीय सदस्य, आपकी सरकार थी और काश्तकारों के हित की आप अभी जो बातें करतें हैं, ये चीजें अगर आप सोचते और लागू

(श्री सांगसिंह भाटी)

करते तो शायद इस साइड में आकर नहीं बैठते। इसलिए मैं इस सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जो बढ़ाया दिया है अभी, वो बढ़ावा भी काश्तकार के हित में है, मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया की।

श्री श्रवण कुमार : भाटीजी, एक मिनट लूंगा आपका। चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाशजी ने हरियाणा में ऐसी कोई नौकरी नहीं छोड़ी, 70 हजार आदमियों को नौकरी लगायी और पूरी सड़कों को काले नाग की तरह बना दिया लेकिन सरकार को यह जनता ट्रेलर देती हैं। यह ट्रेलर हमको भी दे दिया अगली बार, आपको भी देगी, ट्रेलर देती है। काम की बात यह है। काम की परवाह मत करो आप।

श्री सांगसिंह भाटी : यह तो आपको ही मुबारक हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो यह बताएं कि अगर कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं देगी आपकी सरकार तो आप क्या करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : कोशिश करेंगे, दिलाएंगे।...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे ? आपकी मांग मान ली तो सोने पर सुहागा, नहीं मानी तो फिर क्या करोगे ?

एक माननीय सदस्य : कोशिश करके दिलाएंगे।

श्री सांगसिंह भाटी : मैं आपको अभी बताता हूं। आप अगर काश्तकार की वकालत करते हैं न, तो केन्द्र में आपकी सरकार है, आप वहां से आदेश दिला दो कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। क्या दिक्कत है आपको ? कृषि कार्ड कब लागू हुआ ? किसान कार्ड कब लागू हुआ ? और किसने किया ? कम से कम सोचें तो सही इस बात को। भारत के श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रेडिट कार्ड लागू किया।

मोहम्मद माहिर आजाद : वो ही अटलजी जिनको आर.एस.एस. रिटायर करना चाह रही है। आर.एस.एस. प्रमुख कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएं।

श्री सांगसिंह भाटी : बिलकुल, बिलकुल, उन्होंने लागू किया। यह आपके सामने है, इसलिए मैं मेरी तरफ से हमारे अटल बिहारी वाजपेयीजी को...

श्री बंशीलाल खटीक : यह मैं बर्दास्त नहीं करूंगा, आर.एस.एस. का गलत काम में नाम मत लो, कहे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों सदस्य सांग सिंहजी का ध्यान इधर-उधर करवा रहे हैं, बीच में आप डिस्टर्ब मत करिये सांगसिंहजी का। सांगसिंहजी, इनकी तरफ मत देखिये आप।

श्री सांगसिंह भाटी : किसान हित में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी ने जो कदम उठाया वो काश्तकार के हित मे उठाया। उन्होंने कार्ड लागू किया उसका पूरे राजस्थान के पूरे भारत के काश्तकारों को लाभ मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी केन्द्र में सरकार हैं और काश्तकरी को औद्योगिक दर्जा किया जाना अति आवश्यक है, इसमें भेदभाव नहीं हो। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पक्ष एक जगह होकर किसान के हित की बात करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पशुपालन पर दो बातें कहना चाहूंगा। मैं मेरे खुद के विधान सभ क्षेत्र जैसलमेर पर आता हूं। पशु प्रधान जिला रहा है, पीढ़ियों से पशु पालन पर आधारित जिला है, इसलिए मेरे जिले में पशुपालकों के लिये अलग से एक बहुत बड़ा भू-भाग पड़ा हैं। वहां सेवण घास है और उस सेवण घास पर पशु आधारित हैं। आज भी अकाल पड़ता है तब पशुओं के लिये सरकार के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। अगर उस भू-भाग को आरक्षित करके पशुओं के लिये छोड़ दिया जाए और उसमें ट्यूबवैल लगाकर नहर साइड से

(श्री सांगसिंह भाटी)

पानी देकर फव्वारा पद्धति लगाई जाएं और काश्तकारों को अच्छी नस्ल के पशु दूध उत्पादन के लिये रख दिये जाएं तो काश्तकार की माली हालत सुधरेगी और इलाके का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर

(अनुपस्थित)

श्री नवनीत नीनामा।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : मान्यवर, मुझे आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा चल रही है जिसमें मेरी वार्ता शामिल करते हुए मैं चर्चा में भाग ले रहा हूं। मान्यवर, आज की जो मांगे हैं वे ऐसी मांगे हैं कि हमारे देश में जंगल थे, अगर जंगल बर्बाद नहीं होते तो इन दोनों मांगों पर कोई असर नहीं पड़ता था। देश में जंगल बर्बाद हुए जिससे कृषि और पशु दोनों दु:खी हुए। अगर जंगल वापस आबाद हो जाए तो सरकार को इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इन विभागों में सरकार शामिल होने जा रही है न की उनका सुधार करने। देश की जनसंख्या बढ़ी विकास करने की योजना बनायी तो इस विकास ने जंगल को शनै: शनै: बर्बाद किया, इसलिए ये समस्याएं खड़ी हुई। अब सरकार इन योज़नाओं को लागू करने की मंशा बनाकर योजनाएं बनाने जा रही है। अभी वर्तमान सरकार और राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा हमारे यहां लघु सिंचाई योजनाएं लागू की गयी हैं-बीसलपुर और माही बजाज सागर, रतनपुरा वितरिका योजनाएं ये छोटी योजनाएं लागू की हैं। इसी सम्बन्ध में मैं चर्चा करता हुआ मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा जिला दक्षिणी. राजस्थान की ओर सदन का मन मोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, अभी हाल माही डैम जो बना है वहां पर नहरों के लिये राजस्थान सरकार व वर्तमान मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जगह-जगह नहरों का काम प्रारम्भ हो रहा है, आगे का सर्वे किया जा रहा है जिसके लिये मैं वर्तमान सरकार और

(श्री नवनीत नीनामा)

मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। छोटे डैम बनाने के लिये, छोटी योजनाएं बनाने के लिये पैसा मंजूर किया गया है, इसमें मेरा आग्रह है कि माही डैम बांसवाड़ा में जो बना है उस माही डैम के नीचे के हिस्से के पानी से किसानों की जमीन पिवेत हो रही है और वहां किसान अच्छी तरह से आबाद है। लेकिन जहां डैम बनाया गया है, डैम बनाने से 112 गांव विस्थापित हो गये, डैम बनने से उठ गये। उधर गई गांव डैम के बैक वाटर के ऊपर बसे हुए हैं, वे गांव है पंचायत नायन, नायन पंचायत के नायन, बावड़ी, गोटड़ा, सावलिया, माण्डवी ये पांच गांव नायन के हैं और रोहणिया के रोहणिया, ठाकरा, राणपुर, भमेड़ी, और मांडली, ये पांच गांव राहणियां पंचायत के हैं। ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा के पृथ्वीपुरा, खडियावाणी, खेरवाया, ये तीन गांव हैं। ग्राम पंचायत कूपड़ा में कूपड़ा, अखापुरा, हरोत, साकवारी इस तरह से 17 गांव जो हैं वे माही डैम के बैक वाटर से बिलकुल लगे हुए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां सिंचाई विभाग के द्वारा सर्वे करवाया जाकर लिफ्ट योजना के द्वारा उन गांवों की जमीन को सिंचाई में शामिल किया जाएं तो वहां अकाल से मुकाबला कर रहे किसानों को सहारा मिले।

इसी तरह से पशु विभाग में है, हमारे वहां जंगल बर्बाद होने से पशुओं को तकलीफ आई। दक्षिणी राजस्थान में जो किसान हैं, वहां खेती के मुआवजे की मांग उठ रही है और दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा में जमीन का पट्टा नहीं दिया जा रहा है, वहां किसान नाजायज कब्जे से खेती करता है। अभी प्रशासन आपके द्वार योजना चली, जगह-जगह शिविर लगाये गये लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। वहां का किसान जुर्माना भर रहा है। सैटलमेंट हुआ, लेकिन एक किसान के चार लड़के हैं जमीन है 15 बीघा..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह थोड़ा कृषि से सम्बन्धित कम है।

श्री नवनीत नीनामा : अब घोड़ा नहीं है बैठोगे किस पर ?

श्री उपाध्यक्ष : वह बात सही है पर कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं हैं, वह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, इसके लिये राजस्व मंत्रीजी से कहेंगे।

श्री नवनीत नीनामा : जमीन का पट्टा ही नहीं दिया जा रहा है, पानी किस में डालेंगे, खेती किस पर करेंगे ? वहां पर पट्टा ही नहीं है, नाजायज कब्जे से किसानों को परेशानी है। यह किसान की ही तो बात है। किसान की जमीन और सिंचाई विभाग को अलग-अलग रखा है, विभाग तो एक ही हैं। सरकार ने भले ही मंत्री अलग बना रखे होंगे, लेकिन बात तो एक ही है। जब पानी ही नहीं मिले तो किसान खेती कैसे करेगा ? इनका जोड़ा एक ही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि किसान की जमीन का पट्टा दिलाया जाकर उसको जुर्माने से मुक्त कराया जाए। मैं अभी ट्राइबल कमेटी का सदस्य हूं, राजस्थान का दौरा करके हमने कमेटी के द्वारा जानकारी ली तो कई किसान हमारे सामने प्रार्थना पत्र लेकर आते हैं। गरीब किसान, आदिवासी, पिछड़े तबके के लोग हैं और वे जुर्माना भर रहे हैं। 5 हजार किसान राजस्थान में नाजायज कब्जे से खेती करतें हैं और केन्द्र सरकार तक इसकी रिपोर्ट गई। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधान मंत्री थे, 80 से पहले के कब्जे की जमीन को बाहर करने का कानून बनाया गया। लेकिन अभी उसको रोककर वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। एक साधारण किसान, गांव और गरीब के घर में पैदा हुआ किसान, क्या वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ेगा ? इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। माननीय कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप इसकी भी जानकारी लें और किसानों की परेशानी को दूर करने की कोशिश करें।

साथ ही पशुओं की बात कही गई। पशु जंगल से ही सम्बन्धित है। रेगिस्तान में तो जंगल लगाये जाते थे बबूल के, लेकिन वह बबूल की बीमारी हमारे दक्षिणी राजस्थान में भी चली। अब बबूल की खेती से पशुओं को खाने के लिए पाला भी पैदा नहीं होता है। वन विभाग और पशु दोनों इनका जोड़ा है। वन रहता हैं, वन में घास पैदा होती है, पालेदार पेड़ होते है। तभी पशु जिन्दा रहता है।

कल पूरे दिन घी की बात चली, अच्छा घी कहां से लाओगे ? पशु से ही। पशु सही ढंग से जिन्दा रखने के लिए, पशुओं की बढ़ोत्तरी के लिए वन विभाग में घास अच्छी पैदा हो, पाला अच्छा पैदा हो, चारा हो, कृषि मंत्री

(श्री नवनीत नीनामा)

महोदय से मेरा निवेदन है कि वन मंत्री से यह कहा जाए कि दक्षिणी राजस्थान-उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चितौड, के जंगलों में पालेदार पेड़ लगाये जाएं, वहां पाला पैदा होगा तो पशुओं को खाने के लिए सहारा मिलेगा। यह बाहर का या बनावटी घी की चर्चा है. वह बन्द हो, प्योर घी निकले, मानव अच्छा घी खाए, बीमारी कम हो; ऐसा मेरा आग्रह है।

माननीय कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जो पशुपालन के सम्बन्ध में सारी चर्चा है, पशुओं को बचाने के लिए वन विभाग का सहारा लेने पर पशुओं का आधार बन सकेगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : जो आपके खुद के मौलिक विचार हैं ना वहीं कहो आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : बजट तो वो है ही अलग, सब पढ़कर आतें हैं (व्यवधान) आत्मा तो वही है मेरी, हार्ट इज वन पार्ट इन टू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37 और 39 पर सुबह से चर्चा है। किसान की डेफिनिशन क्या है ? किसान की डेफिनिशन है कमाए ज्यादा और खाए कम। वह 12 महीने मेहनत करता है उसका रिजल्ट क्या मिलता है ? निल। आपको मालूम नहीं, पहले तो आपने सुई लगाई और अब यहां भी बैठकर ताने करो किसानों के बारे में.. (व्यवधान) किसान वह है..

श्री सांगसिंह भाटी : धरती को चीरकर अनाज पैदा करने वाला है किसान। अनाज खाता है खूब। (व्यवधन) रोटी कम खाने से धरती नहीं फाटती, फिर अनाज पैदा नहीं होता।..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : भाटी साहब, आप समझ नहीं पायें। आप दोनों ने खंडवा बांध रखा है (व्यवधान) खंडवे को हटाओ, इसके बाद बुद्धि ठीक होगी।

(श्री श्रवण कुमार)

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कमाता ज्यादा है और खाता कम है। (व्यवधान) उसके खाने का यह मतलब नहीं है। उसके बेनिफिट से मतलब है। किसान को बेनिफिट कम होता है, मेहनत ज्यादा होती है। किसान की फसल है वह एकदम नंगी है। हर किसान खेती करता है उस पर किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है। अभी ओलावृष्टि हुई, हवा चल गई, चने के कीड़ा लग गया, किसान पर इतनी बेदर्दी से अब की बार प्रकृति ने प्रकोप डाला कि किसान अपने आप में इस बात को महसूस कर रहा है कि मुझे जीने का भी हक नहीं बचा है। उसके बाद ओलावृष्टि के मुआवजे में मिला क्या ? किसान को ढ़ाई हजार रुपये प्रति बीघा। कुए की जमीन थी उसको ढ़ाई हजार और बारानी थी उसको एक हजार।

(18.44 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आप देखिए, 960 रुपये तो प्रति बीघा की बिजाई पर लग जाता है। किसान का अगर खाद, बीज, भाड़ा सब जोड़कर अगर आप देखें तो 980 रुपये एक बीघा पर खर्च आता है।

आज स्थिति इसकी यह हो गई, किसान को सबसे पहले तो मुआवजा, जो ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को मिलकर राज्य सरकार को लिखना चाहिए कि कम से कम पांच हजार रुपये एकड़ होना चाहिए। आप ढ़ाई हजार दे रहे हैं, ढ़ाई हजार में तो कुछ आता ही नहीं है। यह तो केवल ढ़ाई सौ रुपये बीघा का है। और खर्चा कितना है ? 980 रुपये। केवल ऊंट के मुंह में जीरा।

चौधरी चरणसिंहजी ने क्या कहा था ? देश का विकास खेत और खलिहान से गुजरेगा। चौधरी चरणसिंहजी ने कहा था देश का विकास खेत और खलिहान से गुजरेगा। तभी देश का विकास हो पाएगा। गुजरता कहां से है ? शहर की गलियों से।

(श्री श्रवण कुमार)

आप देखिए, किसान का दूध बिकता है 10 रुपये और एक दुकानदार पानी बेचता है 12 रुपये में, इससे बड़ी बेइज्जती किसान की और क्या होगी ? दूध 10 रुपये और पानी 12 रुपये। वह किसका है ? पूंजीपति का है। पूंजीपति अपना पानी तो बेचता है 12 रुपये में और किसान दूध बेचता है 10 रुपये में।

किसानों की सबसे बड़ी दशा एक और है, गौशालाओं के लिए गवर्नमेंट एड देती हैं। ठह महीने देती हैं और छह महीने नहीं देती। आपके मूंड़वा गौशाला है इसके अन्दर 30 लाख रुपये का घोटाला हुआ, जिसका ए.सी.डी. में मुकदमा दर्ज है। आज तक कुछ नहीं हुआ। जो गौशाला के नाम पर पैसे खा जाते हैं उनका भी कुछ नहीं हुआ। स्कूलों के नाम खा जाते हैं उनका भी कुछ नहीं हो। माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि गौशालाओं जैसी जगह के पैसे खा गये, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ, इससे बुरी बात और हो ही नहीं सकती।

सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है बीज और खाद की। आपे देखा होगा, बीज इतना घटिया है, बीज वाले बेचते हैं, अपनी यूनियन बना रखी है अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो या तो मंत्रीजी को पकड़ लेते हैं। मंत्रीजी को नहीं पकड़ा जाए तो सैक्रेटरी साहब को पकड़ लेते हैं। और कोई भी नहीं पकड़ा जाए तो सारे हथकण्ड़े लगाकर अपना काम निकाल लेते हैं। आज तक आप बता दीजिए, 1993 से इस बात की पुकार कर रहे हैं, एक भी चालान किया क्या किसी का ? आपको डेढ़ साल हो गया, कितने चालान किये ? मैं बताना चाहता हूं कि बीज और खाद इतने घटिया बेचते हैं कि किसान साल के अन्त में जब फसल निकालता है तो रोना पड़ता है। अब की बार तो बीज और खाद की इस तरह की स्थिति हुई कि खाद मिली ही नहीं। हरियाणा से जो फर्जी खाद बनती है वह खाद आई। उन किसानों की हालत यह हुई कि खाद डालने का पैसा लग गया और उसमें उपज भी नहीं हुई।

(श्री श्रवण कुमार)

फव्वारे की बात आई। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि फव्वारे पर भी सब्सिडी है। सब्सिडी किनके लिए है ? भैंस के दूध तो खूब होता है लेकिन उसके नीचे पाड़ा, उसको कौन चूसने दे बेचारे को। उसने तो भैंस पावसांव जिद उन हटा दी। फव्वारे पर सब्सिडी तो मिलती है लेकिन बैंक वाले और जो एजेंट होते हैं वही खाते हैं। (व्यवधान) हमारे गांव की बात तो यह हैं कि किसान के नाम की सब्सिडी तो आती है लेकिन सब्सिडी देता कौन है ? बैंक के कर्मचारी, चार हजार रुपये तो वे ले लेते हैं। उनका एजेंट होता है। वह बोलता है पास करवाने के दो हजार रुपये मैं लूंगा। और सात हजार सब्सिडी मिलती है। (व्यवधान) देते तो नहीं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को। बैंक में कोई जाएगा, चार चक्कर काटेगा, दस चक्कर काटेगा और उसके बाद यह कहेगा परेशान होकर कि बोल क्या करेगा। मैं मानता हूं कि क्यों दें, लेकिन उनकी मजबूरी है, देना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह का भ्रष्टाचार है। क्रेडिट कार्ड की स्थिति यह है, एक किसान था दींदवा किसान, उसके 70,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से पास हुए। 35 हजार देकर मैनेजर ने कहा कि आपके पूरे आ गये, 35 आपके जमा हैं। जब छह महीने बाद फिर लेने के लिए गया तो कहा मैंने आपको दे ही दिये। उसके बाद..वह मेरे पास आया। मैंने उस मैंनेजर के पास जाकर उसको यह कहा कि ए.सी.डी. में तेरी रिपोर्ट कर रहे हैं। यह कोई राजस्थान बैंक में था। उसके बाद में उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, माफी चाहूंगा, मेरी गलती हो गई। फिर 35 हजार रुपये दिये। यह स्थिति तो है बैंकों के क्रेडिट कार्ड की। यही हालत है सहकारी बैंकों की। जब तक पक्ष हो या विपक्ष हो, गौर नहीं करेंगे, इस पर कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है, चाहे इधर बैठें या उधर बैठें, सब किसान के हितैषी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो भ्रांति, विसंगतियां हैं बैंकों में हों या सहकारी विभाग में हों, सब को एकजुट होकर इस बात को कहना चाहिए, हर व्यक्ति दर्द होना चाहिए

(श्री श्रवण कुमार)

इस बात का किसान के साथ जो अन्याय हुआ है इस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए हर व्यक्ति को पीड़ा महसूस करनी चाहिए। मैं भाटीजी की तरह तो नहीं कहूंगा, सरकार ने क्या किया। बुरा किया, भला किया। जो भी आएगा वह करेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, पांच साल बाद जनता बता देगी। बुरा करेगा तो बुरे का मालूम हो जाएगा। ये 15-20 आदमी तो इस लाइन में यही गीत गाने के लिये बैठाये जाते हैं, चाहे अशोकजी का राज हो, चाहे वसुन्धराजी का राज हो।

श्री सांगसिंह भाटी : आपसे रिक्वैस्ट है कि आप सत्य पर बोलो जरूर। जो सत्य है वह मत छिपाओ।

श्री श्रवण कुमार : 4 लाइनें पीछे की यही हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपना भाषण कनक्लूड करें।

श्री श्रवण कुमार : अशोक महान था, वसुन्धराजी महान हैं, यह कहने के लिये बिठाया जाता है, ये रिजर्व सीटें हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप उनकी बाते नहीं करें, आप भाषण कनक्लूड करें।

श्री श्रवण कुमार : पशुओं की बात आयी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी सच बात बता रहे हैं ये।

श्री श्रवण कुमार : मैं आपकी बात सच कह रहा हूं। पशुओं की बात आयी है अभी, पहले अपनी राजस्थान सरकार से साण्ड और झोटों की खल के पैसे मिलते थे ग्वार के, वे सरकार ने बन्द कर दिये। वह तो पहले ही हो गये थे। अब इस तरह के जो साण्ड पैदा होते हैं गोदे, जो मेले में बेचने के लिये जाएं तो छापा लगे 90 रुपये, बिकें 70 के। ऐसे तो पैदा हो गये, अब देखिये, आप साण्डों की...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण कनक्लूड करें, आपका समय खतम हुआ।

श्री श्रवण कुमार : मैं पहली बार तो बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, समय खतम हो गया। हमारी पार्टी का समय 10 मिनट और बढ़ा दें, क्या फर्क पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : 6.42 पर बोलना शुरू किया था आपने।

श्री श्रवण कुमार : सबको 20-20 मिनट दिये, मेरे को 10 मिनट ही दे रहे हैं क्या ? अभी प्रजनन कार्य को सब तो खतम कर दिया। पहले साण्ड झोटे गांव में थे, नस्ल के छोड़ते थे। अब सारी प्रक्रिया इसलिये बन्द हो गयी क्योंकि वहां चराने के लिये कुछ है नहीं। और सरकार की बड़ाई करते हैं दुनिया भर की। अब की बार करो ना, 10-10 हजार रुपये साण्ड झोटों के दिलाओ गांवों के अन्दर, मालूम हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप उधर मुंह करके बात नहीं करें, इधर सम्बोधित करें।

श्री श्रवण कुमार : ठीक है। बजट का आकार बढ़ा दिया। लेकिन बढ़ाने से हमें क्या मिला ? न कोई सब्सिडी बढ़ायी, न कोई बीज-खाद में सब्सिडी की। हमारे मंत्रीजी को खण्डवा देखकर गये किसान सोचते हैं कि असली किसान तो ये हैं। आपको मंत्रीजी मैं एक बात बताना चाहता हूं...

जब दुनिया में आये थे दुनिया हंस रही थी मगर आप रो रहे थे,

ऐसे कर्म करो, दुनिया रोए मगर आप हंसते हुए चले जाओ।

आप खुले दिल से एक ऐसा काम करके जाओ, दुबारा नम्बर आए नहीं आए मंत्री बनने का। अब की बार तो किसानों के लिये कम से कम इतना बढ़िया काम करके जाओ कि किसान को मालूम हो कि हमारा मंत्री कोई सैनी बना था। सबसे बड़ा हिन्दुस्तान का अगर कोई खेतिहर है तो सैनी और यादव होते हैं। महीपालजी कह रहे थे कि माली पहलवान नहीं हो सकता और गुर्जर दिमाग वाला नहीं हो सकता। यह बात मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो कहता हूं, आप पहलवान भी हो सकते हैं, आप बड़े...

श्री अध्यक्ष : फिर आप वही दोहरा रहे हो जो उन्होंने कहा। जो गलत कहा उसको आप दोहरा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : हां, गलत कहा ना। मैं इसलिये कह रहा हूं, मैं इनको बहुत बड़ा किसान बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उस बात को दोहरा क्यों रहे हैं आप ?

श्री श्रवण कुमार : मैं तो इसलिये इनकी बढ़ाई कर रहा हूं कि आप अच्छे किसान हो, आप अच्छे मंत्री हो। आपकी काम करने की सोच है, ललक है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक खुले दिमाग से बढ़िया पैन लेकर लिख दो। जैसे चौधरी चरणसिंह ने लिखा था, कर्जा माफ देवीलाल। इस तरह अब की बार लिख दो, किसानों को सब्सिडी फव्वारा की जैसे 25 प्रतिशत दी जाती है, 33 प्रतिशत तो कर दो ओ.बी.सी. पर और 50 प्रतिशत कर दो एस.सी. पर, यह कुछ बढ़ाओ। यह 25 प्रतिशत, 33 प्रतिशत तो पहले से मिलती आ रही है। इसलिये मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी घंटी बजेगी, कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट में एक शेर आपको कहना चाहता हूं

भरा नहीं भावों से, बहती जिससे रसधार नहीं,

हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें किसान के प्रति प्यार नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, आज के अखबारों में एक ऐसी न्यूज छपी है कि कल गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने नगर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये इस तरह के आरोप लगाये। राज्य विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता को हिरासत में लेने पर प्रतिपक्ष के हंगामे व धरने के दौरान सत्तापक्ष के सुरेन्द्र राठौड़ ने कांग्रेस के माहिर आजाद पर गम्भीर आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद के गृह मंत्री रहने के दौरान आजाद ने कई बार बारूद भेजा जो आतंकवादियों के काम आया। राठौड़ ने कुछ अन्य टिप्पणियां भी कीं। यह एक प्रतिष्ठित अखबार में आज छपा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि या तो इसको कार्यवाही से

(श्री जुबेर खान)

निकलवाया जाए या नगर से आने वाले माननीय सदस्य को अपनी बात स्पष्ट करने का मौका दिया जाए।

श्री बंशीलाल खटीक : मुझे कहा है कि अगला नम्बर राजसमन्द का आएगा। (व्यवधान) इन्होंने स्वीकार किया है, स्वीकार किया है इन्होंने अगला नम्बर राजसमन्द का। यह भी निकाला जाए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 रोज से...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री बंशीलला खटीक : पहले कहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं तब सब बैठ जाते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज सवेरे भी टिप्पणी की, उसके ऊपर कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने उसको एक्सपंज कराने की प्रार्थना की। वह कई बार जो भी बोलते हैं उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, यह उचित नहीं है। या तो इनको कार्यवाही से निकाला जाए, नहीं तो नगर से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया जाए। बारूद बेच रहे हैं, यह कह रहे हैं। आप सरकार में बैठें हो, आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? आप बिना वजह किसी एक माननीय सदस्य के ऊपर, जो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके बारे में इस प्रकार भ्रामक टिप्पणी कर दें और जिसके बारे में कोई आधार नहीं है, ऐसी आधारहीन टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और इसको कार्यवाही से आपको निकालना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : लेकिन कल मैं इस बारे में, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य शायद इस समय यहां नहीं हैं, लेकिन इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी और इस प्रकार की गलत टिप्पणियां किसी भी सदस्य को दूसरे के लिये नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप 15 साल पहले की बात, 1989 में थे वे तो गृह मंत्री, अब 16 साल पहले की आपको इसमें क्या व्यक्तिगत कहना है ? कुछ कहना है तो बता दीजिए, क्या कहना है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सही फर्माया...

श्री बंशीलाल खटीक : मुझे जो कहा है उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आपको क्या कहा ? आपको क्या कहा ?

श्री बंशीलाल खटीक : मुझे यह कहा है, उन्होंने कहा कि यह बारूद ले गये, ये करेंगे, तो मैंने कहा ... (व्यवधान) तो मुझे कहा अगला नम्बर राजसमन्द का। तो अगला नम्बर राजसमन्द का कैसे होगा ? (व्यवधान) या तो आतंकवादी गतिविधियों में हमारा राजसमन्द लिया जाएगा इनकी लिस्ट में... (व्यवधान) इनकी लिस्ट में राजसमन्द का नम्बर लिया जाएगा। इनको पता ही नहीं है राजसमन्द क्या हैं। और भूल से इन्होंने कह दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात भी ठीक नहीं है, क्या आएगा, राजसमन्द का क्या नम्बर आएगा। (व्यवधान) क्या नम्बर आएगा ?

श्री संयम लोढ़ा : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य तो चिराग-ए-हिन्द हैं इनको कोई क्या कह सकता है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री बंशीलाल खटीक : जिस प्रकार इन्होंने इस प्रकार की बात कही, अगला नम्बर राजसमन्द का आएगा, ये राजसमन्द आकर देख लें। ये राजसमन्द को अभी पूरा नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : समझ में नहीं आता, क्या बताना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माहिर आजाद साहब ने यहां से, झुन्झुनूं, सीकर, नगर से चुनाव लड़ा है। इन्होंने कहा, अब की बार राजसमन्द से चुनाव लड़ेंगे। इसमें क्या गलत काम किया ? (व्यवधान) कहीं से भी लड़ सकते हैं माहिर आजाद तो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : राजसमन्द की ताकत क्या है जो आप नहीं जानते, माहिर आजाद। (व्यवधान) भूल से मत कर लेना ऐसी बात। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : चुनाव लड़ लेंगे माहिर आजाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसको एक्सपंज कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया है।

श्री जुबेर खान : वह तो नगर से आने वाले माननीय सदस्य जगह जगह से चुनाव लड़ रहे है और राजसमन्द अगली बार जनरल सीट हो रही है इसलिये उन्होंने कहा था कि अगली बार मेरा चुनाव लड़ंने का नम्बर राजसमन्द से आएगा (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : राजसमन्द को आतंकवादी गतिविधियों का बनाना है... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : चुनाव लड़ेंगे, चुनाव। (व्यवधान) एक मिनट, महावीरजी, मेरी एक विनती है आपसे, एक तो सुरेन्द्र सिंह और एक बंशीलाल, दो के तो बेल डलवा दें या इनको बन्द कर दें। यह क्या है ?

श्री बंशीलाल खटीक : यह क्या है ? राजसमन्द का इस प्रकार नाम लोगे तो हम सहन करेंगे क्या ? राजसमन्द का अगला नम्बर कैसे ? कैसे नम्बर है ऐसा ? यह बात बोल रहे हो और...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : नहीं, अगली बार, आपने कहा कि राजसमन्द का नम्बर, किसमें हैं राजसमन्द का नम्बर ? राजसमन्द का नाम मत लेना भूल से।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द का नाम लेना तो कोई गलत बात नहीं है। (व्यवधान) लेकिन राजसमन्द का नाम लेकर और कोई धमकी दी गयी है तो गलत बात है।

श्री बंशीलाल खटीक : धमकी दी है मुझे। इन्होंने धमकी दी है। बात यह चल रही थी, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये आप। शांति से मेरी बात सुनिये। जब गंगानगर से पधारने वाले सदस्य और इनके कोई तकरार चल रही थी तो उसमें कोई मुफ्ती मोहम्मद और बारूद की बात चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि अगला नम्बर राजसमन्द का है। मैंने कहा कि राजसमन्द से आपका क्या लेना-देना है। उस बारूद से लगाया जा रहा था। तो मैं इस प्रकार से कैसे सहन करूंगा राजसमन्द के लिए ? (व्यवधान)

(19.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपकी पूरी रक्षा की जाएगी, निश्चित रहें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य नये-नये आये हैं और जब से इनको धमकी मिली है, यह कई बार तो हमें कह चुके हैं कि मुझे सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की टिप्पणियां चाहे पक्ष से आएं या प्रतिपक्ष से आएं ये सदन की गरिमा और परम्पराओं के अनुकूल नहीं हैं। परन्तु इसके साथ ही आपकी तरफ से यह व्यवस्था हो कि... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया है और संसदीय कार्य मंत्रीजी बीच में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे खड़े हैं और बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोलते-बोलते जिस तरह के आरोप यह लगाते हैं, बिना किसी नोटिस के, आपको बोलना बुरा लग रहा है कि आपके बारे में उन्होंने टिप्पणी कर दी। इधर से जो टिप्पणियां आती हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनके लिए तो आप कहेंगे न। दोनों तरफ कहिये। हम मानते हैं कि हमारा आचरण ठीक होना चाहिए। सदन की परम्परा है, मान्यता है नियम है, हम उनका पालन करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहते हैं, पर थोड़ा इनको भी कहिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी कह रहे हैं, वह जो कुछ भी मैं बोला हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोला हूं। आपको उसका जवाब देना चाहिए, आपने जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह भी जिम्मेदारी से बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : वह भी जिम्मेदारी से बोले हैं। (व्यवधन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर देते न आप नोटिस। नहीं, देते न नोटिस फिर आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनके सामने आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, उनके सामने आप स्पष्टीकरण देते।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो बोलने वाले हैं, उन शब्दों को विलोपित करना हैं, नहीं करना है, यह तो फैसला अध्यक्षजी को करना है, आपको तो नहीं करना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो फिर आपको क्या करना है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा भी फैसला अध्यक्षजी को करना हैं, आपको नहीं करना है (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं तब आपने यह हिम्मत की कि यहां पर बोल रहे हैं। माननीय

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अध्यक्ष महोदय, कल जब यह मौजूद थे, जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने माननीय सदस्य के सामने कहा, उस समय तो यह म्याऊं-म्याऊं करने लग गये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हर शरीफ आदमी...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मतलब इनके पास प्रमाण है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य हों तब बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य होंगे तब क्या हो जाएगा ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब वे आ जाएंगे तब उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब माननीय सदस्य यहां पर हों उस समय यह स्पष्टीकरण हो। मान लीजिए उनके पास कोई सबूत हो तो...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनको बुला लो आप। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को बुला लो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह जब स्पष्टीकरण देंगे, बुला लेंगे। अभी बुला लेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : बुला लो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह आएंगे तब स्पष्टीकरण देंगे आप। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : मुझे कहा जो ? मिलीजुली बात से मुझे क्यों चयनित किया आपने ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जहां तक बंशीलालजी का सवाल है, वहां उनसे टकराना मत और वहां आप सोचना भी मत चुनाव लड़ने की। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : राजसमन्द की ओर देखना भी मत। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टोंक का तो सोच लूं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आइये, स्वागत है आपका।

श्री जुबेर खान : चीफ-व्हिप साहब, जब तक हमारे पास आप आदरणीय, यह नागौर जिले से नहीं थे तब तो हम डर रहे थे, लेकिन अब आप हमारे पास मजबूत आदमी आ गये, अब हम नहीं डरेंगे उनसे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका कुछ पता नहीं है। मैं इनके यहां रहकर आया हूं, इनका कुछ पता नहीं, ज्यादा भरोसा मत करना आप। (व्यवधान)

स्पष्टीकरण

मोहम्मद माहिर आजाद, माननीय सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब प्रतिपक्ष के नेता की गिरफ्तारी को लेकर हम लोग धरने पर थे, उस समय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी की, इसलिए न तो उस वक्त इसको विलोपित करने की बात कही जा सकती थी और न आसन से अपील की जा सकती थी। कार्यवाही से निकाल दिया गया हो या नहीं निकाला गया हो, आज राजस्थान पत्रिका में यह समाचार छप गया तो पूरे राजस्थान में तो यह समाचार चला गया है। जब आप आसन पर आईं तो आपसे हमारे सचेतकजी ने निवेदन किया।

मैं इस सम्बन्ध में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि वह 1989 और 1990 की बात है। आप भी उस समय सदन में थीं, ऊर्जा मंत्री थीं और मैं भी था और संसदीय कार्य मंत्री भी थे। मैं सफाई नहीं देना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह चीज सही है तो संसदीय कार्य मंत्री इस बात

की जांच कर लें। अगर यह बात सही हो तो आप मुझे कह दीजिए, मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर नहीं है तो फिर जिस व्यक्ति ने इस तरीके की निराधार बात यहां पर कही है उसका कोई औचित्य नहीं है। मुझे पूरा सदन भी जानता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, आज तक न मैंने सदन में कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है। अभी राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य कोई बात कह रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिए, उसमें कहीं इस तरीके की कोई आपत्तिजनक बात हो तो जो चाहे आप दण्ड मुझे दे सकती हैं। इसलिए मैं तो इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि न आज तक इस सम्बन्ध में कोई बात, और अभी आज टौंक से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय मुख्य सचेतकजी कह रहे हैं कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं इसलिए आप साहस जुटा रहे हैं, म्याऊं-म्याऊं कर रहे हैं। शेर तो शेर के जैसे ही बोलता है, म्याऊं-म्याऊं नहीं करता है। आप कल पूछ लेना। उनके पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण सदन के पटल पर रखवा लेना और उसकी जांच सदन की समिति से करवा देना, इसमें अगर लेशमात्र भी सत्य निकले तो माहिर आजाद इस्तीफ़ा दे देगा इस सदन से। (व्यवधान) आप इनको कहिये।

श्री बंशीलाल खटीक : प्रमाण मैं रखता हूं। इधर देखो। (व्यवधान) जिस समय वह बोले बात, मेरी और आपकी बीच में चल रही थी तो इन्होंने कहा कि "हम तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे", "हम तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे", इसका क्या अर्थ हुआ ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ ?

श्री बंशीलाल खटीक : इसका क्या अर्थ हुआ कि "तुम्हारी छाती पर मंग दलेंगे ?" इनकी भावना यह कितनी गलत है कि "तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे ?" यह इनकी भावना तो गलत है ना ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, जब नगर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात पूरी कर दें तब यदि आपको कुछ

(श्री अध्यक्ष)

आपत्तिजनक बात कही है तो आप बताना, लेकिन बीच में आप डिस्टर्ब करते हैं, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि मैं पार्टी के काम से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बस हो गयी बात आपकी, आपने सारी बात बता दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं राजस्थान के हर क्षेत्र में जाता हूं। राजसमन्द में जाऊंगा, टौंक जाऊंगा, चूरू भी जाता हूं, आपने तो नगर की शक्ल ही नहीं देखी है कि नगर बसता कहां पर है। मैं वहां पर आऊंगा। मैंने अगर यह बात कह दी कि मैं वहां पर आऊंगा तो कोई सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको राजसमन्द के नाम लेने पर आपत्ति हो तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिस सन्दर्भ में कही, वह उचित नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह आसन ने कह दिया। ऐसा नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में जहां पर भी इच्छा होगी, जहां पर पार्टी भेजेगी, जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी किसी भी गैरकानूनी या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लेशमात्र भी मेरा डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट कोई कनेक्शन बता दे तो मैं सदन से, इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हूं। वर्ना जिसने इस तरीके के इल्जाम लगाये हैं, आसन को उसको प्रताड़ना देनी चाहिए।

श्री बंशीलाल खटीक : अब मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार कह रहे हैं माननीय सदस्य के लिए कि उन्होंने जो कहा उनको प्रताड़ना देनी चाहिए तो....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अपनी बात कहिये, उनकी मत कहिये।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलिये।

श्री बंशीलाल खटीक : मुझे आपने यह कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने कहा, जब यह बात चल रही थी तो उस बात का समर्थन करते हुए इन्होंने मुझे कहा कि उन गतिविधियों में अगला नम्बर राजसमन्द का, तो इससे क्या आशय होगा, आप यह बताइये ? (व्यवधान)

और पूर्व में भी मुझे कहा कि "तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे।" इसका क्या मतलब हुआ ? 'जिस थाली में खाना उसी में छेद करना' भावना हो गयी इनकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, कार्यवाही देख लूंगी मैं, यदि कोई इन्होंने आपत्तिजनक बात कही है और ऐसा कहा है तो निकालूंगी ही नहीं बल्कि इनको कहूंगी कि क्षमा भी मांगें। मैं देखूंगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर नहीं हुई तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर तो इनको भी कहिये कि यह गलत बात क्यों कर रहे हैं। क्या यह आजाद हैं ? आजाद तो मैं हूं, आप इनको क्यों आजाद बना रहे हो ?

श्री बंशीलाल खटीक : हां, यह सही है। हां, मैं कह रहा हूं न, सही है।

श्री अध्यक्ष : अब गलत बात कही है तो...(व्यवधान) आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कार्यवाही देख लेना आप।

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात, आप स्थान ग्रहण करें। श्री रामकिशोर मीणा।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न पेंडिंग है। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न जो मैंने उठाया था।

श्री अध्यक्ष : अब आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न आ गया ?

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था वह अभी तक पैंडिंग है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं उसमें।

मैंने यह निवेदन किया था कि दिन में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई विचार व्यक्त किये थे तो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके प्रति कोई टिप्पणी की। बीच में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कुछ बोल रहे थे तो नाथद्वारा के माननीय सदस्य के ऊपर इन्होंने एक बात की-"पंडा संडास के ऊपर बैठकर खाये अण्डा" अध्यक्ष महोदय, यह एक समाज के प्रति दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्होंने यहां पर सदन के अन्दर भावना व्यक्त की है, यह गलत है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको कार्यवाही से निकाला जाए और सम्बन्धित सदस्य को इसके लिए प्रताड़ित किया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा : महावीरजी तो ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे यह मुख्य सचेतकजी तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस समय आसन पर उपाध्यक्ष महोदय विराजमान थे। (व्यवधान) हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत उल्लंघन करते हैं आसन का आप।

कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, उस समय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे और उन्होंने यह व्यवस्था दे दी थी कि मैं उसे देखकर कार्यवाही से निकाल दूंगा। यह कह दिया था उन्होंने।

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 39 और 37 पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि

(श्री रामकिशोर मीणा)

भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है और विशेष तौर से राजस्थान के सन्दर्भ में हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यही दो विषय हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस विभाग की आवश्यकता को देखते हुए तथा इसके महत्व को देखते हुए जहां हमारे बजट प्रावधान में बढ़ोतरी की है, वहीं पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है और उसी के तहत कई प्रकार की योजनाएं इस बजट सत्र से प्रारम्भ की जा रही हैं। हमारे यहां पर वर्षा का बहुत ज्यादा तारतम्य एक जैसा नहीं है, विशेष तौर से परमाणु विस्फोट के बाद वर्षा का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। पूर्वी राजस्थान में पहले बहुत ज्यादा बरसात हुआ करती थी, अब धीरे-धीरे वह कम हो गयी। पश्चिमी राजस्थान तथा दक्षिणी राजस्थान की तरफ वह बढ़ने लगा है। मैं जो अन्य माननीय सदस्य बोले हैं, उससे अलग उनकी भावनाओं में अपनी भावना जोड़ता हुआ इस बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर में कृषकों के लिये बहुत लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है, यहा पर हमारा जो गरीब काश्तकार अपनी उपज को बेचने के लिये आता है, रात के समय में जयपुर जैसे महानगर में उसके ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिये माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है, जो निःसंदेह कृ.क के रूप में उनकी भावनाओं को स्वयं में समाहित करते हैं, कि एक कोई बहुत बड़ा भवन कृषकों के लिये जयपुर में रहने के लिये बना दिया जाए तो उससे काश्तकार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

इसी प्रकार से जगह-जगह पर, कम से कम प्रत्येक तहसील स्तर पर मंडियां जितनी ज्यादा होंगी, उतना ही कृषकों को हम ज्यादा से ज्यादा विपणन की सुविधाएं दे पाएंगे। विपणन की सुविधाएं जब मिलती हैं तो उसके कारण कृषकों की क्रय शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है तथा वह समय पर उसका पूरा लाभ भी उठा लेता है। तो मेरी मांग है कि प्रत्येक तहसील स्तर पर, जहां

(श्री रामकिशोर मीणा)

पर वह सभी प्रकार से कृषकों के हित में हो, उस जगह पर कृषि मण्डी निश्चित तौर पर बनायी जानी चाहिये।

इसी प्रकार से बीजों के विधायन के लिये विधायन केन्द्र विकसित किये जाने चाहिये। वर्तमान बजट में यह व्यवस्था की गयी है ताकि खराब और नकली बीजों से हमेशा जो काश्तकार लुटता रहा है, उससे काश्तकार को बहुत बड़ी राहत मिल सके। एक इसमें मैं और निवेदन करना चाहूंगा कृषि मंत्री महोदय से, कि इस समय पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कृषक बार बार, कुएं तो प्रायः-प्रायः सब सूख गये हैं, लेकिन जब बोरिंग करता है तो कई बार तो काश्तकार 5-5, 6-6 बार अपने खेत में बोरिंग कर लेता है लेकिन वह लुटता रहता है और उसको सफलता नहीं मिल पाती। इस प्रकार की प्रयोगशालाएं परीक्षण के तौर पर स्थापित की जानी चाहिये जो कृषकों को यह बता सकें कि यहां पर पानी के सोर्स उपलब्ध हैं और यहां पर इस प्रकार पानी की सहूलियत मिलेगी। बोरिंग खोदने के लिये भी उनको कुछ सब्सिडी दे दी जाए, क्योंकि आज की तारीख में कम से कम 15-20 हजार तो केवल बोरिंग खोदने में लगते हैं और साधन जो जुटाता है उसके अन्दर उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषकों के लिये बहुत बड़ी योजना बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है, वह बहुत सराहनीय है और उसका काश्तकारों ने बहुत ज्यादा स्वागत किया है।

एक जो सबसे बड़ी चीज सभी माननीय सदस्यों ने कही भी है, जहां पर आगजनी हो जाती है। कृषक बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी उपज को खलिहान में ले जाता है, खलिहान में अब के तो करीब-करीब प्रत्येक तहसील में एक-एक, दो-दो जगह, मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 15-15, 20-20 जगह खलिहान जल गये जहां पर कड़ी मेहनत से उन्होंने खेती की थी। किसी न किसी रूप में इसको भी योजना में शामिल कर लिया जाए तो इससे काश्तकारों को हम बड़ी राहत दे सकते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद में वह पैदा करता

(श्री रामकिशोर मीणा)

है और वह भी उसका सारा स्वाह हो जाता है और उसको हम जो राहत देते हैं वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। 500-1000 रुपये, यह नामिनल मिलता है। कृषक साथी योजना है उसके अन्दर इस चीज को शामिल कर लिया जाए तो हम बड़ी राहत दे सकते हैं।

मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां सिकन्दरा एक सब मण्डी यार्ड की मांग करता है। यहां पर हमने लगा रखी है उसमें करीब 25 लाख से ऊपर हमारी वार्षिक आय है। वर्तमान में बांदीकुई मण्डी है, जो हमारी आय है उसका करीब 50-60 प्रतिशत हमारे यहां से उनको इनकम होती है, लेकिन खर्चे के नाम पर हमको कभी भी बांदीकुई उपज मण्डी से नहीं मिलता। इसलिए या तो हमारे यहां अलग से कृषि उपज मण्डी स्थापित की जाए। इसी सत्र से सिकन्दरा में कृषि मण्डी यार्ड स्थापित किया जाना चाहिये।

कृषि के साथ पशुपालन हमारा प्रमुख उद्योग है और इससे काश्तकारों को बहुत बड़ी राहत मिलती रहती है। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा सब-सेंटर्स हों ताकि बार-बार जो बीमारियां आती हैं, उसमें समय रहते उनका परीक्षण किया जाता रहना चाहिये और समय पर ही उसका इलाज किया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर कम से कम एक सब-सेंटर और गिरदावर सर्किल पर एक पशु चिकित्सालय हो तो काश्तकारों को इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके घंटी बजाने से पहले ही आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मदन राठौड़, मदन राठौड़ बोल लिये क्या ? कहां हैं ? हैं तो नहीं।

(अनुपस्थित)

(व्यवधान) पुकार रही हूं नाम मैं। बंशीलालजी का है तो नहीं इसके अन्दर कोई। आगे है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आगे है, आगे है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम तो नीचे है लेकिन इससे पूर्व जिन लोगों ने कट मोशंस दिये हैं उनका नाम तो आएगा न पहले। उनको बोलने की पहले प्राथमिकता मिलेगी। श्री प्रहलाद गुंजल, यह तो बोल चुके शायद। मैं देख रही हूं। श्री रणधीर सिंह भिण्डर।

श्री रणधीरसिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया मुझे, इसके लिये धन्यवाद दूंगा मैं सबसे पहले। आज की जो हमारी मांग है मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसान की जब हम बात करते हैं तो जो किसान की फोटो हम अखबारों में देखते हैं, जो पत्रिकाओं में आती है वह शायद उन किसानों की फोटो है जो शायद गंगानगर या कोटा की तरफ के होंगे, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां के किसान की आप अगर फोटो देखेंगे तो उसकी आधी-सी धोती होगी, कुर्ता होगा या नहीं होगा, पता नहीं और सिर पर एक छोटा-सा गमछा बांधकर वह घूमता है। कल नाथद्वारा से आने वाले विधायक ने जनजाति क्षेत्र के विधायकों के बारे में जो बात की थी, वह सचमुच में सही है। लेकिन उस स्थिति में उन्हें पहुंचाने के लिये जिम्मेदार कौन है ? 50 साल से जिस कांग्रेस पार्टी न राज किया, उसने आज किसान की ऐसी हालत कर दी। मैं बतलाना चाहूंगा आपको, हर जगह नहरें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे मेवाड़ क्षेत्र के जो किसान हैं, उनकी होल्डिंग्स इतनी छोटी है कि उसमें वह अपने जीवन को अगर चलाना चाहे, खाना-पीना चाहे तो नहीं खा सकते-डेढ़ बीघा जमीन, दो बीघा जमीन, तीन बीघा जमीन, पांच बीघा जमीन। मैं आपको बताऊं, हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी अभी बीच में आये थे हमारे उधर, तब हम एक रोड से निकल रहे थे तो साइड में एक खेत नजर आया। उन्होंने कहा, यह रूमाल-सा क्या है ? तो रूमाल जितने छोटे खेत हैं हमारे किसानों के और इसकी जिम्मेदार यह कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पिछले पचास सालों से इन्होंने ही राज किया। ये जो बातें करते हैं और कहते हैं इस सरकार ने नहीं किया, मैं एक शेर से माहिर आजाद साहब यहां बैठे हैं, उनको बता दूं-

(श्री रणधीरसिंह भीण्डर)

"कितना आसां है तस्वीर बनाना औरों की,
खुद को पशे आईना रखना कितना मुश्किल है।"

आपने 50 साल तक जो राज किया और कुछ चेंज नहीं कर पाये, उसके लिये आप हमको ही दोषी बनाओ, यह ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार है, हमको सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको कृषि की नीति ऐसी बनानी पड़ेगी, अलग-अलग क्षेत्र के जो किसान हैं, उनके लिये अलग-अलग नीतियां हों। आज भी मेरे क्षेत्र में जो किसान हैं, उनको खाली हम उनकी खेती पर छोड़ दें, यह मुश्किल होगा। हमको उन्हें दूसरी सुविधाएं भी देनी होंगी। जो कृषि की अन्य तकनीकें हैं, जैसे कि कुक्कुट पालन है, डेयरी का है, वर्मी कम्पोस्ट है, ये चीजें हमको ज्यादा प्रचलन में लानी होंगी। आजकल रतनजोत की खेती की बात चल रही है, लेकिन उसके लिये भी हमको एक आन्दोलन चलाना पड़ेगा। खाली उसकी यहां पर घोषणा कर देने से आप जितनी भी सब्सिडी दे रहे हो, आप जितनी भी दवाइयों के लिये सब्सिडी दे रहे हो, दवाइयों के लिये जो फर्टिलाइजर दे रहे हो, वह बड़े किसान ले रहे हैं। मेरे जैसे किसान, बड़े किसान, और भी बड़े किसान हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, उनका फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन जो छोटा किसान है उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो उन्नत तकनीक है उसको ठेठ नीचे तक ले जाना होगा। पहले एक कार्यक्रम चला था लैब टू लैण्ड प्रोग्राम, कृषि विश्वविद्यालय वाले जो भी रिसर्च होती थी, जो भी वहां पर काम चलता था उसको किसान तक ले जाकर उसको प्रचारित करते थे, अब जरूरत है कि हम भी ऐसी तकनीक लें। जैसे सर्व शिक्षा में ठेठ गांव तक पहुंच रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित करके ला रहे हैं, उसी तरह से हमारा किसान रूढ़ीवादी है, उसको बदलने के लिए हमको बार-बार जाकर उसको बताना होगा कि तेरा भला इसमें नहीं है, तेरा भला इसमें है। तू खाली अनाज के दो दाने उगा कर राजी हो रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। तुझे कुछ कमाना भी होगा इसके साथ। इसके लिए जो नयी तकनीक है वह

हमको ठेठ नीचे तक ले जानी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान में जो हमारी कृषि नीति बने, वह अलग-अलग एरिया के हिसाब से बने। जिस एरिया में नहर है वहां नहर ही बने। जिस एरिया में जमीनें थोड़ी हैं, जिस एरिया में जिस चीज की स्केयरसिटी है उस स्केयरसिटी को हम पूरा करते हुए उसको हम नीचे तक ले जाएं।

हमारा जो क्षेत्र है उसमें मत्स्य पालन को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर, इसका कालेज भी चालू किया था लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी कृषि विश्वविद्यालय में यह मत्स्य विभाग का जो कालेज खोला था, उसको बन्द करने की तैयारी चल रही है।

हमारे वहां पर वाटर मैनेजमेंट का भी कार्यक्रम चला था और उसके लिए राज्यपाल मदनलालजी खुराना थे, वह पधारे थे वहां पर। उस समय उदघाटन भी हुआ था लेकिन दस महीने में ही उसको भी बन्द करने की कार्यवाही चल रही है। तो मैं यह चाहता हूं कि यह जो तकनीक है, जो चीजें हम रिसर्च कर रहे हैं, वह रिसर्च ठेठ किसान तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि कृषि विभाग इसको हाथ में ले और किसानों को उसका पूरा फायदा मिले। उसको नीचे तक ले जाने के लिए जरूरी है कि बार-बार ट्रेनिंग हो और ऐसे एन.जी.ओज. को हम हाथ में ले जो चीजों को आगे बढ़ाएं। यह जो उन्नत तकनीक है, जो किसान खाली दो दाने अनाज के उगा कर ही खुश होते हैं उनको बताना होगा कि उनको क्या फायदा हो सकता है।

इसी तरह से हमारे क्षेत्र में अफीम की खेती भी होती है, अटल बिहारीजी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय बहुत-सी जगह अफीम के जो भी पट्टे थे वो निरस्त हो गये थे, क्योंकि जो अफीम जमा करानी होती है उस समय 48 परसेंट थी, फिर 50 परसेंट हो गयी। लेकिन उस समय हमने वापस सरकार से बात करके अफीम के पट्टे वापस दिलवाये थे। लेकिन यह जो

(श्री रणधीरसिंह भीण्डर)

सरकार आयी है इसने 54 परसेंट अफीम के पट्टे जमा कराने की रख दी है, उससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी जो पाला पड़ा था बीच में, उससे किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, हमने केन्द्र सरकार को लिख कर भेजा है, मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी लिख कर भेजे कि अफीम के जो पट्टे निरस्त होने वाले हैं उन पर कुछ कार्यवाही करें। क्योंकि एक समय होता है जिस समय तक तो फसल को नष्ट किया जा सकता है, जब इतनी फसल नहीं हो तो नष्ट कर देते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वह समय निकल गया और उसके बाद जो पाला पड़ा उससे किसान को यह नुकसान अभी तो होगा जो होगा लेकिन उनके पट्टे भी निरस्त हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब आप कनक्लूड करें।

श्री रणधीरसिंह भीण्डर : मैं खतम ही कर रहा हूं, मैडम।

श्री अध्यक्ष : हां, करें।

श्री रणधीरसिंह भीण्डर : तो अफीम के पट्टों के बारे में भी आप केन्द्र से बात करके इसको वापस जारी करवाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रणवीरसिंह गुढा।

श्री रणवीरसिंह गुढा (गुढा) : अध्यक्ष महोदय, आज की इस मांग पर कट मोशन के अन्दर कृषि और पशुपालन के सन्दर्भ में मैं मेरे विचार रखना चाहूंगा। मेरे से पहले वक्ताओं ने कृषि के सम्बन्ध में पिछले 50 साल में, 56 सालों में जो भी कृषि के विकास की हमारे प्रदेश में स्थिति थी, उसके बारे में सदन के सामने बातें रखीं।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राजस्थान के अन्दर यह बात की जाती है कि 80 परसेंट प्रदेश की जनता कृषि के ऊपर आधारित है और दूसरी तरफ राजस्थान का जो बजट है वह जिन मदों में और जिस परसेंट पर कृषि के

(श्री रणवीरसिंह गुढा)

ऊपर खर्च किया जाता है वह मात्र 136 करोड़ है। एक विभाग का है, कृषि विभाग का बता रहे हो आप। आ गया इसके अन्दर जो भी है। तो, अध्यक्ष महोदय, कृषि में इस प्रकार का जो दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है, यही कारण है कि आज हमारा किसान अपनी बात को कहने में भी और अपने हकों के लिए आगे आने में भी झिझकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो सब्सिडी दी जाती है, चाहे वह रतनजोत की खेती के ऊपर बड़ी-बड़ी बातें की गयी हैं, हजारों हैक्टेयर के अन्दर योजनाओं का बजट के अन्दर प्रावधान रखा है, लेकिन जो डैजर्ट हैं, जंगल के अन्दर जो पौधे हैं उनका प्रोडक्शन बिलकुल कम है। जोधपुर में जो हमारे बायोटैक के इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट के अन्दर भारत सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वह क्या कर रहे हैं, जोधपुर के अन्दर ? मैं कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि काजरी, आफरी के नाम से इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च के नाम पर करोड़ों रुपये भारत सरकार से ले रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं, किस काम में आ रहे हैं ? उनसे सम्पर्क करके जो इसके अन्दर अच्छी, बढिया नस्ल के पौधे तैयार किये हुए हैं, वहां लगाएं ताकि उसका उत्पादन अच्छा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पौधे लगाये जाते हैं, जैसे राजस्थान के अन्दर सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीनों के अन्दर आंवले के पेड़ लगा लिये, विभिन्न प्रकार के पौधे लगा लिये, उस आंवले की जो कीमत उनको मिलनी चाहिए, उनका आवंला बिकना चाहिए, वह आंवला बेकार सड़ रहा है, खराब हो रहा है

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि की तरफ जो सरकारों ने आज तक ध्यान दिया है, वह बिलकुल नगण्य सा है।

(श्री रणवीरसिंह गुढा)

कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर सरकार ने सात करोड़ रुपये से बढ़ा कर 21 करोड़ का बजट किया है राजस्थान के लिए। मात्र 21 करोड़ पूरे राजस्थान के लिए पशुपालन के लिए है जहां लाखों लोग पशुपालन पर निर्भर हैं। अध्यक्ष महोदय, छोटी-छोटी हैरिटेज होटल के लिए 35-35 करोड़ रुपये सरकार ने दिये हैं, उसके कम्पेरीजन में जहां लाखों लोगों के जीवन का सवाल है, 21 करोड़ बिलकुल कम हैं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गुढा क्षेत्र के अन्दर शेखावाटी में जो अरावली श्रृंखला है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर कृषकों के सामने पानी की बहुत विकट समस्या है। चाहे खेतड़ी हो, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे उदयपुरवाटी हो, वहां पर पानी का स्तर बिलकुल नीचे चला गया है और वहां कहते हैं कि डार्क जोन घोषित कर रखा है। डार्क जोन घोषित कर रखा है कि नहीं कर रखा है, इसके बारे में कृषि मंत्रीजी फैसला लें ताकि वहां के किसान एक कनक्लूजन के ऊपर पहुंच सकें, कि बजट उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। कुओं में पानी जरूर है, वाटर लेवल नीचे चला गया लेकिन उनको अगर अच्छी मदद मिले तो वहां कुओं से पानी निकाला जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, अभी किसान की बात आयी, अभी काफी सारे लोगों ने यह भी कहा कि इसको उद्योग की श्रेणी में ले लेना चाहिए, बिलकुल सच बात है। गांवों में जो आज से 50 साल पहले अनाज की कीमत थी, वही कीमत आज है। कृषि के साथ दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। जो किसान की पूरी की पूरी व्यवस्था है, किसान की व्यवस्था के साथ भी दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि पशुपालन और कृषि के लिए जो बजट है राजस्थान के अन्दर, उस बजट के अन्दर और बढ़ोतरी की जाए। सिर्फ इतना कहकर कि पहली सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उस बात में न जाकर, दूसरे के ऊपर दोष ने निकालकर किसानों

(श्री रणवीरसिंह गुढ़ा)

और पशुपालन के क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया जाए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक नवलखा।

श्री अशोककुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 और 39 पर जो चर्चा हो रही है उसी के सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और कृषि प्रकृति पर निर्भर है, इसी कारण से हम सब सदस्यों की यह चिन्ता है कि जो कृषि प्रकृति पर निर्भर है उस कृषि को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कैसे उन्नत बनाया जाए। कृषि और किसान ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर आज जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही कृषि है। पैदावर किसान की बड़ी मुश्किल से होती है, किसान प्रकृति पर निर्भर होता है। जो पैदावार किसान की होती है उसका उचित मूल्य किसान को मिले, इसी प्रार्दुभाव के रूप में कृषि उपज मण्डियों की भी स्थापना हुई और समर्थन मूल्य भी सरकार ने घो.ित किये। आज हम कृषि उपज मण्डियों की बात करते हैं तो मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कृषि उपज मण्डियों को विकसित करने की और उनको बढ़ावा देने की, प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। कटमोशन मैंने लगाया था इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं. पर क्योंकि समय का अभाव है इसलिए सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की ओर बात घुमाता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र में आता हूं निम्बाहेड़ा, वह निम्बाहेड़ा मध्यप्रदेश की सीमा से लगता है। वह बार्डर मण्डी के रूप में विख्यात है। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीति और सरकार के कार्यक्रम इस प्रकार से बनने चाहिए कि बार्डर पर जो मण्डियां रहती हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। निम्बाहेड़ा कृषि उपज मण्डी बार्डर पर होने के बावजूद भी उस मण्डी की वार्षिक आय वर्ष 2004-05 में 108.10 लाख रुपए थी। पिछले

(श्री अशोककुमार नवलखा)

कई वर्षों से मण्डी की आय निरन्तर बढ़ रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब से राज रहा उस राज के अन्दर मण्डी की आय के मुताबिक उस क्षेत्र का विकास नहीं किया गया। अभी माननीय सदस्य सदन में बता रहे थे कि मण्डियों की आय जयपुर मंगवा ली जाती है और जयपुर मंगवा कर मनमाने ढंग से खर्च होती है। मैं माननीय मंत्री महोदयजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जब से कार्यभार सम्भाला है इन मण्डियों की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा, पिछले बारह वर्षों से उस मण्डी के प्लेटफार्म तैयार नहीं हुए, कभी प्लेटफार्म की मरम्मत नहीं हुई। माननीय मंत्रीजी ने पहली बार तीस लाख रुपए स्वीकृत करके हमारी मण्डी के विकास के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया है, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

पूरे चित्तौड़गढ़ जिले की बात कह रहा हूं, सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा होती है। अभी अपने-अपने क्षेत्र की सब बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के अन्दर भी सोयाबीन सबसे अधिक होती है। केवल निम्बाहेड़ा कृषि उपज मण्डी की बात कर लूं तो केवल एक साल के अन्दर एक लाख बारह हजार सात सौ साठ क्विंटल सोयाबीन हमारी मण्डी में आई और 1361.62 लाख रुपये का किसानों को भुगतान किया गया। हमारी इस मण्डी को सोयाबीन की एक विशेष मण्डी के रूप में स्थापित किया जाए तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

हमारे क्षेत्र में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हमारे निम्बाहेड़ा मण्डी के अन्दर, बहुत बड़ी मण्डी है उदयपुर संभाग की, पन्द्रह-बीस साल से किसी भी व्यापारी को न तो कोई गोदाम आबंटित किया गया न कोई दुकान आबंटित की गयी। पन्द्रह-बीस साल से व्यापारी इस प्रतीक्षा में है कि कभी हमें गोदाम मिले, कभी हमें दुकान मिले। मैं माननीय

(श्री अशोककुमार नवलखा)

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि निम्बाहेड़ा कृषि उपज मण्डी को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापारियों को आप वहां पर गोदाम भी दिलवाएं और वहां पर व्यापारियों को दुकानें भी आबंटित करवाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डियों को यदि प्रोत्साहन देना है और किसानों को सही कीमत आगे दिलवानी है तो कृषि आधारित ग्रेडिंग उद्योगों की स्थापना के लिए मण्डी प्रांगण में जो रिक्त भूमि पड़ी है, उन व्यापारियों को भू-खण्ड उचित मूल्य पर दिए जाएं। वहां कृ. ग्रेडिंग के उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आवक भी बढ़ेगी और किसानों की आवक बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा मिलेगा। हमारे वहां माल की बहुत आवक होती है छोटी मण्डी होने के बावजूद भी, करीबन चालीस पचास ट्रक रोज माल तुलता है। तो माल तौलने के लिए वहां पर यदि धर्म कांटे की व्यवस्था कराएं तो यह भी उचित रहेगा।

मण्डी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से कृषि उपज मण्डियों के चुनाव नहीं हुए। सरकार की हमारी घोषणा भी है कि हम निश्चित रूप से चुनाव करवाएंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाते, मण्डियों के अन्दर सलाहकार समितियों का गठन किया जाए जिससे कि हम सलाहकार समितियों के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक सुझाव भी दे सकें और मण्डियों के अन्दर आवक भी बढ़ा सकें।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, एक समस्या हमारे व्यापारियों के सामने यह आई है कि शक्कर पर 1.7 परसेंट का टैक्स लगता है। हमारी जो बार्डर की मण्डी है उस मण्डी के अन्दर काफी दिक्कत आती है क्योंकि मध्यप्रदेश से सारी शक्कर बिना टैक्स के आती है। मण्डियों में व्यापारियों को काफी नुकसान होता है और सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। तो इस बारे में भी सरकार विचार करे।

एक नारियल पर भी आपने टैक्स लगाने की घो .णा की है। राजस्थान में नारियल की कोई खेती होती नहीं है और नारियल पर यह एक अनावश्यक

(श्री अशोककुमार नवलखा)

भार भी पड़ेगा, इस पर भी आप विचार करने की कृपा करें।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि धीरे-धीरे हमारे क्षेत्र के अन्दर किसान व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं-आंवले की खेती, नारंगी की खेती, तो इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए।

साथ ही हमारे मेवाड़ क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा अफीम की पैदावार होती है, हमारी सरकार आने के पहले छह रुपए किलो किसानों को डोडा-चूरा का भाव मिलता था, उस डोडा-चूरा का भाव बढ़ाकर आपने बारह रुपए किलो किया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस समय किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि राजस्थान सरकार का मसला है डोडा-चूरा का भाव, लेकिन डोडा चूरा के ठेकेदार इसे दो-दो सौ रुपया क्विंटल बेचते हैं। तो यह बारह रुपये किलो कोई ज्यादा नहीं है, हमारा निवेदन है कि कम से कम पच्चीस रुपए किलो तो किसानों को डोडा-चूरा का भाव होना चाहिए। यह भी कृषि मंत्रीजी विचार करने की कृपा करें।

मैं इस अवसर पर पशुपालन के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर जो पशु चिकित्सालय चलते हैं उनमें करीबन 23 डाक्टरों के पद खाली हैं। निम्बाहेड़ा तहसील मुख्यालय है, उप खण्ड मुख्यालय है वहां आठ महीने से चार जगह डाक्टर नहीं हैं। लसावण, बाड़ी और बिरूता में तीन-तीन, चार-चार साल से डाक्टर नहीं हैं। अतः वहां डाक्टरों की आप व्यवस्था करवाएं। हमारे यहां निम्बाहेड़ा तहसील मुख्यालय है, छोटी सादड़ी तहसील मुख्यालय है, विनोता बाड़ा पंचायत हैड क्वार्टर है जहां पर पशु चिकित्सालय के सरकारी भवन नहीं हैं, उनको इधर-उधर चलाना पड़ता है। इन तीनों भवनों के लिए भी आप बजट आबंटित करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

(श्री अशोककुमार नवलखा)

इसके साथ-साथ कुछ हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग है क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र किसान पर आधारित है, इसलिए ग्राम पंचायत मुख्यालय केली, कोटड़ी कलां, करजू, गोमाड़ा, सूवी और मांगरोल, इन जगह पर आप नये पशु चिकित्सालय खोलने की कृपा करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृि और पशुपालन के बारे में चर्चा हो रही है....

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री अध्यक्ष : You've lost your time. आपका नाम मैंने पुकारा, आप सदन में अनुपस्थित थे।

श्री मदन राठौड़ : दो मिनट दे देना।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, अब तो मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री मदन राठौड़ : इनके बाद में सही।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद भी नहीं। अब तो लास्ट में, सबसे लास्ट में।

श्री नाथूराम अहारी : कृषि और पशुपालन के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हुआ कुछ अपने विचार दूंगा। डूंगरपुर और उदयपुर डिवीजन में जो भी आदिवासी काश्तकार हैं उनकी जोत बहुत ही कम है। पहाड़ी एरिये में बीघा, आधा बीघा जमीन है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप वहां पर जमीन समतलीकरण के बारे में कुछ अलग से बजट रखकर जिनके पास जोत कम है, वहां टेकरियां और छोटे-छोटे पहाड़ हैं उनको समतल करके जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जीवनयापन के लिए उनके पास इसके अलावा कोई साधन

(श्री नाथूराम अहारी)

नहीं है। वहां पर कई जगह बांध नहीं है तो कई जगह इस तरह के बांध हैं कि पानी उस एरिए में जा सकता है। आप कोई योजना बनाकर, भले ही अन्डर ग्राउण्ड कोई चैनल बनाकर भी उस एरिये में पानी ले जाने की अगर कार्यवाही करेंगे तो हमारे डूंगरपुर में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। काश्तकार के लिए कुआं बहुत ही जरूरी है, पर वहां जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। कुओं पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से ब्लास्टिंग के लिये जो सहायता मिलती है, वह बहुत ही कम मिलती है। केवल 72 होल हमारे यहां जो स्थिति है उसको देखते हुए दो बार ही ब्लास्टिंग होता है। एक बार ब्लास्टिंग करने पर केवल एक फुट गहराई जाती है। तो मैं मांग करता हूं कि उस रकम को ज्यादा किया जाए। जितना भी उसमें गहरा जाना पड़े, सरकार अपनी तरफ से ब्लास्टिंग की व्यवस्था करके कुए गहरे कराए। मैं यह नहीं कहता हूं कि सारे के सारे कुए जो कम गहराई में हैं, उनको करे। लेकिन मेरी यह मांग है कि बीस हाथ या तीस फुट से ऊपर कुओं को सरकार अपने लेवल पर ठीक कराए। पानी लेवल तक पहुंचाने की कार्यवाही अगर की जाए तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों के लिये ठीक होगा।

उन्नत बीज के बारे में मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि वाकई में फसल बोने का टाइम चला जाता है, इसके बाद बीज की व्यवस्था होती है। यह टाइम पर होना चाहिये। कई बार तो बीज बिलकुल घटिया आ जाता है। कई तो बीज उगते ही नहीं हैं, इस तरह के भी आते हैं। तो प्रमाणित बीज भण्डारों का बीज प्रमाणित होना चाहिये जिससे खेती करने में काश्तकारों को परेशानी नहीं हो।

इसके अलावा जहां भी काश्तकारों की जमीन में पानी नहीं जाता है वहां किसी भी तरह से पानी ले जाने की योजना सरकार अपने स्तर पर करेगी तो काश्तकारों को काफी फायदा होगा। जैसा कि हमारे सी.पी. जोशीजी ने एक तुलनात्मक आंकड़ा दिया था, वाकई में जो बजट रखा जाता है उसके अनुसार खर्चा नहीं होता है, लैप्स हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से

(श्री नाथूराम अहारी)

ज्यादा पैसा खर्च करके कुओं की आवश्यकता की पूर्ति कराने की व्यवस्था करायी जाए।

पशुपालन का जहां तक सवाल है, किसान के लिये पशुपालन एक सहायक धंधा है। हमारे वहां पशुओं के स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, सब सेण्टर नहीं हैं, पशु चिकित्सालय नहीं हैं। अगर हैं तो वहां डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है। तो इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। जहां भी पशुपालन केन्द्र में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, वहां पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। उसमें वह कर देते हैं कि बाजार से ले आओ। काश्तकार के पास तो इतना पैसा होता नहीं है। जहां तक बन सके, साधारण बीमारी की दवाइयों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये, तब ही जाकर आदिवासियों का फायदा हो सकता है। वे भेड़ों और बकरियों की भी रखवाली करते हैं लेकिन जब बीमारी आ जाती है तो अचानक एक साथ मर जाती हैं। तो इसके लिये पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। जहां भी सूचना मिले वहां डाक्टर या कम्पाउंडर को जाकर रोकथाम की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये तब ही जाकर काश्तकारों को फायदा होगा।

मेरे यहां पशुओं के स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, पशु चिकित्सालय नहीं हैं। पहाड़ी एरिया है, बहुत दूर-दूर है, तो कम से कम हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक पशु चिकित्सालय होना चाहिये। वहां पर बहुत बिखरा हुआ एरिया है, पहाड़ी एरिया है, दूर-दूर तक जा नहीं सकते आदमी, इसलिये एक पंचायत में एक पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप वहां इसकी पूरी व्यवस्था करें। उन्नत पशुपालन का ध्यान रखते हुए पशुपालन के धन्धे में सहायता देनी चाहिये, यह मेरी मांग है। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : मांग संख्या 39-पशुपालन पर आज राज्य में गौशालाओं को खोलने के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

की, चरागाह भूमि को गौशाला हेतु रियायत दी है, माननीय अध्यक्षजी, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि गौशालाएं तो बहुत सारी खुल रही हैं लेकिन उन पर व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो रही है। गौशालाओं की जो चरागाह भूमि है उन पर स्कूल बन सकता है, औषधालय बन सकता है लेकिन गौशाला नहीं बन सकती है, ऐसा एक नियम है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि चरागाह भूमि पर गोचर भूमि छोड़ देनी चाहिये गायों के चरने के लिये।

जहां भी पहाड़ी इलाका है वहां कहीं भी पशु औषधालय नहीं है और न ही पशुओं का कोई डाक्टर वहां पर जाता है। एक पशु को जब शहर में लाया जाता है तो पांच सौ रुपये किराया लग जाता है। यह उनके लिये वहन करना उचित-सा नहीं होता है। जब पशु मर जाता है तो दस-बारह हजार का एक पशु चला जाता है। इससे उलटी गरीब मार हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहती हूं, हमारे वहां पर जो पहाड़ी इलाका है-आकबा, जुराठरा, भादवाशी, श्यामगढ़, काला खेत, तारपुरा, दौलतपुरा, बराड़, रघुनाथगढ़, जेठी, गोठड़ा, बुगरान में कहीं भी पशु चिकित्सालय नहीं है। यदि इनके पास इतने पशु चिकित्सालय उपलब्ध नहीं हैं तो कहीं कैम्प लगाकर पशुओं की देखभाल करें। दस दिन, पन्द्रह दिन, सप्ताह में एक बार जाकर पूरी पंचायत समितियों में कैम्प लगाकर पशुओं की जांच करें। पशुपालन हमारा कृषि पर आधारित है। अपनी गौ माता को तो सभी माता कहते हैं, उस माता की ऐसी दुर्दशा हो रही है। जिस गाय को गौ ग्रास के रूप में मानते हैं, जिसको अपन पूजते हैं वह आज जगह-जगह लाठियां खाती फिरती हैं। उसके बछड़ों की तो उससे भी बुरी हालत है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गौमूत्र में गंगा का वास है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आजकल गायों की जो दुर्दशा हो रही है उसकी सब अनदेखी कर रहे हैं। गाय के रोमछिद्रों पर हाथ फेरने से ही कैंसर जैसी बीमारी मिट जाती है, उस गाय की आज यह दुर्दशा हो रही है। उसके ही हड्डी में स्वर्ण भस्म है, इसका दूध पीने से अपनी सारी बीमारियां

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

दूर हो जाती हैं। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण करवाएं। बहुत दिनों से ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि गोचर भूमि में चारा नहीं चर सकतीं, गायें पहले चारा चरने जाती थीं। कृषि मंत्री सीकर में पधारे थे, किसी ने सीकर में सफेदे का पेड़ लगा लिया, किसी ने आंवले का लगा लिया, किसी न कोई लगा लिया, देखा देखी हो गयी ऐसी कि वाटर लेवल एकदम नीचे चला गया है। तीन सौ नीचे, पांच सौ, छह सौ फुट तक चला गया है। कृषि मंत्रीजी ने सबकी सर्किट हाउस में एक मीटिंग बुलायी थी तब माननीय मंत्रीजी ने बताया था कि मिट्टी का परीक्षण करवा कर आप इसमें अरंडी या कुछ दूसरी चीज बोओ जिससे आपको लाभ होगा। एक ही एक, देखा देखी एक ने आंवला लगा लिया तो दूसरे ने भी आंवला लगा लिया। एक गेहूं और चना कर रहे थे, वही कर रहे हैं। हमारे अधिकारी खुद नहीं जानते थे कि क्या चीज यहां बोयी जाए और क्या उत्पन्न होता है। जब कृषि मंत्रीजी पधारे और बहुत सारी जानकारी उनको दी तो सारे अधिकारी दंग रह गये। उनके पास कोई पूरा विवरण नहीं था। उस समय उनको लगा कि वाकई में सही चीज है।

गोबर का, आजकल जैविक खाद का भी बहुत प्रचलन है। यूरिया जब से आया है, अपनी खेती को नष्ट करती जा रही है। इसलिये गौ माता से तो डबल फायदा है। उसके गोबर से खाद बनती है।

माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे समय दिया, माननीय मंत्री महोदय को मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोलें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आठ बजने को आये हैं, अभी भी कुछ वक्ता बोलने वाले हैं। आपको मैं पांच मिनट दे देती हूं। मैं चाहूंगी कि अब बात तो सब आ गयी है करीब-करीब। और कांग्रेस पक्ष को तो कुछ दिलचस्पी किसानों की मांगों के सम्बन्ध में है नहीं, कोई बैठे नहीं हैं यहां पर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बैठे हैं ना।

श्री अध्यक्ष : जो बैठे हैं उनको मैं समय दे रही हूं। जो बैठे हैं उनको भी नहीं है, किसानों में किसी को नहीं है। (व्यवधान) श्री कैलाश त्रिवेदी। मगर मैं चाहूंगी कि अब आठ बजने को आए, मंत्रीजी जवाब दे देंगे, बात तो करीब करीब सब आ गयी है। बोलने में आप सब माहिर हैं, सब अच्छा बोलते हैं।

श्री जुबेर खान : माननीय नन्दलालजी पूनिया का समय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैलाश त्रिवेदी का नाम ले लिया, श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : सभापति महोदय, कृषि पर चर्चा हो रही है, पूर्व के बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि के लिए काफी अनुदान की घोषणाएं कीं, इस बार भी काफी घोषणाएं हुईं। लेकिन वास्तव में हालात क्या हैं ? कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने हर वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए भी पाइप लाइन, फव्वारा संयंत्र, उन्नत कृषि यंत्र, थ्रैशर, मेज सेलर, कुट्टी मशीन सीड ट्रेल कम फर्टिलाइजर के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कृषकों को अनुदान देने की घोषणाएं की हैं कि उन्न्त कृषि यंत्रों के लिए सामान्य श्रेणी, लघु श्रेणी, सीमान्त श्रेणी, महिला व एस.सी., एस.टी. एवं सभी वर्ग हेतु अनुदानित दर का 25 प्रतिशत अथवा दस हजार, जो भी कम हो, काश्तकार को दें। पाइप लाइन के लिए सामान्य श्रेणी को नाबार्ड दर का 25 प्रतिशत, दूसरी श्रेणी-महिला व लघु सीमान्त, एस.सी., एस.टी. को नाबार्ड दर का 33 प्रतिशत प्रत्येक कृषक को, सभी श्रेणियों सहित अधिकतम 800 मीटर तक, अनुदान देय होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी अनुरूप वित्तीय वर्ष 2004-05 में कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा काश्तकारों को अनुदान की जानकारी दी गयी। प्रशासन आपके द्वार के अन्दर भी बढ़ा-चढ़ाकर इसका खूब प्रचार-पसार किया गया और उनको प्रोत्साहित करके नकद माल क्रय करवाया गया। समय पर अनुदान पत्रावलियों का कृषि विभाग में पंजीयन करवाया गया। राज्य सरकार ने निरन्तर विभाग

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

पर यह दबाव बनाया कि विभिन्न अनुदान योजनाओं से अधिकतम कृषकों को लाभान्वित किया जाए और यह विश्वास दिलाया कि इसमें धन की कमी कहीं आड़े नहीं आएगी। लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि राज्य सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2005 आदेश क्रमांक 4000/4010 द्वारा अधीनस्थ उप निदेशक, सहायक निदेशक सबको....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पढ़कर और झुककर बोलते हैं ना ?

श्री कैलाश त्रिवेदी : वह मैं क्रमांक नम्बर बता रहा हूं, आपकी सरकार ने क्या आदेश निकाला है, किस प्रकार का आदेश निकाला है। क्रमांक 4000/4010 द्वारा अधीनस्थ उप निदेशक, सहायक निदेशक को यह निर्देशित किया गया कि उपलब्ध बजट में से केवल एस.सी., एस.टी., महिलाओं को ही प्राथमिकता दें। बाकी पत्रावलियां वापस काश्तकारों को लौटा दी जाएं। सारी भीलवाड़ा जिले की पत्रावलियां लौटा दी गयीं। 800 मीटर की जगह 400 मीटर कर दिया गया और सभी श्रेणियों के करीब सौ काश्तकारों की फाइलें पुन: लौटाने के निर्देश दे दिये। उन्नत कृषि यंत्रों में थ्रैशर हेतु भीलवाड़ा जिले में कुल 74 कृषकों की फाइलें पंजीकृत हुईं जिसमें करीब 37 फाइलों का निस्तारण किया और बाकी की फाइलें पुन: लौटा दी गयीं। यह इस वित्तीय वर्ष के पूरा होने के पांच दिन पहले किया गया।

श्री अध्यक्ष : महिलाओं को और शिड्यूल्ड कास्ट को प्राथमिकता देने में एतराज है क्या आपको ?

श्री कैलाश त्रिवेदी : सामान्य और लघु सीमान्त कृषकों के लिए आदेश जारी थे और 23 मार्च को आर्डर निकालकर सभी फाइलें वापस करवा लीं। प्रशासन आपके द्वार में लोगों से भरवायी थी और यह कहा था कि आप सबके अनुदान पास होंगे। लोगों ने पाइप लाइन खरीद ली, पाइप लाइन लगा दी, लोगों ने बिल लगा दिये। कृषि पर्यवेक्षकों ने जाकर वहां पर भौतिक सत्यापन

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

कर लिया, फाइलें पंजीकृत हो गयीं। फिर 23 मार्च को इनको निरस्त करने का क्या औचित्य रहा ? या तो इतना प्रचार-प्रसार ही नहीं करना था। 1-4-2004 से 22-3-2005 तक निकाले गये नियमों में साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया था कि सामान्य, लघु और सीमान्त काश्तकार को छोड़कर दूसरे को दिया जाए। इस तरह की जो थोथी घोषणाएं हैं इनसे काश्तकारों का भला होना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, एक जैविक खेती का भी चल रहा है, वर्मी कम्पोस्ट। भीलवाड़ा जिले में वर्मी कम्पोस्ट, महावीरजी, सुनना अब आप, जैविक खेती काश्तकारों के लिए बड़ी लाभदायक है। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। भीलवाड़ा जिले में कृषि के एक ग्राम सेवक ने मेरे क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : जयपुर से आने वाले दोनों माननीय सदस्य, आप बहुत बातें करते हैं। अलग-अलग बैठा करें। सारे दिन बैठकर बातें करते हो आप.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यहां दोनों घुट-घुटकर बात करते हैं, वैसे बाहर लड़ते रहते हैं।

मोहनलाल गुप्ता : आप लोग लड़वाते हो। हम बैठे-बैठे बातें करें, वह भी तकलीफ है आपको।

कैलाश त्रिवेदी : जैविक खाद बनाने के लिए केचुए-थला गांव में एक सेंन करके ग्राम सेवक है जिसने पाव भर केचुए, 10 किलो गोबर का खाद डालकर एक पेटी दो हजार रुपये, दो पेटी चार हजार रुपये तैयार की। बैड लगवाना चालू किया काश्तकारों के और यह कहा गया कि ये दो पेटी, दो महीने में इनको हम डेढ़े दाम में लेंगे। यानि एक पेटी के दो हजार की जगह तीन हजार देंगे। इस तरह के बैड लगाते-लगाते पूरे इलाके में यह जाल छाया कि जस्ट पैसा डबल हो रहा है और हर दो महीने में डबल हो रहा है। लोगों ने

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

चारों तरफ, अपने सोने के जो मकान हैं, वे तो बाहर सो रहे हैं और केंचुए अन्दर बैड पर लगे हुए हैं पूरे इलाके में। आज हालत यह है कि उसको कोई उठाने वाला नहीं है। पहले स्टाम्प लिख गये, सब कुछ कर गये। आज स्थिति यह हो गयी कि वह वहां से हटा है तो पूरे राजस्थान में घूम रहा है। सभी माननीय विधायकों के यह चीज आने वाली है। वे समितियां बना-बनाकर दो-दो हजार में पटक रहे हैं और तीन-तीन हजार में ले रहे हैं। एक गांव में एक या दो काश्तकारों से लेकर एक हौवा खड़ा कर रहे हैं कि यह आगे से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका क्या अंत होना है, इस बारे में भी यह कृषि विभाग सोचे। हालांकि कृषि विभाग के जिला अधिकारियों ने वहां इस बारे में मेला और प्रदर्शन किया है। लेकिन काश्तकार जो उलझ गये, जो फंस गये, उनका क्या होगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब कौन ले रहा है ?

श्री कैलाश त्रिवेदी : अब कोई नहीं ले रहा है। जबकि इन केंचुओं की कीमत सौ रुपये किलो कृषि विभाग की है। एक कर्मचारी ने लोगों को गुमराह करके इस तरह का जाल राजस्थान में फैलाया। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा ही नहीं, ये केंचुए भीलवाड़ा जिले से गुजरात और पंजाब में पहुंच गये, वहां बैड लगा दिये। यह स्थिति है, इस पर थोड़ा गौर करने की बात है।

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी खेती करते हैं दो किलो भिजवा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महावीरजी खेती नहीं करते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मेरे यहां तो केंचुए हैं। आप कृषक हैं। आप जानते नहीं हैं इसलिए दो किलो भिजवा देता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो खेती करता नहीं हूं, ना मेरे खेती है।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो कह रहे थे एक दिन। आप तो कह रहे थे कि मैं सबसे बड़ा कृषक हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हिमायती हूं। मैं कृषक नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : लोग बर्बाद हो रहे हैं। (व्यवधान) लोगों ने लाख लाख और दो-दो लाख के डलवाये हैं। लोगों ने अपनी औरतों के जेवर बेच दिये, ऐसी स्थिति हो रही है....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मेरे तो हैं केचुए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : खेत होंगे....(व्यवधान) मैं आपसे ज्यादा समझता हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : एक केचुए के एक साल में 877 होते हैं, आप सब बांट लेना, कोई तकलीफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको दो किलो उन्होंने भेजे, आप इन्हीं को वापस लौटा देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भिजवा दूंगा और मैं आपको जोड़कर भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : विद थैंक्स भिजवा देना।

श्री कैलाश त्रिवेदी : उसी के साथ ही माननीय सदस्य भाटी साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि हमने काश्तकारों को रिकार्ड तोड़ कनेक्शन दिये हैं, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड कर दें।

(20.00 बजे)

श्री कैलाश त्रिवेदी : 40 हजार कनेक्शन दिये, बहुत खुशी की बात है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी जब ऊर्जा का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि हम 55 हजार में फार्म हाउस का कनेक्शन दे रहे हैं, चाहे एक किलोमीटर लाइन हो चाहे एक पोल हो।

श्री अध्यक्ष : आप 10 मिनट ले चुके हैं, अब आप विराजो।

श्री कैलाश त्रिवेदी : सरकार ने इस योजना का काश्तकारों में खूब प्रचार-प्रसार किया। पूरे राजस्थान के काश्तकारों ने इसके लिए अपने प्रार्थना पत्र भरे, डिमाण्ड नोट भर दिये। डिमाण्ड नोट भरने के बाद में 55 हजार की रसीद लेकर उनका मैटल इस्यू हो गया। इस्यू होने के बाद इस सरकार ने फिर एक तुगलकी आदेश निकाला कि 11 हजार रुपए पर पोल जमा कराएं। डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपए के डिमाण्ड नोट निकाले गये। वहां खेतों में 40 हजार खम्भे पड़े हुए हैं, कनेक्शन किसी का हुआ नहीं। इसलिए यदि आप काश्तकारों के हित में बात करते हैं तो थोड़ा इस पर विचार भी करना चाहिए। मैंने जो बातें कही हैं इनको मंत्रीजी अपने जवाब में सम्मिलित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री सुरेश मीणा, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 एवं 39 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। वैसे तो कई माननीय सदस्यों ने किसानों की समस्या बताई लेकिन मैं उनकी जो मेन समस्या है उसके बारे में माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सर्दी में जब वह खेत पर काम करता है रात को, तो वह खेत में ही सर्दी से मर जाता है, इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि सर्दी में किसानों को बिजली दिन में दी जाए।

श्री अध्यक्ष : बिजली देना इनके वश की बात नहीं है।

श्री सुरेश मीणा : कह तो सकते हैं ना। आप भी तो यहां बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नकली बीज और नकली खाद के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी मेरे क्षेत्र हिण्डौन और गंगापुर में जब गेहूं और सरसों की बुवाई हो रही थी तो किसानों ने नकली बीज और नकली खाद के बारे में आंदोलन किया था और उन लोगों के खिलाफ केस भी कराए थे लेकिन आज

(श्री सुरेश मीणा)

तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसान तो केस ही दर्ज करा सकते हैं, कार्यवाही तो आपको करनी है।

श्री अध्यक्ष : इस मामले में कानून बहुत लचर है।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे और जिलों का तो पता नहीं है लेकिन मेरे जिले में खेत जगह-जगह बंटे हुए हैं, इसलिए उनकी चकबंदी की व्यवस्था की जाए जिससे जमीन एक जगह हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि करौली में कृषि उपज मण्डी की जमीन ले ली, पैसे दे दिए लेकिन वह आज तक नहीं बनी। इसके अभाव में किसानों को 50-50 किलोमीटर तक जाकर दूसरी जगहों पर अपना माल बेचना पड़ता है। इसलिए उस मण्डी की व्यवस्था करौली में होनो चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, किसानों को खलिहान जल जाता है, एक-एक लाख रुपए की सरसों और गेहूं की फसल जल जाती है लेकिन किसान को सिर्फ 1 हजार रुपए, 2 हजार रुपए ही मिल पाते हैं। इस प्रकार से किसानों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, गांवों के लिए हम कहते हैं कि डाक्टर वहां रहे लेकिन मैं कहता हूं कि गांवों में पटवारी नहीं रहता। एक महीने तक पटवारी गांव में नहीं रहता इसलिए आप मंत्रीजी उनको निर्देश दें कि पटवारी गांव में रहे।

श्री अध्यक्ष : पटवारी राजस्व विभाग में आते हैं, इनके विभाग में नहीं।

श्री सुरेश मीणा : वह हैं तो कृषि के ही। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग में एस.सी., एस.टी. के बैकलाग के जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाए। 25 जून, 2003 को एक्स.ईएन.

(श्री सुरेश मीणा)

की डी.पी.सी. हुई थी लेकिन उनको आज तक नहीं लिया गया और जनरल लोगों को भरा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल खटीक।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने स्वयं यह व्यवस्था दी थी कि जिनके कट मोशन हों, उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देंगे अन्य को नहीं। आपने 8 तारीख को बहुत-से माननीय सदस्यों को मौका नहीं दिया। यह सही है कि माननीय सदस्य यहां तैयारी करके आते हैं उस आधार पर उनको कट मोशन लगाने चाहिए। जिनके कट मोशन हैं वे माननीय सदस्य रह जाएं और जिनके कट मोशन नहीं है वे बोल जाते हैं, आपकी स्वयं की व्यवस्था थी।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : मैंने दिया है, माननीय उप मुख्य सचेतकजी, आप विरोध मत करो।

श्री जुबेर खान : इससे क्या होगा कि लोग कट मोशन दिया करेंगे।

श्री बंशीलाल खटीक : आप क्यों समय ख़राब कर रहे हैं, इतनी देर में तो मैं समाप्त ही कर देता।

श्री जुबेर खान : मैं अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे टोकने का।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, बैठ जाएं।

मेरी व्यवस्था यह थी कि प्राथमिकता के आधार पर जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिए हैं, बोलेंगे, जिनका लिस्ट में नहीं है लास्ट में उनको। उसी आधार पर डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती को, उस दिन उन्होंने कट

(श्री अध्यक्ष)

मोशन नहीं दिया फिर भी बोलने का मौका दिया। इसलिए आप यह जो बात कह रहे हैं बिलकुल गलत बात कह रहे हैं। श्री बंशीलाल खटीक।

श्री जुबेर खान : लास्ट में देते हैं।

श्री अध्यक्ष : नो नो नो, गलत।

श्री जुबेर खान : लास्ट में देते हैं, हमारे माननीय सदस्यों के सूची में नाम हैं। (व्यवधान) लेकिन निवेदन ऐसा है कि उनको अंत में दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अपनी परम्परा यह रही है कि सचेतक जो लिस्ट देते हैं आप और हम, उसके अनुसार बोलते हैं और कट मोशन मूव किया हुआ लिया जाता है। उनके उत्तर लिखित में सभी को मिल जाते हैं। इसलिए इनको रोकने का प्रावधान नहीं है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सूची में नाम दिया है, मुझे भी समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपने कोई रिक्वीजिशन नहीं दी बोलने की।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, स्वयं आपने 8 तारीख को व्यवस्था दी थी।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर यदि इसका आरोप होता है तो कोई बात नहीं है। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगने देना चाहता, मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकार लिया है, आप बोलिए। बंशीलाल खटीक। लेकिन आप बोलना अच्छी बात।

श्री बंशीलाल खटीक : विरोध किसी का मैं नहीं करता लेकिन थोड़ा मुझे कोई किसी प्रकार से छेड़ देता है तो बोलना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : फिर कोई छेड़ देगा तो ? यह तो फिर छेड़ने के लिए बैठे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : आपके आदेश की पूरी पालना करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजे सिन्धिया के डेढ़ व ं का कार्यकाल वास्तव में किसानों, पशुपालकों और जनता के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का काम हमारी सरकार पर आरोप लगाना ही है और विरोध करना ही है, यह वास्तव में इनकी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : आप कोई बात कहो पशुपालन पर।

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पहले थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : भूमिका नहीं, आप तो सीधे सब्जैक्ट पर आ जाएं।

श्री बंशीलाल खटीक : हां, मैं सीधा वि ाय पर आ रहा हूं। कृ ि, ॠ ि और गौ माता, ये हमारे देश की प्रमुख धरोहर हैं।

श्री अध्यक्ष : अकेली गौ माता नहीं, सारे पशु।

श्री बंशीलाल खटीक : मैं आ रहा हूं उसी पर। कृषि, ॠ ि और गौ माता और सभी पशु। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की जनता में ज्यादा प्रतिशत किसानों का है और किसानों के हित के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कृत संकल्पित रही है, इसका इतिहास गवाह है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, हमारा यह बजट और पूर्व का बजट इसका गवाह है कि उसमें हमारे किसानों और पशुपालन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। कितने ही लाखों करोड़ों रुपए कृ ि और पशुपालन पर खर्च किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कारित कार्यकर्ता हूं। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और राजस्थान प्रदेश के

(श्री बंशीलाल खटीक)

प्रति जो त्याग और बलिदान की भावना दर्शायी है, वह वास्तव में बहुत ही तारीफ के काबिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे राजसमंद झील है, राजसमंद किसानों का क्षेत्र कहलाता है। रेलमगरा और राजसमंद किसानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में वर्तमान में प्रभु श्री इन्द्र देवता के रूठ जाने से हमारे किसान दर-दर को भटक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि वहां कृषि तो रही नहीं, लेकिन उनको रोजगार देने के लिए रेलमगरा और रामसमंद में कोई ऐसे उद्योग खोले जाएं ताकि किसान उन उद्योगों में जाकर अपना पेट पालन और गुजारा कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद एक जिला मुख्यालय है और उस जिला मुख्यालय पर कृषि मण्डी का होना बहुत आवश्यक है। कृषि मण्डी एके नाम की मण्डी है। मैं माननीय कृषि मंत्री व पशुपालन मंत्रीजी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा रामसमंद जिला मुख्यालय है उसके लिए कृषि मण्डी के लिए कोई न कोई प्रावधान रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां आप द्वारा कृपा की जाए जिससे कि हमारे किसान लाभान्वित हो सकें। उसके लिए यार्ड बनाया जाए या आपके प्रावधानों में जो भी सुविधाएं दे सकें, उतनी दें।

हमारे काश्तकारों के खेतों पर जो कुए बने हुए हैं उनका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के उन कुओं को गहरा कराने के लिए अनुदान दिया जाए ताकि उनको संबल मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कम वर्षा की खेती हो, एंसी कोई खेती का हमारे उधर प्रावधान रखा जाए और ऐसे बीज वहां उपलब्ध कराए जाएं ताकि कम पानी में वहां खेती हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बनास के किनारे हमारे किसानों के खेत हैं और बनास सूख गई है। पूर्व में बनास के ऊपर वागेरी का नाका बना दिया

(श्री बंशीलाल खटीक)

गया था, हमारे रेलमगरा क्षेत्र के सभी किसान आज उस नाके के बन जाने से परेशान हैं। माननीय मंत्री महोदय उस बनास नदी पर सरफेस बेरियर बना दें तो मैं समझता हूं कि हमारे किसानों के प्रति एक अच्छी शुरूआत होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं पशुपालन पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब दो मिनट दूंगी। दो मिनट में बात कहें।

श्री बंशीलाल खटीक : दो मिनट में ही। मैं आपके आदेशों की अक्षरशः पालना करूंगा।

पशुपालन में गौमाता के लिए हमारी सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं उनका मैं बहुत-बहुत सम्मान करता हूं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की तरफ से गौमाता को अच्छा दर्जा दिया जाए, उसके लिए कोई अच्छा कानून बनाया जाए। जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर इस गौमाता को ऐसा संरक्षण दिया जाए कि भविष्य में....

श्री अध्यक्ष : यह माता आपके घर में है क्या ?

श्री बंशीलाल खटीक : 5-6 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 गायों को पाल रहा हूं। जब मैं सरपंच था तो 200 गायें मैंने पाली हैं। मैंने ट्रकों से पकड़ीं तो मैंने दो महीने सरपंची नहीं की, गौशाला चलायी। गौमाता के प्रति ठेठ से मेरा कर्तव्य है। गौमाता के ऊपर मैंने कोई एहसान नहीं किया, गौमाता के प्रति मेरा कर्तव्य है।

श्री हेमाराम चौधरी : अब कितनी पाल रहे हो ? अब तो ज्यादा पालनी चाहिए।

श्री बंशीलाल खटीक : लाओ ना, मैं पालने के लिए तैयार हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर से ले जाओ। जो नाकारा हैं वो तो आप ले जाओगे।

श्री बंशीलाल खटीक : मना नहीं करूंगा, लाकर दो, पालूंगा।

श्री मदन दिलावर : ये सपूत हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी : कोई तो सपूत होगा ही।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गौमाता के प्रति कितने सजग हो, मैं जानता हूं। पूर्व की सरकार में गौ रक्षा एक्ट में ऐसा फेरबदल किया गया कि जो गौ हत्यारें हैं वे उनको ले जा सकें। इसलिए खुला कर दिया आपने। इससे आपकी गौमाता के प्रति भावना दिख रही है। माननीय शेरे राजस्थान भैरोंसिंहजी शेखावत ने गौ रक्षा एक्ट बनाया था, उस गौ रक्षा एक्ट में एक अच्छा प्रावधान रखा था। पर आप लोगों ने उसमें एक रास्ता निकाल दिया और रास्ता इसलिए निकाला कि वह कसाइयों को ले जाने में, वध करने में सहायक हो सके। इसलिए आप क्या बात करते हैं इस सदन में ?

श्री अध्यक्ष : यहां कितने गौ हत्यारे बैठे हैं, यह तो बताओ। कितने गौ हत्यारे बैठे हैं यहां ?

श्री बंशीलाल खटीक : मैं गौ हत्यारे तो नहीं कह सकता, मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि सदन में जो भी बात कहनी चाहिए प्रमाण सहित कहनी चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप कोई जवाब नहीं दे सकते हमारे बंशीलाल जी का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे आप। आप कनक्लूड करें।

श्री बंशीलाल खटीक : हां, कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों और सब सेंटरों की कमी है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता

(श्री बंशीलाल खटीक)

हूं कि मेरे राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में जहां भी आवश्यकता है, मैं रिपोर्ट दे दूंगा, सूची दे दूंगा, आप वहां पशु चिकित्सालय खोलें, सब सेंटर खोलें।

एक अन्तिम बात और कहना चाहूंगा। गौशालाओं को जितना बढ़ावा दे सकें उतना बढ़ावा दें। गौमाता को राज्य का सबसे बड़ा संरक्षण वाला पशु घोषित किया जाए। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे नहीं टोका और आपके आदेशों की मैंने पालना की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम्, जय हिन्द।

: ध्य_ा : जो माननीय सदस्य नहीं बोल सके हैं मैं उनसे क्षमा चाहती हूं, आज वे अपने बोलने के लोभ का संवरण कर लें तो उचित रहे.।। माननीय मंत्रीजी।

कुबेर _न : मैं आपसे निवेदन कर दूं, नन्दलालजी पूनिया सुबह से बैठे हैं, उनका नाम भी दिया हुआ है, बोलते भी कम हैं, दो मिनट में अपनी बात कह देंगे। सुबह से बैठे हैं, दो मिनट से ज्यादा वैसे ही नहीं बोलते हैं।

: ध्यक्षा : सुभा . शर्मा भी बैठे हैं, और लोग भी बैठे हैं।

कुबेर _न : इन माननीय सदस्य को तो मौका दें।

: ध्य_ा : आखिर आप क्या चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आता।

नन्द_ल पूनि_ : सिर्फ एक मुद्दे पर।

: ध्य_ा : एक मिनट में कोई बात कह सकता है क्या, मुझे आ.ा बताएं ?

नन्द_ल पूनि_ : सिर्फ एक मुद्दा। (व्यवधान)

: ध्य_ा : अब आप तो विराजो।

नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37 और 39 पर चर्चा हो रही है उसमें मैं सम्मिलित होते हुए

(श्री नन्दलाल पूनिया)

ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता दी हैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नई बात बता दो आप।

श्री नन्दलाल पूनिया : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि किसान क्रेडिट कार्ड है यह बहुत बढ़िया स्कीम भैरोंसिंहजी ने दी है, लोगों को खुशहाल कर दिया। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो यह स्कीम बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका उपयोग काश्तकारों में उलटा हो रहा है। देखा जाए तो छोटे-बड़े दुकानदार भी इसका उपयोग करते हैं। वे साख सीमा बैंक से निर्धारित करवाते हैं और बिल्टी छोड़कर, बेचकर वापस उसमें पैसा जमा कर देते हैं। जितने दिन पैसा उपयोग में लेते हैं उतने दिन का ब्याज लगता है। लेकिन मैंने खुद देखा है कि हमारे क्षेत्र में इससे काश्तकारों का शोषण हो रहा है। वे अनपढ़ हैं, सारा सोचते नहीं। वे क्या करते हैं, अपनी जमीन रख दी और वो सारा का सारा पैसा वापस निकाल लेते हैं और वापस निकालकर दूसरे कामों में उसका उपयोग कर लेते हैं। अंट-शंट कामों में, ब्याह-शादी में ज्यादा खर्च करके, कोई दारू पीकर उस पैसे का दुरुपयोग कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि कोई न कोई सरकार आएगी, इस पैसे को माफ कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जमीन मोरगेज रखी है, उनकी जमीन बंधक है, उस जमीन पर पैसा दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि जो काश्तकार पैसा नहीं जमा कराएगा उस काश्तकार की जमीन कुर्क होगी। वो स्थिति आने वाली है। मैं कई बैंकों में गया हूं, लोगों से पूछताछ की है, कई काश्तकारों ने पैसा वापस जमा नहीं कराया है, यह स्थिति है। मैं इस स्कीम का घोर विरोध करते हुए और बाकी जो सभी लोगों ने बातें कहीं हैं उनका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : उनका अनुमोदन करता हूं, ठीक है। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज सदन में मांग संख्या-37 एवं मांग संख्या-39 कृषि एवं पशुपालन पर चर्चा हुई, सार्थक चर्चा में माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य एवं रचनात्मक सुझाव दिये हैं। वास्तव में उनके सुझावों को देखने से, चर्चा के दौरान उनके द्वारा उठाये गये सारे विषयों को देखने से ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण सदन एक ही बात से चिंतित है कि किसानों को उनके हितों का लाभ किस प्रकार से मिलना चाहिए। खास तौर से कृषि एवं कृषक के बारे में चिंता जाहिर की है। सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मेरी ओर से माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके द्वारा जितने भी विषय, जितने भी बिन्दु उठाये गये हैं, राजस्थान की सरकार उनके गुणावगुण पर विचार करेगी और जो भी विधि सम्मत किसानों के हित में होंगे, निश्चित रूप से उनके लिए सारगर्भित निर्णय लिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां किसानों की चर्चा हुई, मैं भी एक किसान परिवार का व्यक्ति हूं। किसान क्या है, खेती क्या है, गांव क्या है, यह सब मैंने भी देखा है, मैंने महसूस किया है। इसलिए जितने भी माननीय सदस्यों ने मुझे सुझाव इस सदन के माध्यम से दिये हैं, मैंने मेरे अंत:पटल पर अंकित कर लिये हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि समुचित कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में लगभग 342 लाख हैक्टेयर भूमि है जिसका 60 प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है। लेकिन राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वि मताएं हैं-कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं। अनेक प्रकार की ऐसी विषमताएं हैं जहां किसानों को समुचित रूप से न तो सिंचाई के लिए पानी मिल पाता है, न कृषि के लिए जमीन मिल पाती है। अनावृष्टि, अकाल और असमान वर्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी हमारे राजस्थान ने, हमारे किसानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी उपलब्धि की है कि पूरे भारत देश में हम यह कह सकते हैं कि बहुत-सी जिंसें ऐसी हैं अभी जिनमें हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय

(श्री प्रभुलाल सैनी)

स्थान रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि धनिये की सर्वाधिक फसल राजस्थान में होती है, देश के उत्पादन का लगभग 76 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है।

श्री अध्यक्ष : धनिया 76 प्रतिशत ?

श्री प्रभुलाल सैनी : हां, 76 प्रतिशत। दूसरा, उत्पादन में दूसरा स्थान रखने वाला 74.14 प्रतिशत जीरा है जो भी राजस्थान में उत्पादित होता है। हमारी तीसरी मुख्य फसल बाजरा है, देश के उत्पादन का 45.51 प्रतिशत राजस्थान में होता है। सरसों एवं तारामीरा 37.86 प्रतिशत का उत्पादन होता है। ये जिंसें राजस्थान की हैं जो देश में अपना प्रथम स्थान रखती हैं। द्वितीय स्थान पर जौ, तिल और लहसुन और तृतीय स्थान पर चना, मक्का, सोयाबीन और अरंडी-ये फसलें हमारे राजस्थान का नाम गौरवान्वित कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जैसी सदन में चर्चा हुई, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा किसान भाइयों की तरफ से, सदन की तरफ से और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से कि उन्होंने किसानों के हितों का इतना बड़ा बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया है। वास्तव में वह धन्यवाद की पात्र हैं। मैं बजट के आंकड़ों पर चर्चा इसलिए भी नहीं करना चाहूंगा कि सारे माननीय सदस्य विद्वान हैं और सबने दिन भर से चर्चा की है। लेकिन मैं संक्षेप में इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि बजट के प्रावधानों की आयोजना मंद में काफी वृद्धि की गई है। वर्ष 2004-05 में कृषि में 1508.50 लाख का प्रावधान था उसको बढ़ाकर 8812.13 लाख का किया है। यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग छह गुना वृद्धि की गई है। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्यान विभाग में 179.90 लाख था उसको बढ़ाकर 2005-06 में 460 लाख किया गया है। यह भी लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग में बजट तीन गुना किया गया है। पहले 7.8 लाख था उसको बढ़ाकर 20.03 किया गया है। इसलिए, माननीय

(श्री प्रभुलाल सैनी)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से, सब की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट सत्र में चार बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए घोषणा की थी कि हम राजस्थान को और बढ़ावा देने के लिए इन चार आदर्शतम बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। उसमें नम्बर एक था कृषि आय में वृद्धि करना, नम्बर दो-जल जैसे दुर्लभ संसाधन का अधिक कुशल उपयोग, तीसरा-पर्याप्त विपणन श्रृंखलाओं को सृजित करना और चौथा-ऐसी कृषि पद्धतियों को पुनरावृत करना जिनसे हम सतत् कृषि व्यवस्थाओं की ओर बढ़ सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए पिछले वर्ष सारे विषयों पर गम्भीर चिंतन करने के बाद राजस्थान सरकार ने कृ. एवं पशुपालन क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए चार क्रांतियों को मजबूती प्रदान करने के लिए नई दिशा उठाई, बीड़ा उठाया। ये चार क्रांति हैं-नम्बर एक हरित क्रांति, नम्बर दो पीत क्रांति, नम्बर तीन विपणन क्रांति और नम्बर चार सफेद क्रांति। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हरित क्रांति के बारे में....

श्री अध्यक्ष : सफेद क्रांति तो आएगी पशुपालन में।

श्री प्रभुलाल सैनी : हरित क्रांति के बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : पीत क्रांति एग्रीकल्चर में आएगी।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह संयुक्त रूप से चल रहा था। तो अभी जहां चारों क्रांतियों का विषय है....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए।

श्री प्रभुलाल सैनी : हरित क्रांति से तात्पर्य यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जब तक राजस्थान में हरियाली नहीं होगी, यहां पर वर्षा भी कम होती है....

श्री अध्यक्ष : हरित क्रांति मींस अन्न उत्पादन।

श्री प्रभुलाल सैनी : आगे आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इसको क्लीयर कर रहा हूं।

हरित क्रांति वैसे तो कोई नया विषय नहीं, 1966 और 1967 से हरित क्रांति अपने देश में चालू हुई और उसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं से उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। हमारे देश में अन्न का उत्पादन कम होता था, हमें आयात करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति होने के बाद आज राजस्थान और पूरा देश इस स्थिति में खड़ा है कि अपन अन्न का विदेशों में निर्यात करने की स्थिति में हो गये। इसका मुख्य कारण यह रहा कि 1952 और 53 में जहां खाद्यान्न का उत्पादन था 37.86 लाख मीट्रिक टन, वह बढ़कर 2004-05 में 101.70 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन अन्न के क्षेत्र में हुआ। यही तिलहन के बारे में मैं, अध्यक्ष महोदय, जानकारी देना चाहूंगा जो 1.34 से बढ़कर 48.95 लाख मीट्रिक टन हो गया। 2004-05 में 184.64 लाख हैक्टेयर में रबी और खरीफ की फसलों की बुवाई की गई। लेकिन अब हरित क्रांति की दिशा में नये कदम उठाने की आवश्यकता है, अब कृ‍ि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना, उत्पादन में वृद्धि करना जरूरी हो गया है। राज्य सरकार नवीन तकनीक, उन्नत कृषि आदान, जल के बेहतर उपयोग, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा और जैविक उत्पादकों को पुरस्कृत कर हरित क्रांति को नई दिशा देकर कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट में घोषणा की है और अमूल्य नीर योजना लागू की गई है। अमूल्य नीर योजना, मैं आपसे संक्षेप में बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसमें सिंचाई पद्धतियों को सम्मिलित किया गया है-फव्वारा सिंचाई योजना, बूंद-बूंद सिंचाई योजना, सिंचाई पाइप लाइन योजना, डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना, पानी हौद योजना, तेल तलाई

(श्री प्रभुलाल सैनी)

फार्म योजना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि फव्वारा सिंचाई योजना में विगत 5 वर्ष में 12076 के मुकाबले अब की बार 20 हजार फव्वारा संयंत्र राजस्थान में किसानों के लगाये जाएंगे बूंद-बूंद सिंचाई क्षेत्र में 719 हैक्टेयर को बढ़ाकर 1600 हैक्टेयर किया गया है अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि ये पद्धतियां इसलिए आवश्यक हो गई हैं कि फव्वारा सिंचाई चालू करने से लगभग 25 से 40 प्रतिशत पानी की बचत होगी और बूंद-बूंद सिंचाई योजना से 50 से 70 प्रतिशत पानी की बचत हो पाएगी

सब्सिडी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा. इन योजनाओं में लघु कृषक, सीमान्त कृषक, एस.सी., एस.टी. और महिला, इनको 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का इसमें प्रावधान है.

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे बीच में डिस्टर्ब न करें। व्यवधान नहीं डालें जवाब देने दीजिए उनको।

श्री कैलाश त्रिवेदी : काश्तकार सामान खरीद ले, उसका भी बताओ

श्री प्रभुलाल सैनी : इसका जवाब भी मैं आपको अभी दे रहा हूं इसके अलावा अन्य किसानों को इकाई लागत का 33 प्रतिशत अनुदान इन सारी योजनाओं में दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि नकली खाद आता है, किसानों को समय पर उनका बीज नहीं मिलता। सही सर्टिफाइड सीड उनको मिले, इसकी चिंता सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने उठाई यह बिलकुल वास्तविक है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि यदि किसान को प्रमाणित बीज नहीं मिलेगा, असली बीज नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से एक साल के लिए उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा। प्रमाणित बीज की प्रक्रिया में एक बीज को तैयार करने में लगभग 3 से 4 साल लगते

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हैं। सबसे पहले ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज उसे कहते हैं, वह कृषि अनुसंधान केन्द्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रों पर तैयार किया जाता है। एक साल की अवधि उसमें लगती है। दूसरे साल वह फाउंडेशन सीड बन जाता है। फाउंडेशन सीड के बाद तीसरे साल में सर्टिफाइड सीड बनकर वो किसानों के पास खेत में बोने के लिए आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बीज निगम द्वारा वर्तमान में 30 प्रतिशत ही बीज का उत्पादन और बीज का वितरण राजस्थान में किया जा रहा है, सरकार ने, कृषि विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब की बार 50 प्रतिशत बीज का उत्पादन हमारे बीज निगम के माध्यम से किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004-05 में 5,75,463 क्विंटल बीज की कुल मात्रा किसानों के लिए थी, उसमें से बीज निगम का हिस्सा 2,27,540 था। अब उस पांच लाख के मुकाबले 2005-06 में 6 लाख 6 हजार करने का प्रावधान किया गया है जिसमें से 3,33,000 क्विंटल बीज निगम के माध्यम से तैयार किया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि झालावाड़ में नये बीज विधायन केन्द्र की स्थापना की जाएगी और 2005 में दो नये बीज विधायन संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य भी अलग से रखा गया है। बीज निगम के वर्तमान 16 विधायन संयंत्रों की विधायन क्षमता को 3.91 लाख से बढ़ाकर 5.91 लाख किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान में निगम के माध्यम से राजस्थान में 6035 ऐसी संस्थाएं हैं जो बीच का उत्पादन कर रही हैं। उनके पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित मापदण्ड के आधार पर, भारत सरकार के जो बीज उत्पादन के नियम हैं उनके मुताबिक क्या वास्तव में बीज का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी सारे राजस्थान में कमेटियां बनाकर उन्हें निर्देश दिये गये हैं कि वे उस पर निगरानी रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि बीज चाहे जहां तैयार करके उसको

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सर्टिफाइड सीड के नाम से किसानों तक पहुंचाने से इसका खामियाजा आम किसान को भुगतना पड़े। यह भी एक व्यवस्था की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने खाद के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। (व्यवधान) मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, नकली खाद भी आ रहा है, यूरिया खरीफ में 3.1 लाख मैट्रिक टन और रबी में 7.1 लाख मैट्रिक टन यानि कुल 10 लाख मैट्रिक टन यूरिया पूरे राजस्थान के किसानों को उपलब्ध कराया गया है। डी.ए.पी. 3.45 लाख मैट्रिक टन आवश्यकता के मुताबिक उपलब्ध कराया गया। जबकि पिछले वर्ष यूरिया की मांग 10 लाख थी और डी.ए.पी. की 3.6 थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि यूरिया अब की बार कहीं भी कम नहीं रहा है और जहां किसानों की डिमाण्ड थी वहां उपलब्ध कराया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि खाद का काफी ब्लैक हुआ, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ एक महीने के लिए इसको, वैसे डीएपी कंट्रोल आइटम नहीं है, यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट से अलग कम्पनी से आता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था करके मांग के आधार पर पूरा उपलब्ध कराया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को क्षेत्र विशेष में जलवायु, मिट्टी और उन्नत तकनीकी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जलवायु खण्डवार पुनर्गठन किया है। क्षेत्रों में दो नयी बीज विधायन प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। एक उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला खोली जाएगी। एक पेस्टिसाइड गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला और 12 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी जिससे कि पूरे प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से मिट्टी, पानी का टैस्ट किया जा सके और जिस प्रकार की मिट्टी, जिस प्रकार की जलवायु है उसी प्रकार की फसलें उगाने की सलाह किसानों को दी जा सके।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्षारीय भूमि का सवाल है, जहां ऊसर वगैरह ज्यादा होता है उसके लिए जिप्सम की आपूर्ति की गई है। दलहन और तिलहन की फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष 93 हजार मैट्रिक टन जिप्सम का वितरण किया गया था जिसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी थी, इसको बढ़ाकर इस साल डेढ़ लाख मैट्रिक टन किया गया है।

श्री जुबेर खान : इसकी आवश्यकता कितनी है ? यह तो आपने सप्लाई की है, आवश्यकता कितनी है ?

श्री प्रभुलाल सैनी : जितनी जिला स्तर पर मांग आई है उतनी वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियम में ये भी नहीं हैं, वो भी नहीं हैं, दोनों नहीं हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर वितरण करने की जो योजना थी, वह भारत सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत 35 हार्सपावर के जो ट्रैक्टर थे इनमें 30 हजार रुपये का अनुदान देय था। अब इस योजना को इस प्रकार से लागू किया जाएगा- पहले आओ पहले पाओ। जो किसान सबसे पहले आएगा, जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, सबसे पहले उसको दिया जाएगा। गत वर्ष 303 ट्रैक्टर पर 90.90 लाख का अनुदान वितरण किया गया था और 2005-06 में 317 ट्रैक्टर किसानों को अनुदान पर दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जैविक खेती का जहां तक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। आजकल कीटनाशकों के प्रयोग से, रासायनिक खाद से हमारी जमीन का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है और जितनी भी हमारी फसलें, जितने भी हमारे जिंस, अन्न का उत्पादन होता है, उनका टेस्ट भी खराब हो गया है। इस बात के लिए सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैविक खेती के

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्रोत्साहन देने का काम हाथ में लिया है। जैविक खेती के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने की होड़ में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के दुष्परिणामों ने खेती के लिए जमीन, उपज, उत्पादकता और पर्यावरण, सभी को चपेट में ले लिया है। इसको बचाने के लिए अब आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से जैव सम्पदा को समर्थन और संरक्षण एवं स्थानीय तकनीकी ज्ञान आधारित संतुलित खेती प्रणाली से जैविक खेती को अपनाकर पुनः मिट्टी में जान फूंकी जाएगी। यह कार्य हाथ में लिया गया है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जिस विषय पर गम्भीरता से चिंता व्यक्त की है वह है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में। सबके मन में एक ही भाव था कि किसानों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे माननीय हेमारामजी, गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य सहित अन्य माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। इसमें मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह योजना खरीफ 2004 में तत्कालीन सरकार के समय में घोषित की गई थी और उस योजना के तहत....

श्री अध्यक्ष : 2004 में तो यही सरकार थी, यही सरकार थी. (व्यवधान) 2004 में तो यही सरकार थी।

श्री प्रभुलाल सैनी : यह सितम्बर, 2003 की बात मैं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 2003 में लागू हुई, और इस योजना में जैसे कि माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष : आप विभाग के हैड हो, हैड आफ डिपार्टमेंट आप जो बता रहे हो अभी.

श्री प्रभुलाल सैनी : ....यह चाह रहे थे फसल बीमा योजना का मूल स्वरूप, जिसमें यह राज्य सरकार पर निर्भर था कि राज्य सरकार चाहे तो इसको पंचायत स्तर पर लागू करें, वह चाहे तो इसको तहसील स्तर पर लागू

करे. लेकिन इसमें एक शर्त थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह योजन ... होने के ... द तीन व... तक यानी 2006 तक लगातार वही नियम और वही शर्तें ... रहें..., जो उस समय थीं जिस समय इस योजना को लागू किर ... । इसलिए पंचायत स्तर पर इसको करने का या तहसील ... हटाकर इसको यहां तक करने का जहा तक प्रश्न है, इसके लिए यहां की एक स्टेट लेवल की एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है प्रमुख शासन सचिव की ... में, उस समिति के द्वारा भी रिकमण्डेशन यहीं के लिए की गयी है। उस... दौरान ... तें मुख्य मंत्रीजी के द्वारा भी भारत सरकार के कृ... विभाग को लि... हैं ... र उसमें कहा गया है कि किसानों को ... भ दिलाने के लिए इसको तह... ल इकाई की बजाय पंचायत इकाई किया जाए।

दूसरा, यह भी कहा गया है इसमें जो आवश्यक है, कि इसको स्वैच्छिक किर ... ए। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2006 तक मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 2006 के बाद में राज्य सरकार इस पर पुनर्वि... र करे... कि इसको पंचायत लेवल पर रखा जाए... या इसमें अन्य कोई संशोधन किये जाएं...।

... महोदय, दूसरी जानकारी में यह भी आपको देना चाहूंगा... (व्यवधान) ... महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब यह ... लागू हुई तब छह फसलें थीं खरीफ 2003 में, उसको बढ़ाकर 14 फसलें ... रीफ 2004 में कर दीं। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जिस तह... ल में 20,000 हैक्टेयर भूमि सरसों की फसल ... थी, उ... को कृ... जिंस में सम्मिलित किये जा... का प्रावधान ... उसमें संशोधन करके 500 हैक्टेयर तक जो भी जिंस जिस तहसील में बोई जाएगी, उसको सम्मिलित करने का नि...य भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के लेवल पर यहां पर हम ... ने लिए है।

... सरा महत्व... र्ण संशोधन इसमें यह हुआ कि पहले 16 क्राप कटिंग

(श्री प्रभुलाल सैनी)

करते थे, उसको बढ़ाकर अब 20 क्राप कटिंग करने का प्रावधान भी किया गया है। मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस वर्ष खरीफ 2004 में 14 फसलें सम्मिलित की गई। उनमें से अरंडी, अरहर और धान, इन तीन फसलों को छोड़कर 111,62,37,408.11 रुपये का मुआवजा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के द्वारा स्वीकृत किया गया है जो दो-तीन दिन में देने की सूचना है। यहां आ गया है, शीघ्र ही किसानों को इसका वितरण करवाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। सोयाबीन की जो हमारी जिंस थी, उसका भुगतान तो किया भी जा चुका है, इनका अब कर दिया जाएगा।

चौथा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य कैसे मिले, इसके लिए भी दृढ़ संकल्पित है। ऐसी जिंसे हैं जो किसी बीमा कम्पनी में भी, इंश्योरेंस कम्पनी में भी कवर नहीं होती हैं, उनके लिए मौसम बीमा योजना राजस्थान में लागू की गई है। पायलट आधार पर 2004-2005 में संतरा और रबी 2004 2005 में धनिया की फसल मौसम बीमा योजना के अन्तर्गत चयन की गई है। इसमें झालावाड़, कोटा, बारां को संतरे में और धनिया में झालावाड़, कोटा, बारां और बूंदी को सम्मिलित किया गया है। इसमें संतरे में कुल 782 लोगों का बीमा कराया गया है और धनिया के लिए 1036 लोगों का बीमा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब जो मुआवजा राशि दी जा रही है, वह 19.25 लाख संतरे की फसल के लिए और 6.89 लाख धनिया की फसल के लिए किसानों को मुआवज़ा दिया जा रहा है। अब, अध्यक्ष महोदय, 2005-2006 में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि सौंफ, जीरा, किन्नू और मेथी, इन फसलों को भी मौसम बीमा योजना में लिया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा, संतरा मौसम बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम का 50 प्रतिशत एवं धनिये में 33 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कब करा दिया मुहैया आपने ? कब करवाया है ? (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं उतना ही बोलूंगा, जितना आवश्यक है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी मुश्किल से बोलता हूं, आज तो बोलने दो। आज तो जितना है बोलने दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बायो डीजल को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में रतनजोत की फसल को किसानों के माध्यम से उगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। भाई मीणाजी, प्लीज।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, आप बोलिये, बोलिये। आप बोलिये, बोलिये। आप तो कंटीन्यू रखिये।

श्री प्रभुलाल सैनी : मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। रतनजोत राजस्थान में 1000 हैक्टेयर में बोये जाने का प्रावधान किया गया है, मैं इसके बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : कौन से इलाके में ? यह तो बताओ, यह रतनजोत कौन से इलाके में बोएंगे ?

श्री अमराराम (धोद) : यह भी झालावाड़ में बुवा दो, बढ़िया रहेगा।

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं, नहीं, झालावाड़ नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक रूप से राज्य में उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में अक्सर यह पैदा होता है। रतनजोत के बारे में यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसको जानवर भी ज्यादा नहीं खाते हैं और इसके अनेक गुण भी हैं। अखाद्य तेल का एक स्रोत भी इससे मिलता है, साबुन, मोमबत्ती और मशीनों की आयलिंग करने का तेल भी इससे बनता है। डीजल के विकल्प के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है और अपने खेत के बाड़ लगाने के भी काम आता है। जैविक बाड़ के रूप में भी यह काम आएगा और भूमि कटाव को रोकने में भी यह सहायक है। औषधियों में

(श्री प्रभुलाल सैनी)

उपयोग-इसमें जैट्रोपिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर प्रतिरोधी है इसलिए राजस्थान में एक औषधीय पौधे के रूप में भी विकसित करके एक बार एक हजार हैक्टेयर में प्रदर्शन के रूप में इसको उगाया जा रहा है। इसका प्रयोग सार्थक होने पर इसको धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : यही तो मैंने पूछा था, कौन से इलाके में उगाएंगे ?

श्री प्रभुलाल सैनी : यह बताया न, उदयपुर वगैरह में

श्री खुशवीर सिंह : मंत्री महोदय, वहां तो यूं ही उग रहा है जंगलों, किस स्थान पर आप एक हजार हैक्टेयर में कर रहे हैं, वह कृपा करके बताएं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह धोद से आने वाले माननीय सदस्य की राय पर किया जाएगा।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जहां इस फसल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनमें प्रमुखतः श्रीगंगानगर, कांकरोली, उदयपुर, नागौर, जैसलमेर, अजमेर, सिरोही एवं कोटा जिलों में लगाने हेतु राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की कि खाद-बीज और कीटनाशकों में नकली चीजें ज्यादा आ रही हैं, उसके लिए... (व्यवधान) नहीं, मैं वह आंकड़े बता रहा हूं, आंकड़े पहले नहीं आये थे, आंकड़ों का जाल नहीं बता रहा हूं मैं, मैं यह बता रहा हूं जो निर्णय सरकार ने लिये हैं। इस वर्ष बीज के 3616 नमूने लिए गये हैं जिनमें से 27 नमूने अमानक पाये गये हैं और न्यायालय में 12 व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। 27 में से 12 । उर्वरक 4026, अमानक 185, 46 का इस्तगासा पेश करने के आदेश दे दिये हैं और 27 का चालान पेश किया जा चुका है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

कीटनाशकों का 1284, अमानक 119, 14 के आदेश चालान के और 9 का चालान पेश किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : बस ?

श्री हेमाराम चौधरी : चालान बाकी के क्यों नहीं हुए ?

श्री प्रभुलाल सैनी : अब दूसरे में आएगा।

श्री अध्यक्ष : चालान में भी बहुत कम है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रोसेस में है। पूर्व मंत्रीजी, आपको पता है, प्रोसेस में टाइम लगता है।

श्री जुबेर खान : वह अगले कागज से बताएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पहली बार कार्यवाही की गई है।

श्री हेमाराम चौधरी : जैसे पहले होती ही नहीं थी, सब कुछ पहली बार ही हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके पाप धो रहे हैं, क्या करें ?

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपणन क्रांति के बारे में मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब तक विपणन तंत्र मजबूत नहीं होगा, सुनियोजित और सुनियंत्रित मण्डियां जब तक नहीं चलेंगी, तब तक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इस बात को सरकार ने प्राथमिकता से लेते हुए 2004-05 में नवीन मण्डी दो, नवीन सब यार्ड 5, कृषि उपज मण्डी बिजौलिया-भीलवाड़ा, कृषि उपज मण्डी फल सब्जी, उदयपुर, गौण मण्डी-लुणावा, सुमेरपुर, पिड़ावा, भवानीमण्डी, लहसुन एवं फल सब्जी-छीपा बड़ौद, सांगोद, कोटा और बबरावला कलां, कोटा, इनमें सब यार्ड, गौण मण्डी और नई मण्डियां खोली गई हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : गौण मण्डियों का पैसा गौण मण्डियों में खर्च करने की व्यवस्था भी करो।

श्री अध्यक्ष : कितने पृष्ठ और बाकी रह गये अब ?

श्री प्रभुलाल सैनी : बस, थोड़ा-सा और रह गया

श्री अध्यक्ष : अच्छा, कोई बात नहीं।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फसलें बीमा योजना में फसल कवर नहीं होतीं, उन फसलों का किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना राजस्थान में पहली बार लागू की गई। प्याज, धनिया, जीरा और संतरा, इन चार फसलों पर बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गई। राजफैड के माध्यम से 653.41 मैट्रिक टन प्याज और 5920 मैट्रिक टन धनिया क्रय किया गया। जहां तक...

श्री अमराराम (धोद) : इस साल खरीद लिया ?

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं, गत साल। इस साल तो अब आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : गत साल, गत साल।

श्री अमराराम (धोद) : अब कब शुरू करोगे ? प्याज तो बिक रहा है। बेचा जा रहा है, कब करोगे, यह भी बता दो ?

श्री अध्यक्ष : प्याज अभी कहां आया ? प्याज तो आएगा, अभी कहां आया है प्याज ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : तैयारी है सारी।

श्री प्रभुलाल सैनी : अभी जहां तक खरीदने का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी क्विंटल रेट पर 1450 थी, वह अभी बाजार में इतनी रेट है, अतः इंटरबीन करने की अभी आवश्यकता नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : प्याज की ?

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं, प्याज की नहीं, मैं धनिया की बात कर रहा हूं। यदि इससे नीचे भाव गिरेगा तो निश्चित रूप से...

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे बात नहीं करें, शांतिपूर्वक सुनें।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान जीवन कल्याण योजना की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में घोषणा की थी। किसानों खेतिहर मजदूरों की अपनी जिंस को मण्डी तक ले जाते वक्त या आते वक्त कोई दुर्घटना हो जाए या खेत में काम करते वक्त कहीं जहरीले कीट के कारण से या किसी अन्य बिजली का करंट आ जाने, बिजली गिर जाने से, सांप के खाने से, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उनको जो पैसे तीस हजार रुपये मरने पर दिये जाते थे, वह पचास हजार रुपये कर दिये गये हैं और इसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004-05 में 1837 ऐसे मृतक परिवारों के आश्रितों को चार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। 684 ऐसे व्यक्ति थे जिनके स्थाई रूप से अंग भंग हो गये थे, उनको 0.36 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक बात और स्पष्ट कर दें आप थोड़ा। खेजड़ी काटी जाती है, छांगी जाती है और उससे गिर जाते हैं, कई बार आदमी के या तो स्पाइनल कार्ड टूट जाती है तो वैसे ही जिंदगी भर के लिए खराब हो जाता है, कई बार मर भी जाता है, तो आपके इसमें उसका प्रोवीजन है क्या, यह बता दें ?

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेजड़ी पर काम करते हुए व्यक्ति यदि गिरकर, कृषि कार्य करते वक्त मृत्यु हो जाए तो इसमें वह कवर होता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। (व्यवधान) वह तो आ गई न बात, आप अब क्या पूछ रहे हैं ? कह दिया न कि वह कवर होता है, खतम हुई बात। कह रहे हैं कवर होता है, मर जाए तो। बस।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करा दें कि जो प्याज है, हमारे यहां सीकर में रोज के सौ ट्रक प्याज के आ रहे हैं, 285 रुपये समर्थन मूल्य पर क्विंटल है और मात्र 175 रुपये क्विंटल में बिक रहा है, तो कब इसको आप शुरू करोगे ? पूरा प्याज बिकने के बाद करेंगे समर्थन मूल्य की खरीद तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप कब करोगे, यह तारीख....

श्री अध्यक्ष : प्याज खुदा नहीं है अभी, आपके यहां का प्याज अभी खुदा नहीं है। अभी तो नासिक वाला आ रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : मेरे सीकर की मण्डी में रोज सौ ट्रक प्याज आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : अभी नासिक वाला आ रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : मैं सीकर की बात कर रहा हूं, कहां नासिक की बात कर रहे हैं, सौ ट्रक, आप दरियाफ्त कर लीजिये। सौ ट्रक के करीब सीकर की मण्डी में रोज प्याज के आज की तारीख में आ रहे हैं।

(21.00 बजे)

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि प्याज सरकार कब क्रय कर रही है, प्याज को समर्थन मूल्य पर क्रय करने का कोई नियम नहीं है। गत वर्ष भी जो क्रय किया गया था वो बाजार में हस्तक्षेप योजना लागू करके किया गया था इस बार भी यदि उसके भाव में गिरावट आएगी तो निश्चित रूप से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो दिल्ली में है, उसका पूरा एस्टीमेट बनाकर वहां भिजवाया जाएगा, वहां से स्वीकृति आने के तुरन्त बाद प्याज क्रय किया जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : पिछले साल के भाव से नीचे भाव आ रहा है। पिछले साल आपने हस्तक्षेप में जिस भाव से खरीदा है उससे नीचे बिक रहा है, तो फिर भी नहीं करोगे तो कब करोगे ?

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं वो परमीशन लेनी पड़ेगी वहां से।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, इस साल कम हो गयी है लागत। पिछले साल आपने जिस भाव पर खरीदा है प्याज उससे कम भाव पर बिक रहा है, तो हस्तक्षेप करने की फिर कहां जरूरत रह गयी ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षजी उधर जाती हैं उनको पता है अभी आया नहीं प्याज, आने दो फिर हस्तक्षेप होगा।

श्री अमराराम (धोद) : कहां नहीं आया ? टौंक में नहीं आया, सीकर में आ गया, नागौर में आ गया। कहां नहीं आया ? टौंक में नहीं आया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक में तो पहले आएगा। प्याज पहले टौंक में आएगा।

श्री अमराराम (धोद) : पिछले साल आपने जिस भाव में खरीदा है बाजार में हस्तक्षेप योजना के तहत, क्या उससे भी नीचे खरीदने की योजना है आपकी ?

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं, नहीं, नीचे नहीं, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सत्र के लिए कृषि मूल्य एवं लागत आयोग...

श्री अध्यक्ष : जयपुर के बाजारों में 10 रुपये किलो है।

श्री अमराराम (धोद) : आयोग से इस साल की कीमत बता दीजिये आप।

श्री प्रभुलाल सैनी : क्योंकि भाव प्रत्येक वर्ष अलग-अलग सीजन में अलग-अलग हुआ करते हैं इसलिए वहां प्रस्ताव भेजकर वहां से मंगाया जाएगा, वहां से आने के बाद यह कार्यवाही की जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : तो कब मंगाओगे, यह तो बता दो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब आपके आंसू आ जाएंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आंसू तो आपके आएंगे अगर इसी तरह नहीं खरीदा तो।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित में 'जहां उत्पादन वहां विपणन' करने का निर्णय लिया था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो जिंसें जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैदा होती हैं वहां पर विशेष मण्डियां स्थापित की जाएं, वहां पर उसको खरीदने की आपसी प्रतिस्पर्धा होगी उससे निश्चित रूप से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। तो अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोजत में मेहंदी और पुष्कर और अजमेर में फूलों की मण्डी बनाने की घो .णा की थी। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसमें मण्डियां ऐसी राजस्थान में विशिष्ट बनायीं जा रही हैं, धनिया की रामगंज मण्डी, जीरे की मेड़ता सिटी, प्याज की अलवर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो सही आप।

श्री प्रभुलाल सैनी : प्याज की अलवर, संतरा की भवानी मण्डी, किन्नू की श्रीगंगानगर, मिर्च की टौंक अमरूद की सवाईमाधोपुर, टमाटर की बस्सी और टिण्डा की शाहपुरा, जयपुर में इन 9 मण्डियों की स्थापना की जाएगी। (व्यवधान) लहसुन की तो पहले घोषित हो गयी।

श्री अध्यक्ष : मेड़ता-मेड़ता।

श्री हेमाराम चौधरी : ...(व्यवधान) अलग बात है और आप उससे अलग मण्डी बता रहे हैं जीरे की।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मण्डियों में विश . तौर से उनके अच्छे भाव मिलें....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : ....(व्यवधान) जोधपुर में जीरे की है कि नहीं ?

श्री प्रभुलाल सैनी : जोधपुर में जीरे की तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मिर्ची की मण्डी तो आपने बिलकुल गलत स्थापित की है, मिर्ची तो मथानिया की सबसे बढ़िया आती है।

श्री प्रभुलाल सैनी : जोधपुर डिवीजन में यह भीनमाल में इसलिए खोली गयी है कि वहां पर जो आवक है, पूरे एक साल में जो मण्डी में आता है वो सबसे ज्यादा 3180.20 मैट्रिक टन मेड़ता सिटी में और जोधपुर में 1258.50 मैट्रिक टन...

श्री अध्यक्ष : आप काहे को ला-ला कर दे रहे हो इनको ?

श्री हेमाराम चौधरी : मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर का कहा था और कृषि मंत्रीजी मेड़ता का कह रहे हैं। अब देखो मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर कहा, दो अलग-अलग बात हो गयीं। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : जोधपुर डिवीजन में मेड़तासिटी में।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, नहीं, जोधपुर डिवीजन का नहीं है। बजट में जोधपुर का कहा है, जोधपुर डिवीजन का नहीं कहा। डिवीजन का कहा तो फिर सबसे ज्यादा जीरा तो जालौर में होता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बाड़मेर में होता है सबसे ज्यादा जीरा।

श्री राकेश मेघवाल : मेड़ता में मीराबाईजी का चमत्कार हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी : सबसे ज्यादा जीरा जालौर में होता है.... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : यह मीराबाईजी का चमत्कार हो गया तो मेड़ता में ले आये।

श्री हेमाराम चौधरी : जालौर जिले का जीरा सारा....(व्यवधान) मण्डी में जाता है और...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : मीराबाईजी क चमत्कार, माननीय मुख्य मंत्रीजी का चमत्कार है कि मेड़ता में जीरा ज्यादा होत है और मेड़ता में आ गया।

श्री जोगाराम पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जीरा जोधपुर में होता है, जोधपुर में बजट में घोषणा हुई है, परिवर्तन कैसे हो गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : जोधपुर डिवीजन में खोलें तो फिर जालौर सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान है, जालौर।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) बाड़मेर में सबसे ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री हेमाराम चौधरी : मेड़ता में कौन जाएगा ? मेड़ता अकेले भले ही हो।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या हो जाता है गुढ़ामालानी से आने वाले सदस्य ? मंत्रीजी, यह बात तो सही है कि जालौर में होता है सबसे अधिक जीरा। यह बात तो बिलकुल सही है, जालौर में होता है सबसे ज्यादा।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े मण्डियों में जो सबसे ज्यादा आवक हुई है उसको आधार बनाया गया है। यदि फिर भी इस व से पिछले वर्षों में इस प्रकार की मण्डी में आवक ज्यादा हुई होगी तो उसका परीक्षण करवाया जाएगा और जो उचित होगा तो वहां भी बना दी जाएगी।

श्री जोगाराम पटेल : ....(व्यवधान) जीरा सबसे ज्यादा जोधपुर में है, जीरे की आवक सबसे ज्यादा जोधपुर में है।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जुबेर खान : वहां खोली जाए जहां तगारामजी कहें। मण्डी वहां खोली जाए जहां तगारामजी कहें।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल : बजट में घोषणा हुई थी जोधपुर में जीरा मण्डी।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। वो आज वैसे ही बहुत देर कर रहे हैं और अब आप और बीच-बीच में व्यवधान डाल कर और लम्बा करने के लिए कह रहे हो। माननीय मंत्रीजी, कृषि के बारे में तो आपने बहुत कुछ कह दिया है, अब एनीमल हस्बेंड्री पर आ जाएं।

श्री तगाराम चौधरी : जोधपुर में मण्डी होनी चाहिए जीरे की, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के हित की बात है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो मैटर सप्लाई हो रहा है लगातार।

श्री प्रभुलाल सैनी : नहीं, नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप एनीमल हस्बेंड्री पर आ जाएं।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एरिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी का टर्मिनल मार्केट 38 करोड़ रुपये की लागत का....

श्री अध्यक्ष : ये एग्रीकल्चर वाले तो आपको कागज पकड़ा रहे हैं, एनीमल हस्बेंड्री वाले पकड़ा नहीं रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : फल और सब्जी का सबसे बड़ा मार्केट मुहाना में बन रहा है, इसमें 560 दुकान-गोदाम आबंटित की जा चुकी हैं और अब तक 21....

एक माननीय सदस्य : कौन से जिले में है ?

श्री प्रभुलाल सैनी : यह जयपुर में है मुहाना, सांगानेर। 21.50 करोड़ रुपये का अब तक कार्य स्वीकृत हो चुका है। शीघ्र ही, इसके बन जाने के बाद में, फल और सब्जी की जो हमारे किसान भाइयों को सही रेट नहीं मिल पा रही थी, वो मिल पाएगी। इसका लाभ किसान भाइयों को सीधा मिलेगा। इसी प्रकार चांदपोल, इसमें मसाला, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग, ग्रेडिंग सारी व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित की गयी हैं। चांदपोल मण्डी के स्थानान्तरण का जो विषय था 1986 से विचाराधीन था, उसकी दुकान आवंटन की पूरी कार्यवाही कर दी गयी है। शीघ्र चांदपोल में जो यातायात की समस्या हो रही थी, उसको ठीक किया जा सकेगा। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कि राजस्थान से जयपुर आने वाले किसान हैं, किसी भी जगह उनकी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एक किसान भवन की स्वीकृति जारी की जाएगी। 405 लाख रुपये की एक परियोजना बनायी गयी है, इसमें जयपुर से आने वाले किसानों के आवास, प्रशिक्षण....

श्री अध्यक्ष : जयपुर से नहीं, अन्य जगह से आने वाले।

श्री प्रभुलाल सैनी : जयपुर आने वाले।

श्री अध्यक्ष : हां तो यों बोलो, जयपुर आने वाले।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि यहां आने वाले किसान के आवास की व्यवस्था तो होगी ही, उसके अलावा वहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होगी। वहां पर सूचना केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र और खाद-बीज वगैरह की सारी की सारी प्रथम तल पर जानकारी देने के लिए हमारे विभागीय अधिकारियों की व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : कब तक बना कर तैयार कर देंगे ?

श्री प्रभुलाल सैनी : इसका इसी साल में कर देंगे।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

अध्यक्ष महोदय, अब श्वेत क्रान्ति का मामला है। अध्यक्ष महोदय, श्वेत क्रान्ति से मेरा तात्पर्य यह है, हरित हो गई, पीत हो गई और विपणन हो गई, अब है श्वेत क्रान्ति।

श्री अध्यक्ष : हरित क्रान्ति खतम हो गई, श्वेत क्रान्ति पर आये हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2003 की पशु गणना के मुताबिक 491 करोड़ पशुधन था और यह सौभाग्य का विषय है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बिलकुल सही कह रहे हैं, 4 करोड़ से अधिक है। 400 करोड़ नहीं है 4 करोड़ समथिंग।

श्री प्रभुलाल सैनी : 491 लाख और अभी वर्तमान में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए, बोलिए। कृपया बीच में नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल : वह पशुपालन पर आ गये, यह कृषि से सम्बन्धित है। बजट भाषण में आया है जीरा मण्डी जोधपुर में, यह है इसमें।

श्री अध्यक्ष : 400 करोड़ पशु बताये हैं।

श्री सांवर लाल : आपकी जोधपुर तो रहेगी, उसके अलावा बताया है मंत्रीजी ने। यह जो एक मण्डी बताई है वह एडिशनल है।

श्री अमराराम (धोद) : यह जो मण्डी की घोषणा की है, वह बजट में जो घोषणा की है उसके अलावा है ?

श्री सांवरलाल : हां, उनके अलावा है।

श्री प्रभुलाल सैनी : यह बजट के बाहर की घोषणा है।

श्री अमराराम (धोद) : अलग बजट कहां से लाएंगे ? बजट के अलावा यह बजट ला सकते हैं क्या कहीं से ?

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, विशेष मण्डियों का जो निर्माण होगा वह हमारे कृषि विपणन के हैड से होगा, इसलिए इससे बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मुख्य मंत्रीजी ने कल ही मुझे निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री अमराराम (धोद) : वह बजट में ही समाहित है चाहे कृषि विपणन हो, पी.डब्ल्यू.डी. हो या डेयरी हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांतिपूर्वक सुनें।

श्री जुबेर खान : मंत्रीजी, व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में भी कुछ बताइए।

श्री प्रभुलाल सैनी : हां, उसी के बारे में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान पूरे देश में दूध के उत्पादन में नम्बर एक स्थान रखता है। 80 लाख मैट्रिक टन जो देश के उत्पादन का 9 प्रतिशत है, वह राजस्थान में पैदा होता है।

श्री जुबेर खान : लीटर में बताओ, लीटर में समझ में आए कि कितने लीटर होता है। यह मैट्रिक टन से कैसे पता चलेगा ? (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, 2 करोड़ लीटर प्रति दिन दूध की क्षमता राजस्थान में पैदा होने की है जो देश का 9 प्रतिशत हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि प्रति दिन प्रति जानवर जो दूध का औसत है उसमें गाय प्रदेश में 2.79 किलोग्राम दूध और देश का उत्पादन 1.92, भैंस 4.29 और देश का उत्पादन 4.24 किलोग्राम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपने शासन में आने के बाद दूध कितना बढ़ गया, यह बता दो आप।

श्री हेमाराम चौधरी : बकरी भी तो दूध देती है वह कितना देती है ? उसका औसत कितना है ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कागज उथल पुथल हो गये इसलिए पास करा दिया जाए।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय सदस्यों ने यह भी चिंता जाहिर की है कि राजस्थान के अनेक हिस्सों में पशु चिकित्सालय, पशु उप केन्द्र, वहां पर चिकित्सकों का, पशुधन सहायकों का अभाव है और इनके चलते वहां पर काफी दिक्कतें आ रही हैं। मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि विभाग में कुल सृजित पद 13140 हैं। कार्यरत कर्मियों की संख्या 9962 है, कुल रिक्त पद 2383 हैं। पदों को भरने की जहां तक बात है....

श्री अध्यक्ष : ये पद भरने का इरादा है क्या आपका ? ये पद कब तक भरेंगे ? खाली पदों को भरने का इरादा है क्या ?

श्री प्रभुलाल सैनी : मैं यही बोल रहा हूं। 2004-05 में 100 पशु चिकित्सकों एवं 500 पशुधन सहायकों को समेकित वेतन पर नियुक्ति दे दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति का जो बैकलाग था उसके लिये आर.पी.एस.सी. से सलैक्शन हो चुका है। शीघ्र ही 113 एस.टी., एस.सी. के पशु चिकित्सकों की नियुक्ति इसी माह में जारी कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में 5 प्रकार की संस्थाएं संचालित हैं-बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय 12, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय 175, पशु चिकित्सालय 1238, पशु औषधालय 285 और पशु चिकित्सा उप केन्द्र 1727, कुल 3437 हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो सब प्रगति प्रतिवेदन में है।

श्री प्रभुलाल सैनी : मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि 200 उप केन्द्र जिनके स्थानों का चयन किया जा रहा है, शीघ्र ही वहां पर खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : पशुओं का बीमा करवाने की बात को भी आप इसमें शामिल करें। किसी भी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं कही थी, अध्यक्ष महोदय ने मुझे इस बात के लिये मौका नहीं दिया।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने 6 दिसम्बर, 2004 को जालौर में भेड़ पालकों के लिये 3 योजनाओं की घोषणा की थी-अविका कवच इसमें प्रीमियम का जो अंशदान है वह 25 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा देय है 86978 का बीमा किया जा चुका है जिसमें 25.20 लाख रुपये का प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जा चुका है अविका पालक जीवन रक्षक इसमें 3.98 लाख प्रीमियम का अंशदान सरकार के द्वारा जमा करा दिया गया है अविका रक्षक में 33.30 प्रतिशत का जो प्रीमियम अंशदान है, 29446 बीमित किसानों का 2.48 लाख रुपये का प्रीमियम अंशदान जमा कर दिया गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। नवीन प्रस्ताव 2005-06 में नये जर्म प्लाज्म स्टेशन की स्थापना की जाएगी, इसमें दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार हेतु उच्च गुणवत्ता का जर्म प्लाज्मा उपलब्ध कराने हेतु जोधपुर में नया जर्म प्लाज्म केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है

कृषि गर्भाधान के लिए हिमकृत वीर्य को सुरक्षित रखने हेतु शीत संकलन एंड कोल्ड चेन बनाने हेतु संभागीय मुख्यालयों पर जर्म प्लाज्म बैंक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है

दूसरा, फ्रोजनिंग टेस्टिंग स्पर्म की स्थापना जयपुर में की जाएगी राज्य के उत्कृष्ट गौवंश नस्लों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु इसमें प्रमाणित नस्ल सुधार कार्यक्रम का उपयोग किया जाएगा

चल पशु इकाइयों का सृजन-दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु नौ नवीन जिला स्तरीय पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। भेड़वंश एवं भेड़पालकों की विभागीय बीमा योजना में एक लाख भेड़पालकों का बीमा करने का भी प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान डेयरी फैडरेशन और खास तौर से....(व्यवधान) श्वेत क्रान्ति का जो मुख्य सूत्रधार है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, गत वर्ष न लाख लीटर दूध की क्षमता थी उसको

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बढ़ाकर 27 फरवरी को 20.28 लाख किलोग्राम दूध का संकलन प्रति दिन करके 27 वर्षों का रिकार्ड डेयरी द्वारा तोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की थी कि विज्ञापन पर बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी चीज को आम जनता तक, आम नागरिक तक....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पहली बार 120 सीटें आई हैं, उसके लिए प्रचार पर खर्च कर रहे थे आप। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी : राजस्थान में डेयरी की इतनी ज्यादा लोकप्रियता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता बढ़ी है कि दिल्ली, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 70 हजार लीटर दूध प्रति दिन यहां से भिजवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या कहना है आपको, अब बोलिए आप ?

श्री प्रभुलाल सैनी : मैं आपको कहना चाहूंगा, 20 करोड़ रुपये की 1535 मैट्रिक टन की बिक्री करके, नई विपणन नीति थी, उसमें अब एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा 100 करोड़ की लागत की 11 लाख लीटर दूध प्रति दिन वाली बस्सी में मैट्रो डेयरी की स्थापना की जाएगी।

चार नये अवशीतन केन्द्र स्वीकृत किये जाएंगे जिसमें झालावाड़, चित्तौड़ में आई.डी.डी.पी. योजना के तहत प्रत्येक 3.5 करोड़ रुपये के और धौलपुर व टौंक में डी.पी.आई.पी. योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 1 करोड़ 88 लाख रुपये के चिलिंग प्लांट इसी वर्ष स्वीकृत किये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 23 हजार दुग्ध उत्पादकों का सामूहिक बीमा भी डेयरी के द्वारा करवाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री प्रभुलाल सैनी)

सामाजिक सरोकार में भी डेयरी पीछे नहीं रही। उसने सुनामी पीडितों के लिए 11 लाख रुपये मूल्य का 51 हजार टैट्रा पैक दूध भी अपने यहां से भिजवाया है। महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम पर महिला कार्यकर्ताओं को 58 सरस महिमा पुरस्कार 2.29 लाख रुपये के दिये गये। मैं इतना ही कहकर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। बात बीच में नहीं।

श्री प्रभुलाल सैनी : कृषि के प्रति, किसान के प्रति संवेदनशील है। आप लोगों की चर्चा से, आप लोगों के विचारों से मैं यह कह सकता हूं कि सर्दी में, गर्मी में, बारिश में धरती का सीना चीरकर जो किसान अन्न पैदा करता है उस किसान को राजस्थान की सरकार का यह बजट सम्बल प्रदान करेगा। किसान स्वाभिमान की जिंदगी जी कर अपनी जिंस की खुद बिक्री कर पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि कृषि उपज....

श्री अध्यक्ष : बस, अब रख दीजिए आप अपनी मांग को स्वीकार करने के लिए। बस रख दीजिए अब।

श्री प्रभुलाल सैनी : कृषि उपज मण्डी चुनाव के बारे में आई है, यह विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है, सदन में पारित होने के बाद तुरन्त कर दिया जाएगा। कल्ला साहब, मैं दो लाइन...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको पहली बार हंसते हुए देखा है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मंत्रीजी, दूध की कीमत अब बढ़ाओगे ? आप लोगों ने दूध की कीमत कम कर दी किसान की, उसको कब तक बढ़ाओगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष बनने के बाद लगातार हंस रहे हैं वह तो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता दोनों हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दोनों, यही तो मैं कह रही हूं। (व्यवधान) लगातार बहुत अच्छे मूड में हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को दो पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार, अपने भाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें।

श्री प्रभुलाल सैनी :

"करके दुनिया को सुगन्धित-क्या से क्या हो जाऊं मैं।
तुम महक बन जाओ तो शायद हवा हो जाऊं मैं।
दोनों मिलकर भूले-भटकों को दिशा देते रहें।
तुम अगर रास्ता बन जाओ तो दीप बन जाऊं मैं।"

श्री अध्यक्ष : चलिए अब आप।

श्री प्रभुलाल सैनी : इन दो पंक्तियों में आखिरी में इतना ही निवेदन करूंगा सदन के सभी माननीय सदस्यों से-

"दीपक की तरह जलता है कोई, कोई फूल की तरह खिलता है कोई कोई।
सब प्रवीण हैं, आदर्श की बात करते हैं, मगर उस राह पर चलता है कोई कोई।"

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 को पारित किया जाए।

श्री जुबेर खान : कीमत बढ़ाओगे तो साथ चलेंगे आपके। (व्यवधान)

मांग संख्या 37 का पारण

श्री अध्यक्ष : "प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,15,41,32,000/- (तीन अरब पन्द्रह करोड़ इक्तालीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए"?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,49,83,46,000/- (एक अरब उनचास करोड़ तिरासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान) आप क्या गौ पालना नहीं चाहते ? आप दूध पीना नहीं चाहते ? आप दूध पीना नहीं चाहते ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : किसान के दूध की कीमत बढ़ाई जाए, दूध की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.29 बजे बुधवार; 13 अप्रैल, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ में सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य

327. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कृषि उपज मण्डी के मार्फत कौन-कौनसी सड़कें, कब-कब निर्मित की गई ? विगत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्मित सड़कों की मरम्मत कब व किस माध्यम से करवाई गई ? क्या वर्तमान में उक्त निर्मित सड़कों में से अधिकांश सड़कें जीर्ण-शीर्ण व क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो इसका अंतिम सर्वे कब करवाया गया? सर्वे की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जीर्ण शीर्ण सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कौन-कौन सी नवीन सड़कें कृषि उपज मण्डी समिति के मार्फत निर्मित किया जाना प्रस्तावित है ? सूची मय दूरी व व्यय होने वाली प्रस्तावित राशि जानकारी के सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत पांच वर्षों (1999-2000 से 2003-2004) में कृ. उपज मण्डी के मार्फत से किसी भी सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है, किन्तु राजस्थान राज्य कृ. विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी विकास निधि से दो सड़कों का निर्माण करवाया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, किशनगढ़ द्वारा विगत पांच वर्षों में किसी भी सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। अतः ऐसी सड़कों से क्षतिग्रस्त व जीर्ण-शीर्ण होने, क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे कर सूची बनाने व इसकी मरम्मत कराने की स्थिति ही नहीं है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिन दो सड़कों का निर्माण कराया गया है व ठीक अवस्था में है।

(3) उक्त दो सड़कें ठीक स्थिति में हैं अतः अभी मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता। मण्डी द्वारा निर्मित अन्य सड़कों में जो मरम्मत योग्य है, उनकी मरम्मत मण्डी के पास धनराशि उपलब्ध होने पर कराई जा सकेगी।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति के मार्फत विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कोई नवीन सड़क निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 'अ'

किशनगढ़ में बोर्ड द्वारा मण्डी विकास निधि से निर्मित

सड़कों का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)/(लम्बाई कि.मी. में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	स्वीकृत लम्बाई	निर्मित लम्बाई	व्यय
1.	बरना से बालापुरा काढ़ा	1999-2000	35.36	6.00	5.40	34.86
2.	कटसूरा से कालानाड़ा	2000-2001	33.70	6.00	6.00	28.53

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कृ. उपज मण्डी समिति क्षेत्र में विकास/मरम्मत कार्यों हेतु राशि की उपलब्धता

334. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के क्या-क्या कार्य हैं ?

(2) इसके तहत कार्य करने वाली मण्डी समितियों के अधिकार व कार्य क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मण्डी क्षेत्र की सड़कों तथा मण्डी भवन की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी मण्डी समिति की है तथा क्या मण्डी की आय को खर्च करने का अधिकार समिति को है ? यदि हां, तो इनकी आय का स्रोत क्या है ? क्या सरकार भी कुछ राशि देती है ?

(4) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी से राशि कृषि विपणन बोर्ड जयपुर द्वारा मंगवाई जाती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या इस सन्दर्भ में कृ. विपणन बोर्ड द्वारा कोई परिपत्र जारी कर मण्डियों से राशि की मांग की गई है ?

(5) क्या मण्डी क्षेत्र की सड़क व अन्य कार्यों के लिए क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की राय ली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) मण्डी समितियां राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के तहत कार्य नहीं करती हैं, बल्कि कृषि विपणन निदेशालय के तहत कार्य करती हैं। मण्डी समिति के अधिकार एवं कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार है।

(3) जी हां। मण्डी समिति अपनी आय को राज्य सरकार की स्वीकृति से खर्च करती है। मण्डी समिति की आय का मुख्य स्रोत मण्डी शुल्क है। इसके अतिरिक्त वाद शमन राशि, आबंटन शुल्क, जमाधन पर ब्याज आदि भी मण्डी के आय के स्रोत है। सरकार द्वारा मण्डी समितियों को धन नहीं दिया जाता है।

(4) जी हां। कृषि मण्डियां राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए एवं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति द्वारा अंशदान) नियम, 1974 के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड को अंशदान देती हैं, जो विपणन बोर्ड में मण्डी विकास कोष में जमा होता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की फोटोप्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) मण्डी समितियों के अन्तर्गत विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व दिया जाता है।

परिशिष्ट 'क'

बोर्ड के कार्य (Function)

(1) बोर्ड, जहां तक सम्भव हो, मण्डी विकास निधि से प्राप्त आय को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक कार्य करेगा :

1. राज्य कृषि मण्डी समितियों का सुधार तथा नियमन,

2. राज्य में स्थित आर्थिक दृष्टि से कमजोर मण्डी समितियों को

ऋण तथा दान के रूप में सहायता देना, ताकि वे अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का पालन कर सकने में समर्थ हो सके,

3. कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पेंशनें, ग्रेच्युटी, मुआवजा प्रदान करना और बोर्ड में ग्रेच्युटी, काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशनों और ग्रेच्युटी में अंशदान। इस अनुच्छेद के अधीन तमाम खर्चे मण्डी विकास निधि पर प्रथम भार रखेंगे।

4. बोर्ड के सदस्यों को निर्धारित रीति से यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते देना,

5. राज्य में कृ: उपज के विपणन के सम्बन्ध में शिक्षा देना तथा प्रचार करना,

6. कानूनी खर्चों का भुगतान,

7. मण्डी समितियों के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता का प्रावधान करना, जिसमें निम्नलिखित प्रकार के प्रयोजनों के लिए मण्डी समितियों के लिए कर्मचारी वर्ग रखना सम्मिलित है :-

(A) अभियान्त्रिकी

(B) मण्डी समितियों के हिसाब की जांच (: uditing)

8. मण्डी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, शिविर, कारखाने, सेमीनार (Seminars) और सम्मेलन (Cc nferences) का आयोजन करना।

9. कृ: उपज को ·णीबद्ध करना और समस्तरीय (St ndaris: ion) करना,

10. मण्डी की सड़कों और मण्डी को जोड़ने वाली सड़कों (approach roads) का निर्माण,

11. मण्डी यार्डों व उप (गौण) यार्डों का निर्माण और उनको मण्डी समितियों के पक्ष में पट्टे (leasing) पर देना अथवा अन्तरण करना,

12. निर्धारित तरीके से कर्मचारियों का ऋण तथा अग्रिम राशियां स्वीकृत करना,

13. बोर्ड कार्यालयों की स्थापना और उनको चलाना,

14. बोर्ड के हिसाब की जांच (audit of accounts) पर खर्चा, और

15. कृषि विपणन से सम्बन्धित, सरकार की पूर्वगामी अनुमति से किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्चा।

(2) जब भी पूछा जावे, बोर्ड सरकार को तथा मण्डी समितियों को कृषि विपणन के समबन्ध में परामर्श देगा।

परिशिष्ट "ख"

मण्डी समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य

टिप्पणी

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 9 में मण्डी समितियों के कार्य और कर्तव्य बताये गये हैं। नीचे नियम 31 में उनके अतिरिक्त अधिकारों और कर्तव्यों का ब्यौरा दिया गया है।

धारा 10 उप-समितियों का प्रावधान करती है, जबकि नियम, 40 विवाद उप-समिति के और नियम 42 अन्य उप-समितियों के विषय में है। अत: धारा 9 व 10 और इन नियमों का पठन साथ-साथ करना चाहिये।

9. मण्डी समिति के कार्य और कर्तव्य- (1) मण्डी समिति निम्नलिखित

कार्य करेगी :-

(A) जिस मण्डी क्षेत्र के लिए उसका गठन हुआ उसी मण्डी, मुख्य मण्डी यार्ड तथा उप (गौण) मण्डी यार्डों की व्यवस्था करेगी।

(B) निम्नलिखितों को नियन्त्रित एवं नियमित रखेगी-

(i) मण्डी में कार्य करने वाले किसानों और व्यापारियों के हित में मण्डी चलान

(ii) मण्डी में लेन-देन के सौदे (Transactions)

(iii) मण्डी में व्यक्तियों का प्रवेश और उनका उपयोग तथा

(iv) सौदा करने हेतु मण्डी में आने वाले व्यक्तियों का आचरण

(C) कृषि उपज में मिलावट रोकने के लिए कार्यवाही करना।

(D) कृषि उपज को श्रेणीबद्ध करने (grading) और उसका समानस्तर रखने (standardisation) की व्यवस्था करना।

(E) लाइसेन्सधारियों में आपसी अथवा उनमें और कृषि उपज के विक्रेता होने के नाते मण्डी का उपयोग करने वाले किसानों के दरम्यिान मतभेद और विवाद के समस्त मामलों में मध्यस्थ या पंच (arbitrator) के रूप में कार्य करना।

(F) जब भी राज्य सरकार या निदेशक ऐसा निर्देश दे मण्डी समिति की ओर से या अन्यथा कोई दावा प्रस्तुत करना, कार्य करना या कार्यवाही चलाना या मध्यस्थता करना, फौजदारी मुकदमा चलाना या उसकी प्रतिरक्षा करना या दावा करने, फौजदारी मुकदमा चलाने, कोई कार्यवाही चलाने, प्रतिरक्षा करने या प्रार्थना पत्र पेश करने में सहायता देना।

(G) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम और उसके अधीनस्थ नियमों और उप नियमों के उद्देश्यों तथा अपेक्षाओं की प्राप्ति के लिए और मण्डी समिति के कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने हेतु अपेक्षित हो।

(2). मण्डी समिति के ये कर्तव्य होंगे-

(अ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उप नियमों के प्रावधानों को तथा मण्डी क्षेत्र में, जिसके लिए मण्डी समिति का गठन हुआ है और धारा 4 की उप-धारा 3 के अधीन अधिसूचित फासले के भीतर, धारा 4 की उप-धारा 2 के अधीन प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों को क्रियान्वित करना।

(ब) जब भी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, ऐसे मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थापित करना और सम्बन्धित कृषि उपज के क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में ऐसी सुविधाऐं उपलब्ध कराना जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश देवे।

परन्तु शर्त यह है कि राज्य की सहकारी संस्थाओं के पंजीयक के माध्यम से प्राप्त सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी के आवेदन-पत्र पर उस संस्था के किसी मण्डी क्षेत्र में ऐसी मण्डी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी।

10. उपसमितियां तथा संयुक्त समितियां नियुक्त करना - किसी कार्य का संचालन करने हेतु या किसी मामले या मामलों पर प्रतिवेदन (Report) करने के लिए मण्डी समिति अपने एक या अधिक सदस्यों की उप-समिति या संयुक्त समिति नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समिति को या उसके किसी एक

या अधिक सदस्यों को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी या कर्तव्य सौंप सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

31. अधिकार और कर्तव्य - अधिनियम में निर्दिष्ट शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त मण्डी समितियों की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वे नीचे बताये गये कर्तव्यों का पालन करेंगी -

1. शक्तियां -

(1) उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने की सिफारिश करना,

(2) मण्डी पर पूर्ण नियन्त्रण करना,

(3) मण्डी सचिव (Market Secretary) के अतिरिक्त अन्य तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित योग्यतायें निर्धारित करना,

(4) संविदा का समान प्रपत्र (Standard Form) बनाना,

(5) नीलाम बोलने वालों को नियोजित करना,

(6) लाइसेन्स ग्रस्त क्षेत्र (Licensed Premises) में गाडियां तथा सामान (Loads) लाये लाने की रिपोर्ट प्राप्त करना,

(7) दलालों, तोलने वालों मापकों सर्वेक्षकों और भण्डारीकरण करने वालों का लाइसेंस वापस लेना,

(8) हिसाब रखने, नक्शे (returns) भेजने, फीस की वसूली के लिये सहायता देने या फीस की अदायगी से वंचन (evasion) करने पर रोक लगाने हेतु लाइसेंसधारियों से अपेक्षा करना.

(9) नियमानुसार किसी व्यापारी का नाम रजिस्टर से हटाना,

(10) तुलाई पर नियन्त्रण रखना।

2. कर्तव्य

(1) अधिनियम, नियमों और उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं तथा अपने उपनियमों की प्रतियां अन्तिम तिथि तक संशोधित रूप में (up-to-date) रखना,

(2) कार्यवाही की पंजिका रखना (minute book),

(3) मण्डी को अच्छी और स्वच्छ (Sanitary) हालत में रखना,

(4) मण्डी यार्ड या उपयार्ड में लाये गये प्रत्येक वाहन या भार (load) का हिसाब रखना,

(5) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से जमानत लेना,

(6) वसूल की गई फीस का रजिस्टर रखना

(7) फीस वसूल करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को रोकड़ पेटी तथा दो पत्तों वाली रसीद बुकें देना,

(8) व्यापारियों, दलालों, तोलने वाली, माप करने वालों और संवेक्षकों को लाइसेंस जारी करना,

(9) प्राधिकृत बाट और कांटे का एक सैट रखना,

(10) निर्माण कार्यों के लिए नक्शे और तकमीने बनाना,

(11) सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर हिसाब किताब करना,

(12) अपनी सम्पत्ति और दायित्वों का विवरण प्रकाशित करना.

(13) आमद तथा खर्च पर नियन्त्रण रखना,

(14) बजट के अनुसार खर्च को नियमित करना,

(15) आगामी वर्ष के लिए बजट बनाना और उसे पारित करना,

(16) विपणन सम्बन्धी सूचनायें प्रदान करना,

(17) कृषि उपज की अस्थाई रूप में भण्डारीकरण की व्यवस्था करना।

परिशिष्ट 'ग'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : एफ.9(11)कृषि/ग्रुप-2/94-1   जयपुर, दिनांक : 28 जून, 1997

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 38) की धारा 36 के साथ पठित धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समितियों द्वारा अभिदाय) विभाग, 1974 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त धारा की उप धारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :

संशोधन

उक्त नियमों में विद्यमान नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"3. मण्डी समितियों द्वारा अभिदाय की दर - (1) प्रत्येक मण्डी समिति प्रति वर्ष पहली अप्रैल को अपने वर्गीकरण पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित दरों पर अभिदाय करेगी :

1. "विशिष्ठ" श्रेणी मण्डी समिति — 30 प्रतिशत
2. "अ" श्रेणी मण्डी समिति — 20 प्रतिशत

3. "ब" श्रेणी मण्डी समिति 10 प्रतिशत

(2) "स" श्रेणी या "द" श्रेणी के रूप में वर्गीकृत मण्डी समितियों से कोई भी अभिदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण - मण्डी समितियों का वर्गीकरण वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-सयम पर अवधारित किया जाये।"

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

सी.एस. राजन

शासन सचिव

चूरू जिले में "आपणी योजना" में लाभान्वित ग्रामों की योजना का रखरखाव एवं संचालन

335. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू में आपणी योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों एवं ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है एवं इन्हें कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? गांवों व ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आपणी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले गांवों को किन मानदण्डों के अनुसार पेयजल का वितरण किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में उपरोक्त गांवों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पेयजल वितरित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) क्या सरकार उक्त योजना से लाभान्वित गांवों के पेयजल वितरण व्यवस्था के संचालन एवं रख-रखाव हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला चूरू में आपणी योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 259 गांव एवं 30 ढाणियों को लाभान्वित किया जाना है। माह मार्च, 2005 तक 222 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष गांव एवं ढाणियों को माह दिसम्बर, 2005 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर है।

(2) लाभान्वित गांवों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा पशुओं के लिए 30 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल वितरण का प्रावधान लिया है।

(3) विशिष्ठ परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही पेयजल का वितरण किया गया।

(4) जी हां। लाभान्वित गांवों की पेयजल व्यवस्था के लिए सलाहकार समिति एवं संधारण व रख-रखाव हेतु पृथक कार्यालय बनाने का प्रस्ताव है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन की बैठकें

336. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एण्ड

(श्री रामचन्द्र सराधना)

इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन (बीडी) का गठन कब और किस उद्देश्य से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें कब-कब आयोजित की गई तथा उक्त बैठकों में कितनी राशि की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में उक्त बोर्ड की मात्र एक बैठक हुई जिसके कारण राज्य में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ?

(4) क्या सरकार भविष्य में उक्त बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने अंतराल पर ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन (बीडी) का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु. 3) के आदेश क्रमांक प.6(51)प्र.सु./3/96 जयपुर दिनांक 26 अक्टूबर, 1999 को राज्य में निजी निवेश एवं औद्योगिक विकास को वांछित गति प्रदान करने के उद्देश्य से किया।

(2) बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन (बीडी) की अब तक 13 बैठकें हो चुकी है जिसमें 45 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 9933 करोड़ रुपये से अधिक के विनियोजना की राशि मंजूर की गई है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2004 में बी.आई.ई..आई. की 2 बैठकें हुईं जिसमें 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा 528 करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना बढ़ी है।

(4) जी हां। हाल ही में बी.आई.डी.आई. का पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु. 3) के आदेश क्रमांक प.6(51)प्रसु./अनु. 3/96 दिनांक 15 जनवरी, 2005 द्वारा किया गया। भविष्य में निवेश के प्रस्ताव व आवश्यकतानुसार बैठकें कराई जावेंगी।

स्वामी विवेकानन्द औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतड़ी में संचालित ट्रेड

337. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के खेतड़ी में स्वामी विवेकानन्द औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छात्रों की संख्या को देखते हुए ट्रेडों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खेतड़ी में स्वामी विवेकानन्द औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कुल 06 व्यवसाय क्रमशः फिटर, टर्नर, विद्युतकार, वैल्डर, मैकेनिक डीजल एवं स्टेनोग्राफी (हिन्दी) संचालित किये जा रहे हैं।

(2) आर्थिक संसाधनों की सीमितता के कारण इस संस्थान में नवीन व्यवसाय प्रारम्भ करना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

अकाल/अभाव से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता

338. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अकाल/अभाव की स्थिति है ? यदि हां, तो कहां-कहां कितने प्रतिशत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ? यदि हां, तो कब से व कहां-कहां ? राहत श्रमिकों की जिलेवार निर्धारित संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) क्या सरकार द्वारा पशुओं के लिये चारा डिपो व पेयजल आपूर्ति के प्रबन्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो किए जा रहे प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अकाल/अभाव से निपटने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहायता मुहैया कराई गई है ? यदि हां, तो कब व कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अकाल/अभाव की स्थिति है। प्रभावित क्षेत्र में खराबे के प्रतिशत की जिलेवार व तहसीलवार सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी हां। राज्य के 25 जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य दिनांक 1-12-2004 से प्रारम्भ किये गये हैं। राहत श्रमिकों का जिलेवार निर्धारित संख्या विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(3) जी हां। अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली जिलों में (1756) चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं व इसके अलावा अकाल से प्रभावित अन्य जिलों में भी आवश्यकतानुसार चारा डिपो खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। राज्य के सभी जिला कलक्टर्स को पेयजल समस्या के समाधान हेतु सड़क द्वारा पेयजल परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(4) जी हां। अकाल से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से एन.सी.सी.एफ. में दिनांक 2-3-2005 को 108 करोड़ व दिनांक 24-3-2005 को 108.79 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त सी.आर.एफ. में भारत सरकार का हिस्सा 188.71 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुये हैं। इसके साथ ही दिनांक 6-12-2004 को 2.00 लाख मै. टन गेहूं तथा दिनांक 8-2-2005 को 4.99 मै. टन गेहूं भी आबंटित किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खनन क्षेत्र रामगंज मण्डी में विकास कार्य

339. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील क्षेत्र रामगंज मण्डी से खनिज रायल्टी के रूप में प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त होती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के विकास पर आज तक कोई राशि व्यय नहीं की गई ? यदि हां, तो विकास कार्यों पर कब-कब व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब उक्त क्षेत्र में कब-कब क्या-क्या विकास कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र रामगंज मण्डी से खनिज रायल्टी के रूप में विगत पांच व ों में हुई आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व में 2 सड़कें विभागीय माध्यम से बनाई गई थी।

1. वर्ष 1985-86 में पीपलिया सुकेत से कुम्भकोट तक 3 किलोमीटर लम्बाई की सड़क के निर्माण हेतु रुपये 4.9 लाख की राशि व्यय की गई।

2. वर्ष 1995-96 में कूदायला से कूदायला खान क्षेत्र तक 1.5 किलोमीटर लम्बाई की सड़क के निर्माण हेतु रुपये 12.84 लाख की राशि व्यय की गई।

(3) विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों में खान उपागमन सड़कों का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में रामगंज मण्डी खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण का कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। विभाग के लिए आयोजना की

(खनिज मंत्री)

बजट सीलिंग की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को अभी पूरा कराया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

रामगंज मण्डी में विगत पांच व र्षों में प्राप्त आय का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्ति
1.	2000-2001	14.08 करोड़
2.	2001-2002	15.21 करोड़
3.	2002-2003	16.44 करोड़
4.	2003-2004	17.13 करोड़
5.	2004-2005	20.42 करोड़

करौली शहर हेतु नई अनाज मण्डी का निर्माण

340. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली शहर में नई अनाज मण्डी हेतु भूमि का आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब व कहां पर तथा कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर अभी तक अनाज मण्डी का निर्माण नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(3) सरकार अब उक्त अनाज मण्डी का कब तक निर्माण करवाकर स्थानान्तरित करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। नवीन अनाज मण्डी हेतु करौली कैला देवी रोड पर 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि वर्ष 1999 में अवाप्त की गई थी।

(2) जी हां। मण्डी समिति द्वारा 24-10-1999 को भूमि का कब्जा भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्राप्त किया गया तथा उक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्ट्रेट करौली के निर्माण के निर्णय के कारण उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 24-10-1999 को ही जिला प्रशासन करौली को दे दिया गया। राज्य सरकार द्वारा पुनः कृषि भूमि पर मण्डी निर्माण का निर्णय लिये जाने पर जिला प्रशासन करौली द्वारा उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त कब्जा मण्डी समिति को नहीं सम्भलाया गया। इस कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाये।

(3) उक्त भूमि मण्डी समिति को प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

जालिया बांध (भीलवाड़ा) की डूब क्षेत्र के प्रभावित कृषकों को मुआवजा

341. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा के जालिया बांध के डूब क्षेत्र में कितने ग्राम व किस-किस कृषक की कितनी-कितनी भूमि आई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त डूब में आई भूमि के कृषकों को मुआवजा राशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त कृषकों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा के जालिया बांध के डूब क्षेत्र में 6 ग्राम व 96 कृषकों की कुल 227 बीघा 4.10 बिस्वा भूमि आई तथा कृषकवार भूमि का विस्तृत ब्यौरा प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(2) डूब क्षेत्र में आये 96 कृषकों में से 51 काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। 22 काश्तकारों के फोत (मृत्यु) होने के कारण नामान्तरण के उपरान्त भुगतान किया जावेगा। शेष रहे 23 काश्तकारों में से 11 काश्तकार वर्तमान में बाहर होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका, जो उनके आने पर भुगतान किया जाना सम्भव होगा। 12 काश्तकारों द्वारा अवार्ड के अनुसार राशि नहीं लेने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां। 31 मई, 2005 तक।

(ब्यौरा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नाहर मगरा (उदयपुर) सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा अन्य स्थान पर सीमेन्ट का उत्पादन

342. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नाहर मगरा (उदयपुर) स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री पिछले दो साल से बन्द है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री की ब्राण्ड सीमेन्ट का उत्पादन किसी अन्य स्थान पर हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त फैक्ट्री द्वारा ब्राण्डेड सीमेन्ट का उत्पादन अन्य स्थान पर करने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नाहर मगरा (उदयपुर) स्थित सीमेन्ट प्लांट मैसर्स जे.के. उदयपुर उद्योग लि. दिनांक 26.3.2002 से बन्द है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त सीमेन्ट फैक्ट्री दिनांक 26-3-2002 से बन्द है एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फैक्ट्री बन्द पाये जाने की वजह से इसे उत्पादन एवं मोहराकन करने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

कोटड़ा (उदयपुर) पंचायत समिति के राजीव गांधी पाठशाला/ प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

343. [illegible] लाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कोटड़ा में किस-किस स्थान पर राजीव गांधी पाठशाला एवं प्राथमिक विद्यालय बन्द हैं तथा किस-किस विद्यालय में एक ही अध्यापक है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटड़ा में अध्यापकों के अभाव के कारण अन्य स्थानों से अध्यापकों का पदस्थापन किया गया था ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों का एवं उनमें से कितनों ने कार्यभार ग्रहण किया व कितने अध्यापकों द्वारा नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिक विद्यालय झालरा (गोगरूद) पंचायत समिति कोटड़ा के अध्यापक की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो किस तरह की और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटड़ा में संचालित कोई भी राजीव गांधी

(शिक्षा मंत्री)

पाठशाला तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बन्द नहीं है। जिन विद्यालयों में एक ही अध्यापक कार्यरत है, का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति कोटड़ा में शिक्षण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित करने के लिये प्राथमिक विद्यालयों में 149, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 54 एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 34 अध्यापकों को अन्य स्थानों से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पदस्थापित करने हेतु आदेश जारी किये गये थे। जिनमें से प्राथमिक विद्यालयों में 143 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52 अध्यापकों एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 33 अध्यापकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में 06 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 02 एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 01 अध्यापकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया।

(3) जी हां। राजकीय प्राथमिक विद्यालय झालरा (गोगरूद) पंचायत समिति कोटड़ा के अध्यापक श्री कमलकान्त जोशी के विरुद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराये स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) उदयपुर द्वारा की गई तथा जांच में शिकायत सही पाये जाने पर दोषी अध्यापक को निलम्बित किया जाकर सी.सी.ए. नियम 17 के तहत आरोप विवरण पत्र जारी किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "क"

पंचायत समिति कोटड़ा में संचालित एकल अध्यापक वाले प्राथ. एवं उ.प्रा.वि. का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम
1.	प्रा.वि. कालीडूंगरी
2.	प्रा.वि. पोपली
3.	प्रा.वि. पावटी
4.	प्रा.वि. सालाघाटी
5.	प्रा.वि. बोरलो
6.	प्रा.वि. गुरा
7.	प्रा.वि. तिलोई
8.	प्रा.वि. खाम
9.	प्रा.वि. क्लोम
10.	प्रा.वि. चारिया
11.	प्रा.वि. खोखरा
12.	प्रा.वि. खारावाणी
13.	प्रा.वि. मणासी
14.	प्रा.वि. बेडाधर
15.	प्रा.वि. सुरा
16.	प्रा.वि. कोलदरा

1	2
17.	प्रा.वि. सावन का क्यारा
18.	प्रा.वि. नि. कुण्डाल
19.	प्रा.वि. भियाटा
20.	प्रा.वि. -तोरणा
21.	प्रा.वि. महला
22.	प्रा.वि. काना पादर
23.	प्रा.वि. उमरी पादर
24.	प्रा.वि. जूना पदवर
25.	प्रा.वि. उ. कुण्डाल
26.	प्रा.वि. नायर
27.	प्रा.वि. तान्दला
28.	प्रा.वि. मुला की आली
29.	प्रा.वि. धनपदर
30.	प्रा.वि. मालदरकला
31.	प्रा.वि. समेल
32.	प्रा.वि. चाम्बुआ
33.	प्रा.वि. सेमलथला
34.	प्रा.वि. तुली का खेत

	2
35.	प्रा.वि. शिवडियों का चोरा
36.	प्रा.वि. गाडलिया
37.	प्रा.वि. पीपलीखेड़ा
38.	प्रा.वि. सालरिया
39.	प्रा.वि. खोखरिया की नाल
40.	प्रा.वि. पालछा
41.	प्रा.वि. चिलखा
42.	प्रा.वि. खेडा
43.	प्रा.वि. घाटा
44.	प्रा.वि. संभरमाल
45.	प्रा.वि. बाकावास
46.	प्रा.वि. लोहरिचा
47.	प्रा.वि. तिलारनी
48.	प्रा.वि. काडा
49.	प्रा.वि. राई
50.	प्रा.वि. राया
51.	प्रा.वि. सालरा
52.	प्रा.वि. झांझर
53.	प्रा.वि. रूगणी

1	2
54.	प्रा.वि. खांपा
55.	प्रा.वि. तिलख
56.	प्रा.वि. कोदरयाल
57.	प्रा.वि. कागवास
58.	प्रा.वि. साड़ी
59.	प्रा.वि. बेकरियावड
60.	प्रा.वि. आंडीसेरी
61.	प्रा.वि. तिनसरा
62.	प्रा.वि. पलायाषीपला
63.	प्रा.वि. कन्धारिया
64.	प्रा.वि. नयावास
65.	प्रा.वि. आमरी
66.	प्रा.वि. पाडलों का चौरा
67.	प्रा.वि. थंल
68.	प्रा.वि. पपटिया
69.	प्रा.वि. पदमावड़ी
70.	प्रा.वि. खजुरिया
71.	प्रा.वि. ठेप
72.	प्रा.वि. उपलाथला

1	2
73.	प्रा.वि. लाम्बा हल्दु
74.	प्रा.वि. बिलवन
75.	प्रा.वि. लोहारी
76.	प्रा.वि. [illegible]पटाली
77.	प्रा.वि. शिशविया
78.	प्रा.वि. पुनावली
79.	प्रा.वि. भवरियाफला
80.	प्रा.वि. आमलीफला
81.	प्रा.वि. [illegible]ों का फला
82.	प्रा.वि. जानियाखाखरा
83.	प्रा.वि. घुटावलीफला
उच्च प्राथमिक विद्यालय	
1.	रा.उ.प्रा.वि, कोटड़ा
2.	रा.उ.प्रा.वि, [illegible] तेला
3.	रा.उ.प्रा.वि, खाखरिया
4.	रा.उ.प्रा.वि, निचली सुवरी

नागौर जिले की आवारा गायों हेतु पशुराहत शिविर

344. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला नागौर के विभिन्न अकालग्रस्त ग्रामों में पक्के निर्माण कार्य शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के कार्य कब तक शुरू किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले के अकाल ग्रस्त ग्रामों में आवारा गायों के लिए पशु शिविर खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि फिलहाल राज्य सरकार द्वारा श्रम मद के कार्यों को ही कराया जा रहा है। जिन विभागों या योजना मदों में मैटीरियल कम्पोनेंट की राशि उपलब्ध है, उन्हीं मदों के पक्के कार्यों को लिया जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त जिले में आवारा गायों के लिये 5000 पशु सीमा तक के लिये पशु शिविर खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिले के विभिन्न अकाल ग्रस्त क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन अनुसार अब तक 2 तहसीलों में 6 पशु शिविरों में 810 पशुओं के लिये स्वीकृति जारी कर दी गई है।

आमेर विधान सभा क्षेत्र में नवीन/मरम्मत योग्य सड़कें

345. श्री लालचंद कटारिया (आमेर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में कृषि उपज मण्डी समिति की कौन कौनसी सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लालचंद कटारिया)

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा संधारित सड़कों की काफी वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है ? यदि हां, तो अब कब तक इन सड़कों की मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर में कृ. उपज मण्डी समिति द्वारा कौन कौनसी नई सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है तथा यह सड़कें कब तक बना दी जायेंगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में कृ. उपज मण्डी समिति की सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा संधारित सड़कों की मरम्मत विभिन्न योजनाओं के तहत समय-समय पर की जाती रही है जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। मुहाना में टर्मिनल मार्केट में निर्माण कार्य प्रगति पर होने से बचत राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) मुहाना में टर्मिनल मार्केट निर्माण कार्य प्रगति पर होने से बचत राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी कोई नवीन सड़कों के निर्माण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-'अ'

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड-टर्मिनल मार्केट, जयपुर

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय लाख रु.	पूर्ण होने का वर्ष	स्कीम जिसमें सड़क का निर्माण करवाया गया
1.	सिरसी रोड से गोकुलपुरा	2.00	10.50	75-76	कृ.उ.म.स.
2.	कालवाड़ रोड से माचवा	1.00	2.70	77-78	कृ.उ.म.स.
3.	जयसिंहपुरा रोड से विजय बस्ती	1.00	2.70	77-78	कृ.उ.म.स.
4.	पकोडिया वाला	0.80	2.40	77-78	कृ.उ.म.स.
5.	रामचन्द्रपुरा	0.50	1.43	77-78	कृ.उ.म.स.
6.	कालवाड़ से बम्भोरी	1.50	3.17	77-78	कृ.उ.म.स.
7.	मीनावाली	1.50	3.29	77-78	कृ.उ.म.स.
8.	बम्भौरी से सारंग का बांस	7.00	20.80	82-83	कृ.उ.म.स.
9.	सिरसी से कुण्डा	1.50	4.40	82-83	कृ.उ.म.स.
10.	कुण्डा ग्रिड स्टेशन से नांगल सुसावतान	2.70	9.70	83-84	कृ.उ.म.स.
11.	एन.एच. 8 से लखेर	1.00	2.70	83-84	कृ.उ.म.स.

1	2	3	4	5	6
12.	सिरसी से हाथोज	4.50	11.79	83-84	कृ.उ.म.स.
13.	कालवाड़ रोड से गोकुलपुरा	1.50	3.50	83-84	कृ.उ.म.स.
14.	ठाकरों की ढाणी से तन बिहारीपुरा	5.00	14.70	84-85	कृ.उ.म.स.
15.	दौलतपुरा से भीमपुरा बगरवा	6.00	13.68	84-85	कृ.उ.म.स.
16.	धरमपुरा से धानक्या रेलवे स्टेशन	6.00	17.80	84-85	कृ.उ.म.स.
17.	नांगल से चोप	10.00	37:00	85-86	कृ.उ.म.स.
18.	बिन्दायका से बेगस	8.75	28.03	86-87	कृ.उ.म.स.
19.	नींदड़ से जयरामपुरा	9.00	26.70	87-88	कृ.उ.म.स.
20.	एन.एच. 8 से चितानु	3.00	8.26	87-88	कृ.उ.म.स.
21.	मोडी से रायथल जालसू	13.50	38.70	89-90	कृ.उ.म.स.
22.	एन.एच. 8 से देव का हरमाडा	3.00	11.70	89-90	कृ.उ.म.स.
23.	ताला रोड से कांट	5.00	20.20	90-91	कृ.उ.म.स.
24.	बिहारीपुरा से भीलपुरा	2.70	9.70	90-91	कृ.उ.म.स.
25.	नांगल पुरोहित से भैरूखेजडा	2.00	8.80	90-91	कृ.उ.म.स.
26.	चौंप से बिचोली	1.30	4.70	90-91	कृ.उ.म.स.
27.	खोरा बिसल से रोजदा	2.20	9.70	90-91	कृ.उ.म.स.
28.	बैनाड़ से दौलतपुरा	4.00	15.60	90-91	कृ.उ.म.स.

1	2	3	4	5	6
29.	सीकर रोड से महेशवास बांडी नदी तक	2.00	8.80	90-91	कृ.उ.म.स.
30.	जयसिंहपुरा से प्रतापपुरा	1.10	4.85	90-91	कृ.उ.म.स.
31.	धर्मपुरा से जलौई महेशवास	5.00	17.35	90-91	कृ.उ.म.स.
32.	सारंग वास से कापडियावास	3.00	8.90	91-92	कृ.उ.म.स.
33.	बैनाड़ रेलवे स्टेशन से कदमडूंगरी	1.50	4.10	90-91	कृ.उ.म.स.
34.	सिरोही से चौमूं चंदवाजी रोड	3.00	8.90	91-92	कृ.उ.म.स.
35.	रोड़ नं. 17 से अखैपुरा	3.00	11.28	91-92	कृ.उ.म.स.
36.	मौंडी से राधाकिशनपुरा	1.70	6.00	91-92	कृ.उ.म.स.
37.	एन.एच. 8 से खोरा मीना	1.00	4.32	91-92	कृ.उ.म.स.
38.	गुढ़ा मोड़ से गुढ़ा सरजन	1.50	6.10	91-92	कृ.उ.म.स.
39.	गोविन्दपुरा से सिरसी	3.50	14.38	93-94	कृ.उ.म.स.
40.	निवारू से लालचन्द पुरा	3.00	13.40	93-94	कृ.उ.म.स.
41.	जालसू से खत्रीपुरा	2.00	9.80	93-94	कृ.उ.म.स.
42.	नांगल लाडी से राधाकिशनपुरा	2.50	12.40	93-94	कृ.उ.म.स.
43.	कूकस से अजबगढ़	1.75	7.70	93-94	कृ.उ.म.स.
44.	कोटड़ा से कूकस	2.00	6.58	93-94	कृ.उ.म.स.
45.	निमेड़ा से मुकन्दपुरा	2.50	7.70	93-94	कृ.उ.म.स.

1	2	3	4	5	6
46.	बेगस से बगरू	9.00	38.00	93-94	कृ.उ.म.स.
47.	खोरा बीसल से जयरामपुरा	4.00	12.21	95-96	कृ.उ.म.स.
48.	चेलावाला से बदनपुरा	1.80	7.10	95-96	कृ.उ.म.स.
49.	चौमूं पांडकली रोड से गढ़वाली	1.50	3.60	95-96	कृ.उ.म.स.
50.	रोड नं. 17 से अखैपुरा वाया आकेड़ा	2.50	17.43	96-97	कृ.उ.म.स.
51.	राधों की ढाणी से दौलतपुरा	4.20	15.83	96-97	कृ.उ.म.स.
52.	जयरामपुरा से जाहोता वाया मोहनवाड़ी	4.00	16.82	96-97	कृ.उ.म.स.
53.	भीलपुरा से अनुपपुरा	2.00	9.94	96-97	कृ.उ.म.स.
54.	सिरसली रोड से भीलपुरा	2.40	9.13	96-97	कृ.उ.म.स.
55.	घिनोई से टाडावास	2.10	8.12	96-97	कृ.उ.म.स.
56.	एन.एच. 8 से बेगस वाया बड़ी का खेड़ा	0.90	4.98	96-97	कृ.उ.म.स.
57.	भट्टों की गली से देवगुढ़ा	1.20	8.07	97-98	कृ.उ.म.स.
58.	देवगुढ़ा	1.00	8.07	97-98	कृ.उ.म.स.
59.	मोडी से सिरसली	2.50	8.53	97-98	कृ.उ.म.स.
60.	नींदड़ जयरामपुरा से नांगल सीरस	1.00	5.50	97-98	कृ.उ.म.स.
61.	राधाकिशनपुरा से बरना	2.00	12.77	98-99	कृ.उ.म.स.

1	2	3	4	5	6
62.	जाहोता से मोडी	3.00	15.51	98-99	कृ.उ.म.स.
63.	गठवाड़ी रोड से कंवरपुरा	3.45	10.17	99-2000	कृ.उ.म.स.
64.	सारना डूंगर से बावड़ी	1.10	3.03	83-84	कृ.उ.म.स.
65.	कालवाड़ा से मण्डा भोपावास	3.00	9.70	83-84	कृ.उ.म.स.
66.	बिन्दायका से मुकन्दपुरा	7.00	25.90	85-86	कृ.उ.म.स.
67.	महेशवास से राधाकिशनपुरा	7.00	21.00	87-88	कृ.उ.म.स.
68.	कापड़िया वास से खेड़ी	4.00	32.28	97-98	कृ.उ.म.स.
69.	सरदारपुरा से जैतपुरा वाया खत्रीपुरा	10.00	83.08	2004-05	मिसिंग लिंक योजना
70.	बेगस बसेड़ी फाटक	5.50	55.14	2004-05	मिसिंग लिंक योजना
71.	सुन्दर का बास रेल स्टेशन से देव का हरमाड़ा	1.00	19.47	2004-05	मिसिंग लिंक योजना
	योग	233.65	936.79		

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

खण्ड-टर्मिनल मार्केट, जयपुर

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	मरम्मत की गई लम्बाई	मरम्मत का वर्ष	योजना जिसके तहत मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हुआ	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिरसी रोड से गांकुलपुरा	2.00	2.00	2002-03	जेडीए द्वारा	
2.	जयसिंहपुरा रोड से विजय बस्ती	1.00	1.00	2002-03	आरयूपी प्रथम (सानिवि)	
3.	पकोडिया वाला	0.80	0.80	2002-03	आरयूपी प्रथम (सानिवि)	
4.	रामचन्द्रपुरा	0.50	0.50	2003-04	आरयूपी द्वितीय	
5.	कालवाड़ से बम्भोरी	1.50	1.50	2003-04	विशेष मरम्मत	

1	2	3	4	5	6	7
6.	मीनावाली	1.50	1.50	1998-99	जेडीए	
7.	सिरसी से कुण्डा	1.50	1.50	2003-04	विशेष मरम्मत	
8.	कुण्डा ग्रिड स्टेशन से नांगल सुसावतान	2.70	2.70	2001-02	जेडीए द्वारा	
9.	एन.एच. 8 से लखेर	1.00	1.00	2003-04	विशेष मरम्मत	
10.	सिरसी से हाथोज	4.50	4.50	2003-04	विशेष मरम्मत	
11.	कालावाड़ रोड से गोकुलपुरा	1.50	1.50	1999-2000	जेडीए द्वारा	
12.	सारंना डूंगर से बायड़ी	1.10	0.50	2004-05	विशेष मरम्मत	
13.	ठाकरों की ढाणी से तन बिहारीपुरा	5.00	3.40	2003-04	आरयूपी द्वितीय	
14.	दौलतपुरा से भीमपुरा बगरया	6.00	4.00	2003-04	आरयूपी द्वितीय	
15.	धरमपुरा से धानक्या रेलवे स्टेशन	6.00	6.00	2003-04	विशेष मरम्मत	

1	2	3	4	5	6	7
16.	बिन्दायका से बेगस	8.75	6.90	2003-04	आरयूपी द्वितीय	
17.	नींदड़ से जयरामपुरा	9.00	9.00	2003-04	आरयूपी द्वितीय	
18.	महेशवास से राधाकिशनपुरा	7.00	5.00	2004-05	विशेष मरम्मत	
19.	मोडी से रायथल जालसू	13.50	13.00	2002-03	आरयूपी प्रथम	
20.	ताला मोड़ से कांट	5.00	5.00	2003-04	विशेष मरम्मत	
21.	बिहारीपुरा से भीलपुरा	2.70	2.70	2003-04	आरयूपी द्वितीय	
22.	चौप से बिचोली	1.30	1.30	2002-03	बाईपास	
23.	खोरा बिसल से रोजदा	2.20	2.20	2002-03	आरयूपी प्रथम (5.70)	
24.	सींकर रोड से महेशयास बांडी नदी तक	2.00	2.00	2003-04	विशेष मरम्मत	
25.	जयसिंहपुरा से प्रतापपुरा	1.10	1.10	2002-03	आरयूपी प्रथम	

1	2	3	4	5	6	7
26.	धर्मपुरा से जलोई महेशवास	5.00	5.00	2003-04	विशेष मरम्मत	
27.	बैनाड़ रेल्वे स्टेशन से कदमडूंगरी	1.50	1.50	2000-01	जेडीए	
28.	गुढा मोड से गुढा सरजन	1.50	1.50	2002-03	आरयूपी प्रथम	
29.	गोविन्दपुरा से सिरसी	3.50	3.50	2002-03	जेडीए	
30.	नियारु से लालचन्दपुरा	3.00	3.00	2002-03	जेडीए	
31.	जालसू से खत्रीपुरा	2.00	1.70	2002-03	आरयूपी प्रथम	
32.	नांगल लाडी से राधाकिशनपुरा	2.50	2.00	2002-03	आरयूपी प्रथम	
33.	फूकस से अजबगढ़	1.75	1.75	2002-03	जेडीए	
34.	कोटड़ा से फूकस	2.00	1.86	2003-04	विशेष मरम्मत	
35.	निमेड़ा से मुकन्दपुरा	2.50	2.50	2002-03	आरयूपी प्रथम (सानिवि)	

1	2	3	4	5	6	7
36.	बेगस से बगरू	9.00	5.00	2003-04	विशेष मरम्मत	
37.	खोरा बीसल से जयरामपुरा	4.00	4.00	2003-04	विशेष मरम्मत	
38.	रोड नं. 17 से अखैपुरा वाया आकेड़ा	2.50	2.50	2003-04	बाईपास	
39.	भीलपुरा से अनुपपुरा	2.00	2.00	2002-03	आरयूपी प्रथम	
40.	सिरसली रोड से भीलपुरा	2.40	2.40	2002-03	आरयूपी प्रथम	
41.	मोडी से सिरसली	2.50	2.50	2003-04	जेडीए	
42.	जाहोता से मांडो	3.00	1.50	2004-05	विशेष मरम्मत	
43.	कालवाडा से मण्डा भूपावास	3.00	2.50	2003-04	विशेष मरम्मत	
44.	बम्बौरी से सारंग का बास	7.00	-	-	स्वीकृत (वि.म.)	

1	2	3	4	5	6	7
45.	बिन्दायका से मुकन्दपुरा	7.00	-	-	स्वीकृत (वि.म.)	
46.	नांगल से भैरूखेजड़ा	2.00	-	-	स्वीकृत (वि.म.)	
47.	चेतावाला से बदनपुरा	1.80	-	-	स्वीकृत (वि.म.)	

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अनुशंषा पर कुटीर उद्योगों को ऋण

560. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2000 से अब तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को ऋण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

(2) उक्त में से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने आवेदकों को बैंकों से ऋण देने हेतु सिफारिश की गई ?

(3) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सिफारिश पर बैंकों द्वारा कितने कुटीर उद्योगों को ऋण स्वीकृत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2000 से फरवरी, 2005 तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को ऋण हेतु 18081 ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(2) उक्त सभी ऋण आवेदन पत्रों को राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी क्षेत्र के बैंक एवं प्राईवेट क्षेत्र के बैंको को अग्रेषित कर दिए।

(3) बोर्ड की सिफारिश पर बैंको द्वारा 9561 कुटीर उद्योगों को वर्ष 2000 से अब तक निम्नानुसार ऋण स्वीकृत किया गया। वर्षवार स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र संख्या
1.	2000-01	2000	2368
2.	2001-02	2500	2668

(उद्योग मंत्री)

1	2	3	4
3.	2002-03	3000	2959
4.	2003-04	1049	1019
5.	2004-05 (फरवरी, 2005 तक)	758	447

सीकर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वितरित ऋण

561. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले के लिए गत वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्या लक्ष्य निर्धारित थे ?

(2) उक्त लक्ष्यों के विरूद्ध जिला उद्योग कार्यालय, सीकर द्वारा बैंको को ऋण वितरण हेतु कितने प्रकरण भिजवाये गये तथा बैंकों द्वारा कितने प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किया गया ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऋण वितरण के आधार पर योजना में लक्ष्य उपार्जन कितना प्रतिशत रहा ?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत सीकर जिले के लिए गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में 365 युवकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित था।

(2) 365 के लक्ष्यों के विरूद्ध जिला उद्योग केन्द्र, सीकर द्वारा 1098 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को ऋण स्वीकृत एवं वितरण करने के लिए अग्रेषित किये जिसमें 559 आवेदन पत्र पिछले वर्षों के जो विभिन्न बैंकों द्वारा

निरस्त कर लौटाये गये थे, भी शामिल है। बैंको द्वारा माह फरवरी, 2005 तक 278 युवकों को ऋण वितरण किया गया। बैंक वार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रायोजित ऋण आवेदन	ऋण स्वीकृत	प्रशिक्षण	वितरण
1.	आई.ओ.बी.	11	7	6	4
2.	ओ.बी.सी.	44	10	10	10
3.	केनरा बैंक	29	15	14	13
4.	देना बैंक	38	14	10	12
5.	पी.एन.बी.	408	147	140	101
6.	बी.ओ.आई.	10	7	7	7
7.	बी.ओ.आर.लि.	49	9	8	6
8.	बी.ओ.बी.	143	49	43	38
9.	एस.बी.आई.	35	14	13	10
10.	यूको	16	6	5	5
11.	एस.बी.बी.जे.	301	97	87	66
12.	सी.बी.आई.	14	8	8	6
	योग	1098	383	351	278

(3) 365 के लक्ष्य के विरुद्ध 76.16 प्रतिशत ऋण वितरण हुआ।

बाट-माप निरीक्षकों के रिक्त पद

562. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(1) अधीनस्थ सेवा वर्ग में बाट-माप विभाग में कितने निरीक्षक कार्यरत हैं ?

(2) वर्ष 2001 के पश्चात् निरीक्षक, बाट-माप (निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान) के पद पर कितने व्यक्तियों का पदस्थापन किया गया ? सूची मय दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में बाट-माप निरीक्षक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितने ?

(4) क्या यह सही है कि बाट-माप निरीक्षकों का जॉब चार्ट निर्धारित है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में अधीनस्थ सेवा संवर्ग में 32 कार्मिक निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के पदों पर कार्यरत हैं।

(2) वर्ष 2001 के पश्चात् विभाग में एक कार्मिक को निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के पद पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधान अनुसार नियुक्ति/पदस्थापन आदेश दिनांक 31-1-2004 द्वारा किया गया।

(3) जी हां। विभाग में वर्तमान में निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के कुल आठ पद रिक्त हैं, विवरण निम्न प्रकार है:- भीलवाड़ा-01, जोधपुर-02, भिवाड़ी-01, धौलपुर-01, डूंगरपुर-01, राजसमंद-01 और बारां-01

(4) जी हां। बाट एवं माप अधिनियम एक समवर्ती सूची का विषय है जिसके अन्तर्गत बाट व माप के स्टैण्डर्डस केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा आम उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने का (प्रवर्तन) कार्य का जिम्मा राज्य सरकार को दिया हुआ है। निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान निम्न

अधिनियमों/नियमों की पालना सुनिश्चित करता है :-

1. बाट व माप मानक अधिनियम, 1976
2. बाट व माप मानक (पैकेज कोमोडिटीज) रूल्स, 1977
3. ‍ ‍ट व माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985
4. राज. बाट व माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1997
5. ‍ ‍ट व ‍ ‍प मानक (सामान्य) नियम, 1987
6. ‍ ‍ट व ‍ ‍प मानक (माडल अनुमोदन) नियम, 1987
7. बाट व ‍ ‍प मानक (न्यूमरेशन) नियम, 1987
8. बाट व माप मानक (अन्तर्राष्ट्रीय सत्यापन व मुद्रांकन) नियम, 1987
9. बाट व माप मानक (राष्ट्रीय मानक) नियम, 1998
10. एडीबल आयल (पैकेजिंग) रेग्यूलेशन आर्डर, 1998

उपरोक्त अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान (बाट व माप) निम्न आधारभूत कर्तव्यों का निर्वहन करता है :-

1. प्रयो‍ ‍शाला के स्टेण्डर्डस/मानक बाटों मापों को सुरक्षित रखना एवं उन्हें ‍ ‍पनी स्वयं की सुरक्षा में रखना।
2. निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान अपने कार्य क्षेत्र की सीमान्तर्गत प्रत्येक व्यापारी/दुकान औद्योगिक इकाई में प्रयोग में लाये जाने वाले प्रत्येक बाट व माप तोलने के यंत्रों/धर्म कांटों/पैट्रोल/डीजल पम्पों/डीजल पैट्रोल के टैंकरों, इलेक्ट्रोनिक व्हेईंग मशी‍ ‍ का प्रति बारह माह में एक बार फिजीकली उसकी सही होने की जांच कर

(उद्योग मंत्री)

सत्यापित करने के पश्चात् उस अवधि की मुद्रांकन सील अंकित करना। कई औद्योगिक इकाईयों में स्टोरेज टैंक होते हैं, उनका भी सत्यापन करना।

3. उपरोक्त प्रकार के सभी बाटों, माप, तोल उपकरणों, टैंकों के सत्यापन से पूर्व उनका सत्यापन शुल्क जरिये नकद रसीद जारी कर जमा कराने, शुल्क जमा कर सत्यापन मुद्रांकन करना, सत्यापन व मुद्रांकन करने पर प्राप्त परिणाम हेतु सत्यापन का प्र..ाण-पत्र निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान द्वारा जारी कर व्यापारी को दिया जाना।

4. निरीक्षक, बाट माप सत्यापन शुल्क को व्यापारियों से वसूलता है, की राजस्व पंजिका संधारित करना और संकलित राजस्व को निर्धारित समयावधि में जमा करवाना।

5. प्रयोगशाला के अन्यत्र बाट माप सत्यापन व मुद्रांकन शिविर आयोजित करना, जिसमें उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार बाट माप का कार्यवाही मानको के विपरीत सही होने की जांच करना एवं सही पाये जाने पर उसे मुद्रांकित कर सत्यापन प्रमाण-पत्र देना

6. बाट व माप तोलने मापने के उपकरणों के मुद्रांकन कार्य करने के पश्चात् निरीक्षक, अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर ऐसे व्यापारी/ दुकानदारों के संस्थानों की जांच करना, जो अपने बाट माप तोल माप उपकरणों का प्रतिवर्ष सत्यापन नहीं करवाते हैं, उनके विरुद्ध बाट-माप मानक अधिनियम, 1985 के तहत अभियोग दर्ज करना एवं उसकी आगे की लीगल वांछित कार्यवाही कर दो.. को दण्डित करवाना।

(उद्योग मंत्री)

7. बाट व माप मानक (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 1977 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत पैक्ड सामग्री पर आवश्यक घोषणाएं, निर्माता का नाम व पता, कीमत, पैकिंग तिथि, शुद्धमात्रा अंकित है या नहीं तथा वस्तु की मात्रा जो पैकिंग पर अंकित है, के अनुसार सही है या नहीं देखना। अगर नियमों के विपरीत पैकेट मिलता है तो उक्त नियमों के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करना।

अतः बाट माप अधिनियमों/नियमों के तहत निरीक्षकों को उपरोक्त कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, यही निरीक्षक विधिक माप विज्ञान का जाब चार्ट है।

विक्रम आटो हेतु स्वीकृत अवधि-पार ऋण प्रकरणों का निस्तारण

563. श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में विक्रम आटो रिक्शा के अवधिपार ऋण खातों को निपटाने हेतु वर्ष 2002-03 में कितने व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने खातों का निपटारा किन शर्तों पर किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में ऋण की मूल राशि जमा कर इन ऋण खातों का निपटारा किया गया ? यदि हां, तो किन-किन का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में भी यही योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त ऋणदाता मूल रकम जमा कराकर अपने खातों का निपटारा करवा सकता है ?

उत्तर

(1) वर्ष 2002-03 में अवधिपार विक्रम/आटो रिक्शा के तीन व्यक्तियों के द्वारा शाखा कार्यालय जयपुर स्तर पर रजिस्ट्रेशन फीस बतौर रुपये 1000/- जमा कराये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम	रजिस्ट्रेशन तिथि	रजि. फीस	अपफ्रन्ट राशि
1.	श्री लक्ष्मीनारायण	10-12-2002	1000/-	25000/-
2.	श्री मोहनलाल रामगोपाल	19-12-2002	1000/-	29000/-
3.	श्री रामचन्द्र गोडीवाल	26-12-2002	1000/-	4000/-

(2) उक्त में से क्र.सं. 1 श्री लक्ष्मीनारायण के ऋण खाते को डी.एल.सी. की बैठक दिनांक 3-2-2003 की सिफारिश पर एच.ओ.एल.सी. द्वारा दिनांक 22-11-2003 को रुपये 22500/- में निपटारा किया गया जिसका भुगतान दिनांक 19-11-2003 को कर दिया गया। क्र.सं. 2 श्री मोहनलाल के प्रकरण में डी.एल.सी. की बैठक दिनांक 25-2-2003 के अन्तर्गत ऋण खाते को साधरण ब्याज के आधार पर निपटाया गया किन्तु ऋणी ने इस निर्णय की अनुपालना से असहमति व्यक्त की। क्र.सं. 3 श्री रामचन्द्र गोडीवाल के प्रकरण में डी.एल.सी. की बैठक दिनांक 26-3-2004 के अन्तर्गत ऋणी द्वारा डी.एल.सी. की सिफारिश से असहमति होने के कारण प्रकरण को खारिज कर दिया गया।

(3) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 तक किसी भी ऐसे ऋण खाते का मूल राशि के आधार पर निपटारा नहीं किया गया

(4) वर्तमान में निगम द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए छोटे प्रकरण जिसमें वितरण राशि रुपये 50000/- तक की है उनका निपटारा शाखा स्तर पर बकाया मूल राशि व अन्य राशि (अदर मनी) पर किया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन शाखा स्तर पर दिनांक 31-3-2005 तक कराया जा सकता है।

नंगलिया ग्राम, भिवाड़ी (अलवर) की गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि का नियम विरुद्ध बेचान

564. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा के भिवाड़ी क्षेत्र के ग्राम नंगलिया के खसरा नं. 111 रकबा 19 बिस्वा गैर मुमकिन जोहड़ है ? यदि हां, तो वर्तमान में इस खसरे की क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जोहड़ की भूमि तत्कालीन बीड़ा (भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण) अब रीको द्वारा अपने कब्जे में लेकर उस भूखण्ड सं. एस.पी.-16 दर्ज कर एक बिल्डर को संयुक्त उद्यम में शापिंग माल बनाने हेतु बेच दिया/स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(3) क्या यह सही है कि गैर मुमकिन जोहड़ को अन्य उपयोगार्थ बेचान नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो इसका किस प्रकार बेचान अथवा स्थानान्तरण किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जोहड़ से इस क्षेत्र का जल स्तर उचित बनाये रखने में काफी योगदान रहा है ?

उत्तर

(1) ग्राम नंगलिया के खसरा नम्बर 111, रकबा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार रीको के नाम दर्ज है।

(2) उक्त भूमि पूर्व में ही रीको के कब्जे में थी तथा तत्कालीन बीडा द्वारा इस भूमि पर भूखण्ड संख्या एस.पी.-16 दर्ज नहीं किया गया अपितु भूखण्ड संख्या एस.पी.-216 के लिए दिनांक 5-2-2003 को संयुक्त उपक्रम में व्यवसायिक/आवासीय परिसर हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गयी थीं, जिसमें

(उद्योग मंत्री)

मैसर्स मिस्टी मिडोज प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम में अनुपातिक निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर उक्त भूखण्ड निर्माण हेतु आबंटित किया गया.

(3) चूंकि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रीको के नाम दर्ज है तथा इस भूमि के आसपास सम्पूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं आवासीय कालोनी विकसित की हुई है। अतः तत्कालीन बीडा के नियमानुसार इसका बेचान नीलामी के माध्यम से किया गया।

(4) अलवर जिले में तहसील तिजारा के भिवाड़ी क्षेत्र के गांव नंगलिया खसरा नं. 111 रकबा 19 बिस्वा गैर मुमकिन जोहड़ आकलन रिपोर्ट 2001 के अनुसार पोटेशियल जोन ए में आता है जिसकी भूजल विकास दर 106.04 है तथा यह अति दोहित (ओवर एक्स प्लोटेड) श्रेणी में आता है इस जोन का भूजल एल्यूवियम में पाया जाता है एवं वर्तमान में जल स्तर 28-35 मीटर के मध्य है। यहां 1984-2004 के बीच जल स्तर में करीबन ..49 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गयी है यहां निर्मित नलकूपों में से पानी की आवक 2500-3000 गैलन प्रति घंटा है. एवं पानी की किस्म पीने योग्य है। उपरोक्त खसरा नम्बर 111 में गडपति पाल की बहु मंजिली इमारत निर्माणाधीन है। जिसकी कई मंजिले बन चुकी हैं। अतः वर्तमान में यहां कोई जोहड़ नहीं है। जहां तक जोहड़ से इस क्षेत्र का जल स्तर बनाये रखने में योगदान का सम्बन्ध में इस क्षेत्र में भूजल स्टेटा परिमियबल है. अतः किसी भी जोहड़ में पानी रहता तो भूजल पुनर्भरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है.

एग्रो फूड पार्क रानपुर (कोटा) की भूमि पर अवैध मिट्टी खनन

565. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि एग्रो फूड पार्क रानपुर, कोटा (रीको) की भूमि पर अवैध मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अवैध खनन को रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। एग्रो फूड पार्क रानपुर, कोटा में अवैध मिट्टी खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है। परन्तु एग्रो फूड पार्क रानपुर, कोटा के समीप निगम की खुली भूमि पर मिट्टी का अवैध खनन कार्य किया जा रहा है जिसके लिए जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति ने इस क्षेत्र का समय-समय पर निरीक्षण कर उसे रोकने के लिए कार्यवाही की। अवैध खननकर्ताओं द्वारा बाधा पहुंचाने के कारण खनिज विभाग के कर्मचारी द्वारा थानाधिकारी, विज्ञान नगर, कोटा के यहां प्रथम सूचना रिपोर्ट 22-12-2004 को दर्ज कराई है जिसका एफ.आई.आर. नम्बर 623/1 है। निगम द्वारा अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

ट्यूबवैल निर्माण हेतु निर्धारित शर्तें/मानदण्डों में परिवर्तन

566. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ट्यूबवैल निर्माण के लिये कार्य ठेके पर दिये जाने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ट्यूबवैल निर्माण कार्य को ठेके पर दिये जाने के मानदण्ड व शर्तों में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो इससे पूर्व ट्यूबवैल निर्माण कार्य को ठेके पर देने के क्या मानदण्ड व शर्तें थीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मानदण्ड व शर्तों में परिवर्तन करने से एक ही ठेकेदार के पास कार्याधिक होने से सुचारु रूप से पेयजल पहुंचाने में कठिनाई आती है ?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(4) क्या सरकार इन मानदण्डों व शर्तों में परिवर्तन कर पूर्ववत् व्यवस्था को ही बहाल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नलकूप निर्माण के लिए कार्यभार का आंकलन कर भू-जल विभाग एवं विभागीय रिगों की क्षमता से तुलनात्मक अध्ययन कर शे . आवश्यक कार्य ठेके पर करवाया जाता है। भारतीय मानक संस्था द्वारा कार्य हेतु तय किए गए मानदण्ड प्रयुक्त किए जाते हैं।

(2) जी हां। 10/2004 से पूर्व सामान्य श्रेणी में पंजीकृत संवेदक निविदा में भाग ले सकता था तथा न्यूनतम प्राप्त दरों पर समानान्तर संविदा के अनुसार विभिन्न फर्मों पर आदेश देने का प्रावधान था।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर कार्य-प्रभारित कर्मियों का समायोजन

567. श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा (फागी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने (कार्य-प्रभारित) वर्क चार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं ? स्थाई, अर्द्ध-स्थाई एवं तदर्थ (केजुअल) के विवरण सहित संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कार्यरत ऐसे कार्य-प्रभारित कर्मचारियों जिन्होंने वर्क चार्ज कर्मचारी सेवा नियम, 1964 के अनुसार दैनिक

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

वेतन पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा अर्द्ध-स्थाई घोषित कर दिये गये हैं, को दो वर्ष पूर्ण करने की अवधि से वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब ऐसे अर्द्ध-स्थाई कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन श्रृंखला का लाभ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार रिक्त पड़े कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर इस पद हेतु योग्यता रखने वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों को समायोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्कचार्ज कर्मचारी की संख्या (1-1-2004 की स्थिति) निम्नानुसार है :-

कुल वर्कचार्ज कर्मचारी	कुल अर्द्धस्थाई	कुल स्थाई	कैज्युअल कर्मचारी	नियमित
21932	5902	2709	202	13119

(2) जी हां। समय-समय पर की गई कार्यवाही राजस्थान कार्यप्रभारित सेवा नियम, 1964 के नियम 3(3) सपठित कार्मिक ए-ग्रुप-II के परिपत्र संख्या प.5(II)डी.पी.ओ./ए-II/74 दिनांक 19-9-1986 के अनुसार है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) वर्तमान सेवा नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

सहायक अभियन्ता कार्यालय क्षेत्र बीदासर के ग्रामीण क्षेत्रों में सांसद/विधायक को. के अन्तर्गत निर्मित नलकूप

568. **श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड कार्यालय सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के अन्तर्गत सहायक अभियम्ता बीदासर के अधीन वर्ष 2001 से 2005 तक सांसद व विधायक को. से गांवों व ढाणियों में पेयजल हेतु नलकूप बनाये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब व कितने ?

(2) क्या उक्त अवधि में बनाये गये नलकूप चालू कर दिये गये ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के अन्तर्गत उपखण्ड बीदासर, जिला चूरू में वर्णित अवधि में विधायक कोष के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित एवं चालू किये गये नलकूपों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत व.	स्वीकृत नलकूप	चालू	चालू करने का माह/व.
1.	जोगलसर	2003-04	1	1	फरवरी, 2004
2.	सड़ू छोटी	2003-04	1	1	फरवरी, 2004
	कुल		2	2	

सांसद कोष में वर्णित अवधि में कोई नलकूप स्वीकृत नहीं है।

(2) जी हां, उपरोक्तानुसार।

नई अनाज मण्डी, गंगापुर सिटी में निर्मित उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति

569. श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) में नई अनाज मण्डी में करीब 25 लाख रुपये की लागत से एक टंकी का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो उक्त टंकी से पेयजल आपूर्ति कब तक शुरू कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

- उत्तर

जी हां। वर्णित उच्च जलाशय को उपलब्ध स्थानीय स्रोतों से जोड़ा जाकर दिनांक 30-3-2005 से आंशिक पेयजलापूर्ति आरम्भ कर दी गई है।

माह मार्च, 2005 में स्रोत संवर्धन हेतु स्वीकृत शहरी योजना, गंगापुर सिटी में प्रस्तावित 6 नलकूपों का कार्य शीघ्र पूर्ण कर माह जून, 2005 में उक्त उच्च जलाशय से पूर्ण पेयजल वितरण करना प्रस्तावित है।

लूणी विधान सभा क्षेत्र की जल परियोजनाओं पर अवैध जल सम्बन्ध

570. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में कितनी जल परियोजनाएं कब से, किन किन क्षेत्रों में चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी की जल परियोजनाओं पर कितने लोगों ने कब से अवैध जल सम्बन्ध स्थापित किये हैं ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कब कब क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित गांवों का विवरण निम्न प्रकार है :-

योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	लाभान्वित गांव
क्षेत्रीय जल योजना	14	159
पम्प एवं टैंक योजना	2	2
योग	16	161

वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट-'3' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी में संचालित पेयजल योजनाओं पर वर्तमान सर्वेक्षण अनुसार लगभग 3500 व्यक्तियों द्वारा अवैध जल सम्बन्ध किये हुए हैं। जल सम्बन्ध अवैध रूप से होने के कारण इनका निश्चित समय निर्धारण सम्भव नहीं है।

अवैध जल सम्बन्ध बाबत सामान्यतः निम्न प्रकार से विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है -

(अ) प्रशासन गावों की ओर प्रशासन आपके द्वार आदि अभियान में लोगों को जानकारी देना।

(ब) विभाग द्वारा अवैध जल सम्बन्ध हटाने पर ग्रामीणजनों द्वारा झगड़ा इत्यादि करने पर कानूनी कार्यवाही करना।

(स) प्रशासनिक स्तर एवं जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में अवैध जल सम्बन्ध हटाने एवं पुनः न करने बाबत सहयोग मांगना।

परिशिष्ट-'3'

विधान सभा क्षेत्र लूणी के अन्तर्गत संचालित एवं संधारित पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम		लाभान्वित ग्राम का नाम	कोड नं.	योजना का लाभान्वित वर्ष
1.	क्षेत्रीय जल योजना डोली-धवा	1.	डोली	01993100	1972-73
		2.	हीरखेड़ा	01994000	
		3.	खारडा भाण्डू	01994200	
		4.	भाण्डू कलां	01994300	
		5.	नारनाडी	01994400	
		6.	कटारड़ा	01994500	
		7.	रोहिला भाण्डू	01994600	
		8.	जाटियासनी	01994700	
		9.	खुडाला	01994800	
		10.	लूणावास खारा	01994900	
		11.	विष्णु की ढाणी	01995000	
		12.	झंवर	01995100	
		13.	गुलाबनगर	01995200	

1	2	3	4	5	6
		14.	पाबू नाडा	01995300	
		15.	जानादेसर	01995400	
		16.	खेजड़ा नाड़ा	01995500	
		17.	मेहरामनगर	01995600	
		18.	राबड़िया	01995700	
		19.	हिंगोला	01995800	
		20.	चिचरली	01995900	
		21.	पुरखावास	01996000	
		22.	परिहारों की ढाणी	01996100	
		23.	मोडीथला	01996200	
		24.	जोगियासनी	01996300	
		25.	बेवट	01996400	
		26.	खातावास	01996500	
		27.	राबड़ियावास	01996600	
		28.	मेलबा	01996700	
		29.	धवा-प्रथम	01996800	
		30.	लूणावास खुर्द	01996900	
		31.	लूणावास चारणा	01997000	
		32.	गेलावास	01997100	

1	2	3	4	5	6
		33.	सेवाला	01997200	
		34.	चारली	01997300	
		35.	धवा-द्वितीय	01997400	
		36.	दहिपड़ा खीचिया	01997500	
		37.	सिनली	01998000	
		38.	लूणावास जाटा	01998100	
		39.	लूणावास कलां	01998200	
		40.	शिव गांव	01998300	
		41.	बड़लिया	01998400	
		42.	भाण्डू खुर्द	01998600	
		43.	रामनगर	01998700	
		44.	बासनी झूठा	01998800	
		45.	फींच	01999100	
		46.	हनुमान नगर	01999200	
		47.	हमीरनगर	01999300	
		48.	कालीजाल	01999400	
		49.	मेलावास	01999500	
		50.	पन्नेसिंह नगर	01999600	

1	2	3	4	5	6
2.	पी.एण्ड टी. बूजावड़	1.	बूजावड़	01993000	1981-82
3.	क्षेत्रीय जल योजना फिटकासनी	1.	फिटकासनी	1964500	1972-73
4.	क्षेत्रीय जल योजना कूड़ी मोगड़ा	1.	मोगड़ा कलां	01994600	1976-77
		2.	मोगड़ा खुर्द	02003200	
		3.	कांकाणी	02003100	
		4.	निम्बला	02002900	
		5.	डोली कांकाणी	02002800	
5.	क्षेत्रीय जल योजना सलावास-नन्दवान	1.	सलावास	01994700	1983-84
		2.	नन्दवान	01994800	
		3.	शिकारपुरा	02002700	
		4.	लूणी	02002500	
		5.	सरेचा	01999900	
		6.	सरेचा	01999800	

1	2	3	4	5	6
		7.	चावड़ों की ढाणी	01995000	
		8.	धांधीया	02002400	
		9.	राजौर	02002600	
		10.	तनावड़ा	01994300	
		11.	भाकरासनी	01994400	
		12.	बासनी बाघेला	01994500	
6.	क्षेत्रीय जल योजना धुंधाड़ा पीपरली	1.	धुंधाड़ा	02000900	1974-75
		2.	उत्तेसर	01998600	
		3.	सुबदण्ड	01998800	
		4.	कागनाडा	01998700	
		5.	पीपरली	02000800	
		6.	रोहिचा कलां	02000600	
		7.	रोहिचा खुर्द	02000700	
		8.	लोलासनी	02001100	
		9.	सनई	01998500	

1	2	3	4	5	6
7.	क्षेत्रीय जल योजना सतलाना दूधीया (कुड़ी सतलाना)	1.	सतलाना	0200160(	1972-73
		2.	दूधीया	02001700	
		3.	भाचरना	0200120(	
		4.	भाखरी	02001800	
		5.	चैनपुरा भाटान	02001900	
		6.	करनीयाली	02002000	
		7.	विष्णु की ढाणी	02002300	
		8.	गोलिया मगरा	02001400	
		9.	रेन्दरी	02002100	
		10.	मोर्ड	02001300	
		11.	वींसावास	02002200	
		12.	जांगुवास	02001300	
8.	पी. एण्ड टी. लाकड़थुम्ब	1.	लाकड़थुम्ब	02001000	198[illegible]-89
9.	क्षेत्रीय जल योजना खेजड़ली बिसलपुर	1.	गुड़ा विश्नोईयां	02003300	198[illegible]-81

2	3	4	5	6
	2.	खेजड़ली कलां	02003400	
	3.	काकेलाव	01968900	
	4.	पीथावास	01968800	
	5.	बिडासनी	01969500	
	6.	भगतासनी	02003600	
	7.	सांगासनी	02003700	
	8.	चारणा बासनी	01969000	
	9.	मियासनी	01969600	
	10.	रूड़कली	01969700	
0. क्षेत्रीय जल योजना मोडी सूथरा बीरामी	1.	खारा बेरा पुरोहितां	02003000	1982-83
	2.	बीरामी	01969100	
	3.	बिरडावास	01969500	
	4.	पिथासनी	01969200	
	5.	गोलिया मगरा	01969300	
	6.	सेवालों की ढाणी	01969400	
	7.	खारी खुर्द	01969900	
	8.	खारी कलां	01970000	

1	2	3	4	5	6
		9.	मोरदूका	01970100	
		10.	सिंगासनी	02003700	
		11.	गुजरावास	02003900	
		12.	खेजड़ली खुर्द	02004100	
		13.	बाणीयावास	02004600	
		14.	खाराबेरा भीमतान	02004500	
		15.	मोडी सूथरा	02004700	
		16.	मोडी जोशियान	0200480(	
		17.	सजाड़ा	02004900	
		18.	भटिण्डा	01970300	
		19.	लोलावास	01970200	
		20.	मोकलासनी	01970400	
		21.	पाबुपुरा भाटान	01970500	
		22.	पीसावास	02004000	
11.	क्षेत्रीय जल योजना बाणियावास घिंगाना	1.	पाबुपुरा कुम्हारा	02004400	2000-0

1	2	3	4	5	6
		2.	धिंगान	020042[illegible]	
		3.	राजपुरिया	02004300	
12.	क्षेत्रीय जल [illegible] कुड़ी [illegible]	1.	बिसलपुर	01968600	1999-2[illegible]
		2.	भाटों की ढाणी	01968500	
		3.	धायलों की ढाणी	01968300	
		4.	डोलिया	01968100	
		5.	जटियावास	01968700	
		6.	जालेली चम्पावतां	019680[illegible]	
		7.	पालासनी	01969800	
13.	क्षेत्रीय जल [illegible] [illegible] बुचकला [illegible]	1.	बेनन	02008000	200[illegible]
		2.	चोडा	02008300	
14.	क्षेत्रीय जल [illegible] [illegible] बिसलपुर [illegible]	1.	बीनावास	02008400	200[illegible]

1	2	3	4	5	6
		2.	चांदेलाव	02008600	
		3.	विष्णु की ढाणी	02008500	
		4.	कापरड़ा	02008800	
		5.	रामनगर	02009100	
		6.	बोयल	02009200	
		7.	जालखा	02007400	
		8.	विष्णु नगर	02008100	
		9.	बासनी कापरडा	02008200	
		10.	सायरपुरा	02008900	
15.	क्षेत्रीय जल योजना जालखा-बोयल-कापरड़ा	1.	सिलारी	02009300	1980
		2.	जसपाली	02007500	
16.	क्षेत्रीय जल योजना लाम्बा-बाला-मालकोसनी	1.	लाम्बा	02011100	1974-75
		2.	बाला	02012500	

1	2	3	4	5	6
		3.	रावट	02011300	
		4.	ओलवी	02011400	
		5.	रामपुरिया भाटियान	02011500	
		6.	रामासनी	02011600	
		7.	हुणगांव कला	02011800	
		8.	हुणगांव खुर्द	02011700	
		9.	होलपुर कलां	02011900	
		10.	होलपुर खुर्द	02012300	
		11.	कानावासिया	02011200	
		12.	मतवालों की ढाणी	02012600	
		13.	सिन्धी नगर	02008700	
		14.	जाम्बा नगर	02009000	
योग (कुल गांव) :-		161			

राजीव गांधी पेयजल मिशन योजनान्तर्गत जिला बाड़मेर की चिह्नित ढाणियों को पेयजल आपूर्ति

571. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 में राज्य में राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत ढाणियों के चिन्हीकरण का सर्वे कार्य करवाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सर्वे कार्य आज भी पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिला बाड़मेर की कई ढाणियां सर्वे में शामिल नहीं हो पाई ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 500 मीटर की दूरी पर स्थित ढाणियों को सर्वे में शामिल करने हेतु पुनः सर्वे के आदेश जारी किये गये हैं, जिस पर भी आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई ? यदि हां, तो सरकार कब तक सर्वे कार्य पूर्ण करवाकर इन ढाणियों को पेयजल मुहैया करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ढाणियों के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला बाड़मेर की समस्त ढाणियों के सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) जी नहीं। प्राथमिक सर्वेक्षण हो चुका है। बाड़मेर जिले में 500 मीटर दूरी के सन्दर्भ में डाटा बेस की सोर्टिंग का कार्य प्रगति में है। वर्तमान नीति के अनुसार जहां 1600 मीटर दूरी में पेयजल उपलब्ध है उसे लाभान्वित माना जाता है। सर्वेक्षण के नतीजे एकजाई होने पर नीतिगत निर्णय 500 मीटर करने पर आने वाले वित्तीय भार आंकलन व संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य प्राथमिकताओं के अनुसार पेयजल मुहैया करवाना सम्भव होगा।

पचगांव ग्राम (धौलपुर) में उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति

572. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम पचगांव में उच्च जलाशय द्वारा पानी वितरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम में उच्च जलाशय द्वारा पानी की आपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित गांव में निर्मित स्रोतों (3 खुले कुएं) में अपर्याप्त भू-जल उपलब्धता के कारण।

(2) जी हां। तात्कालिक समाधान के तहत उल्लेखित गांव हेतु माह मई, 2004 में स्वीकृत योजना के अनुरूप गांव से लगभग तीन किलोमीटर दूर प्रस्तावित नलकूप का निर्माण पूर्ण कर लिया है व पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य पूर्ण होने पर गांव में स्थित उच्च जलाशय को भरा जाकर माह जुलाई, 2005 तक पेयजल वितरण करना प्रस्तावित है।

दीर्घकालिक समाधान के तहत उक्त गांव स्वीकृत चम्बल-धौलपुर-भरतपुर प्रथम चरण की योजना में सम्मिलित है। इस योजना को माह दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

फलासिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बागपुरा हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना

573. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के गांव बागपुरा हेतु पेयजल योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से व कितनी राशि की ?

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

(2) क्या यह भी सही है कि अधिक आबादी व वृहद् पेयजल सप्लाई की मांग को देखते हुए इस योजना का आकार बढ़ाने व अधिक धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्षेत्रीय विधायक व अन्य माध्यमों से लिखित व मौखिक आग्रह किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) क्या सरकार बागपुरा व आस-पास के क्षेत्र की पेयजल किल्लत को देखते हुए शीघ्र परिवर्तित स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उल्लिखित गांव हेतु राशि रुपये 31.80 लाख की योजना माह जुलाई, 2003 में स्वीकृत की गई थी परन्तु योजना में प्रस्तावित फिल्टर प्लान्ट निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं में अनुमानित लागत से अत्यधिक लागत आने के कारण योजना के संशोधित प्रस्ताव (राशि रु. 48.34 लाख) दिनांक 2 मार्च, 2005 को प्राप्त हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उल्लिखित योजना के जांच में सही पाये जाने पर योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन सम्भव होगा।

राज्य में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

574. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2000 से 2004 तक राज्य में कितने अवैध खनन के मामले ध्यान में आए उनमें से कितने मुकदमे दर्ज कराए गए व कितनों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया ? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सन् 2000 से 2004 तक राज्य में कुल 2109 मामले अवैध खनन के ध्यान में आये हैं, जिनमें से 177 मामलों में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है व 99 मामलों में चालान पेश किये गये हैं। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	कुल अवैध खनन के मामले	एफ.आई.आर. दर्ज की संख्या	चालान पेश किये गये संख्या
2000	401	10	9
2001	532	29	12
2002	628	27	12
2003	252	42	18
2004	296	69	48
योग	2109	177	99

लिग्नाइट खनन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश

575. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को लिग्नाइट खनन हेतु पट्टा देने से पूर्व नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन से पुर्वानुमति लेने के निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अपने यह निर्देश वापस लेने के लिए लिखा है ? यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

राज्य सरकार के उपक्रम/कम्पनी को लिग्नाइट का खनन पट्टा देने

(खनिज मंत्री)

से पूर्व नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन से पुर्वानुमति लेने के निर्देश केन्द्र सरकार के पत्र दिनांक 12-12-2001 के द्वारा जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को निर्देश वापस लेने के लिए पत्र लिखा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त निर्देश को वापस लेने के लिए आश्वासन दिया गया है।

करौली में खनन पट्टों हेतु लम्बित अनापत्ति प्रमाण-पत्र

576. श्री सुखलाल मीणा (सपोटरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ठेकेदार को जारी खनन पट्टे को ठेकेदार किसी अन्य को सबलेट कर सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली में खनन ठेकेदारों द्वारा खानों को अन्य लोगों को सबलेट करने की शिकायतें गत तीन वर्षों में सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन के द्वारा तथा सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखत‍ै ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) वर्ष 1988 से 2004 तक उक्त क्षेत्र के कितने ठेकेदारों के ठेके रिन्यू किये गये तथा क्या उनके एग्रीमेंट कर दिये गये ? यदि हां, त किन किन के व नहीं, तो क्यों ?

(5) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र कितने ठेकेदारों को वर्ष 1980 से 2004 तक नान-फोरेस्ट एरिया के नक्शे वन विभाग को भेजे गये तथा उनमें से किन किनकी स्वीकृति जारी कर दी गई ? अब कितने प्रकरण किन-किन कारणों से शे. हैं ?

(श्री सुखलाल मीणा)

(6) सरकार शेष ठेकेदारों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खनन पट्टा सबलेट किये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से जांच की आवश्यकता नहीं है।

(4) वर्ष 1988 से 2004 तक किसी भी खनन पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

(5) वर्ष 1980 से 2004 तक की अवधि में विभाग द्वारा वन विभाग से स्टेट्स रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अब तक 98 प्रकरण वन विभाग को प्रेषित किये गये, जिनमें से 74 प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृति जारी की गई तथा शेष 24 प्रकरणों में वन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति आवेदनकर्ताओं द्वारा नहीं की गई है जिस कारण आवेदन-पत्र लम्बित है।

(6) जैसा कि प्रश्न के भाग संख्या 5 में उल्लेख किया गया है, आपत्तियों की पूर्ति आवेदनकर्ताओं द्वारा नहीं की गई, पूर्ति की जाने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।

पूर्वाग्रह से ग्रस्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

577. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेश मीणा)

(1) अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के सरकार के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) सरकार द्वारा राज्य में व ्र 1990 से अब तक कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जबरन या उनकी इच्छा के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई ? इनमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे मामलों में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी न्यायालय के आदेश से पुनः सेवा में आये, ऐसे मामलों में सेवानिवृत्ति की अनुशं ा किस किस अधिकारी द्वारा की गई ? क्या न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण में अनुशंषा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई विपरीत टिप्पणी की गई ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भविष्य में सरकार पुलिस विभाग में जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितने कर्मियों की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-244 (2) एवं संशोधित राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जाती है।

(2) (ए) पुलिस विभाग में वर्ष 1990 से अब तक कुल 492 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। जिनमें से 55 अनुसूचित जाति, 28 अनुसूचित जनजाति, 409 सामान्य वर्ग के हैं।

(गृह मंत्री)

(बी) होमगार्ड में वर्ष 1990 से अब तक कुल 7 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। जिनमें से 01 अनुसूचित जाति एवं 06 सामान्य वर्ग के हैं।

(3) वर्ष 1990 से 2004 तक विभाग में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये कर्मचारियों में से 24 पुलिसकर्मी न्यायालय के आदेश से पुनः सेवा में आये हैं। न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध विपरीत टिप्पणी अंकित नहीं की गई है।

(4) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है, जिसके अनुरूप विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

चित्तौड़गढ़ जिले के थानों में लम्बित चालान योग्य प्रकरण

578. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के विभिन्न थानों में वर्ष 2003 से दिसम्बर, 2004 तक चोरी, डकैती, बलात्कार, मारपीट, अपहरण, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार, खातेदारी जमीन पर जबरन कब्जा व सट्टा-जुआ के कितने मामले दर्ज किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दर्ज प्रकरणों में से ऐसे कितने प्रकरण हैं जो चालान योग्य होते हुए भी अब तक चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है ? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे कितने अपराधी हैं जो पुलिस की नजर में मुफरीर (वांटेड) हैं ? उक्त अपराधियों को अब तक

(श्री नन्दलाल मीणा)

नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं ? सरकार द्वारा अब उक्त अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के विभिन्न थानों में चोरी, डकैती, बलात्कार, मारपीट, अपहरण, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, अनु. जाति/जनजाति अत्याचार, खातेदारी जमीन पर जबरन कब्जा व सट्टा जुआ के वर्ष 2003 में दर्ज किये गये मामले थानावार एवं शीर्षकवार परिशिष्ट "अ" पर एवं वर्ष 2004 में दर्ज किये गये मामले परिशिष्ट "ब" पर वर्णित है।

(2) थानेवार दर्ज प्रकरणों में से चालान योग्य प्रकरणों के चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो चालान योग्य होते हुए भी अब तक चालान प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ के थाना क्षेत्रों में फरार अपराधियों की संख्या थानावार परिशिष्ट "स" पर वर्णित है। लम्बे समय से फरार चल रहे अपराधियों में से वर्ष 2004 में 81 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाकर गिरफ्तार किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2003 में दर्ज प्रकरण

क्र. सं.	नाम थाना	चोरी	डकैती	बलात्कार	मारपीट	अपहरण	हत्या	मादक प. की तस्करी	ST/ST खातेदारी जमीन से बेदखल	जुआ एक्ट
1.	चित्तौड़गढ़	125	-	1	131	15	1	1	-	23
2.	मंगरार	34	-	4	95	6	1	6	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	बिजयपुर	17	-	-	59	7	1	2	6	1
4.	चन्देरिया	46	-	2	142	4	3	3	2	2
5.	शम्भूपुरा	10	-	1	114	7	3	2	1	3
6.	कपासन	60	-	3	108	9	1	2	2	8
7.	राशमी	8	-	1	81	7	-	2	-	-
8.	आकोला	22	-	1	30	9	-	-	3	3
9.	बेगूं	38	1	6	104	7	1	4	1	7
10.	पारसोली	14	-	2	69	8	-	1	1	2
11.	रावतभाटा	19	1	2	85	8	-	8	-	14
12.	भैंसरोड़गढ़	6	-	2	50	5	-	-	-	2
13.	छोटीसादड़ी	26	-	2	106	11	2	2	2	5
14.	बड़ीसादड़ी	15	-	2	117	4	2	3	1	2
15.	निकुम्भ	7	-	1	38	6	2	1	-	-
16.	धोलापानी	1	-	1	38	-	2	-	-	-
17.	निम्बाहेड़ा	59	-	3	156	11	4	7	6	37
18.	भदेसर	29	-	1	113	10	4	1	2	6
19.	भादसोड़ा	29	-	1	109	6	-	2	3	1
20.	डूंगला	10	-	-	92	5	2	1	3	3
21.	कन्नेरा	5	-	1	13	2	-	2	-	1
22.	प्रतापगढ़	37	-	6	155	10	6	5	3	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	अरनोद	14	-	2	114	7	6	3	1	18
24.	सालमगढ़	9	-	13	39	7	3	2	2	45
25.	सुहागपुरा	4	-	8	29	8	-	1	-	-
26.	धमोतर	7	-	2	50	5	3	1	-	-
27.	रठांजना	4	-	3	43	3	1	3	-	2
28.	देवगढ़	2	-	7	40	4	2	-	-	-
[illegible]		657	2	78	2320	191	50	65	41	234

परि[illegible]

वर्ष 2004 में दर्ज प्रकरण

क्र. सं.	नाम थाना	चोरी	डकैती	बलात्कार	मारपीट	अपहरण	हत्या	मादक प. की तस्करी	SI/ST [illegible]	कु[illegible]
1.	चित्तौड़गढ़	141	2	2	149	16	4	13	1	99
2.	गंगरार	29	-	-	85	11	3	6	2	1
3.	बिजयपुर	15	-	1	70	5	-	1	7	[illegible]
4.	चन्देरिया	51	-	3	134	12	1	3	2	
5.	शम्भुपुरा	7	-	1	76	2	-	6	6	[illegible]
6.	कपासन	27	-	-	102	13	3	3	-	1
7.	राशमी	15	-	1	64	4	1	1	2	-
8.	आकोला	7	-	2	35	6	1	-	1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	बेगूं	56	-	1	100	12	1	4	3	6
10.	धारसोली	27	-	-	75	4	3	2	2	1
11.	रावतभाटा	25	-	1	86	8	1	9	-	7
12.	भैंसरोड़गढ़	6	-	5	53	1	-	-	2	2
13.	छोटीसादड़ी	24	-	-	88	5	2	3	3	5
14.	बड़ीसादड़ी	20	-	3	115	8	2	3	1	3
15.	निकुम्भ	6	-	2	40	4	1	-	2	1
16.	धोलापानी	1	-	3	29	1	-	-	-	2
17.	निम्बाहेड़ा	59	-	4	197	14	5	10	5	39
18.	भदेसर	19	-	1	108	2	-	3	3	18
19.	भादसोड़ा	19	-	1	65	2	2	4	3	3
20.	डूंगला	17	-	-	67	7	3	1	1	2
21.	कनेरा	7	-	-	25	2	-	-	3	1
22.	प्रतापगढ़	60	-	2	184	13	7	15	6	68
23.	अरनोद	10	-	6	93	9	2	6	2	23
24.	सालमगढ़	2	-	9	60	2	2	1	3	20
25.	सुहागपुरा	1	-	5	45	8	2	2	-	-
26.	धमोतर	9	-	6	53	4	-	3	4	1
27.	रठांजना	12	-	-	62	6	1	3	-	1
28.	देवगढ़	-	-	8	43	3	4	1	-	-
योग		672	-	67	2313	184	51	103	64	282

परिशि.ष्ट "स"

बिन्दु संख्या 3 : पुलिस की नजर में फरार चल रहे अपराध

क्र. सं.	नाम थाना	फरार अपराधि की संख्या
1.	चित्तौड़गढ़	58
2.	गंगरार	10
3.	बिजयपुर	5
4.	चन्देरिया	-
5.	शम्भूपुरा	-
6.	कपासन	-
7.	राशमी	5
8.	आकोला	-
9.	बेगूं	27
10.	पारसोली	-
11.	रावतभाटा	3
12.	भैंसरोड़गढ़	-
13.	छोटीसादड़ी	-
14.	बड़ीसादड़ी	4

1	2	3
15.	निकुम्भ	2
16.	धोलापानी	-
17.	निम्बाहेड़ा	1
18.	भदेसर	2
19.	भादसोड़ा	2
20.	डूंगला	4
21.	कनेरा	-
22.	प्रतापगढ़	64
23.	अरनोद	11
24.	सालमगढ़	-
25.	सुहागपुरा	1
26.	धमोतर	9
27.	रठांजना	8
28.	देवगढ़	3
योग		217

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद हेतु लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

579. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति के क्या नियम निर्धारित हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें लम्बे समय से आयोजित नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 153 पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में 18 पद रिक्त हैं।

(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम-32 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। उक्त नियम की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 2003-04 तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा चुकी है तथा वर्ष 2004-05 के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही विचाराधीन है।

(गृह मंत्री)

इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर सुपरटाइम स्केल एवं चयन वेतन श्रृंखला में वर्ष 1998-99 तक पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। इसके आगे के वर्षों के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नहीं हो पाई। माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के अध्यधीन विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही का प्रकरण अभी परीक्षणाधीन है।

(4) जी हां। माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के अध्यधीन विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही का प्रकरण अभी परीक्षणाधीन है।

परिशिष्ट-"अ"

@ "32 Appoint ient to senior posts :- (1) Appointment to

+ Added vide corrigendum No. F.10(1)D.O.P./A-II/72 dated 17.3.73. Second Proviso shall come in to force w.e.f. 19/2/73

@@ Inserted vide Notification No. F.7(7)D.O.P./A-II/75 dated 31.10.75 effective from 29.9.54

@ Substituted for :-

"32 Appoi tme t to Se ior posts.-(1) Appointment to senior scale and selection grade posts shall be made by Government from amongst the members of the Service on the basis of merit and seniority-cum-merit in the ration of 1:2 on the recommendations of a Committee which shall consist of the following :-

1. Chairman, Rajasthan Public Service Commission, Chairman or a member nominated by him. Member

2.	Chairman, Board of Revenue	Member
3.	Commissioner, Development Department	Member
4.	Special Secretary to Government in the Appointments Department	Secret y

(2) Except as provided in this rule, the procedure and the principles for selection by merit shall, in so far as it may apply, be the same as provided in rule 28-B, for selection by seniority-cum-merit, the Committee shall consider the cases of all the persons eligible for p o-motion by examining their Confidential Rolls and Personal Files and interviewing such of them as they may deem necessary, and shall select a number of candidates equal to the number of vacancies likely to be filled by promotion by seniority cum-merit.

Provided that Government may fill vacancy in the senic scale or selection grade posts temporarily by appointment thereto for a period not exceeding six months in an officiating capacity any member of the Service who is eligible for such appointment under the rules, vic : Notification No. F.1(6)Apptts/A-II/60/Pt II dated 6.10.66.

%"Senior scale, Selection scale and Super time scale" posts shall be made by Government from amongst the members of the Service on the basis of merit and Seniority-cum-merit ++ "Deleted" : nd e recommendation of a Committee which shall consist of the following :-

1.	Chairman, Rajasthan Public Service Commission of a member nominated by him	Chairm n
2.	Special Secretary to Government in the Appointments Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Member

% Substitu d for the expression :- "Se or scale and Selection grade" vide Not fication No. F.1(20)DOP/A-II/84 d d 17.7.1987.

++ Deleted the expression "in the ratio of 1:2" vide Notification No. F.1(20)DOP/A-II/84 d d 17.7.1987.

3.	Secretary to the Government in the Home Department	Member
4.	Inspector General of Police, Rajasthan, Jaipur	Member
5.	Deputy Secretary to Government in the Home Department	Non member Secretary

+ "Provide that in case any Member of Member-Secretary, as the case may be, constituting the Committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding charge of the post for the time being shall be the Member or Member-Secretary, as the case may be, of the Committee."

(2) Except as provided in this rule, the procedure and the principles for selection by merit shall in so far as it may apply, be the same as provided in the rule 28-A. For selection by seniority-cum-merit, the Committee shall consider the cases of all the persons eligible for promotion by examining their Confidential Rolls and Personal Files and interviewing such of them as they may deem necessary and shall select a number of candidates equal to the number of vacancies likely to be filled by promotion by seniority-cum-merit:

Provided that Government may fill a vacancy in the senior scale posts temporarily by appointment thereto for a period not exceeding (*one year) in an officiating capacity any member of the Service who is eligible for such appointment under the rules.

@ "(3) No member of the Service who has not completed 3 years service on the selected scale posts and 20 years service in all on the posts included in the Service shall be eligible for appointment on the super time scale posts."

+ Added vide Notification No. F.7(5)D.O.P./A-II/78 dated 21.12.1978 wef. 7.3.1978

* The words "Six months" substituted vide Notification No. F.1(11)Apptts/A-II/68 dated 19.7.69.

@ Sub rule (3) added vide Notification No. F.1(20)DOP/A-II/84 dated 12.12.89

% 32 A. "Notiwithstanding anything contained in Rule appointments in the year 1966 to 10% of the Senior posts may be made by the Government who have performed conspicuous acts of gallantry in the Indo-Pakistan conflict in the year 1965"

£ 32 AA. "Notwithstanding anything contained in rule specified in Column 3 of the Scheduled, the Released Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers who have been appointed to the Service in accordance with the Rajasthan Civil Service (Recruitment of Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers) Rules. 1968 and who have not put in the requisite period of service or experience as required in these Rules for a appointment by promotion to higher posts shall be considered for promotion for such higher posts if :-

(i) they have successfully completed the period of probation; and

(ii) the total service reckoned from the deemed date of their appointment is not less than the period of service required for promotion to higher posts.

Note:- "Deemed date of appointment in relation to a Released Emergency Commissioned Officer or a Short Service Commissioned Officer shall be the date of his appointment in the Army as an Emergency Commission Officer or a Short Service Commissioned Officer.

% Added vide Notification No. F.1/3(232)HE/Gr. I/61 dated 10.2.66.

£ Inserted vide Notification No. F.15(29)D.O.P./A-II/75 dated 13.10.76

+ Substituted for rule:-$ 33. Seniority:-Seniority in the Service shall be determined by the date of the order of appoinment to the Service." vide Notification No. F.1(49)Home/Gr. I/73 dated 7.5.76.

$ Rule 33 substituted for :-

33. "Seniority in each category of the post included in Scheduled I and Schedule I A Shall be determined by the year of substantive appointment."

vide Notification No. F.7(S)D.O.P./A-II/78 dated 20.7.79

@@ Substituted for the words "(1) that the seniority inter-se of the persons appointed to the Service before the commencement of these Rules shall be such as may be fixed by Government." vide Notification No. F.8(3)Int/A/52 dated 12.1.57 and F.10(15)Apptts./C/53, dated 26.9.58

जेल कर्मियों को अन्य राज्यों के समान सुविधाएं

580. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के जेल कर्मियों का वेतन देश के अन्य प्रदेशों से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के जेल कर्मी पिछले कई वर्षों से विभिन्न राज्यों के आतंकवादी बंदियों को निरुद्ध रखते हुए साहसिक, चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमभरे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करने वाले जेल कर्मियों की सुरक्षा एवं वित्तीय सुधार एवं सेवा शर्तों में सुधार हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जेल विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण को और प्रभावी बनाने हेतु उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक के पदों में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान के जेल कर्मियों का वेतन देश के अन्य प्रदेशों से कम है। इस असमानता को दूर करने हेतु कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु जेल प्रहरियों द्वारा अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष पदों के मुकाबले कम वेतनमान स्वीकृत करने के कारण इस विसंगतियों को दूर करने के लिए मा. उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 3626/98 में हुए निर्णय दिनांक 5-12-2003 में वेतन विसंगतियों के समबन्ध में निर्मित समिति द्वारा विचार किए जाने के आदेश दिये गये। वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में गठित यतिन्द

(कारागार मंत्री)

सिंह समिति का कार्यकाल निर्णय दिनांक से पूर्व दिनांक 30-4-2000 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, जयपुर में पुनरावलोकन याचिका दायर कर निर्देश मांगे गए हैं कि किस समिति द्वारा उनके निर्णय की अनुपालना के विचार किये जावे। राज्य सरकार द्वारा नई समिति गठन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। पुनरावलोकन याचिका अभी मा. उच्च न्यायालय में लम्बित है।

इसी सम्बन्ध में एक एस.बी. कन्टेम्प्ट पिटीशन संख्या-367/04 भी मा. उच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसका उत्तर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अवमानना याचिका अभी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

(2) यह सही है कि राज्य के जेलकर्मी जून, 1984 से देश के विभिन्न राज्यों (पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैण्ड) के आतंकवादी बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा एवं प्रभावी नियंत्रण में रखते रहे हैं तथा वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में जम्मू एवं कश्मीर के आतंकवादी बंदियों को रखा जा रहा है। आतंकवादी बंदियों को रखने के विशेष कार्य करने वाले जेल कर्मियों के लिए अलग से सुरक्षा एवं वित्तीय सुधार एवं सेवा शर्तों में सुधार हेतु कोई प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 17-9-200. से विशेषाधिकारी, कारागार के पद को उप महानिरीक्षक, कारगार के पद में क्रमोन्नत/परिवर्तित करके विभाग में एक उप महानिरीक्षक, कारागार के पद के बजाय दो उप महानिरीक्षक, कारागार के पद पर कर दिये गये हैं।

वर्तमान में महानिरीक्षक, कारागार के एक पद एवं उप महानिरीक्षक, कारागार के दो पदों में और वृद्धि किये जाने का कोई विचार नहीं है।

बूंदी बस डकैती प्रकरण की सूचना देने वाले पुलिसकर्मी को विशे. लाभ

581. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृप करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में जिला बूंदी में पड़ी बस डकैती के अभियुक्तों को जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया थ ? यदि हां, तो किस तिथि को व किस आधार पर ? पुलिस अधीक्षक अजमेर को सूचन कब एवं किस आधार पर किस व्यक्ति के द्वारा दी गई ? उक्त डकैती की सूचना पुलिस अधीक्षक, अजमेर को देने वाले कर्मी को राज्य सरकार द्वारा जो विशेष लाभ/पुरस्कार/सम्मान दिया गया क्या सरकार उसे उचित मानती है ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्या अब सरकार उक्त कर्मी को कोई विशेष पुरस्कार/सम्मान/पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही नहीं है कि वर्ष 1981 में जिला बूंदी में पड़ी बस डकैती के सम्बन्ध में दर्ज अभियोग संख्या 123/25-8-1981 धारा 365, 382 भादसं पुलिस थाना कोतवाली, बूंदी के अभियुक्तों को जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को जिला पुलिस बूंदी द्वारा दिनांक 8-10-1981, 19-7-1982, 31-7-1982 एवं 9-8-1982 को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में किसी को पुरस्कृत किये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी हैं।

नोखा एवं बीकानेर कारागृहों में पदस्थापित कार्मिकों की संख्या में वृद्धि

582. श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

(1) नोखा व बीकानेर जेलों में कितना स्टाफ नियुक्त है एवं वहां कितने स्टाफ की आवश्यकता है ?

(2) क्या सरकार उक्त जेलों हेतु और स्टाफ की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उप कारागृह, नोखा पर एक सहायक कारापाल, 2 मुख्य प्रहरी तथा 9 प्रहरियों के पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध एक सहायक कारापाल, 2 मुख्य प्रहरी तथा 5 प्रहरी पदस्थापित हैं।

(2) उप कारागृह, नोखा पर स्वीकृत स्टाफ पर्याप्त है इसमें और बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। स्वीकृत पदों में से 4 प्रहरी के रिक्त पदों की पूर्ति विभाग में रिक्त प्रहरियों के पदों की नियुक्ति के समय की जानी सम्भव होगी।

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजकीय भूमि का दुरुपयोग

583. श्री रणधीरसिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को वृक्षारोपण करने हेतु भूमि आरक्षित करने की सरकार की कोई योजना है ?

(2) सरकार वृक्षारोपण के अलावा और क्या सहयोग इन स्वयंसेवी संस्थाओं को देती है ?

(3) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सरकारी भूमि के दुरुपयोग करने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चाहे जाने पर वृक्षारोपण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन वन विभाग द्वारा दिया जाता है.

(3) वन विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को वन भूमि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में होटल निर्माण हेतु आवंटित भूमि

584. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 में तहसील थानागाजी की अजबगढ़ पंचायत में होटल निर्माण हेतु भूमि लीज पर दी गई है ? यदि हां, तो कब व किन-किन को एवं किन शर्तों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आती है ?

(3) क्या उपरोक्त भूमि का लीज पर आबंटन करने पर वन विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा कोई आपत्ति की गई ? यदि हां, तो कब एवं क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा वर्ष 2004 में तहसील थानागाजी की अजबगढ़ पंचायत में होटल निर्माण हेतु कोई भी भूमि लीज पर नहीं दी गयी है।

(वन मंत्री)

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार सूचना शून्य है।

(3) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार सूचना शून्य है।

राज्य में राशन सामग्री वितरण के निर्धारित मानदण्ड

585. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के प्रत्येक जिले उपखण्ड, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राशन सामग्री आबंटित करने के मानदण्ड क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सामग्री का वितरण मानदण्ड के अनुसार हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी सामग्री (गेहूं, केरोसीन या अन्य) वितरित की जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्री का आबंटन राशन कार्डों के आधार पर किया जाता है।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निम्न सामग्री का वितरण किया जाता है :-

1. गेहूं/चावल : एपीएल/बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्डधारकों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह।

2. गेहूं-अन्नपूर्णा : 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

3. चीनी : केवल बी.पी.एल. राशन कार्डधारकों को 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह।

4. केरोसीन तेल : डबल सिलेण्डर गैस कनेक्शन वाले राशन कार्डधारियों को छोड़कर सिंगल गैस कनेक्शन धारकों को 2 लीटर एवं शे. राशन कार्डधारकों को उपलब्धता अनुसार 3 से 5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह।

डेगाना तहसील (नागौर) में केरोसीन वितरण में व्याप्त अनियमितताएं

586. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील डेगाना, जिला नागौर में केरोसिन तेल की क्या व्यवस्था वर्तमान में रखी गई है ? कुल कितने राशन डीलर नियुक्त हैं एवं कितने राशन डीलरों के स्थान वर्तमान में रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति राशन कार्ड प्रति माह कितनी मात्रा में केरोसीन वितरित किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वितरण में कई स्थानों पर राशन डीलरों द्वारा भारी अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? अनियमित वितरण करने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील डेगाना जिला नागौर में केरोसीन तेल का वितरण राशन

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

कार्डों के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा किया जाता है।

तहसील डेगाना में कुल 98 उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त हैं।

वर्तमान में 21 उचित मूल्य राशन डीलरों के स्थान रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है

(2) डबल सिलेण्डर गैस कनेक्शन वाले राशन कार्डधारियों को छोड़कर सिंगल गैस कनेक्शन धारकों को 2 लीटर एवं शेष राशन कार्डधारकों को उपलब्धता अनुसार 3 से 5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह केरोसीन तेल उपलब्ध कराया जाता है।

(3) जी हां। डेगाना क्षेत्र में केरोसीन तेल वितरण में कुल 7 स्थानों क्रमश: ग्राम खुडी, खुदवाड़, वरणा, मेडकिया, निमड़ीकला, टेहला एवं चोलियास्य में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 3 प्रकरणों में प्राधिकार पत्र निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है शेष 4 शिकायतों की जांच प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले के शिक्षित बेरोजगार

587. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में 1 मार्च, 2005 तक कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षित बेरोजगारों में से दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 1 मार्च, 2005 तक कितने बेरोजगारों को नौकरियां दी गईं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) क्या शेष शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु सरकार की कोई कार्य-योजना है ? यदि हां, तो क्या ? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में 1 मार्च, 2005 तक 6816 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे।

(2) उक्त शिक्षित बेरोजगारों में से 1 जनवरी, 2004 से 1 मार्च, 2005 तक 170 बेरोजगारों को नौकरियां दी गई हैं।

(3) जी हां। रोजगार विभाग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा ज्ञापित रिक्तियों के अनुसार आशार्थियों का सम्प्रेषण कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन कर नियोक्ताओं से सम्पर्क कर उनकी मांग के अनुसार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आशार्थियों को नियोजित कराने का प्रयास करता है।

दोषी शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य हेतु समय सीमा का निर्धारण

588. श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) स्कूल शिक्षा में प्रमुख शासन सचिव से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी पद पर तैनात अधिकारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक विभागीय जांच, शिकायतों, अभ्यावेदनों, पत्रों के आधार पर करने की क्या प्रक्रिया व नियम निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक विभागीय जांच विचाराधीन होते हुये भी उन्हें पदोन्नति तथा फील्ड पोस्टिंग दे

(श्री दलजीत सिंह)

दी गई तथा वे सेवानिवृत्त भी हो गये ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(3) क्या सरकार निर्धारित समयावधि में ही अनिवार्य रूप से विभागीय प्रारम्भिक जांच पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रमुख शासन सचिव से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार सक्षम है।

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(3)कार्मिक/क-3/नि-98 दिनांक 23-5-2002 के प्रावधानानुसार प्राथमिक जांच सम्पादित की जाती है तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(2)(1)कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 22-11-2001 के अनुसार दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा दण्डादेश जारी किये जाते हैं।

(2) सी.सी.ए. नियम-16 व 17 के तहत आरोप-पत्र जारी होने तथा इन नियमों के तहत जांच विचाराधीन होने पर पदोन्नति नहीं दिये जाने का प्रावधान है, उक्त प्रावधानों के तहत सी.सी.ए. नियम-16 व 17 में जिन शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है उन्हें विभाग द्वारा पदोन्नति नहीं दी गई है। विभाग द्वारा केवल निलम्बित तथा वित्तीय अनियमितताओं के तहत विचाराधीन जांच वाले अधिकारियों को ही फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है। अन्य प्रकरणों में फील्ड पोस्टिंग की बाध्यता नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। विभागीय जांच का दायित्व विभाग में कार्यरत शिक्षा अधिकारियों को ही दिया जाता है, जिनके पास विद्यालय संचालन, बोर्ड परीक्षा, अर्द्धवार्षिक/वार्षिक परीक्षा के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करने होते हैं। अत: जांच में समय लगना स्वाभाविक है फिर भी विभाग द्वारा समय समय पर शीघ्र जांच पूर्ण करने हेतु जांच अधिकारियों को पाबन्द किया जाता है।

जयपुर जिले में विषय अध्यापकों की सामान्य अध्यापक के पद पर नियुक्ति

589. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विषयवार वरिष्ठ अध्यापकों की सीधी भर्ती की जाती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से विषयों के ?

(2) क्या यह भी सही है कि विषयाध्यापकों को श्रेणी परिवर्तन करके सामान्य अध्यापक नहीं बनाया जा सकता? यदि बनाया जा सकता है, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में जिला जयपुर में कितने विषयाध्यापक सामान्य अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं? अध्यापकों के नाम, नियुक्ति स्थान व अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध श्रेणी परिवर्तन किये गये अध्यापकों को पुनः उनकी मूल श्रेणी में नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वरिष्ठ अध्यापकों के सीधी भर्ती से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय के पद भरे जाते हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं

(3) जयपुर जिले में 13 विभिन्न विषय वरिष्ठ अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया हुआ है। विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) उक्त अध्यापकों का श्रेणी परिवर्तन नहीं किया गया है, विभागीय व्यवस्था के तहत सामान्य अध्यापकों के पद विरुद्ध पदस्थापित किया गया है। सामान्य अध्यापक उपलब्ध होने पर ही इनके मूल पदों पर लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम कार्मिक	विद्यालय	कब से है
1.	अमृता चतुर्वेदी	राउमावि, गणपतिनगर, जयपुर	20-9-2004
2.	रामदयाल शर्मा	राउमावि, माणक चौक, जयपुर	6-10-2004
3.	राजबाला यादव	राउमावि, मानसरोवर, जयपुर	5-10-2004
4.	पुष्पेन्द्र कौर	राउमावि, मीनावाला, जयपुर	8-9-2004
5.	वसुधा शर्मा	राबाउमावि, गांधीनगर, जयपुर	6-10-2004
6.	सरिता यादव	राबाउमावि, गांधीनगर, जयपुर	24-9-2004
7.	नीलम माहेश्वरी	राउमावि, गंगापोल, जयपुर	29-9-2003

1	2	3	4
8.	क्षमा चौधरी	राउमावि, गणगौरी बाजार, जयपुर	3-12-2002
9.	रजनीवाला जैन	राबाउमावि, वाटिका, जयपुर	13-11-2002
10.	कविता	राबाउमावि, वाटिका, जयपुर	27-9-2004
11.	बेला चुघ	राबाउमावि, सी-स्कीम, जयपुर	1-7-2004
12.	मीनाक्षी क्षत्रिय	राबाउमावि, सी-स्कीम, जयपुर	11-10-2004
13.	विनोद पारीक	राउमावि, सांगानेर, जयपुर	11-10-2004

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महिला शिक्षकों की नियुक्ति

590. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा दिए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्र में संचालित बालिका विद्यालयों में छात्राओं को पढ़ाने हेतु महिला शिक्षकों की नियुक्ति इन विद्यालयों में की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित महिला शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जा रहा है।

बारां जिले के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

591. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(1) जिला बारां में वर्ष 2004 में किस-किस स्थान पर छात्र/छात्राओं हेतु नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बारां में वर्ष 2004 में कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालयो को क्रमोन्नत कर छात्र एवं छात्राओं के उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बारां में वर्ष 2004 में कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को छात्र एवं छात्राओं के माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला बारां में वर्ष 2004 में कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालयों को छात्र एवं छात्राओं के सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिला बारां के सीनियर विद्यालयों में वर्ष 2004 में नये विषय भी खोले गये है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान के विद्यालय में क्या-क्या विषय खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में वर्ष 2004-05 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जिला बारां में वर्ष 2004-05 में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जिला बारां में वर्ष 2004 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (छात्र) को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, उन विद्यालयों का विवरण इस प्रकार से है :-

(शिक्षा मंत्री)

1. सहरोद (अटरू)

2. मेलखेड़ी (बारां)

3. खटका (शाहाबाद)

4. मण्डोला (बारां)

5. खण्डेला (किशनगंज)

6. चौकी (मोतीपुरा) (छबड़ा)

7. देवरी जोध (छीपाबड़ोद)

8. बजारी (छीपाबड़ोद)

9. कलोनी (शाहाबाद)

(4) जिला बारां में वर्ष 2004 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण इस प्रकार से है :-

1. कुन्जैड (अटरू)

2. सारथैल (छीपाबड़ोद)

3. देवरी (शाहाबाद)

4. पलायथा (अन्ता)

(5) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

सत्र 2004-05 में बारां जिले में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची :

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति
1	2	3
1.	कूकरतालाब अटरू	अटरू
2.	बंजारों का टापरें	
3.	शकरपुरा	बारां
4.	कोटड़ा चरडान	अटरू
5.	ढाणी कटावर	अटरू
6.	धूमेन की टापरिया	अटरू
7.	नृसिंहपुरा की झोपड़िया	अटरू
8.	भीलपुरा	
9.	नारायणपुरा	अटरू
10.	चैनपुरिया	अन्ता
11.	पतल्या खेडलीगंज	अटरू
12.	कालबेलियों का मोहल्ला	
13.	बामापुरा बरला	अटरू
14.	नोहल्या	अटरू
15.	नोहल्या का मजरा	अटरू
16.	अकलेरा का मजरा	अटरू
17.	रामपुरिया का मजरा	
18.	मेहला	अटरू
19.	अरण्या खेड़ा	अटरू
20.	नयापुरा	
21.	उम्मेदगंज	अटरू
22.	नृसिंहपुरा मजरा उम्मेदगंज	सहरीभेद

1	2	3
23.	सहजनपुर बंजारा बस्ती	छीपाबड़ोद
24.	बाल्याबरड़ी ग्राम पंचायत हानाहेड़ी	छबड़ा
25.	मजरा भीलखेड़ा, गांगटी ग्राम पंचायत कालापाजागीर	छबड़ा
26.	बंजारा बस्ती, मानपुरा ग्रा.पं. मानपुर	छबड़ा
27.	हनोतिया	बारां
28.	देवरी, देवरी (बालिका)	शाहबाद
29.	समरानिया, समरानिया (बालिका)	शाहबाद
30.	झागरिया, मालमेडिया	छीपाबड़ोद
31.	पथरी, कलमेडिया	छीपाबड़ोद
32.	नीमथूर अमर विड़ा हाली	छीपाबड़ोद
33.	चारपुरा, अमलाबडा हाली	छीपाबड़ोद
34.	टूण्डपुरा, गोखमपुरा	छीपाबड़ोद
35.	बाबड का मजरा, चारपुरा कलमेडिया	छीपाबड़ोद
36.	लक्ष्मीपुरा, मोखमपुरा	छीपाबड़ोद
37.	बालापुरा, बीणोद, खालसा	छीपाबड़ोद
38.	मोतीपुरा, खेडला, जागीर	छीपाबड़ोद
39.	कालपा, जागीर	छीपाबड़ोद
40.	रामगढ़, गामपुरा	छीपाबड़ोद
41.	राई, राई (बालिका)	छीपाबड़ोद
42.	रावां, राई (बालिका)	छीपाबड़ोद
43.	बन्जारी, बन्जारी (बालिका)	छीपाबड़ोद
44.	दीगोद, जागीर, दीगोद जागीर (बालिका)	छीपाबड़ोद
45.	झनझनी, झनझनी (बालिका)	छीपाबड़ोद

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 2004-05 में बारां जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्रा.वि. में क्रमोन्नत करने की सूची :-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति
1	2	3
1.	राप्रावि., बरसत ग्रा.पं. कालपाजागीर	छबड़ा
2.	राप्रावि., श्रीपुर ग्रा.पं. कचनारियाकलां	छबड़ा
3.	राप्रावि., कालाटोल ग्रा.पं. कलमोदिया	छबड़ा
4.	राप्रावि., खूजरिया ग्रा.पं. दिगोदखालसा	छबडा
5.	राप्रावि., मोतीपुर कलां ग्रा.पं. बंजा	छबड़ा
6.	राप्रावि., मण्डोला ग्रा.पं. झझर्नी	छबड़ा
7.	राप्रावि., सुखनेरी ग्रा.पं. बिलण्डी	छबड़ा
8.	राप्रावि., देवरीमूण्ड ग्रा.पं. कुम्भाखेड़ी	छबड़ा
9.	राप्रावि., नीमखेड़ा ग्रा.पं. हानाहेड़ी	छबड़ा
10.	राप्रावि., खुरेई ग्रा.पं. गोडिया मेहर	
11.	राप्रावि., हथवारी	किशनगंज
12.	राप्रावि., पिंजना	किशनगंज
13.	राप्रावि., खलदा	किशनगंज
14.	राप्रावि., जलवाड़ा	किशनगंज
15.	राप्रावि., पठारी	शाहबाद
16.	राप्रावि., देवरी	किशनगंज
17.	राप्रावि., कस्बाथाना	किशनगंज
18.	राप्रावि., शुभधरारा	किशनगंज
19.	राप्रावि., सनवाड़ा	किशनगंज
20.	राप्रावि., सौंभागपुरा	किशनगंज
21.	राप्रावि., पासनियन	किशनगंज
22.	राप्रावि., कागलाबमोरी	किशनगंज
23.	राप्रावि., बगली	अटरू
24.	राप्रावि., आमली	अटरू
25.	राप्रावि., गन्दोलिया	अटरू

1	2	3
26.	राप्रावि., अचरावा	अटरू
27.	राप्रावि., कराडिया	अटरू
28.	राप्रावि., धूमेन	अटरू
29.	राप्रावि., विजयपुर	अटरू
30.	राप्रावि., भौरा	अटरू
31.	राप्रावि., हरनावदा	अटरू
32.	राप्रावि., बहलावन	अटरू
33.	राप्रावि., मोतीपुर (दाता)	अटरू
34.	राप्रावि., खेडली नाहरि	अटरू
35.	राप्रावि., खिरिया ग्रा.पं. पीपलखेड़ी	शाहबाद
36.	राप्रावि., गोडिया चारण ग्रा.पं. भुआखेडी	छबड़ा
37.	राप्रावि., हीकड़	बारां
38.	राप्रावि., लुहारिया	बारां
39.	राप्रावि., लक्ष्मीपुरा	बारां
40.	राप्रावि., खानाखेड़ी	छबड़ा
41.	राप्रावि., माणकचौक	छबड़ा
42.	राप्रावि., हनवन्तखेडापार	छबड़ा
43.	राप्रावि., गोपालपाडा	छबड़ा
44.	राप्रावि., धामनिया	छीपाबड़ोद

1	2	3
45.	राप्रावि., मडोला	छीपाबड़ोद
46.	राप्रावि., उबरसत	छीपाबड़ोद
47.	राप्रावि., श्रीपुरा जागीर	छीपाबड़ोद
48.	राप्रावि., रागं	छीपाबड़ोद
49.	राप्रावि., सूखनेरी	छीपाबड़ोद
50.	राप्रावि., शाहपुरा	अन्ता
51.	राप्रावि., आमखो	शाहाबाद
52.	राप्रावि., खिरिया	शाहाबाद
53.	राप्रावि., खेरूना	किशनगंज
54.	राप्रावि., खलदा	किशनगंज
55.	राप्रावि., सड़	किशनगंज
56.	राप्रावि., रातई कला	शाहाबाद
57.	राप्रावि., हाटरी	शाहाबाद
58.	राप्रावि., हथवारी	शाहाबाद
59.	राप्रावि., कस्बाथाना	शाहाबाद
60.	राप्रावि., बरानी	बारां
61.	राप्रावि., बामली	बारां
62.	राप्रावि., कोटड़ी (तुलसी)	बारां
63.	राप्रावि., उण्डा	बारां
64.	राप्रावि., दौलतपुरा	बारां
65.	राप्रावि., खेडला	किशनगंज

1	2	3
66.	राप्रावि., ठूगनी	किशनगंज
67.	राप्रावि., पीपलखेड़ी	छबड़ा
68.	राप्रावि., राजपुरा खालसा	छबड़ा
69.	राप्रावि., बरावदा	छीपाबड़ोद
70.	राप्रावि., बडाइ	छीपाबड़ोद
71.	राप्रावि., बन्जारी	छीपाबड़ोद
72.	राप्रावि., मवास	छीपाबड़ोद
73.	राप्रावि., पीपलखेडी	छीपाबड़ोद
74.	राप्रावि., सेतकोलू	छीपाबड़ोद
75.	राप्रावि., टाची	छीपाबड़ोद
76.	राप्रावि., खजूरिया	छीपाबड़ोद
77.	राप्रावि., टीमरी	अटरू
78.	राप्रावि., बोकड़	
79.	राप्रावि., बोरदा	
80.	राप्रावि., तूमडा	
81.	राप्रावि., नृसिंहपुरा	

1	2	3
82.	राप्रावि., खानपुरिया	अन्ता
83.	राप्रावि., शाहपुरा	अन्ता
84.	राप्रावि., सीमालिया	अन्ता

फुलेरा के विद्यालयों में रिक्त पद

592. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन से विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं और उनमें कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक किस-किस श्रेणी के कौन कौन से विद्यालय कहां-कहां खोले गये और कहां-कहां क्रमोन्नत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक विद्यालयों व उच्च माध्यमिक

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयों और उनमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2004 से अब तक खोले गये प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक से क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'ख' व 'ग' पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2004 से अब तक क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

राउप्रावि से रामावि में	रामावि से राउमावि में
1. हरसौली	1. भादवा
2. लुणियावास	2. रामजीपुरकलां
3. जोरावरपुर सुन्दरीयावास	

(3) उक्त क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में व्याख्याताओं के 18 विषयों के 1407 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अर्थनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं। विभागीय चयन समिति की बैठक करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। द्वितीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के शुल्कों में असमानता

593. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजकीय एवं निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वर्तमान में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जा रहे हैं ? महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से वसूल किये जाने वाले शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क की राशि अलग-अलग है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार समस्त राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में एक समान शुल्क व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 43 अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत है, जिनमें से 04 राजकीय, 02 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एवं 37 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-'A')

उपरोक्त के अतिरिक्त 3 विश्वविद्यालयवत् दर्जा (Deemed University) प्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें से केन्द्र सरकार के अन्तर्गत मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर में संचालित है तथा निजी क्षेत्र में बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साइन्सेज, पिलानी एवं मोदी कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, लक्ष्मणगढ़ में संचालित हैं।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) इन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के नाम संस्थावार की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-'A')

(3) जी हां। राज्य से अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों का शुल्क अनुदानित पाठ्यक्रमों के शुल्क से भिन्न है।

जिन पाठ्यक्रमों के लिए राज्य से अनुदान नहीं दिया जा रहा है उनके शुल्क का निर्धारण स्व-वित्तपोषित आधार पर किया जाता है जबकि राज्य से अनुदानित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना अनुदान राशि प्राप्त होने के कारण स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना से कम होती है।

(4) राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में दो प्रकार से पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। कुछ पाठ्यक्रम स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित है तथा कुछ पाठ्यक्रम राज्य से अनुदानित है। राज्य से अनुदानित सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना समान है। इसी प्रकार अनुदानित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना भी समान है। अनुदानित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना स्व-वित्तपोषित आधार की शुल्क संरचना के बराबर नहीं हो सकती।

परिशिष्ट "A"

GOVERNMENT AIDED ENGINEERING COLLEGES IN RAJASTHAN SESSION - 2004-2005

S. No.	Name of College	Branch	Intake	Total	S.F.S. Fee (Interim Fee)	Govt. Fee (Interim Fee)
1.	Engineering College, AJMER	Information Tech. (SFS)	30	140	41,000/-	-
		Computer Engg.. (SFS)	30		41,000/-	-
		Electro. & Comm.	40		-	18,000/-

1	2	3	4	5	6	7
		Mechanical Engg.	40		-	18,000/-
2.	MLV Textile Institute. BHILWARA	Electro. & Comm. (SFS)	60	180	41,000/-	-
		Information Tech-nology (SFS)	40		41,000/-	18,000/-
		Textile Chemistry	20		-	18,000/-
		Textile Technology	60		-	-
3.	Engineering College, BIKANER	Information Tech. (SFS)	60	390	41,000/-	-
		Computer Engg.. (SFS)	90		41,000/-	-
		Electro. & Comm. (SFS)	60		41,000/-	-
		Electrical Engg. (SFS)	60		41,000/-	-
		Electronic & Instr.	60		41,000/-	-
		Control (SFS)			41,000/-	-
		Mechanical Engg. (SFS)	60			
4.	MBM Engg. College, JODHPUR	Information Tech. (SFS)	30	430	41,000/-	-
		B-Architecture (SFS)	30		42,000/-	
		Chemical Engg.	30		-	18,000/-
		Civil Engg.	88		-	18,000/-
		Computer Engg..	33		-	18,000/-
		Electro. & Comm.	45		-	18,000/-
		Electrical & Engg.	44		-	18,000/-
		Mechanical Engg.	60		-	18,000/-
		Mining Engg.	40		-	18,000/-
		Production Engg.	30		-	18,000/-
5.	Engineering College, KOTA	Information Tech. (SFS)	30	360	41,000/-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Computer Engg. (SFS)	30		41,000/-	-
		Electro. & Comm. (SFS)	60		41,000/-	-
		Electrical Engg. (SFS)	60		41,000/-	-
		Mechanical Engg. (SFS)	60		41,000/-	-
		Civil Engg.	60		-	18,000/-
		Electro. Inst. & Cont.	30		-	18,000/-
		Production & Indus. Engg.	30		-	18,000/-
6.	College of Technology & Engg. UDAIPUR	Computer Engg. (SFS)	40	195	41,000/-	-
		Electrical Engg. (SFS)	40		41,000/-	-
		Mechanical Engg. (SFS)	40		41,000/-	-
		Mining Engg. (SFS)	20		41,000/-	-
		Agriculture Engg.	55		-	18,000/-
Total Govt. Aided Engineering Colleges-6, Intake Capacity				1695		

PRIVATE ENC IEEI COLLEGES I RAJASTHAN
SESSK I - 2004-21

S.N.	Name of College	Branch	Intake	Total	Interim Fees
1	Arya College of Engg. & Information Tech., SP.42, RIICO Industrial Area, Kukas, Jaipur	Information Tech. Computer Engg. Electro. & Comm. Electrical Engg. Electronic & Instr. Control Automobile En	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
2	Aayojan School of Arch. ISI-4 Inst. Block, Sitapura, Jaipur	B. Architecture-5Yrs. B.Architecture (interior design)	40 40	80	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
3	Global Instt. of Tech., ITS.1, IT Park, EPIP, apura, Jaipur	Computer Sc. & Engg Electronic & Instru-control Inform. ach. Electr. am Electr. gg. Mech. Engg	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	360	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2 4-2005
4	Gyan Vihar School of Engg. & Tech., Mahal, Jagatpura, Jaipur	Infor ech. Com & En Elec omm. Mec Engg Elec Engg.	[illegible] [illegible] 120 1 [illegible]	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
5	Institute of Engg. & Tech., M.I.A. North Extension, Alwar	Sc. & En E Ele Ele ast. & Con	120 [illegible] [illegible] 120 [illegible]	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
6	Jaipur Engg. College & Res. Centre, Opp. EPIP Gate, Tonk Road, Sitapura, Jaipur	Comp c. & En Electrical En Information Tech. Electronics Engg. Bio-Tech Mechanical En	1 [illegible] [illegible] [illegible] 30 [illegible]	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
7	Jaipur En College, SP-43, RIICO Ind. Area, Kukas, Jaipur	Computer Sc. & En Electrical Engg. Information Tech. Electro & Comm. Instrumentation & Control Engg Mechanical En	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 04-2005
8	Jodhpur Engg. College and Research Centre, Jodhpur	Computer Sc. & En Electrical Engg. Information Tech. Electro & Comm. Mechanical Engg.	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	3	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004- 05
9	Kautilya Instt. of Tech. and Engg. ISI-16, RIICO Inst. Area, Sitapura, Jaipur	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Civil Engg. Electro & Comm. Mechanical Engg.	[illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible]	360	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004- 05

10	Laxmi Devi Institute of Engg. & Tech., Chikani Delhi Highway, Alwar	Computer Sc. & Engg Electrical Engg. Information Tech. Electronics & Comm. Mechanical Engg. Fashion Technology	60 60 60 60 60 60	360	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
11	Maharishi Arvind Instt. of Engg. & Tech., Ambabari, Jaipur.	Computer Sc. & Engg. Mechanical Engg. Information Tech. Electro & Comm. Bio-Technology	60 120 60 120 40	400	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
12	Modi Institute of Tech., Rawatbhata Road, Kota.	Cri... & Engg. Information Tech. Electronics & Comm. Applied Elec... & Control. Electrical Engg.	90 60 90 60 60	360	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
13	Poornima College of Engg., ISI-6 RIICO Inst. ... Sitapur...	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Information Tech. Electronics. Inst. & Control Electronics & Comm. Mechanical Engg.	120 60 60 60 60 60	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
14	Rajasthan Instt. of Engg. & Tech., Bhankarota. Jaipur.	Computer Sc. & Engg. Electrical & Electronics Engg. Information Tech. Electro & Comm. Mechanical Engg.	60 90 60 90 60	360	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
15	Rajasthan College of Engg. for Women, Bhankrota, Jaipur (ONLY FOR GIRLS)	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Information Tech. Electronic & Comm.	60 60 60 120	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
16	Shankara Instt. of Tech., SP-44,RIICO Ind.Area, Kukas. Jaipur	Computer Sc. & Engg. Mechanical Engg. Information Tech. Electronics & Comm. Automobile Engg. Electrical Engg.	60 60 60 120 60 60	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
17	Sri Balaji College of Engg. & Tech. Benad Road, Jaipur	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Information Tech. Electro & Comm. Civil Engg. Mechanical Engg.	60 60 60 120 60 60	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
18	Sobhasaria Engg. College, Gokul Pura, N.H.-11,Sikar	C...ter Sc. & Engg ... Engg. In...ation Tech. Elect... & Comm. Bio-...ch. Mechanical Engg.	90 60 60 90 30 60	390	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
19	Stani Memorial College of Engg & Tech. Phagi, Jaipur	Computer Sc. & Engg El... Engg. Inf... Tech. Elec... Comm. Mecha... Engg.	60 60 60 120 60	360	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
20	Swami Keshvanand Instt. of Tech. and Management & Gramothan, Ram Nagariya, Jagatpura, Jaipur	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Information Tech. Electronics & Comm. Mechanical Engg.	120 60 90 90 60	420	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005

21	Seedling Academy of Design, Technology and Management, Jagatpura, Jaipur	Computer Sc. & Engg Bio-Tech Food Tech. Electrical Engg. Electronics & Comm. Chemical Engg.	60 60 60 60 60 60	360	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
22	St. Margrat Engg. College, Neemrana, Alwar	Computer Sc. & Engg. Information Tech. Electronics & Comm. Instrumentation & Control Engg.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
23	Shrinathji Instt. of Technical and Engineering, P.O. Nathdwara, Distt. Udaipur	Computer Sc. & Engg. Information Tech. Electronics & Comm. Electrical Engg.	90 60 90 60	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
24	Geetanjali Instt. of Technical Studies, Udaipur.	Computer Sc. & Engg. Mechanical Engg. Electronics & Comm. Electrical Engg. Automobile Engg.	60 60 60 60 60	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
25	Regional College for Education Research & Technolo[illegible], ISI-17, Ins[illegible]utional Area, Sitapura, Jaipur-302011	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Electronics & Comm Mechanical Engg.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
	Baldev Ram Mirdha Institute of Technolo[illegible], ITS-3, IT Park, RIICO Industrial Area, Sita pura, Jaipur- 302022	Computer Sc. & Engg. Information Tech. Electronics & Comm. Electrical Engg.	90 60 90 60	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
27	Jodhpur Instt. of Engineering & Technology, Mogra Kalla, Tel. Luni, Jodhpur- 342802	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Electronics & Comm. Mechanical Engg.	90 60 90 60	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
28	Marudhar E[illegible]. College, K.No. 255,59, VPP. Bhojas Raisar, NH-11, Jaipur Road, Bikaner-334001	Computer Sc. & Engg. Electrical En[illegible]. Electronics & Comm. Mechanical Engg.	90 60 90 60	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
29	Marwar Engineering College and Research Centre, Village- Kharda Khurd, Panchayat Nandi, Distt. Jodhpur- 342001	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Electronics & Comm. Mechanical Engg.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
30	Yagyavalkya Institute of Technology, IP-1, Phase- IV, RIICO Industrial Area, [illegible] Pura, Jaipur- 302022	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Electronics & Comm. Mechanical Engg. Civil Engg.	60 60 60 60 60	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
31	Shekhawati Engineering College, Dundlod Sikar-Jhunjhunu Road, Jhunjhunu.	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Electronics & Comm. Information Technology.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005

32	Institute of Technology & Management, Bhilwara	Computer Sc. & Engg. Electrical Engg. Electronics & Comm. Information Technology Instrumentation & Control Engg	60 60 60 60 60	300	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
33	Ajmer Institute of Technology, PushkarBy Pass, Ajmer	Computer Sc. & Engg Electrical Engg. Electronics & Comm. Mechanical Engg.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
34	R.N.Modi Engineering College, RIICO Industrial Area, Raopur, Kota	Computer Sc. & Engg Civil Enng. Electronics & Comm. Applied Electronic. & Cont..	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
35	Apex Institute of Engineering & Technology, ISI-S-7, RIICO Industrial Area. Sitapura, Tonk Road, Jaipur	Electrical Engg. Electronics & Comm. Mechanical Engg Chemical Engg.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
36	Jagan Nath Gupta Institute of Engg. & Technology, IP-2 &3, Sitapura Industrial Area, Jaipur	Computer Sc. & Engg. Information Technology Electronics & Comm. Instrumentation & Cont.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
37	NIMT Institute of Engineering and Technology, Kotputli, Jaipur	Bio-Medical Engg. Industrial Engg. Mgt. Applied Electronics & Inst. Electronics & Comm.	60 60 60 60	240	Rs. 41,000/- Interim Fee for the session 2004-2005
Total Private Engineering Colleges - 37, Intake Capacity			12090	13696	

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

594. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय माताजी का खेडा, बोराणी, खोला मोहल्ला, खोहरा कलां, सन्तोष नगर, उरणा अखेपुरा, रजवास एवं हरसोलों खेड़ा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों को किस वर्ष में क्रमोन्नत किया गया? क्रमोन्नति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्लान मद में उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं होने से वेतन अन्य विद्यालयों के मद से उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय के पश्चात् भी उक्त

(श्री शिवजीराम मीणा)

विद्यालयों में प्लान मद में प्रधानाध्यापकों के पद सृजित नहीं करने के क्या कारण हैं एवं अब कब तक सरकार उक्त विद्यालयों में पद स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त विद्यालय व ं 1999-2000 तथा 2000-2001 में क्रमोन्नत हुये हैं। क्रमोन्नति आदेश परिशिष्ट 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ड़', 'च', 'छ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्लान मद में प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है।

(प्रति विधान स _ पुस्तकालय में रखी ग)

रूपवास विधान सभा क्षेत्र के ांधों की मरम्मत

595. ी निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कौन-कौन से बांध हैं ? सरकार द्वारा इनकी वर्ष 2000 से अब तक कब-कब मरम्मत करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त बांधों की वित्तीय व ं 2004-05 में मरम्मत करने हेतु राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो बांध सहित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा व ं 2004-05 में किन-किन बांधों की मरम्मत नहीं करवाई गई ? क्या सरकार बांधों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कितने बांध टूटे हुए हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार र ी है? यदि हां, तो बांधों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 10 बांध हैं। सूची प्रपत्र-'अ' के अनुसार संलग्न है। वर्ष 2000 के पश्चात् इन सभी बांधों की मरम्मत नहीं कराई गई है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 2004-05 में किसी भी बांध की मरम्मत नहीं कराई गई है। जी हां, मरम्मत कार्य वितीय संसाधनों की उपलब्धता पर सम्पादित किया जाना सम्भव होगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में सिंचाई विभाग का कोई बांध टूटा हुआ नहीं है।

प्रपत्र 'अ'

सिंचाई विभाग के अधीन बांधों की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	भराव क्षमता (एम.सी.एफ.टी.)	सी.सी.ए. (एकड़)
1.	खानुआ बांध	162.00	1600.00
2.	बसेरी बांध	65.00	1200.00
3.	भौट बांध	65.00	2440.00
4.	वरवार बांध	10.59	120.00
5.	सहना बांध	56.20	2000.00
6.	कुरका बांध	65.00	1400.00
7.	नेकपुर बांध	78.40	800.00
8.	कंजर बरौली बांध	10.85	647.77

1	2	3	4
9.	खान सुरजापुर बांध	10.45	323.88
10.	समसेरा लोअर बांध	30.00	534.41

खेतड़ी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

596. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कितने पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सक व अन्य संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कौन-कौन से पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं? सूची मय संवर्ग के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानं सभा क्षेत्र खेतड़ी में 9 पशु चिकित्सालय, 2 पशु औषधालय एवं 7 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

पशु चिकित्सालय	पशु औ .धालय	उपकेन्द्र
1. प्रथम श्रेणी प.चि. खेतड़ी	1. प.औ. जसरापुर	1. उपकेन्द्र, दलेलपुरा
2. प.चि. बसई	2. प.औ. माधोगेट	2. उपकेन्द्र, गोठड़ा
3. प.चि. त्यौन्दा		3. उपकेन्द्र, दूधवा
4. प.चि. मेहाड़ा जाटूवास		4. उपकेन्द्र, नंगली सलेदी

(पशुपालन मंत्री)

पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	उपकेन्द्र
5. प.चि. शिमला		5. उपकेन्द्र, चारावास
6. प.चि. गौरीर		6. उपकेन्द्र, डाडा फतेहपुरा
7. प.चि. बबाई		7. उपकेन्द्र, पपूरना
8. प.चि. बडाऊ		
9. प.चि. ढाणी वाढान		

(2) उक्त चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जब-जब पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

विधानस..ा क्षेत्र ..ताड़ी के पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत व रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	पशु चिकित्सा संस्था का नाम	वरिष्ठ पशु चिकि. अधिकारी		पशु चि..त्सा अधिकारी		पशु चि..त्सा सहायक		पशुधन सहायक		साईस		जलधारी		हेलर		गडरिया		..फाईकर्ता	
		स्वीकृत	रिक्त कब से	स्वी.	रिक्त कब से	स्वी.	रिक्त कब से	स्वी.	रिक्त कब से	स्वी.	रिक्त कब से	स्वी.	रिक्त कब से	स्वी.	रिक्त कब से	स्वी.	रिक्त कब से	स	रिक्त कब से
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकि., खेलड़ी	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2.	पशु चिकित्सालय, बसई	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1 (12/98)	1	1 (11/02)	-	-	-	-	1	-
3.	पशु चिकित्सालय, स्योल्दा	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1 (2/01)	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	पशु चिकित्सालय, मेहाड़ा जाटूवास	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1 (3/02)	1	-	-	-	-	-	1	1 (3/02)
5.	पशु चिकित्सालय, सिलासा	-	-	1	1 (3/03)	1	-	1	1 (3/02)	1	1 (1/01)	-	-	-	-	-	-	1	-
6.	पशु चिकित्सा[illegible], गौरीर	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1 (1/01)	1	[illegible]	-	-	-	-	1	1 (3/02)
7.	पशु चिकित्सालय, बबाई	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8.	पशु चिकित्सालय, बाड़ाऊ	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1 (3/02)	-	-	-	-	-	-	1	-
9.	पशु चिकित्सालय, ढाणी बाढ़ान	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	पशु औषधालय, जसरापुर	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1 (4/98)	-	-	-	-	-	-	1	-
11.	पशु औषधालय, माधोगढ़	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12.	प.चि. उपकेन्द्र, दलेलपुरा	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	प.चि. उपकेन्द्र, गोठड़ा	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 (3/02)	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	प.चि. उपकेन्द्र, दूधया	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 (3/02)	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	प.चि. उपकेन्द्र, लंगली सलेदी	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 (5/99)	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	प.चि. उपकेन्द्र, धारायास	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	प.चि. उपकेन्द्र, ढाका फतेहपुरा	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	प.चि. उपकेन्द्र, पपूरना	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 (9/99)	-	-	-	-	-	-	-	-

घाटोल एवं पीपलखूंट तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों की स्वीकृति

597. श्री नवनीत लाल निनामा (घाटोल) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल के ग्राम पंचायत योयर व ग्राम पंचायत बामणपाड़ा व पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्राम पंचायत केसरपुरा क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

रायपुर के गुजरोवाला एनीकट की अकाल राहत कार्यान्तर्गत मरम्मत

598. डा. चन्द्रशेखर वैद्य (तारानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम कानूजा (पाली) में विभिन्न मदों/योजनाओं में कौन-कौन से एनीकट कब-कब बनवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनीकटों में से कितने एनीकट वर्तमान में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गुजरोवाला एनीकट वर्ष 1994 में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वहां के गरीब छोटे किसानों की जमीन कटाव से बह गई एवं कुएं भी ढह गये ?

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) क्या किसानों ने उक्त एनीकट के टूटे हिस्से को ठीक करवाने के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब किसानों के कुओं का जल स्तर बढ़ाने एवं भूमि कटाव को रोकने के लिये अकाल राहत कार्य में उक्त एनीकट को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम कानूजा में एनीकटों का निर्माण करवाया गया उनका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) सूची में अंकित 10 एनीकटों में से सिंचाई विभाग का तिकली का नाका एनीकट पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। भूसंरक्षण विभाग के द्वारा बनाया गया गूजरों वाला एनीकट वर्ष 1994 में वर्षा से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था।

(3) जी हां।

(4) जी हां। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, प्रति संलग्न है। (परिशि..ट-ब)

(5) जी नहीं। क्योंकि फिलहाल अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अकाल से प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम मद के कार्य ही कराये जा रहे हैं।

परिशि..ष्ट-अ

रायपुर के ग्राम कानूजा में विभिन्न विभा.. द्वारा कराये गये ए..कट निर्माण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	ए..कट का नाम	निर्माण का व..
1.	भूसंरक्षण विभाग (जलग्रहण विकास योजना)	गूजरों वाला एनीकट	1986

1	2	3	4
2.	सिंचाई विभाग, पाली	धामरथाली एनीकट	1987-88
3.	सिंचाई विभाग, पाली	भोपदा एनीकट	1987-88
4.	सिंचाई विभाग, पाली	गुन्दावाला एनीकट	1987-88
5.	सिंचाई विभाग, पाली	तिकली का नाका एनीकट	1987-88
6.	जलग्रहण विभाग समिति, कानूजा	खंगार खेत एनीकट	2000-03
7.	जलग्रहण विभाग समिति, कानूजा	सांड माता एनीकट	2000-03
8.	जलग्रहण विभाग समिति, कानूजा	थरेली एनीकट	2000-03
9.	जलग्रहण विभाग समिति, कानूजा	फूरडी एनीकट	2000-03
10.	क्षेत्रिय विधायक योजना एवं अकाल राहत	फूटिया एनीकट	2003-04

परिशिष्ट 'ब'

PHONE NO. : 8293226575 Apr. 11 2005 02:03PM P03

सेवा में,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,

जिला पाली (राज.)।

विषय:- पंचायत समिति रायपुर के ग्राम काबरा में निर्मित [illegible] एनीकट [illegible] का पुनर्निर्माण हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यह एनीकट [illegible] पुनर्निर्माण करवाने हेतु ग्राम सभा काबरा द्वारा भी प्रस्ताव भेजा जाता रहा है [illegible] आज तक इस एनीकट को ठीक नहीं किया गया है। इसके टूटने से [illegible] पास के गरीब एवं छोटे किसानों के कुओं का [illegible] स्तर भी काफी नीचे चला गया है तथा यह अकाल के समय भी कुएं भी सूखने के कगार पर है।

इस एनीकट के टूटने से [illegible] छोटे एवं गरीब किसानों के [illegible] है। और [illegible] हो गया है।

अतः कलेक्टर महोदय से विनम्र निवेदन है कि [illegible] इस एनीकट [illegible] को ठीक करवाने की स्वीकृति प्रदान कर [illegible] कार्य करवाया जाय ताकि गरीब किसानों के खेतों का [illegible] रोका जा सके एवं अकाल से पीड़ित ग्रामीणों को रोजगार मिल सके।

उदयपुर जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों में चारा-पानी की व्यवस्था

599. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर सम्भाग में ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि हां, तो तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें। अकालग्रस्त गांवों की घोषणा कब की गई एवं इनमें कार्य कब से प्रारम्भ किये गये ?

(2) उदयपुर जिले के तहसीलवार स्वीकृत कार्यों की सूची मय स्वीकृत कार्यों के नाम एवं तारीख सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त अकालग्रस्त ग्रामों में पेयजल एवं चारे की क्या व्यवस्था की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। उदयपुर संभाग के अकालग्रस्त गांवों की तहसीलवार सूची संलग्न है (परिशिष्ट-अ) दिनांक 19-11-2004 को गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया था व दिनांक 1-12-2004 से राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।

(2) उदयपुर जिले के स्वीकृत कार्यों की कार्यों के नाम व तारीख सहित तहसीलवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(3) चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में वर्तमान में पेयजल की कोई समस्या नहीं है। राजसमन्द जिले के अकालग्रस्त गांवों में पेयजल समस्याग्रस्त गांवों के लिये टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन की व्यवस्था की गई है। जिला चित्तौड़गढ़ में चारा पर्याप्त मात्रा में है। बांसवाड़ा जिले के कमाण्ड क्षेत्र में पशु चारा पर्याप्त मात्रा में है। नान कमाण्ड क्षेत्र में अप्रैल से जून,

(सहायता मंत्री)

2005 की अवधि में चारे की मांग को दृष्टिगत रखते हुए चारा जिले से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, ताकि जिले का चारा जिले में ही काम आ सके। राजसमन्द जिले में भी चारे की आवश्यकता होने पर अनुदानित दर पर चारा डिपो का संचालन कर पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उदयपुर जिले में फिलहाल चारे की कोई कमी नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर जिले के अकाल राहत कार्यान्तर्गत स्थाई निर्माण

600. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उदयपुर में अकाल राहत कार्यों के तहत कितने काम चल रहे हैं व इनकी श्रमिक संख्या क्या है ?

(2) सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों में किस-किस प्रकार के कार्य करवाये जा रहे हैं ?

(3) क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्थाई निर्माण करवाने का विचार रखती है, जिससे राज्य की परिसम्पत्तियां बन सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में अकाल राहत के तहत 1747 राहत कार्य चल रहे हैं, जिन पर 34105 श्रमिक नियोजित हैं।

(2) सरकार द्वारा अकाल राहत के तहत श्रम मद के कार्य ही कराये जा रहे हैं। फिलहाल इनके अलावा जिन विभागों या प्लान योजना मदों में

(सहायता मंत्री)

मैटीरियल कम्पोनेन्ट की राशि उपलब्ध है उन्हीं मदों के पक्के कार्यों को लिया जा रहा है। इसी माह व्यक्तिगत लाभ के रतनजोत एवं आंवले के पेड़ लगाने तथा टी.ए.डी. विभाग के ब्लास्टिंग के कुओं में मैटीरियल हटाने की स्वीकृति कुआ मालिकों को दी गयी है।

(3) जी नहीं। क्योंकि आपदा राहत कोष के निर्देशों के अनुसार मैटीरियल कम्पोनेंट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

बारां जिले की गौशालाओं को अनुदान राशि में वृद्धि

601. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में कितनी गौशालाएं राज्य सरकार के अनुदान से चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गौशालाओं में सरकार द्वारा कब-कब, किस-किस रूप में अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त गौशालाओं को अनुदान सरकार से काम प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इन गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बारां में राज्य सरकार के अनुदान से केवल श्री माधव गोविन्द गौशाला बांसथूनी तहसील किशनगंज में चल रही है।

(2) उक्त गौशाला को माह जनवरी, 2005 में 286812 रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया है।

(सहायता मंत्री)

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही उक्त गौशाला को अनुदान राशि दी जा रही है।

(4) जी नहीं। क्योंकि केन्द्र सरकार से प्राप्त सी.आर.एफ. के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अनुदान राशि देय है। केन्द्र सरकार द्वारा गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि को माह नवम्बर, 2004 में ही बढ़ाया गया है।

बसेड़ी (धौलपुर) में महाविद्यालय की स्थापना

602. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बसेड़ी क्षेत्र के छात्र/छात्राओं का उच्च शिक्षा के लिये बसेड़ी में डिग्री कालेज नहीं होने के कारण धौलपुर जाना पड़ता है ?

(2) उक्त समस्या के निराकरण के लिये क्या सरकार बसेड़ी में छात्र/छात्राओं के लिए डिग्री कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण खोला जाना सम्भव नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत बायोटैक्नोलोजी शिक्षक

603. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री समर्थ लाल)

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय व उसके संघटक माहविद्यालयों में विगत कई वर्षों से बायोटैक्नोलोजी जैसा उच्च तकनीकी विषय अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इस दौरान बायोटैक्नोलोजी विभाग की स्थापना की दिशा में कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) क्या सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कालेज व्याख्याताओं की भर्ती में बायोटैक्नोलोजी विषय के शिक्षकों की भर्ती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा बायोटैक्नोलोजी विषय स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है।

(3) विश्वविद्यालय में उपलब्ध बोटनी, जूलोजी एवं कम्प्यूटर के पात्र शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अतः इस हेतु भर्ती प्रक्रिया के कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

(4) राजकीय महाविद्यालयों में बायोटैक्नोलोजी विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है। अतः बायोटैक्नोलोजी विषय के शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता नहीं है।

सरदारशहर तहसील (चूरू) के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

604. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदारशहर तहसील में संस्कृत शिक्षा के विद्यालय कहां-कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विद्यालयों में कौन-कौन से संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? ग्रामवार/विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरदारशहर तहसील में संस्कृत शिक्षा के 2 प्राथमिक एवं 4 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय स्थित हैं। सूची निम्नानुसार है :-

1. रा.प्रा.सं.वि., जयसंगसर (कन्या)

2. रा.प्रा.सं.वि., हरियासर, हरिजन-मोहल्ला

3. रा.उ.प्रा.सं. विद्यालय, सवाईबड़ी

4. रा.उ.प्रा.सं. विद्यालय, सोमासर

5. रा.उ.प्रा.सं. विद्यालय, करणसर

6. रा.उ.प्रा.सं. विद्यालय, अजीतसर

(2) उपरोक्त विद्यालयों में 4 वरिष्ठ अध्यापक II-ग्रेड, 21 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, इनमें से 2 पद वरिष्ठ अध्यापक II-ग्रेड एवं 4 पद

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त हैं, ग्रामवार विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। पद भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

सरदारशहर तहसील में संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

विद्यालय का नाम	व.अ. II ग्रेड			तृ.श्रे. शिक्षक		
	स्वीकृत	रिक्त पद	व कब से	स्वीकृत	रिक्त पद	व कब से
1. रा.प्रा.सं.वि., जयसंगसर	-	-	-	-	-	-
2. रा.प्रा.सं.वि., हरियासर	-	-	-	-	-	-
3. रा.उ.प्रा.सं.वि., सवाई बड़ी	1	-	-	6	-	-
4. रा.उ.प्रा.सं.वि., सोमासर	1	-	-	3	1	10/04
5. रा.उ.प्रा.सं.वि., करणसर	1	1	10/02	5	1	5/03
6. रा.उ.प्रा.सं.वि., अजीतसर	1	1	7/03	7	4	9/04

क्र.सं. 1 व 2 नवीन विद्यालय हैं जिनमें पद स्वीकृत नहीं हैं।

श्रीगंगानगर जिले की कृषि उपज मण्डियों से प्राप्त आय का उपयोग

605. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों के जमा धन का उपयोग पिछली सरकार द्वारा गंग नहर के पुनर्निमाण हेतु किया गया था? यदि हां, तो किस-किस कृषि उपज मण्डी समिति का कहां-कहां व कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्राप्त धन की वापसी कृषि उपज मण्डी समितियों को कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों के इस धन का उपयोग नहर कार्यों में किये जाने से समितियों के द्वारा ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव का कार्य प्रभावित हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जारी आज्ञा में राशि वापिस करने का कोई प्रावधांन नहीं है।

(3) कदाचित कुछ हद तक हुआ है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	मण्डी समिति	मण्डी समिति द्वारा प्रेषित की गई राशि (चालान से) लाख रुपये में
1.	श्री विजयनगर	43.45
2.	जैतसर	24.52

1	2	3
3.	श्रीगंगानगर (फल-सब्जी)	100.80
4.	रिडमलसर	22.75
5.	केसरीसिंहपुर	13.47
6.	पदमपुर	46.26
7.	गजसिंहपुर	48.75
8.	श्रीगंगानगर (अनाज)	500.00

चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर का कूकरखेड़ा जयपुर में स्थानान्तरण

606. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर को कूकरखेड़ा अनाज मण्डी में कब तक पूर्ण रूप से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

(2) सरकार द्वारा उक्त अनाज मण्डी के निर्माण/विकास हेतु आसपास की कितनी भूमि कब तक अधिगृहीत की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रस्तावित अनाज मण्डी कूकरखेड़ा, सीकर रोड, जयपुर में दुकानों/गोदामों हेतु कितने व्यापारियों ने आवेदन किया? इनमें से सरकार द्वारा कितने व्यापारियों को आबंटन योग्य पाया गया और कितनों को अयोग्य माना गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर की सोडाला, लालकोठी और सूरजपोल अनाज

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मण्डियों के व्यापारियों को भी उक्त अनाज मण्डी में स्थान उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मण्डी समिति जयपुर अनाज द्वारा भूखण्डों का आबंटन जनवरी, 2005 में किया गया है। आबंटित भूखण्डों के एक वर्ष की निर्माण अवधि पश्चात् जनवरी, 2006 में व्यापार स्थानान्तरित होना सम्भावित है।

(2) समय-समय पर मण्डी की आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाती है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आस-पास की कितनी भूमि अधिगृहीत की जायेगी।

(3) कुल 301 व्यापारियों द्वारा आवेदन किया गया। इनमें से 254 आवेदकों को आबंटन के योग्य एवं 45 आवेदकों को अयोग्य माना गया। दो आवेदकों के सम्बन्ध में निर्णय विचाराधीन है। सूची संलग्न परिशिष्ट "अ-1" एवं "अ-2" के अनुसार है।

(4) सोडाला, लालकोठी एवं सूरजपोल के कुछ व्यापारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट याचिकाएं दायर की गई हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय उपरान्त ही इस पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

607. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विगत पांच वर्षों में कृ. विपणन बोर्ड/कृषि मण्डी द्वारा कहां-कहां कितनी-कितनी दूरी की सड़कों का निर्माण

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सड़कों के निर्माण हेतु नवीन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(3) सरकार प्रस्तावित सड़कों का निर्माण अब कब तक करवाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विगत पांच वर्षों (1999-2000 से 2003-2004) में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 6[illegible].45 कि.मी. सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। निम्न सड़कों के प्रस्ताव मण्डी समिति द्वारा तैयार किए गए हैं।

कोटा इटावा रोड़ से गोन्दी

कोटा इटावा रोड़ से डोली

इटावा पीपल्दा रोड़ से अल्लापुरा

कोटा इटावा रोड़ से खेड़ली महाराजा

इटावा खातोली रोड़ से गणेशखेड़ा

इटावा खातोली रोड़ से फतेहपुर

(3) मण्डी समिति के पास सड़क निर्माण हेतु राशि उपलब्ध होने पर उक्त सड़कों के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

पीपल्दा में कृ. विपणन बोर्ड द्वारा विगत पांच व. में निर्मित कराई सड़कों की सूची

क्र. सं.	ए.उ.म.स.	सड़क का नाम	स्वीकृति			निर्मित वर्ष	निर्माण लागत (लाखों में)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)
			वर्ष	राशि (लाखों में)	लम्बाई (कि.मी.)			
1.	इटावा	स.स. पीपलया से रूण	1995-96	38.45	3.00	1999-2000	38.38	2.50
2.	इटावा	स.स. रामपुरिया से बागली	1993-94	41.31	4.00	1999-2000	40.96	4.00
3.	इटावा	स.स. आयाना से आयानी	1998-99	44.00	6.00	1999-2000	42.85	5.50
4.	बारां	स.स. जारेला	1997-98	12.46	4.20	1999-2000	11.63	4.20
5.	बारां	स.स. महलपुर	1997-98	16.21	1.70	1999-2000	14.95	1.70
6.	बारां	स.स. जालोद से तेजाजी	1998-99	22.45	2.30	1999-2000	20.79	2.30
7.	बारां	स.स. महुआ	1998-99	4.80	0.50	1999-2000	9.35	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	इटावा	स.स. गैता बमूलिया खुर्द रोड़ से बमूलिया कलां	1999-2000	13.21	0.75	2000-2001	15.07	0.75
9.	इटावा	स.स. लुहावद से दुर्जनपुरा	1998-99	105.31	11.00	2000-2001	104.36	10.30
10.	इटावा	स.स. पीपल्दा से शहनावदा	1998-99	64.04	6.00	2000-2001	63.48	5.70
11.	इटावा	स.स. रामपुरिया से बालूपा	1998-99	32.80	3.00	2000-2001	32.41	2.65
12.	बारां	स.स. किशनपुरा	1999-2000	88.60	3.15	2000-2001	28.07	3.15
13.	सुमेरगंज मण्डी	स.स. गुढा	1999-2000	58.00	6.00	2001-2002	42.07	6.00
14.	सुमेरगंज मण्डी	स.स. घाणदां कलां	1999-2000	31.00	3.10	2001-2002	24.75	3.10
15.	इटावा	स.स. करवाड से डुंगरली	1999-2000	45.20	4.30	2002-2003	44.05	4.30
16.	इटावा	स.स. कंथूदा रोड से जटवाड़ा	1999-2000	36.24	2.25	2002-2003	34.51	2.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	बारां	स.स. बम्बारी कलां से बालुदा पुलिया	2000-2001	39.00	2.75	2002-2003	29.15	2.75
18.	हटाया	स.स. निमोला से मियाणा	2002-2003	27.09	2.75	2003-2004	27.09	2.50
19.	बारां	स.स. मांगरोल रोड़ से सिंघानिया	2003-2004	20.26	2.30	2003-2004	20.17	2.30
			योग	683.63	66.05		636.09	63.45

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कें

608. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में (1) हिण्डौली से मण्डी रोड पर 3 किलोमीटर (2) कडोदिया से चेतां 3 किलोमीटर (3) ग्राम चेतां से मालियों के कर्ड तक 3 किलोमीटर सड़कें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत करवाई जाकर निर्माण करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त घोषणाओं के आधार पर प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियां कब तक जारी कर उक्त सड़कों का निर्माण करा दिया जावेगा -? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों को बनाने हेतु सर्वे कराकर एस्टीमेट बनाने का कार्य हो गया है ? यदि हां, तो इन तीनों सड़कों पर अलग अलग कितनी लागत आयेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में प्रश्नांकित सड़कों कृषि विपणन विभाग से स्वीकृत कर निर्माण कराने की घोषणा अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में सम्पर्क सड़क ग्राम चेता से मालियों का बरड़ा 2.20 कि.मी. जिसकी 35.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 10-2-2005 को जारी की गई। जिसका निर्माण आगामी वितीय वर्ष 2005-06 में पूर्ण होना सम्भावित है।

(2) स्वीकृत सड़क ग्राम चेता से मालियों का बरड़ा 2.20 कि.मी. का सर्वे कराकर एस्टीमेट बनाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सकेगा। इस पर 35.00 लाख रु. लागत आने की सम्भावना है शेष सड़कों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई को गौण मण्डी यार्ड घोषित करने की मांग

609. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई के अधीन सिकन्दरा में गौण मण्डी यार्ड घोषित करनें की ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा सिकन्दरा को कब तक गौण मण्डी यार्ड घोषित कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिकन्दरा में बांदीकुई कृषि उपज मण्डी की वार्षिक आय 20 लाख रुपये के बराबर है? यदि हां, तो इसे अभी तक मण्डी सबयार्ड घोषित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई के अधीन सिकन्दरा में गौण मण्डी यार्ड घोषित किये जाने हेतु ग्रामीणों की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है, अपितु क्षेत्रीय विधायक महोदय द्वारा मांग की गई है।

(2) जी नहीं। सिकन्दरा में वर्ष 2003-04 में मण्डी शुल्क से वार्षिक आय 17.23 लाख रुपये रही है।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम, 1987 के नियमों में निर्धारित मापदण्डों में न आने के कारण सिकन्दरा को गौण मण्डी घोषित नहीं किया जा सका है। वर्तमान में इस संग्रहण केन्द्र से होने वाली आय को दृष्टिगत रखते हुए इसे गौण मण्डी यार्ड घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री बत्तीलाल (टोडा भीम)

1. राज्य में कृषि एवं किसानों की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी)

2. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की कीरतपुरा, कचुमरा, भाटोली पाल ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कृ. मण्डी सम्पर्क सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

3. लक्ष्मणगढ़ तहसील में किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

4. राज्य में कृ.कों की सुविधाओं हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

5. वर्तमान फसली बीमा योजना में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

6. कृ. उपज मण्डी द्वारा हिण्डौली से मण्डी 2 किलोमीटर बड़ोदिया से अलोद, चेता से मालियों का घर्डा सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा)

7. राज्य में कृषि के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

8. कृषि उपज के विपणन हेतु पर्याप्त सरसों के बिक्री केन्द्र समय पर नहीं खोले जाने से काश्तकारों को हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

9. सिकन्दरा में कृषि उपज हेतु सब-यार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

10. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर काश्तकारों को सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

11. किसानों के दस हजार रुपये तक के कृषि ऋणों को माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

12. कृषि में आयुर्वेदिक औषधि व वन औषधि को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन सिंह राठौड़ (सुमेरपुर)

13. राज्य में हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के निमित नदी जल आयोग हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)

14. राज्य में कृषि के विकास हेतु विशेष उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

15. कृषि कार्य करते हुये किसानों की कृषि कार्यों के दौरान मृत्यु हो जाने पर दी जाने वाली सहायता राशि में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनिवार्य नहीं मानकर इसके नियमों का सरलीकरण कराने एवं कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों, फव्वारा योजना, बून्द-बून्द सिंचाई योजना के उपकरणों पर विशेष छूट का प्रावधान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद)

16. कृषि विस्तार कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु सांगोद में सहायक निदेशक, कृषि का पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. जयपुर (जोबनेर) में धनिये की खेती पर हो रहे अनुसंधान कार्य को जोबनेर से कोटा संभाग के किसी जिले में प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डियों को कृषि विपणन बोर्ड के स्थान पर उस जिले की जिला परिषद के अधीन कार्य करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. कोटा जिले की सांगोद व ब्यावर की गोण मण्डियों के विकास हेतु इनको कोटा भामाशाह कृषि उपज मण्डी में मिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. वर्ष 2003-2004 व 2004-2005 में भामाशाह मण्डी कोटा में कृषि उपहार कूपन का वितरण 10 प्रतिशत से भी कम होने एवं यही हाल प्रदेश की अन्य कृषि उपज मण्डियों में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)

21. राज्य में कृषि के विकास हेतु कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. राज्य में कृषि अनुदानों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)

23. राजस्थान में कम पानी से पैदा होने वाली फसलों के लिये विशेष मिनिमम सपोर्ट मूल्य की विशेष व्यवस्था हेतु बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

24. फसल बीमा में ग्राम पंचायत को यूनिट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

25. कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा के क्षेत्र में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण, मण्डी प्रांगण में दुकाने व गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

26. किसानों को ओलावृष्टि से हुये नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. किसानों को रबी की फसल का उचित समर्थन मूल्य दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

28. फसल बीमा योजना में सिरोही जिले के किसानों को मुआवजा न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी)

29. कृषि बीमा योजना की विसंगतियों को दूर करने एवं कृषि विभाग के ग्राम सेवकों की स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)

30. राज्य में कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली)

31. विधान सभा क्षेत्र करौली के किसानों को आकस्मित आपदा के तहत फसल बीमा योजना लागू करने पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र करौली के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

33. तहसील चाकसू व फागी में किसानों को सस्ते खाद व उन्नत बीजों की दुकानें खुलवानें के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति से किसानों के लिये सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. फागी कृषि उपज मण्डी समिति को जयपुर मण्डी से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार)

36. कृषि विभाग में लक्ष्यों का अभाव एवं कृषकों के साथ भेदभाव करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)

37. विभाग द्वारा नकली खाद एवं दवाई निर्माताओं पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

38. बानसूर व बड़ौद कस्बे की भयंकर क्षतिग्रस्त सड़कों की कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से ठीक कराने पर चर्चा के लिये।

39. बानसूर में भूमि विकास बैंक की शाखा नहीं होने पर किसानों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

40. बहरोड़ में कृषि उपज मण्डी नहीं होने के कारण किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. बानसूर एवं बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में उपजाऊ कृषि भूमि (ग्रीन बेल्ट) को कारखानों में अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

42. डूगरपुर जिले में कृषि सुधार के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

43. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के चिमनपुरा कालेज को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. राज्य बीज निगम द्वारा किसानों की मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

45. राज्य में भूमिजल का स्तर निरन्तर गिरते जाने से किसानों को आने वाले समय के मद्देनजर विभाग द्वारा आवश्यक योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. राज्य में किसानों का प्याज समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिकने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

47. राज्य के किसानों का फसल बीमा योजना का ऋण एवं प्रिमियम की राशि बगैर सहमति के काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. एन.एस.गुर्जर (टोड़ारायसिंह)

48. सरकार द्वारा समय पर काश्तकारों को खाद बीज उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

49. किसानों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत मिली सब्सिडी राशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

50. धौलपुर जिले में सहायक निदेशक, उद्यान का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. जिला धौलपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. धौलपुर जिले के किसानों को ओलावृष्टि से फसल में हुये खराबे का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिये जाने से व्याप्त जन आक्रो . पर चर्चा के लिये।

53. धौलपुर जिले में नकली बीज के वितरण को रोकने तथा खेती की उन्नत तकनीक की जानकारी एवं अच्छी किस्म के खाद-बीज तथा कीटनाशक दवाइयों का वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में वन खंडी के पास मनुष्य एवं मवेशी को पीने का पानी, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं पक्का एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)

55. तहसील नदबई के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज मण्डी समिति नदबई के द्वारा सड़क का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़)

56. कृषि उपज मण्डी समिति डूंगरगढ़ में सफाई, जल व चौकीदार व्यवस्था के ठेके में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

57. राज्य में कृषि मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

58. बाड़मेर जिले के किसानों की रबी की फसल नष्ट हो जाने से क्षति का सर्वे नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. तहसील गुढामालानी के काश्तकारों को खरीफ फसल बीमा की मुआवजा राशि का सही निर्धारण (आकलन) नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)

60. जिला बांसवाड़ा में माही डैम के बेक-वाटर द्वारा गांव नाचन-वाडी, सालीया, माण्डवी, पृथ्वीपुरा, रोहनीया, राणपुर, ठाकरा भमेड़ी, माण्डली तहसील घाटोल के गांवों की कृषि भूमि को लिफ्ट द्वारा पानी देने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)

61. कृषि बीमा योजना में खराबे को तहसील की बजाय ग्राम इकाई मानने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

62. कृषि विभाग द्वारा पाइपों में दी गई सब्सिडी के बजट को बारां जिले से कोटा जिले में शिफ्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. अनुदान वाला थ्रेशर के बजट को बांरा से कोटा में शिफ्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

64. उदयपुर जोन में रतनजोत को कृषि फसल बीज मानने एवं वन विभाग से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)

65. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कृषि कार्य हेतु उन्नत बीज व खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

66. राज्य में कृषि विस्तार एवं उन्नत खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

67. कृषि विभाग द्वारा डेमांस्ट्रेशन लगाने, गांवों में पेड़ लगाने एवं फव्वारों पर सब्सिडी दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. कृषि विभाग में बीज एवं खाद पर सब्सिडी दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

69. कृषि उपज मण्डी फतेहपुर को लक्ष्मणगढ़ स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)

70. विधान सभा क्षेत्र नोहर (हनुमानगढ़) में उन्नत किस्म के खाद-बीज के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

71. राजस्थान प्रदेश में सीमा के पास स्थित अनाज मंडियों में किसानों द्वारा अनाज नहीं बेचकर दूसरे राज्य जो सीमा से लगते हुये हैं की मण्डियों में अनाज बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. किसानों को समय पर खाद व बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. राज्य में कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं सरसों की खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

74. विभाग द्वारा भूमि का भू-भाग जलस्तर नीचे जाने के कारण कृषि उत्पादनों में आयी कमी के सम्बन्ध में आवश्यक पहल करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

75. विभाग द्वारा फसल बीमा योजना की तकनीकी कमी को हल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)

76. कृषि के विकास हेतु उन्नत किस्म के बीजों के लिये छोटे काश्तकारों को सहायता उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

77. कृषि के लिये जैविक खाद प्रयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. कृषि के लिये जल प्रबन्ध की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विभाग द्वारा कृषि उत्पादन के लिये नई-नई तकनीकी का कृषकों को जानकारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

80. बाड़मेर जिले में होहोबा (जोजोबा) की खेती को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. बाड़मेर जिले के किसानों को रतनजोत की खेती के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के किसानों को कम बुवाई से अधिक अन्न उपजाने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. जिला बाड़मेर के बायतु में किसानों को समय-समय पर नई तकनीकी एवं फसल रोगों की समुचित जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्रों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. मरूस्थलीय क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटियों की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

85. विभाग द्वारा परबतसर तहसील मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी कार्यालय एवं यार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मंघर

86. विभाग द्वारा ग्रामीण किसानों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीक की जानकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

87. विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के सरलीकरण कर अधिकतम लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

बूल खराड़ी (फलासिया)

88. फलासिया विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में दूरदराज बसे किसानों की फसल, साग-सब्जी व अन्य उत्पादन के उचित विपणन के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में पाला गिरने से किसानों को हुई फसल हानि का मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में कृषि विपणन मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत, रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के काश्तकारों को जैविक खाद के लाभ की जानकारी के साथ जैविक खाद उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

ल अहारी (खैरवाड़ा)

92. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में कृषि विपणन मण्डी द्वारा घटिया किस्म की सामग्री से निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अकालग्रस्त किसानों को उत्तम खाद-बीज निःशुल्क देने व फसल बीमा भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में कृषि उपज मण्डी द्वारा कीकावत से बलुआ, सागवाड़ा से भादड़ी, रिषभदेव से गोडि वाला वाया गरनाला,

(श्री नानालाल अहारी)

सागवाडा से बाब्लवाड़ा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

95. विधान सभा क्षेत्र बाली में कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर द्वारा कोरबा सम्पर्क सड़क, डूगली से बोया वाया लालराई, नाना से सेन्दला, नाना से बेडा वाया सेन्दला तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बाली के लिये कृ. उपज मण्डी सुमेरपुर द्वारा पूर्व में प्रस्तावित सड़कों की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र बाली के कृषकों को जीवाणु कल्चर पैकेट्स एवं अधिक उपज देने वाली किस्म के उन्नत बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र बाली में जलग्रहण विकास एवं कृषि भू-संरक्षण के तहत अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

99. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सामरिया से सिरपोई व थरोनिया से सनोरिया तक सड़क निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. ग्रामीण क्षेत्र में खाद, बीज और कीटनाशक की उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)

101. राज्य में कृषि उत्पादन के समर्थित मूल्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सांगसिंह भाटी)

102. राज्य में बीज एवं खाद के मूल्यों के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)

103. राज्य के किसानों के लिये फसल बीमा योजना में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

104. विभाग द्वारा कृषि में काम आने वाली नकली खाद-बीज की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा कृषि हेतु उन्नत किस्म के बीज व कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित अनाज व सब्जी मण्डियों में एस.सी./एस.टी. किसानों को दुकान व भूखण्ड आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विभाग द्वारा कृषि हेतु रसायन खाद की जगह पर उर्वरक खाद का प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल के बासकृपाल नगर में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा)

109. शेखावाटी अंचल में उन्नत कृषि हेतु किसानों को नई तकनीक की जानकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विभाग द्वारा गुढा एवं उदयपुरवाटी में कृषि के विकास हेतु पहल करने की आवयश्कता पर चर्चा के लिये।

111. विभाग द्वारा झुन्झुनूं में कृषि के विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

112. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के किसानों को समय पर बीज व रासायनिक खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की अनाज मण्डी में जगह के अभाव के कारण किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

114. विभाग द्वारा राज्य के कृषकों को जैविक खाद की उपयोगिता के सम्बन्ध में समुचित प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विभाग द्वारा किसानों के उपयोग में आने वाले खाद, बीज, कीटनाशक एवं कृषि सम्बन्धी यन्त्रों आदि की उपलब्धता एक ही स्थान पर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल)

116. विभाग द्वारा राज्य के कृषकों को जैविक खाद का उपयोग करने हेतु जागरूक करने एवं रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को रोकने के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

117. विभाग द्वारा राज्य में कृषि कुओं के घटते जल स्तर के मद्देनजर कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा राज्य में खारे पानी से खेती करने हेतु अनुसंधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बीज समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

120. राज्य में फसल बीमा योजना का काश्तकारों को लाभ नहीं मिलने एवं फसल बीमा योजना में खसरा नं. को इकाई मानने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. विभाग द्वारा काश्तकारों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

122. विभाग द्वारा क्षारीय व लवणीय भूमि सुधार व फलोद्यान की उपज के निर्यात को बढ़ावा देने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

123. विभाग द्वारा कृषकों को खाद, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने व फसल का उचित मूल्य दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विभाग द्वारा फसल खराबे का पर्याप्त मुआवजा देने का प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

125. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ओलावृष्टि से प्रभावित बड़े किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. किसानों का फसल बीमा करने से उत्पन्न परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

1. लक्ष्मणगढ़ तहसील में पशु चिकित्सकों के अभांव पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

2. ग्राम रानीपुरा, पेच की बावड़ी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

3. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नये पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर)

4. तारानगर में पशु चिकित्सा के अभाव से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा)

5. पशुपालन तथा पशु चिकित्सा पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)

6. जिले में पशुओं की दवाई हेतु अनुदान नहीं बढ़ाने एवं पशु चिकित्सालयों के नहीं खोलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

7. सिकराय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकिशोर मीणा)

8. पशु की संख्या के अनुपात में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

9. पशुपालन व उनके स्वास्थ्य का समय-समय पर परीक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीबाड़ा)

10. रानीबाड़ा विधान सभा क्षेत्र में विभाग में चल रहे रिक्त पदों को भरने तथा नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

11. पशुपालन को प्रोत्साहन, पशु बीमा एवं पशु चिकित्सा सुलभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सराड़ा)

12. पशु चिकित्सा में स्टाफ एवं भवनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा

13. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर (चूरू) में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

14. नये पशु चिकित्सालय खोलने तथा पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

15. उन्नत किस्म के पशुओं का पशुपालन बढ़ाने के लिए, पशुपालन को उद्योग घोषित करने एवं पशुपालन में अनुदान देने व बढ़ाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

16. निम्बाहेड़ा में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

17. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में पशुधन हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

18. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के पशु औषधालय राशमी, आरनी, रूद में भवन निर्माण एवं पशु औषधालयों के रिक्त पदों के भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

19. सिरोही जिले में पशुओं की घटती संख्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी)

20. पशुधन संरक्षण एवं चिकित्सालयों की स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)

21. पशुपालकों एवं चिकित्सा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली)

22. विधान सभा क्षेत्र करौली में ग्रामीणों को पशुपालन हेतु प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

23. तहसील फागी के ग्राम चाकसू में पशु चिकित्सालय खोलने एवं चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार)

24. खण्डार क्षेत्र के पशुपालन के विकास एवं सुधार तथा आवश्यक कर्मचारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)

25. वल्लभनगर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

27. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मांचल, चतरपुरा, लाडपुरा, तलवाड़ा, मोमनपुर, भूपसेड़ा, मौठूका, पहाड़ी, मूण्डली में पशु चिकित्सालय की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

28. डूंगरपुर जिले में पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद)

29. सरस डेयरी द्वारा विज्ञापन में नियम विरुद्ध खर्चे से राज्य के पशुपालकों में बढ़ रहे असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम में शिथिलता से राज्य के किसान एवं आम-जनता को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)

31. तहसील नदबई में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

32. राज्य में पशुपालकों को पशु चराने हेतु चरागाह समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

33. विधान सभा क्षेत्र पिडावा के ग्रा.पं. मुख्यालय गोविन्दपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने एवं क्षेत्र में लम्बे समय से चले आ रहे चिकित्सक, कम्पाउण्डर के रिक्त पदों को भरने तथा प्रत्येक चिकित्सालय पर अच्छी नस्ल के सांड व पाडे उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

34. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों में दवाई व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मौरोली, मैसेना, विशनोंदा तथा करीमपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

36. धौलपुर जिला मुख्यालय के पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

37. बाड़मेर जिले में इस वर्ष वर्षा के अभाव में चारे की भारी कमी को देखते हुए पशु शिविरों में पशुओं के चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में पशुओं के चिकित्सा पर ध्यान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. बाड़मेर जिले में गोवंश की नस्ल सुधारने हेतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगढ़)

40. विभाग द्वारा केलवाड़ा में पशु चिकित्सक के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

41. पशु चिकित्सालय चित्रावास, गोगुन्दा एवं उप पशु चिकित्सालय, कमोला भाडेर (उखलियात) में भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)

42. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पशु चिकित्सालय एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

43. राज्य में पशु मेलों हेतु कारगर कदम उठाने एवं पशु प्रजनन केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

44. पशुपालन विभाग में रिक्त पदों को भरने एवं गांवों में उप स्वा. केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में ग्राम किठवाणा में पशुपालन चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

46. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम गनेडी में स्थित पशु चिकित्सालय में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम नेछवा में पशु चिकित्सक का पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

48. विधान सभा क्षेत्र चौमू के ग्राम किशनपुरा, गुडलिया में पशु चिकित्सालय खोलने एवं सान्दासर, घिनोई, टोकरडा, नांगल कोजू एवं नांगल गोविन्द में पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र चौमू के गोविन्दगढ़ में दुग्ध सकंलन केन्द्र की स्थापना करने एवं पशु आहार केन्द्र कालाडेरा में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)

50. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में इटावा पंचायत समिति के अठारवा क्षेत्र में पशु अस्पताल खुलवाने एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर)

51. पाली जिले के रायपुर एवं जैतारण क्षेत्र में पशुओं के मुंहवार एवं खुरवासा महामारी की रोकथाम व रायपुर की ग्रासबासनी धधवाडीयान में पशु चिकित्सालय खोलने, रायपुर के ग्राम सिंगपुरा, छितरीया, गुडीया, नानएन, बगडी व सीरमा में उप स्वा. केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

52. विधान सभा क्षेत्र बान्दीकुई के ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के इलाज की उचित व्यवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

53. राज्य में गौशालाओं के खोलने की अधिकाधिक स्वीकृति प्रदान करने एवं चरागाह भूमि गौशालाओं हेतु रियायती दर पर आबंटन करवाने में विभागीय पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. सीकर विधान सभा क्षेत्र में जहां पशु चिकित्सा केन्द्र नहीं हैं, उन ग्रामों में माह में एक बार तिथि निश्चित कर पशु कैम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. सीकर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 15 पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)

56. पशुओं की सुरक्षा व चिकित्सा हेतु हर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय दवाइयां व डाक्टर की व्यवस्था व पशुओं (भेड़, बकरी) को चराने की माकूल व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

57. ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य आधार पशुपालन के सर्वांगीण विकास हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विभाग द्वारा पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

59. विभाग द्वारा पशुपालन हेतु ग्रामीण लोगों को वर्तमान जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

60. बाड़मेर जिले में सबसे अधिक पशु रखने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. बाड़मेर जिले में अधिक पशु रखने वाले किसानों के परिवारों में से परिवार के किसी एक सदस्य को पशु चिकित्सा के बारे में प्राथमिक जानकारी उपलब्ध करवाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. बाड़मेर जिले में भेड़ चराने के लिए जिले में स्थित ओरण भूमि को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. बाड़मेर विधान सभा की तह. पं.सं. बायतु में पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य प्रदान कराने के लिए डेयरी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

64. परबतसर विधान सभा क्षेत्र में बिना भवन के संचालित पशु चिकित्सालयों हेतु भवनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. परबतसर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर पशुपालन कार्यालय की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

66. परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

67. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम जीवदा, कुमटिया व खेतरली में नवीन राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम भन्दर खुडाला व लाटाडा में नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र बाली के फालना अवस्थित डेयरी चिलिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय पशु चिकित्सालयों, उपकेन्द्रों में रिक्त पड़े चिकित्सक व अन्य वर्ग के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र बाली के पालतू पशुओं में मुंहपका-खुरपका, गलघोंटू व अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिये वेक्सीनेशन व इलाज की कारगर व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)

72. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ग्राम कोजावाड़ा, खानमीन, जलबका, पाटीया कानपुर कनबई में नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के पशु चिकित्सालयों में गत वर्षों से रिक्त चल रहे पशु चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के पदों को भरवाने एवं

(श्री नानालाल अहारी)

रिषभदेव पशु चिकित्सालय में लगातार पन्द्रह वर्षों से चिकित्सक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के पालतू पशुओं को मुहंपका, खुरपका, गलघोंटू गिलूडा, सीमन (सूखना रोग) आदि रोगों की रोकथाम व इलाज उपचार की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

75. विधान सभा क्षेत्र फलासिया एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के पशुओं में मुंहपका, खुरपका, सूखा रोग, गलघोंटू व अन्य बीमारियों की त्वरित गति से रोकथाम हेतु उपचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के बिरोठी, सोय, बिच्छीवाड़ा व अम्बासा में नवीन राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा खेत्र फलासिया के राजकीय पशु चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों में रिक्त चल रहे सभी वर्ग के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

79. विभाग द्वारा पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम भजेडा पं.स. किशनगढ़ बास में खोलने पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम किथूर पं.स. किशनगढ़ बास में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

[श्री जयराम जाटव]

81. वि..ा द्वारा पशुधन बीमारी में रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाये ज..ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विभा.. द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल में ग्राम फतयाबाड पं.स. किशनगढ़बास में पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल में ग्राम सालया पं.स. कोटकासिम में पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री रा..र सिंह गुढा (गुढ़ा)

84. विभाग द्वारा गुढ़ा उदयपुरवाटी एवं नीमकाथाना क्षेत्र में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के लिये आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

85. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पशु चिकित्सालय व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पशु चिकित्सालय व उपस्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन.. ल ..प्त (किशनपोल)

87. वि.. द्वारा जयपुर के पशु चिकित्सालयों में एन्टी रेबीज टीके उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्द.. ल पूनि.. (सादुलपुर)

88. वि... द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सादुलपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

89. राजगढ़ (चूरू) पशु चिकित्सालय द्वारा पंचायत समिति के भवन पर नाजायज कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) पशु-चिकित्सालय को आबंटित भूमि का कब्जा दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

91. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विभाग द्वारा ग्राम-गालउ तह. राजगढ़ (चुरू) में पशु अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

93. विभाग द्वारा प्रदेश में बकरियों, भेड़ों व अन्य पशुओं में फैल रही भयंकर बीमारी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

94. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी के गांव कुन्थाड़ा, सामरिया, बूरथल में पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)

95. मरूस्थलीय क्षेत्र के जन साधारण की जीविका के प्रमुख स्त्रोत पशुपालन को बढ़ावा देने, पशुओं की बीमारियों से सुरक्षा व उपचार की माकूल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सदस्य-सूची

मंगलवार, 12 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या